खण्ड-07 सत्र-02 (भाग-02) / अंक-14

बृहस्पतिवार 29 जुलाई, 2021 / 07 श्रावण, 1943 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-02 (भाग-02) में अंक 14 से अंक 15 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-02 (भाग-02) बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 2021/07 श्रावण, 1943 (शक) अंक-14

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को शालीनता पूर्वक चलाने में सहयोग करने हेतू आह्वान	7-8
3.	निधन संबंधी उल्लेख	9-12
4.	सदन में अव्यवस्था	13-22
5.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	23
6.	सदन में अव्यवस्था	24-36
7.	केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विधान सभा की समितियों के अधिकार छीने जाने के संबध में माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	37
8.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	38-51
9.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	52-150
10.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	151-345
11.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	346-365

12.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	366–367
13.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	368–400
14.	नियम–114 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव	401–409
15.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	410–456
16.	नियम–107 के अन्तर्गत प्रस्ताव	457–477

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-02 (भाग-02) बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 2021/07 श्रावण, 1943 (शक) अंक-14

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए धनवती चंदीला ए
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अमानतुल्ला खान
6. श्री अब्दुल रहमान
7. सुश्री भावना गौड़
8. श्री बी.एस. जून
9. श्री गिरीश सोनी
10. श्री गुलाब सिंह
11. श्री हाजी युनूस
12. श्री जय भगवान
13. श्री जरनैल सिंह
14. श्री कुलदीप कुमार
15. श्री महेंद्र गोयल
16. श्री मुकेश अहलावत
17. श्री नरेश बाल्यान
18. श्री नरेश यादव
19. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
20. श्री प्रलाद सिंह साहनी

21. श्री प्रवीण कुमार
22. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
23. श्री प्रकाश जारवाल
24. श्री ऋतुराज गोविंद
25. श्री रघुविंदर शौकीन
26. श्री राजेश गुप्ता
27. श्री राज कुमार आनंद
28. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
29. श्री राजेश ऋषि
30. श्री राघव चड्ढा
31. श्री रोहित कुमार
32. श्री शरद कुमार चौहान
33. श्री संजीव झा
34. श्री सोम दत्त
35. श्री शिव चरण गोयल
36. श्री सौरभ भारद्वाज
37. श्री सही राम
38. श्री एस. के. बग्गा
39. श्री सुरेन्द्र कुमार
40. श्री विनय मिश्रा
41. श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
42. श्री अभय वर्मा
43. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
44. श्री अजय कुमार महावर
45. श्री जितेंद्र महाजन
46. श्री महेन्द्र यादव
47. श्री मदन लाल
48. श्री मोहन सिंह बिष्ट
49. श्री ओमप्रकाश शर्मा
50. श्री पवन शर्मा
51. श्री शोएब इकबाल
52. श्री सोमनाथ भारती
53. श्री विजेंद्र गुप्ता
54. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-02 (भाग-02) बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 2021/07 श्रावण, 1943 (शक) अंक-14

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत-वन्दे मातरम्)

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी, अधिकारी दीर्घा में वो सारे लोग बैठे रहे हैं। राष्ट्रगान में ये शोभा देता है क्या?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कौन बैठे रहे?

श्री अभय वर्मा: ये जो ...व्यवधान...

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: दर्शक दीर्घा में कोई खड़ा नहीं हुआ है।

श्री अभय वर्मा: कोई खड़ा नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: दर्शक दीर्घा, ऑफिसर्स दीर्घा में।

श्री अभय वर्माः हां, ये ऑफिसर्स दीर्घा में।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः कोई नहीं खड़ा हुआ है इसमें।

माननीय अध्यक्षः देखा है मैंने, नोट किया।

श्री ओमप्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी, 2 मिनट बैठिये प्लीज।

श्री ओमप्रकाश शर्माः सर ये B.A.C. की मीटिंग के बगैर आप सदन चला रहे हैं, यह असंवैधानिक है।

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं। चला रहे हैं न सदन।

श्री ओमप्रकाश शर्माः क्यों चला रहे हैं जी? ये democratic set-up, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते क्या?

माननीय अध्यक्षः चलिए।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः नहीं-नहीं, आपने जब एजेण्डा ही तय नहीं किया तो मिटिंग जो चला रहे हैं असंवैधानिक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सातवीं विधान सभा के दूसरे सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से.....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड, बिधूड़ी जी,.....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी,....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः या तो बिधूड़ी जी को बोल लेने दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नेता (विपक्ष) बोल रहे हैं और आप फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तो या तो तय कर लीजिये न कौन बोलेगा, आप बोलेंगे या वो बोलेंगे। आप तय कर लीजिये कौन बोलेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, तय कर लीजिये कौन बोलेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः समय खराब करना आपका....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अध्यक्ष अपने अधिकार से विधान सभा चलायेगा। आपकी डायरेक्शन से विधान सभा नहीं चलेगी।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी, मर्यादा हैं ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपकी डायरेक्शन से विधान सभा नहीं चलेगी। अध्यक्ष अपनी डायरेक्शन से चलायेगा विधान सभा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये, नीचे बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नीचे बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सातवीं विधान सभा के दूसरे सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता से और कम से कम समय में अपनी बात कहें और सदन का समय खराब

न होने दें। सदन के समय का सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अतः आप सबसे मेरा देबारा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से तथा शालीनतापूर्वक भाग लें और कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग दें। इसके अलावा....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप इस बात का ध्यान रखें कि सदन की प्रत्येक बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे से शुरू होगी, अतः सदस्य इसका ध्यान रखें और निर्धारित समय पर सदन में पहुंचें।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, हां या ना तो बोलिये। कोई रूलिंग तो दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपको जानकर अत्यधिक दुःख होगा कि....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं दिवंगत आत्माओं को....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सुन लीजिये एक बार। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहा हूं।....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं दिवंगत आत्माओं को, आप बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं प्रार्थना कर रहा हूं माननीय सदस्य, दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः शांति से बैठें। दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं बैठना चाहते, ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपको ये जानकर अत्यधिक दु:ख होगा....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मीडिया नोट कर ले श्रद्धांजलि के लिए भी विपक्ष शांति से नहीं बैठ रहा। ये बड़ी गम्भीर बात है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः इसी सदन के सदस्यों को....

...व्यवधान...

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः आपको ये जानकर अत्यधिक दु:ख होगा कि दिनांक 22 अप्रैल, 2021 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का कोरोना महामारी के कारण देहांत हो गया। उनका जन्म 08 दिसम्बर, 1948 को हुआ था। उन्होंने अपना कैरियर एक चिकित्सक के रूप में प्रारम्भ किया तथा बाद में वे राजनीति में आ गये। वे सामाजिक आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। वे पहली बार वर्ष 1993 में दिल्ली विधान सभा के सदस्य चुने गये। इसके बाद वर्ष 1998 में दूसरी बार, वर्ष 2003 में तीसरी बार तथा वर्ष 2008 में चौथी बार दिल्ली विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री रहे। वे लक्ष्मी नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने विधायक तथा मंत्री के रूप में सक्रियतापूर्वक कार्य किया और दिल्ली के विकास में अपना योगदान दिया। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से डॉक्टर अशोक कुमार वालिया के निधन पर हार्दिक शोक संवदेना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर अत्यधिक दु:ख होगा कि दिनांक 14 मई, 2021 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जरनैल सिंह जी का कोरोना महामारी के कारण देहांत हो गया। उनका जन्म 16 फरवरी, 1973 को हुआ था। वे पहली बार वर्ष 2013 में पांचवी विधान सभा के सदस्य चुने गये और दूसरी बार वर्ष 2015 में छठी विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे राजौरी गार्डन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपना कैरियर एक पत्रकार के रूप में आरम्भ किया था तथा बाद में वे राजनीति में आ गये। वे सक्रिय

सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री जरनैल सिंह जी के निधन पर हार्दिक शोक संवदेना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर अत्यधिक दु:ख होगा कि दिनांक 19 मई, 2021 को दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व सदस्य श्री कल्याण सिंह का देहांत हो गया। उनका जन्म 05 जनवरी, 1945 को हुआ था। वे घोंडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे पहली बार वर्ष 1972 में महानगर परिषद के सदस्य मनोनीत हुए थे। उसके बाद वर्ष 1979 में महानगर परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1983 में फिर महानगर परिषद के सदस्य चुने गये। वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य भी रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर हार्दिक शोक संवदेना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

आपको जानकर अत्यंत, माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर अत्यंत दु:ख होगा कि दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व सदस्य श्री अमरनाथ कुमार 22 अप्रैल, 2021 को, उनका देहांत हो गया। वे सक्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री अमरनाथ जी के निधन पर हार्दिक शोक संवदेना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, आप सबको विदित है कि दिनांक 03 अप्रैल, 2021 को छतीसगढ़ और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गये और 31 जवान घायल हो गये। सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किये गये इस हमले में जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए 12 नक्सलियों को मार गिराया। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों की शहादत अनमोल है। सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान से ही हमारा देश सुरक्षित है। मैं इन शहीद जवानों को अपनी ओर तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है। पिछले दिनों दूसरी लहर के दौरान हमें आपातकालीन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। यह अत्यधिक दु:ख की बात है कि इस लहर में मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा रही और हम सब में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने किसी न किसी परिचित को इस बीमारी के कारण खोया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी के भाई, श्री सही राम जी की पत्नी, श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर के भाई, पूर्व विधायक श्री जगदीश प्रधान के भाई कोरोना के कारण चल बसे। इस बीमारी के कारण दिल्ली के तथा पूरे देश के जिन लोगों का निधन हुआ हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। हालांकि अब जनता के सहयोग और सरकार के प्रयासों से इस लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है लेकिन

हमें सावधानी रखनी है और टीकाकरण को बढ़ावा देना है। इस महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गये कदम सराहनीय हैं। डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मैडिकल स्टाफ तथा अन्य विभागों ने इस महामारी से निपटने के लिए दिन-रात एक करके मेहनत की है। जनता के सहयोग के बिना इस महामारी से नहीं निपटा जा सकता था। सावधानी बरतना ही इसका एकमात्र इलाज है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें इस संकट से निपटने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन लम्बे समय से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि देता हूं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस मुद्दे का कोई समाधान निकलेगा।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा। आप सभी से प्रार्थना है कृपया खड़े हों।

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।)

माननीय अध्यक्ष: ओम शांति शांति शांति। माननीय सदस्यगण आप जानते हैं कि टोक्यो में चल रहे ओलम्पिक खेलों में भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीत कर देश को गौरव प्रदान किया है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता

हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारे अन्य खिलाड़ी भी मेडल जीत कर भारत का गौरव बढ़ाये।

अभी ऑफिसर्स गैलरी में बैठे ऑफिसर्स उठे नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इतनी बात कह रहा हूं कि सी.एस. को, चीफ सेक्रेटरी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः Starred Questions

...व्यवधान...

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः ये माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो ये है कि

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मेरे पास....

...व्यवधान...

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः नियम 55 के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन लगा हुआ था education पर और उसके बाद 40 मिनट बाद ये काट दिया गया।

माननीय अध्यक्षः जो मेरे पास समय था....

...व्यवधान...

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: बीजेपी के विधायक हैं इसलिए हमारे साथ

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: जो, जो मेरे....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं।....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ऐसा है....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी,.....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: यहां की कमेटियों के ही अधिकार छीने जाएंगे....

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः कमेटियों के

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कमेटियों के अधिकार ही छीन लिये गये सारे।....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां, मैं बोल रहा हूं।....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं सब बात कर रहा हूं। कमेटियों के अधिकार ही छीन लिये गये सारे।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः स्कूलों की चर्चा से भाग रही है सरकार।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः केंद्र सरकार भाग रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की। मुझे बहुत पीड़ा है अध्यक्ष होने के नाते कि मेरी अध्यक्षता के दौरान किसी भी सदन की कमेटियों के अधिकार छीन लिये जाएं, ये बड़े शर्म की बात है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः सरकार जवाब दें न, आप....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः केंद्र सरकार भाग रही है, वो देगी जवाब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः Starred Questions

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों से प्रार्थना है ये एक घंटे का समय starred question का है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ठीक है, छोड़िये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं जिनके,...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जिनके balloting में नाम आये हैं, मैं बोल रहा हूं, वो सदस्य नहीं बोलेंगे,...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं बोलेंगे तो उनका नाम drop हो जाएगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः Star Question No. 01 श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अनिल कुमार बाजपेयी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं तीसरी बार नाम बोल रहा हूं, श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने तीन बार रिक्वेस्ट की है ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप Starred Question का जवाब नहीं लेना चाहते?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः Starrred Question का जवाब नहीं लेना चाहते?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे 'यस' और 'ना' बोलिए आप। नहीं लेना चाहते। छोड़ दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्रीमती बंदना कुमारी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्रीमती बंदना कुमारी।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः चर्चा होगी स्कूलों पर।

...व्यवधान...

माननीय नेता प्रतिपक्ष (श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी): स्कूल कॉलेजों पर चर्चा होगी और

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः धर्मपाल लाकड़ा जी।

...व्यवधान...

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कहते हैं हाउस का टाइम बढ़ाओ,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भावना जी, आप बैठिये।

...व्यवधान...

सुश्री भावना गौड़ः दो दिन के हाउस को कहते है दस दिन का हाउस होना चाहिए

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

सुश्री भावना गौड़ः और हाउस चलने नहीं दे रहे ये लोग।

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जो अनिल बाजपेयी जी ने जो नोटिस आपको दिया, Short Duration Discussion आपने एक्सेप्ट किया

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिए शॉर्ट....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जब शॉर्ट....

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं, अध्यक्ष जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जब शॉर्ट नोटिस के....

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आजादी के बाद विधान सभा के इतिहास में,

Metropoliton Council के इतिहास में ऐसे कभी भी अपोजिशन का गला नहीं घोटा गया अध्यक्ष जी। आप इसका जवाब दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं विपक्ष के सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सदन की कमेटियों के अधिकार छीने गये हों।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः किसी भी समितियों....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं विपक्ष से जवाब मांग रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं विपक्ष से, केन्द्रीय सरकार से जवाब मांग रहा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा शर्म का दिन है। मेरे लिए सबसे बड़ा शर्म का दिन है। कभी नेता-विपक्ष नहीं आये कि अधिकार छीने गये हैं, कमेटियों के अधिकार छीने गये हैं, हम चलते हैं। डूब मरना चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः डूब मरना चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे बड़ी पीड़ा है कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे कार्यकाल में ये काम केन्द्र सरकार ने किया है और मैं ये कहता हूं उसमें....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः उसमें दिल्ली विधान सभा के विपक्ष के सदस्यों का हाथ है, विपक्ष के सदस्यों का हाथ है, मैं कहना चाहता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः इतना अंधेर, इतनी अंधेरगर्दी है। लोकतंत्र की....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः लोकतंत्र का कोई लिहाज ही नहीं है, विधान सभा की कमेटियों के अधिकार छीनें आप....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः और बिल्कुल शांत रहें, बोले नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां, जैसा हमारे साथ होगा, मुझे विचार करना पड़ेगा।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बैठ सकते हैं, बैठिए। आप बैठना चाहते हैं, बैठिए। नहीं

तो मैं स्टार्ड क्वेश्चन सबसे पहले लूंगा, मैं स्टार्ड क्वेश्चन सबसे पहले लूंगा और आप स्टार्ड क्वेश्चन का घंटा खराब कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स, बाजपेयी जी को बाहर करें, अनिल बाजपेयी जी को बाहर करें। न, मैं कोई मौका नहीं दूंगा। मैं कोई मौका नहीं दूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः न, मैं कोई मौका नहीं दूंगा। हां, बिल्कुल ठीक है। मुझे सदन चलाना है। चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां चलिए, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए। ले जाइए बाहर। हां मैं कर रहा हूं जो मुझे करना है, मैं कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जो केन्द्रीय सरकार हमारे साथ कर रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई सुनाने का विषय ही नहीं रह गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): बात तो सुन लीजिए न कम से कम। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है।

माननीय अध्यक्षः मैं एक रूलिंग दे रहा हूं। एक रूलिंग दे रहा हूं उसको एक बार सुन लीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक रूलिंग दे रहा हूं, सुन लीजिए।

पिछले छह साल में मैंने कई बार सोचा, लेकिन मैं बड़ा पीड़ित रहा हूं, बार बार मीडिया में समय नहीं मिलता, आज से मैं इस सदन का समय डिवाईड कर रहा हूं in the ratio of the members, 11 से 5 बजे तक सदन रहता है जिसमें दो घंटे का कार्यकाल स्टार्ड क्वेश्चंस का है और 280 का है। उसमें 3 घंटे हमारे पास लंच का छोड़कर 3 घंटे बचते हैं 180 मिनट। 20 मिनट विपक्ष के लिए रहेंगे और 160 मिनट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां बिल्कुल ठीक है। जो लोक सभा की व्यवस्था है वो करो। हां गला घोट रहे हैं। आप चिल्लाईए मत। चिल्लाईए मत अध्यक्ष पर। हां मैं कर रहा हूं। छह साल सदन का समय आप लोगों ने खराब किया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप सदन के अपने 20 मिनट खराब कर चुके हैं। हां, बिल्कुल ठीक है गलत कर रहा हूं। बिल्कुल, जो संविधान में दिया है, जो लोक सभा के नियम हैं, उसके अनुसार मैं ये डिवीजन कर रहा हूं। जिस हिसाब से लोक सभा डिवीजन करती है, मैं उसी हिसाब से डिवीजन कर रहा हूं। जो लोक सभा करती है वो मैं कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जो लोक सभा कर रही है, वो मैं कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी, अब छोड़िए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जो लोक सभा करती है वो मैं कर रहा हूं। जो लोक सभा का नियम है, वो मैं लागू कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः लोक सभा हमारे अधिकार छीनती जाए, हम चुप बैठे रहें, हम कुछ न करें। मैं वही कर रहा हूं जो लोक सभा करती है और वही करूंगा। आगे से वही करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जो लोक सभा का नियम है वो मैं कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः न, बिल्कुल ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जो लोक सभा का नियम है, आपने अपने 20 मिनट ऐसे ही खराब करने हैं तो कर लीजिए, 20 मिनट डिस्कशन में भाग लेना है तो बैठिए शांति से।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कुछ नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिए मैं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने कई बार रूलिंग दी है कि मैं स्टार्ड क्वेश्चंस में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, 280 में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, मेंबर्स बहुत शालीनता से क्वेश्चन लगाते हैं, उनके समय को आप विपक्ष हमेशा, जब भी सदन होता है, आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं वो दे दीजिएगा। डिसाईड कर लूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये मैं भेज देता हूं। विचार के लिए भेज देता हूं।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष जी क्या भाषा है इनकी! सदन के अंदर ये इस तरह की भाषा बोलेंगे?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो मुझे जैसे करना होगा मैं करूंगा। जिस ढंग से।

श्री सोमनाथ भारतीः आप यह देखें, इनकी क्या भाषा है?

माननीय अध्यक्षः क्या कर सकता हूं?

श्री सोमनाथ भारतीः नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर किया जाए। इनको बाहर करिए।

...व्यवधान...

(पक्ष और प्रतिपक्ष के कुछ सदस्य वेल में आ गए)

माननीय अध्यक्षः वेल में मत आइए, आप वेल में मत आइए। बाहर चलिए, वेल में मत आइए। अब मैं कर रहा हूं। आप वेल से बाहर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप पहले अपनी सीट पर तो चलिए। आप पहले अपनी सीट पर तो चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर तो चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी, आप जाइए। आप अपनी सीट पर जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः रूक तो जाओ न आप। आप बैठिए मैं बात करूंगा। आप अपनी सीट पर तो जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राजेश जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं सत्ता पक्ष के साथियों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे बात तो करने दो? सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी सीट पर जाएं, प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अपनी सीट पर जाएं, पाण्डेय जी। बैठाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूं। मुझे बात तो करने का मौका दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं ले रहा हूं न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई उनको बैठाओ तो सही, तभी तो बात करूंगा मैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए, माननीय सदस्य बैठें। मैं निर्णय देता हूं अभी। मैं अभी निर्णय देता हूं बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिलीप जी, बुलाइए प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए, बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं वो आ जाएं। अब मैं बात करता हूं न, आप बैठेंगे तभी तो बात करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी, आप बैठ जाइए प्लीज। चलिए आइए। आइए, दोनों माननीय सदस्य आ जाएं। चलिए, सीट पर चलिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी बैठ जाइए, नहीं कुछ नहीं हुआ अभी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः फाड़कर फेंक दीजिए, फाड़कर फेंक दीजिए। मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फाड़कर फेंक दीजिए। अब मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मुझे करना पड़ेगा यही चीज। फाड़कर फेंक दीजिए। बोल रहा हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः Breach of Privilege, फाड़कर फेंक दें?

माननीय अध्यक्षः हां, फाड़कर फेंक दीजिए। कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए, अभी मुझे ओम प्रकाश जी का विषय लेने दीजिए। ओम प्रकाश जी, एक सेकेंड रूक जाइए आप, आप मत बोलिए। आप जब चाहे इस सदन के सदस्यों का अपमान कर लेते हैं। और अभी या तो सदन से माफी मांगिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मुझे बात करने दीजिए। बात तो करने दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, बैठिए। राखी भई मुझे बात करने दो न, कमाल है। मुझे बात नहीं करने दोगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं बात तो कर लूं न? मैं बोल रहा हूं, भई ये बात ठीक नहीं है। अगर सत्ता पक्ष का ये व्यवहार रहेगा, ठीक नहीं है। मुझे बात तो करने दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे मुझे बात तो करने दो न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई आप वहां अपनी कुर्सी पर चलिए। मैं बात करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे बोलने तो दो न। ऐसे नहीं होता। मैं राखी जी, मैं माननीय सदस्यों से। मैं खड़ा हूं। राखी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः पाण्डेय जी, बुलाइए जरा प्लीज, करिए। भई मुझे समय दोगे तभी तो कुछ करूंगा। मुझे समय तो दो कुछ। मुझे आप समय नहीं देंगे बात करने का तो मैं क्या करूंगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः न मैं कोई समय नहीं दूंगा, मैं माफी चाहता हूं। बस, आपकी इज्जत करता हूं लेकिन मैं माफी चाहता हूं। बैठिए, बैठिए। आप बैठिए अपनी सीट पर प्लीज। अभी मैंने बाहर किया। और जब मैंने बुलाना होगा, बुलाउंगा अपने आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, एक सेकेंड मेरी बात सुनें। राखी जी, मुझे बात तो करने दो भाई।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं ओम प्रकाश जी, आपका इस सदन में व्यवहार कभी माईक तोड़ना, कभी अन्य सदस्यों के विरुद्ध, वो देखिए वो बोल रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ये आपने जो 'अपनी औकात में रहें', यह शब्द बोला है, माननीय सदस्य, सुन लीजिए बात को। अभी माईक नहीं खोलने दे रहा हूं मैं। कोई माईक नहीं खुलेगा। कोई माईक नहीं खुलेगा। आपने सदन में माईक भी तोड़ा, आपने अलका लाम्बा का भी अपमान किया, अनेक सदस्यों का किया और आज मर्डर से भी बुरा है ये। ये मर्डर से भी बुरा है। किसी सदस्य को बोलना 'अपनी औकात में रहिए', मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप या तो माफी मांगें, नहीं मैं दो मिनट के लिए बोल रहा हूं या तो सदन से माफी मांगें,

या तो सदन से इस बात के लिए माननीय सदस्य माफी मांगें, आपने बोला 'अपनी औकात में रहें', आपने क्लियरली इन शब्दों का इस्तेमाल किया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी को मैं आज पूरे दिन के लिए निष्कासित करता हूं।

...व्यवधान...

सुश्री राखी बिरलाः आर.एस.एस. का आफिस नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी अब बैठ जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी अब बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। अब सदन तो चलाने दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ठीक है। मैंने जो निर्णय लेना था, ले लिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महाजन जी, बैठ जाइए आप अपनी कुर्सी पर। बैठिए आप अपनी कुर्सी पर। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स, मार्शल्स, महाजन जी को बाहर करिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महाजन जी को बाहर करिए। मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं इतना पीड़ित हूं, मैं इतना पीड़ित हूं मैं कह नहीं सकता। मैं बहुत पीड़ित हूं। हां ले जाने दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपने भी बाहर जाना है? आपने भी बाहर जाना है?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक दिन के लिए निलंबित किया है। एक दिन के लिए मैंने निलंबित किया है ओमप्रकाश जी को ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा महाजन जी को मार्शल्स बाहर निकालें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोल दिया।

...व्यवधान...

सुश्री राखी बिरला: इनको भी बाहर भेजो अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: स्टार्ड क्वेश्चंस धर्मपाल लाकड़ा जी आए हैं क्या? धर्मपाल लाकड़ा जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: क्या? रूलिंग एक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कोई हूटिंग नहीं हुई, कोई हूटिंग नहीं हुई। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप सुनेंगे मेरी बात। मैं सदन चला रहा हूं। बात सुनेंगे? आप बात सुनेंगे?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बात सुनेंगे, बात सुनेंगे?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैंने जवाब दे दिया है। जवाब दे दिया। मैंने बोल दिया इसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्री जरनैल सिंह जी। चौथा प्रश्न। श्री जरनैल सिंह जी, आप खड़े रहने दीजिए उनको, आप रखिए।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः किसमें, मैंने कह दिया फाड़कर फेंक दीजिए, फाड़कर फेंक दीजिए रद्दी की टोकरी में।

...व्यवधान...

श्री जरनैल सिंहः मैं माननीय **शिक्षा मंत्री** जी से निवेदन करता हूं कि प्रश्न संख्या चार का उत्तर दें?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि कमेटियों के अधिकारों को छीन लिया जाए?

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः एक मंत्री लगातार सदन को झूठ बोला, सदस्यों को गुमराह किया ।

सुश्री राखी बिरलाः वो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है सात साल से

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुन लीजिए। दो मिनट बैठ जाइए। राखी बैठिए। राखी बैठिए। मैं बड़ा भावुक हो कर, मैं बड़ा भावुक होकर स्टेटमेंट दे रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए आप त्रिपाठी जी एक सेकिंड। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं आप शोर मचा रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, शांत नहीं होते।

श्री अभय वर्माः इसका मतलब कि मंत्री जी भी झूठ बोलेंगे न?

सुश्री राखी बिरलाः मैंने ऐसा नहीं बोला था।

श्री अभय वर्माः यही कहना चाह रहे हो ना आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, मैं खड़ा हुआ हूं, आप बोल रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कुछ तो मर्यादाओं का ख्याल रखिए राखी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी, राखी जी। ये गलत बात है। मैं बड़ा भावुक हो कर।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये गंभीर मामला है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं यहां खड़ा हूं। मैं, विजेंद्र जी खड़ा हूं। विजेंद्र जी को बाहर करिए, मार्शल्स।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं खड़ा हूं तो बैठिए। मैं खड़ा हूं तो बैठ जाइए शांति से।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां जाइए, जाइए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिल्कुल जाइए, जाइए। आप जाइए, आप बिल्कुल जाइए। मार्शल्स बाहर करिए, बाहर करिए। कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बाहर करिए कोई सुनवाई करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं सुनना, बाहर करिए। एकदम बाहर करिए। मार्शल्स बाहर करिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी बैठ जाइए प्लीज। अरे बैठिए अब नीचे। मैं खड़ा हूं आप बोले जा रहे हैं। बोलने दीजिए उनको। आप बैठ जाइए अब।

शांति से बैठिए। माननीय सदस्यगण जब से केन्द्र सरकार ने दिल्ली विधान सभा के अधिकार छीने हैं उसके बाद आज सैशन हो रहा है। मैं तब से इतना प्रताड़ित हूं, रातों को नींद नहीं आती। जिस दिन ये आर्डर आया देश में अनेक सरकारें आई, चली गई। वर्तमान केन्द्रीय सरकार संविधान का मर्डर करने पर तुली हुई है और मुझे लगता है कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरे कार्यकाल में ये हुआ है कि समितियों के अधिकार छीन लिए गए। उस दिन मुझे लगा मैं वास्तविकता में बहुत प्रताड़ित होकर ही बोल रहा हूं, मुझे लगा कि सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूं, लेकिन बातचीत की कि इसका विरोध करो, जितना विरोध हो सकता है, करो और मुझे इसलिए, आज एक बार भी विपक्ष ने आकर बात नहीं की कि अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत हुआ है, आप हमारे साथ चलिए, हम चलेंगे, बात करेंगे। आज ये अधिकारों की बात कर रहे हैं और तब से मैंने सदन को बहुत बैलेंस करके चलाया है लेकिन आज मैंने निर्णय कर लिया और मैं निर्णय करके आया। मैनें विपक्ष को दिया हुआ समय जो अब शैड्यूल में लिया है, मैं बीस मिनट से ज्यादा कभी समय नहीं दूंगा, एक सेकिंड के लिए भी। वो यहां बैठें, शालीनता से बैठें, शोर- शराबे में अपने बीस मिनट समाप्त कर लें या डिस्कशन में कर लें, ये उनकी इच्छा पर है। मैं इतना प्रताड़ित हूं जो संविधान ने हमको अधिकार दिये हैं आज तक और सरकारें आई, यहीं अनोखी केन्द्रीय सरकार आई है, इसी के पास ज्यादा दम है, इसी को गला घोंटना आता है और सदनों का भी गला घोंटना आता है और ये निर्णय लेते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, निश्चित रूप से पीड़ा हो रही है लेकिन हमारे अधिकारों को बिल्कुल आप लोग इस ढंग से कुचलने पर लगे हैं कि सदन की समितियों का मर्डर कर रहे हैं, सदन की समितियों को बेकार कर रहे हैं, पूरे सदन के अधिकारों

को बेकार कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में विपक्ष की नीयत ठीक है तो जाकर गृहमंत्री से बात करनी चाहिए, ये दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना है । सत्ता आयेंगी- जायेंगी। आज हम लोग हैं, कल आप भी आ सकते हैं। उस वक्त क्या करेंगे, कहां जाएंगे, उस वक्त कभी सोचा है ये, सदन का बिल्कुल, बिल्कुल सदन का मर्डर किया जा रहा है और बहुत प्रताड़ित होकर मैं बोल रहा हूं। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी। नहीं मैं कुछ नहीं बोलने का, मैं कोई बोलने का मौका नहीं दूंगा। मुझे स्टार्ड क्वेश्चन चला लेने दीजिए, फिर मैं बोलने का मौका दूंगा। स्टार्ड और 280 चलने दीजिए। मैंने पहले भी निर्णय दिया है मैं स्टार्ड में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। माननीय सदस्यगण बड़ी मुश्किल से अपने क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। आप लोग स्टार्ड क्वेश्चंस को डिस्टर्ब करके अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। जरनैल सिंह जी बोलिए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री जरनैल सिंहः माननीय **शिक्षा मंत्री** जी से निवेदन करता हूं कि प्रश्न संख्या चार का उत्तर देने की कृपा करें?

प्रश्न संख्या चारः क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) एसएमसी के कार्य और शक्तियाँ;

(ग) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में एसएमसी द्वारा बुलाई गई बैठकों का विवरण; और

(घ) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में एसएमसी द्वारा स्कूलों के विकास के लिए किए गए खर्चों और खरीद का विवरण?

माननीय उप मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या चार के संदर्भ में ये जवाब देना है कि

प्रश्न संख्या चार का उत्तर:

(क) व (ख) आर.टी.ई एक्ट 2009 के अनुच्छेद 21(संलग्नक 1)[1] के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस.एम.सी.) का गठन किया जाता है। एस.एम.सी. के गठन कार्य, शक्तियों के सबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा परिपत्र संख्या 520-533 दिनांक 25.03.2013 व परिपत्र संख्या डी.ई 23(6)/आरटीई/2012-13/847-854 दिनांक 01.8.2016 जारी किये गये है, जिन्हें संलग्नक 'क'[2] के रूप में संलग्न किया है।

इस सबंध में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एण्ड रूल्स, 1973 में वर्णित अनुच्छेद 05 और नियम 59 का अवलोकन किया जा सकता है। जो कि संलग्नक 'ख'[3] के रूप में संलग्न किया गया है।

---

1. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।
2. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।
3. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ग) व (घ) तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में एस.एम.सी. द्वारा बुलाई गई बैठकों व स्कूलों के विकास के लिए किये गये खर्चो और खरीद का विवरण संलग्नक 'ग' व 'घ'[4] में संलग्न किया गया है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमैंट्री।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, वैसे तो एसएमसी अपने आप में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर लाकर खड़ा करने के लिए बहुत कामयाब और शानदार कदम है। पिछले डेढ साल में अध्यक्ष जी, कोविड के चलते लगातार मीटिंग्स नहीं हो पाई तो मैं सिर्फ निवेदन ही करना चाहता हूं कि उसके पहले जो मीटिंग्स होती थीं एसएमसी के अंदर स्कूल के स्टाफ की तरफ से रेगुलर मीटिंग दर्ज करने का निवेदन करने पर भी नहीं दर्ज किए जाते थे तो डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ ऐसी डायरेक्शन चली जाए कि हर मीटिंग के मिनट्स जो रजिस्टर तो होते हैं उसकी कापी जरूर एसएमसी मेम्बर्स को दे दी जाए ताकि जिस उद्देश्य से एसएमसी का गठन किया गया।

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी क्वेश्चन लीजिए सप्लीमैंट्री प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि एसएमसी के मिनट्स सारे मेम्बर्स को अगली मीटिंग से पहले पहुंचा दिए जाएं और एक्शन टेकन रिपोर्ट दे दी जाए। धन्यवाद।

---

4. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

माननीय उप-मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। मैं इसको डिपार्टमेंट को दे दूंगा। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः एनी मैम्बर। थैंक्यू। क्वेश्चन पांच, श्री सुरेंद्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दें?

क्वेश्चन नंबर पांचः

क्या **माननीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोकलपुरी नाले को साफ न करने और कीचड़ न निकालने के क्या कारण हैं;

(ख) इस कार्य के लिए इस वित्त वर्ष आवंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) इस उद्देश्य से प्रदान किए गए ठेके का विवरण क्या है?

माननीय विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या पांच - उत्तर निम्न प्रकार हैः

(क) गोकुलपुरी नाला सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। गोकलपुरी नाला पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने यह जानकारी दी है कि गोकलपुरी नाले की सफाई कराई जा चुकी है। प्रतिदिन नाले के बहाव को बनाए रखने के लिए तैरती सामग्रियों को हटाया जाता है।

यद्यपि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र में 57 नाले आते हैं जिसकी सूची अनुलग्नक 'ए'[5] के रूप में संलग्न है। सभी 57 नालों की सफाई का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जानकारी दी है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान रू0 116.53 लाख की राशि व्यय की गई है।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सफाई कार्य के लिए बैकहो लोडर, हाइड्रोलिक ट्रैक्टर, ट्राली, टिप्परट्रक, ट्रैक्ड एस्कलेटर, ट्रक (सूची अनुलग्नक बी और सी)[6] को किराए पर इस्तेमाल किया गया है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमैंट्री।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नियंत्रण में जो आता है नाला उसके लिए मैंने पूछा है ये क्वेश्चन में।

माननीय विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी मैं दोबारा बता देता हूं जो इस नाले का पता किया था जो क्वेश्चन लगाया गया था ये नाला पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आता है।

माननीय अध्यक्षः एनी मैम्बर, हां बोलिए।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो नजफगढ़ नाला जो त्रिनगर, वजीरपुर विधानसभा को होते हुए निकलता

---

5. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

6. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

है उसमें एक STP Plant लग रहा था तो क्या सर वो कोविड के दौरान वो काम बंद है? अगर चल रहा है तो उसका विवरण अगर कल या परसों में मिल जाए और अगर बंद है तो कब तक चालू हो जाएगा और क्या उसकी सफाई भी बंद कर दी गई है कोविड के दौरान, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय विकास मंत्रीः दिल्ली के सभी नालों की कोविड के दौरान भी सफाई की गई थी, डिस्लिटिंग की गई थी और जो एसटीपी लगाने का है ये मेरे अभी जानकारी में नहीं है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ कनफ्यूजन है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या-06 श्री महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या 06 प्रस्तुत हैः

क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए का विद्यार्थी ऋण प्रदान किए जाने का विवरण;

(ख) अब तक प्रदान किए गए ऐसे ऋणों का विवरण;

(ग) क्या यह सत्य है कि जो विद्यार्थी यह ऋण लेते हैं, दिल्ली सरकार उनकी गारंटी लेती है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि जिन विद्यार्थियों के माता-पिता बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें यह ऋण नहीं मिलता;

(ङ) क्या सरकार इन विद्यार्थियों की सहायता के लिए कोई कदम उठाने जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो उनका विवरण?

श्री मनीष सिसोदिया (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या-06 का उत्तर प्रस्तुत है:-

(क) दिल्ली हॉयर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के ऋण आबंटन का विवरण अनुलग्नक-1[7] पर संलग्न है।

(ख) दिल्ली हॉयर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत अब तक आबंटित किए गए ऋण का विवरण अनुलग्नक-2[8] पर संलग्न है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं। स्कीम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमैंट्री

श्री महेन्द्र गोयल: वैसे तो।

माननीय अध्यक्ष: उचित है ना, सप्लीमैंट्री उनको।

श्री महेंद्र गोयल: सर 'घ' का मैं 'जी नहीं' का आपका जो ये है स्कीम के अंतर्गत लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन आया था उसके बाद ये क्लीयर हो गई और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपका कि उस बच्चे का वो लोन

7. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

8. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

भी मंजूर हो गया है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लगाया था तो आपका और पूरी सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः हाँ, राखी बिरला जी। माइक खोलिए भई।

सुश्री राखी बिरलाः माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि जो अम्बेडर यूनिवर्सिटी के तहत एक कॉलेज कैम्पस, सैक्टर-03, रोहिणी, एम. टू.के. के पास बनने के लिए प्रारम्भ हुआ था क्या कोविड की वजह से अभी वो शुरू नहीं हो पाया है या काम रूका हुआ है, अगर शुरू होना है तो कब तक शुरू होगा कोई संभावना इस साल के अन्दर, धन्यवाद।

माननीय शिक्षा मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): राखी ये इससे संबंधित सप्लीमैंट्री नहीं है पर माननीय विधायक सदस्य को इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दी जायेगी ।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, सोमनाथ भारती जी। इसी से रिलेटिड कुछ क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः (अस्पष्ट)

माननीय शिक्षा मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ अध्यक्ष महोदय इसमें मैं भी इसका समय-समय पर रिव्यू करता रहता हूँ। देखने में ये आया है कि दिल्ली सरकार की हॉयर एजुकेशन में बच्चों की मदद के लिए दो स्कीम्स हैं। एक लोन लेने की स्कीम है और एक उनको scholarship देने की स्कीम है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई scholarship scheme बहुत ही progressive है और उसमें काफी जो

गरीब परिवारों के बच्चे हैं यहां तक की सात लाख रुपये तक की भी जिनके परिवारों की इन्कम है उस तरह के परिवारों के बच्चों को भी वो स्कीम के तहत उनकी फीस पूरी reimburse हो जाती है, काफी हद तक reimburse हो जाती है और उसमें मैंने देखा था कि उसमें हर साल तीस-तीस, चालीस-चालीस करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा रही है स्कीम के तहत, तो मैं समझता हूँ कि संभवत् उस वजह से भी लोन की एप्लीकेशन्स नहीं है। इसमें मैंने जो संलग्नक लगाया है इसमें भी सूचना है कि कितने एप्लीकेशन आए और कितने उसमें से स्वीकृत हुए, उसके बारे में भी मैंने पूरा जानकारी इकट्ठा की थी और ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे एप्लाई करते हैं लेकिन उनके पास वो सर्टिफिकेट पूरे नहीं होते या वो आधा-अधुरा फॉर्म भरकर देते हैं और फिर बाद में pursue नहीं करते क्योंकि उनको scholarship में पैसा मिल जाता है तो संभवत् इसलिए ज्यादा लोग लोन में इच्छुक नहीं होंगे लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसको आप प्रचार प्रसार करेंगे तो हो सकता है और बच्चे जो वांछित लोन लेना चाहते होंगे उन तक पहुंचेंगे।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन 07 विजेन्द्र गुप्ता, क्वेश्चन 08 अजय महावर, क्वेश्चन 09 रामवीर सिंह विधुड़ी तीनों बाहर हैं। यह गंभीरता है विपक्ष की। पांच लोगों के बैलेटिंग में नम्बर आए थे स्टार क्वेश्चन चलने नहीं दिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश ऋषि जी प्रश्न संख्या-10।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

(क) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में उन भवनों का नाम व पते सहित विवरण, जिन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है;

(ख) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में उन अस्पतालों का विवरण, जिन्हें दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है;

(ग) उन भवनों/संस्थानों का विवरण जो वांछित अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना कार्य कर रहे हैं;

(घ) ऐसे भवनों/संस्थानों के विरुद्ध की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण; और

(ङ) दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा दर्ज की गई जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान आग लगने की घटनाओं का उनके स्थान, पते सहित पूर्ण विवरण?

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 10 का उत्तर निम्न प्रकार है:-

(क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा के दृष्टिकोण से राजधानी शहर को 03 जोनों, 06 मंडलों और 18 उपमडंलों में बांटा गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनकपुरी में जिन भवनों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र/एफएससी जारी किया गया है उनकी सूची अनुलग्नक-ए[9] रूप में संलग्न है। मैं बता देता हूँ कि assembly-wise नहीं किया गया है पूरी दिल्ली को

9. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

तीन जोन, छः मंडल और अठाराह उपमंडल में बांटा गया है फिर भी इनके विधानसभा का जितना डेटा मिल सकता था उसको इकट्ठा करके इसको एनेक्स्चर-'ए' में लगा दिया गया है;

(ख) चूंकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी जनकपुरी में अस्पताल भवनों की सूची जिन्हें एनओसी/एफएससी जारी किया गया है, अनुलग्नक-'बी'[10] के रूप में संलग्न है।

(ग) दिल्ली अग्निशमन सेवा स्थानीय प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त करने के बाद कार्य आता है। संदर्भ मिलने पर दिल्ली अग्निशमन सेवा अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करता है/अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुपालन का सत्यापन करता है और फिर संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को अनुमोदन या कमियों से अवगत कराता है। तद्नुसार, बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के चल रहे भवनों की सूची दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) स्थानीय प्राधिकरण से संदर्भ मिलने के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा संबंधित प्राधिकरण को अनुमोदन या कमियों से अवगत कराता है। तद्नुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करता है, ताकि वह लाईसेंस/अधिभोग प्रमाण-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही कर सके जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी भवन के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे भी संबंधित प्राधिकरण को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेसित किया जाता है।

---

10. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ङ) हालांकि दिल्ली अग्निशमन सेवा का डेटा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं है फिर भी अभिलेखों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में जनकपुरी फायर स्टेशन क्षेत्र में हुई आग की घटनाओं का विवरण अनुलग्नक-'सी'[11] के रूप में संलग्न है।

माननीय अध्यक्षः राजेश जी एनी सप्लीमैंट्री ।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी मैं यह जानना चाहता हूँ स्कूलों की जो मुझे जानकारी इसमें दी गई इसमें मैक्सिम्म स्कूल सरकारी हैं जिनको परमीशन मिली है, हॉस्पिटल सरकारी हैं जिनके पास परमीशन है लेकिन हमारे यहां पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत छोटी-छोटी गलियों में चल रहे हैं उनके पास फायर की परमीशन क्यों नहीं हैं और उनको किस तरीके से अस्पताल चलाने का लाइसेंस मिला, मैं इसकी जानकारी चाहूंगा। दूसरा मैं चाहूंगा कि हमारे यहां पर पी.जी. बने हैं जिसमें पिछले दिनों एक एक्सीडेंट भी हुआ था, आग लग गई थी कुछ लड़कियां छत से कूदकर बचाई गई थीं तो आज तक उनके पास फायर का सर्टिफिकेट नहीं मिला यानि उनको लाइसेंस नहीं मिला। Oyo के बहुत सारे होटल्स बने हैं जिनके पास आज तक फायर की क्लीयरेंस नहीं है और वो होटल चल रहे हैं साथ ही हमारे यहां।

माननीय अध्यक्षः राजेश जी क्वेश्चन पूछिए प्लीज, क्वेश्चन पूछिए।

श्री राजेश ऋषिः सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने परमीशन क्यों नहीं ली है या फायर वाले इनके पास क्यों नहीं जाते हैं कि बिना फायर की

---

11. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

परमीशन के आप कैसे चला रहे हैं? इसके साथ ही हमारी नई कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है उनके नक्शे एम.सी.डी. कैसे पास कर देती है जबकि उनके पास फायर की कोई भी क्लीयरेंस नहीं होती। क्या बिल्डिंग के नक्शे पास कराने के लिए फायर क्लीयरेंस की जरूरत है या नहीं, मैं इसकी जानकारी चाहता हूँ कि अगर है तो बिना फायर क्लीयरेंस के उनके नक्शे क्यों पास कर दिए जाते हैं?

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी नक्शा जो commercial है मतलब non-residential, residential के बारे में बता देता हूँ residential नक्शे जो भी 15 मीटर हाइट तक की बिल्डिंगें हैं और stilt मिलाकर साढ़े सत्रह मीटर है उनके नक्शे फायर के पास नहीं आते हैं बाकी जितनी भी commercial buildings हैं या कोई भी institutional buildings हैं अगर कोई भी MCD, तीनों एमसीडी, DDA, New Delhi Municipal Council पास करती है तो उससे पहले उसका नक्शे का रैफरेंस अग्निशमन सेवा को भेजा जाता है जिसके ऊपर वो अपनी observations भेजते हैं जिसको approval के बाद ही उसको पास करना चाहिए। जैसा कि विधायक महोदय ने बताया है कि अगर बिना फायर की एन.ओ.सी. के इस तरह का कोई नक्शा पास किया जाए तो क्या उसको संज्ञान में लिया जायेगा, कृपया बतायें।

श्री राजेश ऋषि: ऐसी कई..... हैं हमारे यहां पर है ही नहीं कोई एन. ओ.सी. और सर हम जब कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल्स में गए थे।

माननीय अध्यक्ष: दूसरी चीज पर उत्तर दे दिया मंत्री जी ने।

श्री राजेश ऋषि: नहीं सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं या परमीशन नहीं होती है, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है क्योंकि उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई दिखी नहीं।

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे लगता है कि ये जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं जहां तक है ये उनकी बात कर रहे हैं। छोटे नर्सिंग होम्स में 09 मीटर हाइट तक फायर की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होती है और दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर पिछले डेढ़ साल से उनको एक्सटेंशन दी हुई है जो कि फायर एन.ओ.सी. के बिना उनको चलाने की अनुमति दी हुई है थोड़े दिनों के लिए क्योंकि कोरोना काल में हमने सभी को काम करने के लिए कहा था, तो हो सकता है कि कुछ के पास उसका तमदमूंस ना हुआ हो तो तमदमूंस के बिना भी अभी शायद सितम्बर तक की उनकी डेट है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. **श्री अनिल कुमार बाजपेयी :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी नगर पुश्ता रोड और गामड़ी मेन रोड को चौड़ा किए जाने की विभाग की कोई योजना है;

(ख) इसका विवरण क्या है;

(ग) दुकानदारों और आम जनता को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए क्या विभाग का गांधी नगर मार्केट क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग सुविधा प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 6392 (अ) दिनांक 31.12.2018 के अनुसार गांधी नगर पुश्ता रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 709-बी घोषित किया गया है, इस रोड पर कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। मास्टर प्लान में गामड़ी मेन रोड चौड़ी दिखाई गई हैं। राजस्व विभाग द्वारा इस रोड के Alignment को मास्टर प्लान के अनुसार चिन्हित किया जाना है। राजस्व विभाग से मास्टर प्लान के अनुसार रोड को चिन्हित किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 6392 (अ) दिनांक 31.12.2018 (प्रति संलग्न)

(ग) पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

(घ) उपरोक्त (ग) अनुसार लागू नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (ग) अनुसार लागू नहीं है।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
II— — III
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 5136] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/ PAUSHA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6392(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की उप-धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- , खंड-3, उप-खंड ( ) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 408 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
408	709बी	संघ राज्य क्षेत्र एनसीटी दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गीता कालोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, शरद सिटी, पुस्ता रोड मांडुला, बागपत, बड़ौत, शामली को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के निकट रारा-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/12/2016-पी एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

7663 GI/2018

Project Director
National Highways Authority of India
PIU-Ghaziabad

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. 4809 दिनांकित 13.09.2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAWS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 6392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 408 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
408	709B	The highway starting from its junction with new NH-9 near Akshardham Metro connecting Geeta Colony, Shastri Park, Khajoori Khas in the Union Territory of Government of NCT of Delhi, Sarad City, Pusta road Mandula, Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the state of Uttar Pradesh.

[F. No. NH-14012/12/2016-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 4809 dated 13.09.2018.

Project Director
National Highways Authority of India

Project Director
National Highways Authority of India

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Minto Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.02 22:13:12 +05'30'

02. **श्रीमती बंदना कुमारी** : क्या **माननीय गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि पुलिस कर्मचारियों में जनता के साथ पेश आने संबंधी बुनियादी विनम्रता और उचित दृष्टिकोण का अभाव है और प्रायः शिकायतकर्ता को ही परेशान किया जाता है और पुलिस तक पहुँचने के लिए हतोत्साहित किया जाता है;

(ग) क्या विभाग को शालीमार बाग चुनाव क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और अवैध निर्माण की शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय विधायक द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बाद भी इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इन शिकायतों के निवारण और पुलिस को जनता के प्रति मैत्रीभाव रखने एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

उत्तर- उपरोक्त प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।[12]

---

12. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।

03. श्री धर्मपाल लाकड़ा : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवगत है कि विधानसभा क्षेत्र में 21 गाँव और 108 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जिनमें चार लाख से अधिक जनसंख्या रहती है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इतनी विशाल जनसंख्या और लगातार हो रही माँग के बावजूद यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए या तो बहुत दूर तक यात्रा करनी पड़ती है, अथवा प्राइवेट अस्पतालों में बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं;

(घ) उक्त तथ्यों को देखते हुए क्या सरकार की इस क्षेत्र में 400-500 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के निर्माण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क)और(ख) वर्तमान समय में मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार को कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है।

(ग) वर्तमान समय में मुंडका विधानसभा के नजदीक निम्नलिखित दिल्ली सरकार के अस्पताल कार्य कर रहे हैं जहां से मुंडका विधानसभा की जनता स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं :

1. संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी
2. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी
3. गुरू गोविन्द सिंह जनरल अस्पताल, रघुवीर नगर

(घ) जी हां।

(ङ) मुंडका विधानसभा के नजदीक 03 बड़े दिल्ली सरकार के अस्पताल

1. ज्वालापुरी में लगभग 12% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
2. मादीपुर में लगभग 12% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
3. किराड़ी में प्लॉट संख्या पीएसपी-06, सैक्टर-41, फेस-5, रोहिणी, दिल्ली में 1.0956 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिस पर 458 बैड का अस्पताल प्रस्तावित है।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

07. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का छह महीने के अंदर तथा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद से पहले स्थानांतरित किए जाने का क्या कारण है;

(ख) डीटीसी बोर्ड के चेयरमेन के पद पर अधिकारियों की नियुक्ति की परिपाटी को बदलकर उनके स्थान पर राजनीतिक नियुक्तियों को करने का क्या कारण है;

(ग) अनुबंध में तीन वर्ष की वारंटी का उपनियम होने के बावजूद दो बस आपूर्तिकर्ताओं को पहले तीन वर्ष के लिए रख-रखाव शुल्क के नाम पर अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए जाने का क्या कारण है;

(घ) डीटीसी के सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2021 को सार्वजनिक न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन बसों की खरीद के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा जाँच को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(च) 'वर्क ऑर्डर को अनिश्चित काल के लिए रोकने के क्या कारण हैं

(छ) उन 71 कामों की सूची, जिनके आधार पर माननीय मंत्री एएमसी को न्यायोचित ठहराते हैं; और

(ज) इन्हें टेंडर या 'वर्क ऑर्डर' में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) प्रश्न सेवा विभाग (Services Department) के विषय से सम्बन्धित है।

सेवा विभाग (Services Department) ने सूचित किया है कि सेवा से जुड़े हुए मामले माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) दिल्ली सरकार ने रोड ट्रांस्पोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली की अनुशंसा के उपरान्त माननीय परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार को दिल्ली परिवहन निगम का अध्यक्ष दिनांक 07.06.2018 से नियुक्त किया गया है।

(ग) यह असत्य है कि दो बस आपूर्तिकर्ताओं को पहले तीन वर्ष के लिए रख-रखाव शुल्क के नाम पर अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। Comprehensive Annual Maintenance Contract देने की प्रक्रिया खुली निविदा (Open Tender) तथा पारदर्शी (Transparent) तरीके से की गयी है।

वारंटी तथा पूर्णवार्षिक रखरखाव अनुबंध (Comprehensive Annual Maintenance Contract–CAMC) अलग-अलग चीजें (Concepts) है।

वारंटी की निर्धारित सीमा में मूलतः Manufacturing Defects के निवारण के लिए गतिविधियां शामिल होती हैं। रखरखाव से संबंधित जो गतिविधियाँ वारंटी में शामिल नहीं है उन्हें Comprehensive Annual Maintenance Contract में शामिल किया जाता है।

DTC द्वारा अब तक जारी किए गए सभी टेंडरों में Comprehensive Annual Maintenance Contract के लिए नियम व शर्तें (terms and conditions) एक जैसी ही रही हैं। ये नियम व शर्तें वैसी ही हैं जैसी कि DTC द्वारा जारी किए गए वर्ष 2006 एवं 2008 के टेंडर में थी।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस निगम के सतर्कता विभाग द्वारा संबंधित मामले में कोई भी रिपोर्ट नही दी गई है।

(ङ) सर्तकता निदेशालय, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यह विषय एक पुलिस या सेवा का विषय है जोकि माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(च) सतर्कता विभाग द्वारा भेजी गयी एक शिकायत के कारण तथा पूरे मामले पर एक निष्पक्ष दृष्य (Fair view) लेने के लिए वर्क आर्डर के implementation को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

(छ)और(ज) DTC द्वारा अबतक जारी किए गए सभी टेंडरों में Comprehensive Annual Maintenance Contract के लिए नियम व शर्तें (terms and conditions) एक जैसी ही रही हैं, ये नियम व शर्तें वैसी ही हैं जैसी कि DTC द्वारा जारी किए गए वर्ष 2006 एवं 2008 के टेंडर में थी।

DTC द्वारा 1000 नई बसों की Comprehensive Annual Maintenance Contract के लिए जारी किये गये टेंडर के जी. सी.सी. (General Conditions of Contract) के क्लॉज संख्या 22.1 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि Contractor को सीएनजी के अलावा बस में रखरखाव संबंधित सभी कार्य करने हैं। (*Only CNG fuel shall be provided by the purchaser during CAMC period).*

जिसमें सामान्य तौर पर निम्न कार्य भी शामिल होते हैं, हालांकि, यह सूची exhaustive नहीं है :

Preventive रखरखाव/रूटीन रखरखाव, समान्य वियर/टियर, माईनर/मेजर रिपेयर/Assemblies और sub-assemblies की ओवरहालिंग, ब्रेकडाउनस, बस में आग लगने से क्षति होना, दुर्घटना से बस में क्षति होना, घिसे हुए या कट वाले टायरों को बदलना, बस बोडी रिपेयर, वाहन की फिटनेस पास कराना, Pollution Control का Certificate लेना आदि सम्मलित है।

2006 से Comprehensive Annual Maintenance Contract के अंतर्गत बसों के रखरखाव संम्बधित अनुभव एवं Comprehensive Annual Maintenance Contract, RFP/निविदा दस्तावेज उल्लेखित निष्कर्षों के अनुसार लगभग 71 गतिविधियों को दैनिक रखरखाव के लिए Comprehensive Annual Maintenance Contract में सम्मिलित माना जा सकता है और यह वारंटी का हिस्सा नहीं है, ये 71 गतिविधियां illustrative है न कि exhaustive इसलिए इनको टेन्डर में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।

08. श्री अजय कुमार महावर : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि में डीटीसी के बेड़े में कुल बसों की संख्या;

(ख) इन बसों की जीवनावधि का विस्तृत विवरण;

(ग) वर्ष 2015 के बाद खरीदी गई बसों का विवरण; और

(घ) डीटीसी द्वारा विगत छह बसों में हुए नुकसान का वर्षवार विवरण?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) दिनांक 22.07.2021 को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 3760 लो-फ्लोर बसें हैं।

(ख) उपरोक्त बसों की आयु निम्न हैं :

वर्ष	कुल बसें
0-08 साल	00
08-10 साल	32
10-12 साल	3072
12 वर्ष से अधिक	656
कुल	3760

(ग) वर्ष 2015 के बाद दिल्ली परिवहन निगम ने कोई बस नहीं खरीदी है। हालांकि, 15.01.2021 को 1000 लो फ्लोर ए.सी. सी.एन.जी. बसों की सप्लाई के लिए बस निर्माताओं को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

इसके अलावा 300 ए.सी. लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को एन्गेज करने के लिए 30.03.2021 को बस निर्माताओं को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

इससे पहले वर्ष 2008/2009 में बसें खरीदने का वर्क ऑर्डर दिया गया था।

वर्ष 2015 के बाद क्लस्टर सेवा के अन्तर्गत बसों का परिवर्धन (Addition)

वित्तीय वर्ष	नॉन एसी बसें	एसी बसें
2015-16	1	-
2016-17	259	-
2017-18	96	-
2018-19	31	-
2019-20	927	135
2020-21	73	176
कुल	1387	311

(घ) डीटीसी द्वारा विगत छह वर्षों में हुए परिचालन घाटा का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	परिचालन हानि (करोड़ रु. में)
2014-15	1019.36
2015-16	1250.15
2016-17	1381.78
2017-18	1730.02
2018-19	1664.56
2019-20 (अन्तरिम)	1834.67

09. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैक्सीन खरीदने के लिए सीरम इंडिया और बायोटेक इंडिया के साथ सरकार द्वारा किए गए पत्र-व्यवहार की प्रासंगिक प्रतियों के साथ उसका संपूर्ण विवरण;

(ख) प्रासंगिक प्रतियों के साथ उक्त कंपनियों को जारी किए गए क्रय-आदेश का विवरण; और

(ग) इन कंपनियों से की गई खरीद का विवरण और इस हेतु उन्हें किए गए भुगतान की राशि?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) एवं (ख) सीरम इंस्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक प्रत्येक को 67 लाख डोजेस का क्रय आदेश जारी किया गया है। अपेक्षित जानकारी संलग्न है।

(ग)

कंपनी का नाम	खरीदी गई वैक्सीन की कुल मात्रा	कुल अग्रिम भुगतान (रुपये में) जी.एस.टी. सहित
सीरम इंस्टिट्यूट आफ लाइफ साइंसेज प्राईवेट लिमिटेड (कोविशील्ड)	13.35.770	35,77,67,550/-
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (को-वैक्सीन)	2,41,960	10,16,23,200/-

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING , VIKAS BHAWAN 2 ,
CIVIL LINES , NEW DELHI -110054

File No: 6(979)/CH/DFW/2021-22 Dated : 21st April 2021

To

Mr. Adar Poonawallah
CEO
Serum Institute of India
212/2, Hadapsar, Off Soli Poonawalla Road
Pune 411028 , Maharashtra

Subject : Supply of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination drive.

Sir

In order to give boost to the immunization efforts of the states and expedite the coverage of a wider range of prioritized age groups, Government of India has announced the Accelerated Phase III of the COVID Vaccination drive in the country. As per the strategy shared in the VC chaired by Secretary (H&FW), MoHFW held on 20th April 2021 and subsequent guidelines hosted on MoHFW website , States can directly approach the manufacturers for procuring the required vaccine stocks.

Delhi is committed to vaccinating its eligible population within the shortest time possible for which your close collaboration is sought in making the required vaccine stock available. You are requested to inform about the quantum of COVISHIELD stocks that can be made available by your organization with the timelines.

Yours sincerely

Dr.Monika Rana
Director
Directorate of Family Welfare

Copy to :

1. PS to Secretary (H&FW)
2. PS to Pr.Secretary (H&FW)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING , VIKAS BHAWAN 2 ,
CIVIL LINES , NEW DELHI -110054

File No: 6(979)/CH/DFW/2021-22 Dated : 21st April 2021

To

Dr. V Krishna Mohan
Managing Director
Bharat Biotec
Genome Valley,Turkapally, Shamirpet,
Hyderabad,Telangana 500078

Subject : Supply of COVAXIN for Accelerated Phase III of Covid Vaccination drive.

Sir

In order to boost the immunization efforts of the states and expedite the coverage of a wider range of prioritized age groups, Government of India has announced the Accelerated Phase III of the COVID Vaccination drive in the country. As per the strategy shared in the VC chaired by Secretary (H&FW), MoHFW held on 20th April 2021 and subsequent guidelines hosted on MoHFW website , States can directly approach the manufacturers for procuring the required vaccine stocks.

Delhi is committed to vaccinating its eligible population within the shortest time possible for which your close collaboration is sought in making the required vaccine stock available. You are requested to inform about the quantum of COVAXIN stocks that can be made available by your organization with the timelines.

Yours sincerely

Dr.Monika Rana
Director
Directorate of Family Welfare

Copy to :

1. PS to Secretary (H&FW)
2. PS to Pr.Secretary (H&FW)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING, VIKAS BHAWAN 2
CIVIL LINES, NEW DELHI – 110054

F.No.6(979)/CH/DFW/2021-22/2906 Dated: 26.04.2021

To

Sh. Prakash Kumar Singh
Director of Govt. & Regulatory Affairs
Serum Institute of India
Hadapsar, Pune 411028

Subject: Supply of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi

In order to give boost to the immunization efforts of the states and expedite the coverage of a wider range of prioritized age groups, Government of India has announced Accelerated Phase 3 Strategy of the National Covid-19 Vaccination Programme to be implemented from 1st May, 2021, and as per the subsequent guidelines hosted on MoHFW websites, states can directly approach the manufacturers for procuring the required vaccine stocks. Delhi is committed to vaccinating its eligible population within the shortest time possible for which your close collaboration is sought.

Under the provisions of the aforesaid strategy, Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi is planning to procure 67 (Sixty Seven) lakh doses of COVISHIELD. For this purpose, the terms & conditions of delivery and payment along with the schedule of supplies, spread over three months, may please be intimated at the earliest.

It is further intimated that the Central Procurement Agency (CPA), Directorate General Health Services, Delhi will be the nodal agency for this procurement on behalf of the Government of NCT of Delhi.

Yours Sincerely,

Dr. Monika Rana
Director
Directorate of Family Welfare

Copy to:

1. PS to Pr. Secretary (H&FW)
2. PS to Secretary (H&FW)

BHARAT
BIOTECH

9/7

Ref: BBIL/INST/ND/DFW/COVAXIN/01 Date: 27/04/2021

To,
Dr. Monika Rana
Director
Directorate of Family Welfare
New Delhi – 110054.

Sub: Supply of Covid-19 Vaccine (COVAXIN) – Reg.,

Ref: Your Letter Ref. No. 6(979)/CH/DFW/2021-22, Dated: 21st April, 2021

Respected Madam,

Thank you very much for your kind letter to us dated 21/04/2021 regarding COVAXIN. Request you to please note the following points: -

- The cost of dose will be Rs. 600 + 5% Taxes.
- We will try to supply the required doses of Covaxin as soon as possible depending on the availability of the Vaccine we will supply the required no. of doses approximately by end of July, 2021.
- There will not be any label stamping for respective State Governments. We will only mention "State Government Supply, Not for sale."
- We request for advance payment of the quantities agreed by us. If not the case the payment has to be made within 10 days of the Supplies completed.
- We request you for a single point of a delivery.
- Hope you understand the situation and instruct the concerned to please release the Purchase Order immediately, so that we can put your esteemed State on priority list for Supplies.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Bharat Biotech International Limited

Bharat Biotech International Ltd. Hyderabad

M. SUBBA RAO
Head – Institutional Sales

8

BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED
Genome Valley, Shameerpet, Hyderabad - 500 078, Telangana, India
T:+91 40 2348 0567 / 4645 4545 M:+91 99480 80567 F:+91 40 2348 0560
Email: info@bharatbiotech.com www.bharatbiotech.com
CIN: U24230TG1996PLC023232

Typbar TCV ROTAVAC

ail 9/5 B/C Director, Family Welfare

e: Suppl of Covid-19 Vaccine (COVAXIN) - Reg., 28

From : marketingis01@bharatbiotech.com Tue, Apr 27, 20.. 05:50 PM
ubject : Re: Supply of Covid-19 Vaccine (COVAXIN) - Reg., 2 attachments
To : Director, Family Welfare <dirdfw@nic.in>
Cc : Vikram Dev Dutt <pshealth@nic.in>, amitias@gmail.com

Dear madam

With continuation to our above letter Covid-19 Vaccine (COVAXIN) supplies as mentioned below:-
May - 5 Lakh doses
June - 20 Lakh doses
July - 25 Lakh doses

This is purely very tentative quantities which can increase or decrease also.

Best Regards,
M. Subba Rao
Head Institutional Sales

From: "marketingis01" <marketingis01@bharatbiotech.com>
To: "dirdfw" <dirdfw@nic.in>
Cc: "pshealth" <pshealth@nic.in>, "amitias" <amitias@gmail.com>
Sent: Tuesday, 27 April, 2021 17:08:50
Subject: Supply of Covid-19 Vaccine (COVAXIN) - Reg.,

Dear Madam,

Please find an attached letter for your kind consideration.

Best Regards,
M. Subba Rao
Head Institutional Sales

BHARAT
BIOTECH

BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED
Genome Valley, Shamirpet, Hyderabad - 500 078, Telangana, India.
T: +91 40 2348 0567 / 4645 4545 F: +91 40 2348 0550
www.bharatbiotech.com

25

Disclaimer: Information transmitted by this E-MAIL is proprietary to Bharat Biotech International Limited and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, it is hereby notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records

---

newdelhi.pdf
344 KB

Director, Family We

COVISHIELD

C/29

From : prakash singh <prakash.singh@cspgroupco.com> Tue, Apr 27, 2021 05:02 PM
Subject : Supply of COVISHIELD 1 attachment
To : Director, Family Welfare <dirdfw@nic.in>
Cc : amitias@gmail.com

Dear Madam,

Greetings of the day !!

Reference your attached letter w.r.t. supply of COVISHIELD Vaccine to Government of NCT of Delhi, please find below the details for your kind reference & perusal :

Payment	100% advance before supply
Supply	CGS labelled 3,00,000 doses supply by 3rd May 2021 at a single consignee point
Price	Rs. 400/- + GST 5%
Purchase Order and billing should be in the name of :	Serum Institute Life Sciences Pvt. Ltd.

Please confirm.

Regards,

Prakash K. Singh,
Director - Government & Regulatory Affairs

Serum Institute of India Pvt. Ltd.
Mob: +91 -96500 11515
Email: prakash.singh@cspgroupco.com

" KARMA speaks "

Supply of Covishied.pdf
361 KB

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING, VIKAS BHAWAN 2
CIVIL LINES, NEW DELHI – 110054

F. No.G(9/9)/COVID-VII/DFW/2021-22/2906 Dated: 26.04.2021

To

Sh. Prakash Kumar Singh
Director of Govt. & Regulatory Affairs
Serum Institute of India
Hadapsar, Pune 411028

Subject: **Supply of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi**

In order to give boost to the immunization efforts of the states and expedite the coverage of a wider range of prioritized age groups, Government of India has announced Accelerated Phase-3 Strategy of the National Covid-19 Vaccination Programme to be implemented from 1st May, 2021, and as per the subsequent guidelines hosted on MoHFW websites, states can directly approach the manufacturers for procuring the required vaccine stocks. Delhi is committed to vaccinating its eligible population within the shortest time possible for which your close collaboration is sought.

Under the provisions of the aforesaid strategy, Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi is planning to procure 67 (Sixty Seven) lakh doses of COVISHIELD. For this purpose, the terms & conditions of delivery and payment along with the schedule of supplies, spread over three months, may please be intimated at the earliest.

It is further intimated that the Central Procurement Agency (CPA), Directorate General Health Services, Delhi will be the nodal agency for this procurement on behalf of the Government of NCT of Delhi.

Yours Sincerely,

Dr. Monika Rana
Director,
Directorate of Family Welfare

Copy to:

1. PS to Pr. Secretary (H&FW)
2. PS to Secretary (H&FW)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING, VIKAS BHAWAN 2
CIVIL LINES, NEW DELHI – 110054

F.No.6(979)/CH/DFW/2021-22/ 2905 Dated: 26 .04.2021

To

Dr. Krishna Ella
Chairman & MD
Bharat Biotech
Genome Valley, Turkapally, Shamirpet
Hyderabad, Telangana 500078

Subject: Supply of COVAXIN for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi

In order to give boost to the immunization efforts of the states and expedite the coverage of a wider range of prioritized age groups, Government of India has announced regarding a liberalized and Accelerated Phase 3 Strategy of the National Covid-19 Vaccination Programme from 1st May, 2021, and subsequent guidelines hosted on MoHFW websites, states can directly approach the manufacturers for procuring the required vaccine stocks. Delhi is committed to vaccinating its eligible population within the shortest time possible for which your close collaboration is sought.

Under the provisions of the aforesaid strategy, Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi is planning to procure 67 (Sixty Seven) lakh doses of COVAXIN at the rate to be fixed by the manufacturer. For this purpose, the terms & conditions of delivery and payment along with the schedule of supplies, spread over three months, may please be intimated at the earliest.

It is further intimated that the Central Procurement Agency (CPA), Directorate General Health Services, Delhi will be the nodal agency for this procurement on behalf of the Government of NCT of Delhi.

Yours Sincerely

Dr. Monika Rana
Director
Directorate of Family Welfare

Copy to:
1. PS to Pr. Secretary (H&FW)
2. PS to Secretary (H&FW)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
DELHI SECRETARIAT, 9TH FLOOR
I.P. ESTATE, DELHI - 110054

File No. (1979) /CH/DFW/2021-22/2914 Date : 29/4/2021

To

Sh. Prakash Kumar Singh
Director of Govt. & Regulatory Affairs
Serum Institute of India
Hadapsar, Pune 411028

Subject: Purchase Order of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi

We appreciate the prompt response from Serum Institute to the requirement communicated by Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi to procure 67 (Sixty Seven) lakh doses of COVISHIELD .SII has communicated ability to supply three lakh doses on 3rd May 2021. The state hereby confirms the order for first tranche of 3,00,000 doses to be supplied by 3rd May 2021. The Proforma invoice and the cancelled cheque copy has been received and are being processed for payment by the finance division.

It is further requested that the supply schedule of the remaining quantity being sought over the next three months may be decided and shared.

Mission Director
Delhi State Health Mission

Terms and conditions

1.Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. The manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period . If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory – Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5 It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

OGOGRAMS

.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the upply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the gogram on the primary packing as given below:

ate Govt. Supply - Not for Sale

\CKING

1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of me vaccine under GoI supply

! The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same :cine under GoI supply.

!t should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including :tle and vial, is used for packing.

Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their king and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the e within two days.

\LITY TESTING

Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or ibution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or rnment Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

he supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from aboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches

ejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee) ,GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2 For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

Mission Director
Delhi State Health Mission

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
DELHI SECRETARIAT, 9TH FLOOR
I.P. ESTATE, DELHI - 110054

File No. F.6(979)/CH/DFW/2021-22/Pad File.1/2924 Date : 29.04.2021

To
Dr. Krishna Ella
Chairman & MD, Bharat Biotech
Genome Valley, Turkapally, Shamirpet
Hyderabad, Telangana 500078

Subject: Purchase Order of COVAXIN for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi

We appreciate the response from Bharat Biotech to the requirement communicated by Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi to procure 67 (Sixty Seven) lakh doses of COVAXIN. Bharat Biotech has communicated ability to supply 50 lakh doses as per the schedule given below-

S No.	Quantity (in doses)	Timeline for Delivery
1	5,00,000*	May 2021
2	20,00,000	June 2021
3	25,00,000	July 2021

*Out of the first tranche 1.5 lakh committed by 1st May 2021

The state hereby confirms the order of 50,00,000 doses to be supplied as per the schedule given above at the rate communicated via email from the management of Bharat Biotech to offer Covaxin at Rs 400 + taxes.
However it may be noted the price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

It is further requested that the supply schedule may be reviewed and at least 10 lakh doses may be supplied in May 2021 to ensure accelerated vaccination coverage in view of current Covid situation in Delhi. In addition the supply schedule of the balance amount of 17 Lakh doses may be shared at the earliest.

Mission Director
Delhi State Health Mission

Terms and conditions

1.Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. The manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period . If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory – Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

LOGOGRAMS

2.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the supply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the logogram on the primary packing as given below: **State Govt. Supply - Not for Sale**

PACKING

3.1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of same vaccine under GoI supply

3.2 The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same vaccine under GoI supply.

3.3 It should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including bottle and vial, is used for packing.

3.4 Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

3.5 In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their packing and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the same within two days.

QUALITY TESTING

4.1 Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or distribution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or Government Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

4.2 The supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from the laboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches liable to be rejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated or misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee),GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

6.3 The payments will be completed within 10 days of receiving the supply consignment

6.4The price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

Mission Director
Delhi State Health Mission

Reduction in Covaxin per Dose price

April 29, 2021 5:47 PM

From: subbarao6028@bharatbiotech.com

To: Director, Family Welfare

Respected Madam,

We are very Happy to inform you that – the Management of M/S Bharat Biotech has decided to offer our Covaxin at 400 Rs + Taxes. We request you to please instruct your concerned officials to please Re issue the purchase order. Request to note the following points

- The supply's will be at a single point
- Immediately today - we will be in a position to supply 1,50,000 doses immediately on Receipt of your confirmed order.
- Payments have to be made strictly in 10 days' time after receipt of the vaccine .
- No special label printing will be there on the labels .It will read only" State Government supply's – not for sale"

We request for your immediate response and stocks send immediately.

Best Regards,
M.Subba Rao
Head Institutional Business

BHARAT
BIOTECH
BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED

25

Disclaimer: Information transmitted by this E-MAIL is proprietary to Bharat Biotech International Limited and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, it is hereby notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records.

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING, VIKAS BHAWAN 2
CIVIL LINES, NEW DELHI – 110054

File No. 6(979)/CH/DFW/2021-22/Ph-fie-I/2967 Date : 05/05/2021

To

Sh. Prakash Kumar Singh
Director of Govt. & Regulatory Affairs
Serum Institute Life Sciences Pvt. Ltd.
Hadapsar, Pune 411028

Subject: Purchase Order of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi

We appreciate the prompt response from Serum Institute to the requirement communicated by Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi to procure 67 (Sixty Seven) lakh doses of COVISHIELD .SII has communicated ability to supply second tranche of 2,67,690 doses. The state hereby confirms the order for second tranche of 2,67,690 doses. The Proforma invoicehas been received and are being processed for payment by the finance division.It is requested to supply the second tranche by 10th May 2021.

Mission Director

Delhi State Health Mission

Terms and conditions

1.Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. The manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period . If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory – Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

LOGOGRAMS

2.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the supply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the logogram on the primary packing as given below: **State Govt. Supply - Not for Sale**

PACKING

3.1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of same vaccine under GoI supply

3.2 The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same vaccine under GoI supply.

3.3 It should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including bottle and vial, is used for packing.

3.4 Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

3.5 In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their packing and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the same within two days.

QUALITY TESTING

4.1 Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or distribution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or Government Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

4.2 The supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from the laboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches liable to be rejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated or misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee),GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

6.3 The price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

Mission Director
Delhi State Health Mission

BHARAT
BIOTECH
a Jhrandhen

May 11, 2021

To
The Principal Secretary (H & FW)
GNCT, Delhi

Respected Sir

Greetings from Bharat Biotech.

We acknowledge with thanks receipt of your letter dated 7th May '21 regarding supply of COVAXIN. We appreciate your interest in procuring large quantities of COVAXIN for vaccination program. However, there has been an unprecedented demand for our Vaccine and in spite of increasing production every month, we are unable to keep up with the demand. Further, we are making dispatches as per the directives of the concerned Govt. officials. We therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies as required by you.

Thanking you

Regards

Dr Krishna Ella

Chairman & Managing Director

BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED
Genome Valley, Shameerpet, Hyderabad - 500 078, Telangana, India
T:+91 40 2348 0567 / 4645 4545 M:+91 99480 80567 F:+91 40 2348 0560
email: info@bharatbiotech.com www.bharatbiotech.com
CIN: U24230TG1996PLC023232

Typbar TCV ROTAVAC

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE,
B&C WING, 7TH FLOOR, VIKAS BHAWAN-2,
CIVIL LINES, DELHI -110054.

File No.6(979)/CH/DFW/2021-22/PartFile-1/3050 Date :12 /05/2021

To

Mr. Subba Rao
Head Institutional Sales
Bharat Biotech
Genome Valley, Turkapally, Shamirpet,
Hyderabad, Telangana 500078

Subject: Supply of COVAXIN for Accelerated Phase III of Covid Vaccination drive.

Sir

This is in continuation of our earlier letters requesting for supply of Covaxin and discussion with our officers to meet the emergent demand in Delhi. As you are aware, Delhi is facing an unprecedented crisis and timely vaccination of all the eligible beneficiaries would help control the pandemic. Delhi has been in the fore front of vaccination programme and we rely on your support in providing sufficient stock with timely supply for continuation of the 18 to 44 year vaccination programme. Delhi has used up the meager stock of COVAXIN provided to it and the COVAXIN centers will be shut down for the month of May unless more Vaccine stock is provided. In order to prevent this you are requested to release the remaining vaccine stock committed for month of May immediately.

(Dr. Monika Rana)
Director, DFW

Copy to:

1.PS to Pr.Secretary (H&FW)
2. PS to Secretary (H&FW)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE,
B&C WING, 7TH FLOOR, VIKAS BHAWAN-2,
CIVIL LINES, DELHI -110054.

File No.F.6(979)/CH/DFW/2021-22/Part File-I/3049 Date : 12/05/2021

To

Shri Prakash Kumar Singh,
Director of Govt and Regulatory Affairs,
Serum Institute of India
Headquarter Pune-411028

Subject: Supply of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination drive.

Sir

This is in continuation of our earlier letters requesting for supply of COVISHIELD and discussion with our officers to meet the emergent demand in Delhi. As you are aware, Delhi is facing an unprecedented crisis and timely vaccination of all the eligible beneficiaries would help control the pandemic. We rely on your support for provision of sufficient quantities of vaccine in a time bound manner. Delhi has a limited stock of COVISHIELD for 18 to 44 years which will finish in one week and vaccination centres will have to be closed due to non-availability of vaccines. In order to prevent this you are requested to come to our rescue and provide for more vaccine immediately.

(Dr. Monika Rana)
Director, DFW

Copy to:

1.PS to Pr.Secretary (H&FW)

2. PS to Secretary (H&FW)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
7th Floor, B&C Wing, Vikas Bhawan-II,
Near Metcalf House, Civil Lines, Delhi-110054

F.No. 6(979)/CH/DFW/2021-22/Part File-I/ 3220 Dated: 26/5/2021

To
Shri Prakash Kumar Singh,
Serum Institute Life Sciences Pvt. Ltd.
16-B. Sarosh Bhavan, Dr. Ambedkar Road,
Pune-411001.

Subject: Purchase Order of Covishield for Accelerated Phase III of Covid-19 Vaccination Drive in Delhi.

State is in receipt of the Performa Invoice for 309220 doses of Covishield as your mail dated 20/05/2021. Serum Institute has communicated its ability to supply 309220 doses in the month of June 2021. The state hereby confirms the orders of 309220 doses to be supplied in the month of June 2021, as per rates communicated in the PI mail @ 300/- + taxes. Performa Invoice as submitted is being processed for payment by the Finance Division (DSHM).

However, it may be noted the price of vaccine will be the same as final price fix after finalisation of the court cases and negotiation with GOI whole supply.

It is further requested, that the supply may be made at the earliest in view of current covid situation in Delhi.

Mission Director
Delhi State Health Mission

Terms and conditions

1.Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period . If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory – Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

LOGOGRAMS

2.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the supply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the logogram on the primary packing as given below: **State Govt. Supply - Not for Sale**

PACKING

3.1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of same vaccine under GoI supply

3.2 The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same vaccine under GoI supply.

3.3 It should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including bottle and vial, is used for packing.

3.4 Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

3.5 In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their packing and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the same within two days.

QUALITY TESTING

4.1 Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or distribution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or Government Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

4.2 The supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from the laboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches liable to be rejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated or misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee),GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

6.3The price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2 For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

Mission Director
Delhi State Health Mission

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
7th Floor, B&C Wing, Vikas Bhawan-II,
Near Metcalf House, Civil Lines, Delhi-110054

F.No. 6(979)/CH/DFW/2021-22/Part File-I/ 3220 Dated: 26/5/2021

To
Dr. Krishna Ella
Chairman & MD, Bharat Biotech
Genome Valley, Turkapally, Shamirpet
Hyderabad, Telangana -500078

Subject: Purchase Order of COVAXIN for Accelerated Phase III of Covid-19 Vaccination Drive in Delhi.

State is in receipt of the Performa Invoice for 91960 doses of Covaxin as your mail dated 25/05/2021. Bharat Biotech has communicated its ability to supply 91960 doses in the month of June 2021. The state hereby confirms the orders of 91960 doses to be supplied in the month of June 2021, as per rates communicated in the PI the mail @ 400/- + taxes. Performa Invoice as submitted is being processed for payment by the Finance Division (DSHM).

However, it may be noted the price of vaccine will be the same as final price fix after finalisation of the court cases and negotiation with GOI whole supply.

It is further requested, that the supply may be made at the earliest in view of current covid situation in Delhi.

Mission Director
Delhi State Health Mission

Terms and conditions

1.Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. The manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period . If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory – Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

LOGOGRAMS

2.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the supply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the logogram on the primary packing as given below: **State Govt. Supply - Not for Sale**

PACKING

3.1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of same vaccine under GoI supply

3.2 The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same vaccine under GoI supply.

3.3 It should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including bottle and vial, is used for packing.

3.4 Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

3.5 In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their packing and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the same within two days.

QUALITY TESTING

4.1 Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or distribution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or Government Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

4.2 The supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from the laboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches liable to be rejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated or misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee),GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

6.3The price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

Mission Director
Delhi State Health Mission

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
B & C WING, VIKAS BHAWAN 2
CIVIL LINES, NEW DELHI – 110054

File No. 6(979)/CH/DFW/2021-22/Pt.file/ 3233 Date : 27.05.21

To

Sh. Prakash Kumar Singh
Director of Govt. & Regulatory Affairs
Serum Institute Life Sciences Pvt. Ltd.
Hadapsar, Pune 411028

Subject: Purchase Order of COVISHIELD for Accelerated Phase III of Covid Vaccination Drive in Delhi

State is in receipt of the PI for 01 (One) lakh doses of COVISHIELD received on 6th May 2021 . SII has communicated ability to supply of One Lakh doses . The state hereby confirms the order for One Lakh doses. The Proforma invoice is being processed for payment by the finance division.

Mission Director
Delhi State Health Missio

Terms and conditions

1.Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. The manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period . If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory -- Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

LOGOGRAMS

2.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the supply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the logogram on the primary packing as given below: **State Govt. Supply - Not for Sale**

PACKING

3.1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of same vaccine under GoI supply

3.2 The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same vaccine under GoI supply.

3.3 It should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including bottle and vial, is used for packing.

3.4 Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

3.5 In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their packing and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the same within two days.

QUALITY TESTING

4.1 Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or distribution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or Government Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

4.2 The supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from the laboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches liable to be rejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated or misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee),GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

6.3 The price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

Mission Director
Delhi State Health Mission

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
7th Floor, B&C Wing, Vikas Bhawan-II,
Near Metcalf House, Civil Lines, Delhi-110054

F.No. 6(979)/CH/DFW/2021-22/Part File-I/ 3342 Dated: 01/06/21

To
Shri Prakash Kumar Singh,
Serum Institute Life Sciences Pvt. Ltd.
16-B. SaroshBhavan, Dr. Ambedkar Road,
Pune-411001.

Subject: Purchase Order of Covishield for Accelerated Phase III of Covid-19 Vaccination Drive in Delhi.

State is in receipt of the Performa Invoice no RS-32 for 158860 doses of Covishieldas your mail dated 29/05/2021. Serum Institute has communicated its ability to supply 158860 doses in the month of June 2021. The state hereby confirms the orders of 158860 doses to be supplied in the month of June 2021, as per rates communicated in the Performa Invoice mail @ 300/- + taxes. Performa Invoice as submitted is being processed for payment by the Finance Division (DSHM).

However, it may be noted the price of vaccine will be the same as final price fix after finalisation of the court cases and negotiation with GOI whole supply.

It is further requested, that the supply may be made at the earliest in view of current Covid situation in Delhi.

1/6/21
Director
Directorate of Family Welfare, Delhi

Terms and conditions

1. Supply Condition

1.1 The goods shall be supplied by manufacturer against a sale invoice issued. The manufacturer who supplies the goods should be registered with GST. The firm must comply with all the applicable statutory requirement.

1.2 The supplier shall supply the ordered quantity within the prescribed above delivery period. If the above day happened to be a holiday, the supply should be completed by 4.00 PM on the next working day.

1.3 The remaining shelf life of the vaccine at time of delivery should not be less than 3/4 of the labelled shelf life and its active ingredients should remain within the permissible level throughout the shelf life period of the vaccine.

1.4 The manufacturer must submit a Govt. testing laboratory – Batch release certificate for every batch of vaccine at the time of delivery. In case of failure on part of the supplier to furnish such report, the batch of vaccines will not be accepted.

1.5It shall be the responsibility of the manufacturer for any shortages/damage at the time of receipt in Warehouse/consignee. DSHM is not responsible for the stock of drug received, for which no order is placed.

1.6 If at any time the Manufacturer has, in the opinion of the DSHM, delayed the supply of drugs due to one or more reasons related to Force Majeure events such as riots, mutinies, wars, fire, storm, tempest or other exceptional events at the manufacturing premises, the time for supplying the drugs may be extended by DSHM, at discretion for such period as may be considered reasonable. However such extension shall be considered only if a specific written request is made by the manufacturer within 10 days from the date of occurrence of such event with necessary documentary evidence. The exceptional events does not include the Scarcity of raw material, Increase in the cost of raw material, Electricity failure, breakdown of machineries, Labour disputes/Strikes, Insolvency, and Closure of the Factory/Manufacturing unit on any grounds etc.

LOGOGRAMS

2.1 Manufacturer should note that the product(s) will be prepared as per the specifications of the supply to Govt. of India and packaged as per standard specifications like for GoI supply and with the logogram on the primary packing as given below: **State Govt. Supply - Not for Sale**

PACKING

3.1 The tertiary, secondary and primary packaging of the vaccine should be as per standard supply of same vaccine under GoI supply

3.2 The labels on the vials should clearly indicate all information as per standard supply of same vaccine under GoI supply.

3.3 It should be ensured that only first-hand fresh packaging material of uniform size, including bottle and vial, is used for packing.

3.4 Packing should be able to prevent damage or deterioration during transit.

3.5 In the event of items of drugs supplied found to be not as per specifications in respect of their packing and logogram, DSHM, is at liberty to reject the same and supplier will have to replace the same within two days.

QUALITY TESTING

4.1 Samples of supplies from each batch may be chosen at the point of supply or distribution/storage points for testing. The samples may be sent to empanelled laboratories or Government Drugs Testing Laboratory for testing, as decided by DSHM

4.2 The supplies will be deemed to be completed only upon receipt of the quality certificates from the laboratories. Samples which do not meet quality requirement shall render the relevant batches liable to be rejected. If the sample is declared "Not of Standard Quality" or spurious or adulterated or misbranded, such batch/batches will be deemed to be rejected goods.

DELIVERY OF GOODS

5.1 List of consignee / store will be shared after acceptance of this purchase order.

5.2 Before delivery of the Goods, the Supplier shall notify the Purchaser in writing the schedule of delivery of consignment.

5.3 Each consignment shall be accompanied by Tax invoice and Batch Release Certificate of the National Control Laboratory.

5.4 It will be the responsibility of the Supplier to obtain from the Consignee(s) the necessary entry documents (Road permits, Entry permits, etc), as may be applicable, and the Purchaser shall not be responsible for any expenditure arising out of the Supplier's inability to obtain the necessary permit(s) in time.

PAYMENT PROVISIONS

6.1 Payments towards the supply of drugs and medicines will be made strictly as per the provisions below. The payment will be made either by means of RTGS (Real Time Gross Settlement System)/Core Banking/NEFT.

6.2 All bills/Invoices should be raised in triplicate in the name of DSHM (Name of the consignee), GNCT, Delhi or in the name of any other authority as may be designated.

6.3The price of vaccine will be the same as final price fixed after the finalisation of court case and negotiations with GOI for whole supply. The payments made on a differential price will be adjusted in subsequent payments.

LIQUIDATED DAMAGES AND OTHER PENALTIES

7.1 If the supply is received in damaged condition it shall not be accepted. In case of damage in the packing, the supply will be accepted only after levying penalty to the extent of damaged value of supply received at the destination place.

7.2For the supply of Adulterated/Spurious items to DSHM, the firm/company shall be blacklisted by DSHM and no further supplies shall be accepted from the firm/company.

11/6/2021

Director
Directorate of Family Welfare, Delhi

11. **श्री ओमप्रकाश शर्मा :** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत छह वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा खोले गए दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों की संख्या;

(ख) इन कालेजों के नाम व उनके स्थान;

(ग) क्या दिल्ली सरकार का इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई नया कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में दाखिला लेने हेतु दिल्ली के स्कूलों से पास छात्रों के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित न होने के कारण विगत छः वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई कालेज नहीं खोला गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दिल्ली के स्कूलों से पास छात्रों हेतु 85 प्रतिशत दाखिलें (सीट) आरक्षित हैं इसलिए दिल्ली सरकार की प्राथमिकता ऐसे कॉलेजों की संख्या बढ़ाने में है जहाँ दिल्ली के अधिकतम छात्रों को दाखिला मिल सके।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

12. **श्री विशेष रवि :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग को विधायक से प्रधान सचिव (लो.नि.वि.) को संबोधित सराय रोहिल्ला स्टेशन के समीप, न्यू रोहतक रोड पर 'फुट ओवर ब्रिज' बनाने संबंधी दिनांक 29.10.2020 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) इस पत्र के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण दें;

(ग) क्या विभाग को विधायक से करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में यूटीटीआईपीईसी परियोजना को रोके जाने संबंधी दिनांक 13.07.2021 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पत्र के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) माननीय विधायक महोदय का पत्र दिनांक 29.10.2020 इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुस्मारक पत्र दिनांक 17.03.2021 ईमेल के द्वारा दिनांक 19.04.2021 को प्राप्त हुआ है।

(ख) इस मामले में FOB/Subway Sub-committee द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में विचार चल रहा है।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस मामले में कार्यवाही विचाराधीन है।

13. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड संख्या 51 को चौड़ा किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर अनधिकृत अतिक्रमण हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) यह कार्य स्ट्रीट स्केपिंग की कार्य योजना में शामिल है, जिसका प्राक्कलन दिल्ली सरकार को भेजा गया है एवं यह वित्त विभाग, दिल्ली सरकार में विचाराधीन है।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस विभाग ने उपरोक्त सड़क से अतिक्रमण को हटाने हेतु उप-दण्डाधिकारी (माडल टाउन) को सूचित कर दिया गया है एवं यह अतिक्रमण दिल्ली नगर निगम के एस.टी.एफ. द्वारा हटाया जाना है। इस संबंध में एस.टी.एफ. को आवश्यक लोजिस्टिक सपोर्ट लोनिवि द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

14. **श्री अखिलेश पति त्रिपाठी :** क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन सब डिविजन में उन बोरवेलों का, उन्हें जारी किए गए नोटिसों सहित विवरण जो सील किए जा चुके हैं या जिन्हें सील किया जाना है;

(ख) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में सिविल डिफेंस कर्मचारियों को काम पर लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण तथा इन्हें स्वीकार किए जाने हेतु मानकों की जानकारी देते हुए स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का विवरण;

(ग) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में आय प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण तथा इन्हें स्वीकार किए जाने हेतु मानकों की जानकारी देते हुए स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का विवरण;

(घ) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में जाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण तथा इन्हें स्वीकार किए जाने हेतु मानकों की जानकारी देते हुए स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का विवरण;

(ङ) विभिन्न अपराधों, जैसे अवैध बोरवेल, प्रदूषण, भवन-निर्माण सामग्री डालने आदि के लिए जुर्माने के तौर पर वसूल की जा चुकी राशि का विवरण, और

(च) इन अपराधों के लिए चालान जारी किए जाने के बाद जिन दंड राशियों को अभी वसूल किया जाना है, उसका विवरण?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) मॉडल टाउन सब डिविजन में दिनांक 01/04/2021 से अब तक 10 बोरवेल सील किए जा चुके हैं व 15 बोरवेल का सील किया जाना बाकी है।

(ख) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त सिविल डिफेंस आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है तथा इसका विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है-

क्र.सं.	कुल आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
1.	850	12	01	837

(ग) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में आय प्रमाणपत्र का विवरण निम्नलिखित है तथा इसका विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है-

क्र.सं.	कुल आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
1.	1246	691	359	196

(घ) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में जाति प्रमाणपत्र का विवरण निम्नलिखित है तथा इसका विवरण अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है-

क्र.सं.	जाति प्रमाण पत्र	कुल आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
1	अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र	650	225	212	213
2	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र	639	278	204	157
3	अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र	9	3	3	3
	कुल	1298	506	419	391

(ङ) जुर्माने की राशि रुपये 60,000/- वसूल की जा चुकी है।

(च) दिनांक 01/04/2021 से अब तक किए गए 32 चालानों की दंड राशियों को वसूल किया जाना बाकी है।

अनुलग्नक - ए

Annexure –A

Report regarding Enrolment of CDV w.e.f 01/04/2021 to 23/07/2021

Sl. No.	Total No. of Application	Issued	Reject	Pending
1	850	12	01	837

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER
REVENUE DEPARTMENT
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

F.No.TA.35(77)/CD/2011/5632-45 Dated: 19/3/2015
CDSO No...4.12.015

ORDER

SUB:- **STANDING ORDER ON ENROLLMENT OF CIVIL DEFENCE VOLUNTEERS**

1. Civil Defence Volunteer/Corps are expected to be the first responders in case of disaster situations or hostile enemy attacks. It is important that citizens interested in joining the Corps have high integrity, motivation and commitment to the service of the society and nation on volunteer basis. The process of enrollment should be simple and IT enabled so as to facilitate enrollment of volunteers within a shortest possible time.

2. The Divisional Commissioner, Delhi/Controller, Civil Defence or any other officer authorized by the Govt of NCT Delhi shall be the competent authority to approve enrollment of Civil Defence Volunteers under his respective jurisdiction.

3. **Eligibility criteria:-**

(i) **Residence**: - He/she shall be a citizen of India or a subject of Bhutan or of Nepal and should be a resident of Delhi having any one of the following documents: Voter Identity Card/ Aadhar Card/ Passport/ Driving License/ Bank Pass Book/ any other employment Identity Card issued by Govt. Authority, with a photograph.

(ii) **Age**: - He/she should be of 18 years or above, provided that this age limit may be relaxed with the discretion of the Controller up to a maximum of 3 years in Civil Defence. There is no maximum age limit for enrollment.

(iii) **Educational Qualification**:- He/she shall have passed at least Primary standard, and this condition may be relaxed by the Controller at his discretion. The educational qualification shall be as follows:-

(a)	House Fire Party (Member)	:	Primary standard (5th class)
(b)	Sector Warden to Post Warden	:	Middle & above
(c)	Dy. Divisional Warden & all above	:	Matric & above

(iv) **Health**: - A person shall not be entitled to be appointed to the Corps unless he/she is found to be physically fit, mentally alert and also with normal vision /corrected vision after wearing spectacles.

(v) **NOC**: - Aspirant who is in employment shall be required to produce a "No Objection Certificate" from his/her employer agreeing to spare his/her services for training and duty, whenever required.

upload pls
23/3/15

District Magistrate
ex-District Magistrate (East)

(vi) Serving members of the following forces or services are not eligible for enrollment:

i) Armed Forces of the Union;
ii) Police Force;
iii) Fire Services;
iv) Territorial Army or Auxiliary Forces of any of the Defence Services;
v) Civilian personnel employed in connection with the Armed Forces of the union;

A retired defence person will however be allowed to be enrolled as member of civil defence corps. Any past services in the National Volunteer Force and in the Armed Force of the Union shall be a special qualification for enrollment.

4. **How to Apply: -** Applicant has to fill up prescribed Form 'A' and submit the same along with copy of self attested documents such as 04 passport size photographs, any residential proof as mentioned above in 3(i), copies of proof of educational qualification and NOC from employer. Police verification form duly filled up will also be submitted. However, in case of govt. employee or public sector employee, the condition of police verification may not be insisted upon. In case of renewal of tenure, such verification may be waived off in suitable cases.

5. **Application Form: -** Applicant may download application form (Form A) from from Revenue Department/ Districts website or get it DM Offices free of cost.

6. **Submission of Application Form: -** Applicant has to submit filled up Form-A to the respective Deputy Controller/Sub Divisional Magistrate where the applicant resides only during office hours on all week days under acknowledgement.

7. **Online filing of application:** He/she can also apply online by visiting the website of Revenue Department. Applicant may also submit the application online through e-District portal.

8. **Police Verification: -** Applicants, who is found otherwise fit, will be eligible for enrollment as Civil Defence volunteer after verification of his character and antecedents by police. Anyone with criminal background and doubtful integrity would not be enrolled as a member of this organization under any circumstances.

The police verification process in respect of applicants, who applied for enrollment, will be carried out by the respective Deputy Controller/SDM of the sub-division. If any charges are levied by police authority for police verification, it will be paid by the applicant.

9. **Tenure: -** An applicant shall be enrolled as a volunteer / member of the Corps initially, for **tenure of three years**, which may be extended each time by a further period of three years by following the due process.

10. **Mandatory Civil Defence Basic Training Course: -**

All aspirants have to undergo Civil Defence Basic Training Course after enrollment within a period of 90 days from the date of enrollment, failing which enrollment shall automatically stand cancelled. This training will be conducted in each district/

regional training centre either on weekends or weekdays. Completion of mandatory CD Basic Training Course will be pre-requisite for call out duty of a volunteer. However Ex-Servicemen, NCC certificate holders and Scout certificate holders need not undergo CD Basic Training Course.

11. **Issue of Identity Cards: -**

1. On enrollment, a Civil Defence Volunteer will be issued an enrollment number and a membership certificate. Identity Cards will be issued to only those members, who complete their Civil Defence Basic Training Course.

2. The Identity Cards to the Civil Defence Volunteers of all ranks will be issued centrally under the signature of S.S.O. (C.D.)/J.S.O. (C.D.).

3. It will be the responsibility of the District concerned to ensure that all Identity Cards are prepared and handed over to the concerned C.D. Volunteers/Wardens on the final day of Civil Defence Basic Training Course as far as possible.

4. The District Office concerned will maintain a proper record of I-cards issued to C.D. Volunteers of all ranks. In case of any renewal/torn out condition, Identity Card would be submitted to District Office under proper receipt. New I-card will then be provided within a period of 15 days positively. Any loss of I-card should be reported to respective District Office/police immediately. While applying for a duplicate I-card, the Civil Defence Volunteer shall also submit a copy of non-cognizable complaint filed with police.

5. A member of the corps after discharge/completion of tenure shall return the Identity Cards issued to him to the Controller without fail.

12. **Web-based Data Base** :- There will a centralized database of all CD volunteers. It will contain all personal particulars such as name, father/husband's name, address, Aadhar No, mobile no, email address, DOB, Educational qualification, physical attributes (height, weight, Chest), work experience, special skills, training, call duty details. There will be facility for online filing of enrollment form and its disposal. Further, the database will also contain details of vital resources such as vehicles and equipments, etc. and their location, mapped on a GIS. This will help in making resources available at a short notice during any disaster. Efforts will be made to keep the database in public domain and user access for specified users.

16/3/15

(Ashwani Kumar)
Secretary (Revenue) &
Divisional Commissioner

Copy for information and necessary action to:

1. All District Magistrates, Revenue Department, GNCTD
2. District Magistrate in-charge of Civil Defence (HQ), Revenue Department, GNCTD
3. Addl. Secretary (Rev.) / ADM (HQ), Revenue Department, GNCTD
4. J.S.O, Civil Defence, GNCTD

Annexure –B

Report regarding Income Certificate w.e.f 01/04/2021 to 23/07/2021

Sl. No.	Total No. of Application	Issued	Reject	Pending
1	1246	691	359	196

Annexure

S. No.	CATEGORY OF CERTIFICATE	PROPOSED DOCUMENTS	
1.	Income	1. Completed application form. 2. Self declaration of the income as per prescribed format 3. One photo ID proof and one residential proof 4. Following documents (These are to be mandatorily submitted by applicant if available with him. Else these are non-mandatory) a) Copy of NFS card / ration card b) Copy of electricity bill for 3 months c) Income Tax Return if paying income tax	1. No Attestation from any Gazetted Officer or MP/MLA. 2. No Affidavit. 3. Only Self Declaration. 4. No Field verification. Only in those cases of domicile certificate where no proof for last 3 years stay in Delhi is available, field verification would be done at Naib Tehsildar level 5. Table top disposal after verification of documents 6. Publicity of name of beneficiary on the website of the District.
2.	Domicile	1. Completed application form. 2. Proof of continuous stay for the past three years in Delhi 3. One photo ID proof and one residential proof	

अनुलग्नक-II

Annexure –C

Report regarding SC/ST/OBC Certificate w.e.f 01/04/2021 to 23/07/2021

Sl No.	District Name	Total No. of Application	Issued	Reject	Pending
1.	SC Certificate	650	225	212	213
2.	OBC Certificate	639	278	204	157
3.	ST Certificate	9	3	3	3

Sub Divisional Magistrate (Model Town) Delhi

3134/1/2015-JT 55

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER
GOVT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
5- SHAM NATH MARG, DELHI-110054

F.No.87/27/CCS/2015/Misc./2688-2697 Dated: 26/11/2015

OFFICE ORDER

Sub: Simplified procedure for issuance of various kind of Certificates by Revenue Department.

In supersession of all previous orders on the subject mentioned above and in pursuance of Cabinet Decision No.2255 dated 16-11-2015 following simplified procedure for the issuance of various certificates in Revenue Department is prescribed for implementation by all revenue authorities for all applications received from 1st December' 2015 onwards.

1. The requirement for affidavit has been dispensed with in respect of all cases except in the case of application for delayed birth/death registration order. The affidavit has been replaced by a self declaration which would be a part of the application form which every applicant shall sign.
2. The requirement for attestation of documents by the gazetted officers has been dispensed with. The requirement for attestation of social status (SC/ST or OBC) by gazetted officers or public representatives (MP, MLA, Councilor) in respect of any applicant of caste certificate has also been dispensed with. Self attested documents shall be acceptable henceforth.
3. "OBC certificate of other state" can now be on the basis of OBC certificate issued to siblings and real uncles (paternal side only) instead of issuance on the basis of father's certificate only.
4. The applicants seeking issuance of income certificates are required to declare their income as per details prescribed in the application form which would form the basis for issuance of the income certificate.
5. In those cases, where genuiness of the application can be verified on the basis of documents, the requirement for field verification has been dispensed with. Only in the listed cases, field verification would be carried out by an officer not below the rank of Naib Tehsildar.
6. An SOP for field inspection is being issued separately.
7. Separate application forms have been devised for issuance of different kinds of certificates. Each applicant is required to submit a completed application form as applicable to him/her.
8. A set of documents has been prescribed for issuance of certificates of different kind as per Annexure-I. Each applicant is required to furnish those documents for issuance of desired certificates.

9. No applicant would be asked to produce additional documents in case the prescribed documents have already been furnished by him/her. However, the applicant may on his own file additional documents, if those are relevant and helpful in speedy disposal of his/her case.
10. A set of prescribed application forms, required documents for various kinds of certificates and the standard operating procedure is being uploaded on the e-district website **http://edistrict.delhigovt.nic.in** for guidance/clarity.
11. These simplified procedure will come into force for all applications received from 01.12.2015 onwards.

(JUHI MUKHERJEE)
DEPUTY COMMISSIONER (HQ)-II

F.No.87/27/CCS/2015/Misc./ 2688-2697 Dated:- 26/11/2015

Copy to for information and necessary action to:-

1. OSD to Minister, Revenue, GNCT of Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
3. PS to Principal Secretary, Department for the welfare of SC/ST/OBC and Min., 2nd floor, B Block, Vikas Bhawan, GNCT of Delhi.
4. PS to Div. Comm., Revenue Department, GNCT of Delhi.
5. PA to DC-I (HQ), Revenue Department, GNCT of Delhi.
6. PA to DC –II (HQ), Revenue Department, GNCT of Delhi.
7. All Deputy Commissioner with the direction to give adequate publicity to these instructions by displaying the same prominently on notice boards in their offices and web-sites and follow these instructions scrupulously.
8. All SDMs (HQ), Revenue Department, GNCT of Delhi.
9. The System Analyst with the direction to upload the above order on the web-site of the Department.
10. Guard File.

(JUHI MUKHERJEE)
DEPUTY COMMISSIONER (HQ)-II

SIMPLIFIED APPLICATION AND DOCUMENTS FOR ISSUANCE OF VARIOUS CERTIFICATES

ISSUANCE OF SC/ST CERTIFICATES

Annexure

S. No.	CATEGORY	APPLICANT'S BACKGROUND	PROPOSED DOCUMENTS	SOP
1.	Original Delhi with certificate	Cases of those SC/ST applicants – i) Whose family has been staying in Delhi since prior to 1951; AND ii)Where a caste certificate has been issued to any of his/her relatives from paternal side	1. Completed application form. 2. Copy of Caste Certificate of any relative from paternal side. 3. Proof of relationship of the applicant with caste certificate holder. 4. One photo ID proof and 5. One residential proof (Eligible for Delhi SC / ST)	1. No Attestation Gazetted Officer or 2. No Affidavit. 3. Only Self Declaration 4. No Field verification 5. Table top dispos verification of docum 6. Publicity of n beneficiary on the the District.
	Migrated and Settled in Delhi with certificate	Cases of those SC/ST applicants – i) Whose family has migrated to Delhi after 1951 and domiciled here and belongs to A Caste which is notified as SC/ST in the State of origin <u>as well as in Delhi</u> AND Where a caste certificate has already been issued to any of his/her relatives from paternal side;	Sr. No.1 to 5 – **Same as above** & 6. Any one of the following documents: i) Birth certificate for applicants born in Delhi. ii) Matriculation certificate/marks-sheet for applicants who have studied in Delhi. iii) Proof of residence for the last 5 years (Eligible for Delhi SC / ST)	

3.	Migrated and settled in Delhi with other State certificate but caste not listed in Delhi	Cases of those SC/ST applicants – I) whose family migrated to Delhi after 1951 and settled/domiciled in Delhi and belongs to a Caste which is notified as SC/ST in the State of origin <u>but not in Delhi</u>; AND ii) Where a Caste Certificate has been issued to these SC/ST applicants from original State	1. Completed application form 2. Copy of the Caste Certificate of the relative from paternal side issued from State of origin of the applicant. 3. Proof of relationship of the applicant with caste certificate holder. 4. One photo ID proof and 5. One residential proof (Eligible for other State SC / ST certificate)	1. No Attestation fro Gazetted MP/MLA. 2. No Affidavit 3. Only Self Declaratio 4. No Field verificatio 5. Table top dispos verification of docu 6. Publicity of na beneficiary on the of the District
4.	Original resident of Delhi but without any caste certificate for a paternal relative	Cases of those SC/ST applicants – i) Whose family has been staying in Delhi since prior to 1951 AND *Where no caste certificate has ever been issued to any of his/her relatives from paternal side; AND*	1. Completed application form 2. Proof of residence in Delhi since prior to 1951 3. One photo ID proof; and 4. One residential proof (Eligible for Delhi SC certificate)	1. No Attestation fro Gazetted Officer MP/MLA. 2. No Affidavit. 3. Only Self Declaratio 4. Field verif mandatory; to conducted by an not below the rank Tehsildar 5. Publicity of n beneficiary on th of the District.

5.	Migrated and settled in Delhi but without any caste certificate issued to paternal relative	Cases of those SC/ST applicants – i) Whose family has migrated and settled in Delhi after 1951; AND ii) Where no caste certificate has ever been issued to any of his/her relatives from paternal side; AND iii)Caste is notified in Delhi list as well as the list of State of origin	Sr. No.1 to 4 - Same as above & 5. Any one of the following documents: i) Birth certificate for applicants born in Delhi. ii) Matriculation certificate/marks-sheet for applicants who have studied in Delhi. iii) Proof of residence for the last 5 years 6. Any documentary evidence for stay in the State of origin since prior to 1951 (Eligible for Delhi SC / ST certificate)	1. No any ... MP/ML... 2. No Affidavit 3. Only Self De... 4. Field mandatory; conducted by not below the Tehsildar 5. Publicity of beneficiary website of the

FOR ISSUANCE OF OBC CERTIFICATES

Annexure

S. No.	CATEGORY OF CERTIFICATE	PROPOSED DOCUMENTS	SOP
1.	Cases of those OBC applicants i) whose family has been residing in Delhi since prior to 1993; AND (II) Where an OBC Certificate has been issued to brother/sister/ father or any other relative from paternal side	1. Completed application form alongwith self declaration of the claim for Non-Creamy Layer in the prescribed format. 2. Copy of the Caste Certificate of any relative from paternal side 3. Proof of relationship of the applicant with caste certificate holder. 4. One photo ID proof and one residential proof (Eligible for Delhi OBC)	**1. No Attestation from any Gazetted Officer or MP/MLA.** **2. No Affidavit.** **3. Only Self Declaration.** **4. No Field verification.** **5. Table top disposal after verification of documents** **6. Details of beneficiary to be put on the website of the District.**
2.	Cases of those OBC applicants *i) whose family has migrated to Delhi after 1993;* AND *ii)* Where an OBC Certificate has already been issued to ***father*** of the applicant from the State of Origin of the applicant's family	1. Completed application form along with Self declaration of the claim for Non-Creamy Layer in the prescribed format. 2. Copy of the ***Caste Certificate of father*** of the applicant 3. One photo ID proof and one residential proof (Eligible for Other State OBC)	

3.	Cases of those OBC applicants i) whose family has been residing in Delhi since prior to 1993; AND ii) Where No OBC Certificate has been issued to any relative from paternal side	1. Completed application form along with Self declaration of the claim for Non-Creamy Layer in the prescribed format. 2. Proof of residence in Delhi since prior to 1993 3. One photo ID proof and one residential proof (Eligible for Delhi OBC)	1. No Attestation from Gazetted Officer MP/MLA. 2. No Affidavit. 3. Only Self Declaration. 4. Field verification mandatory; to be conducted by an officer not below the rank of Naib Tehsildar 5. Details of beneficiary to be put on the website of the District.
4.	OBC (Central) Where an OBC Certificate has already been issued to the applicant from Delhi/Other State	1. Completed application form along with Self declaration of the claim for Non-Creamy Layer in the prescribed format. 2. Copy of OBC Certificate of the applicant 3. One photo ID proof and one residential proof (Eligible for Central OBC)	1. No Attestation from any Gazetted Officer or MP/MLA. 2. No Affidavit. 3. Only Self Declaration. 4. No Field verification. 5. Table top disposal after verification of documents 6. Details of beneficiary to be put on the website of the District.

15. **श्री रघुविंदर शौकीन :** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में कालेज या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क) इस संदर्भ में माननीय विधायक (नांगलोई जाट-11) से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस सम्बन्ध में गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय व दिल्ली विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा है जिसका उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

16. **श्री सोमनाथ भारती :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को वर्ष 2014 से अब तक भूमि या भूमि-प्रयोग में बदलाव हेतु भेजे गए अनुरोधों का उनके दिनांक तथा प्रत्येक अनुरोध की अद्यतन स्थिति सहित संपूर्ण विवरण;

(ख) अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोगी-डॉक्टर अनुपात बनाए रखने हेतु आवश्यक रूप से खोले जाने वाले अस्पतालों, क्लिीनिकों, पॉलीक्लिीनिकों का विवरण;

(ग) सभी अस्पतालों, औषधालयों, मोहल्ला क्लीनिकों, पॉलीक्लीनिकों आदि में सभी वर्गों के, जैसे डॉक्टर, पैरा मेडीकल, सहायक स्टाफ के भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण; और

(घ) दिल्ली में बुनियादी ढाँचे और जनरल में आवर्धन सहित समग्र तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु उठाए जा रहे कदमों का विवरण, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जा सके?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) वर्ष 2014 या उसके बाद, भूमि या भूमि प्रयोग में बदलाव हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे गये अनुरोधों की सूची एवं उनकी अद्यतन स्थिति संलग्नक 1 व 2 में है।

(ख) नवीनतम अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:1000 और बेड पापुलेशन अनुपात 3:1000 होना चाहिए।

1. दिल्ली में अनुमानित 70,000 डॉक्टर दिल्ली मेडिकल कॉउन्सिल में पंजीकृत है, जोकि अंतरर्राष्ट्रीय मानकों से अधिक है।
2. कुल 2 करोड़ जनसंख्या के लिए अस्पताल के बेड 54000 अनुमानित है।

दिल्ली सरकार द्वारा 94 दिल्ली सरकार औषधालयों को रिमोडल करके पॉलीक्लीनिकों में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में 28 पॉलीक्लीनिक कार्यरत हैं।

कार्यात्मक मोहल्ला क्लीनिक्स-505

2015 से 2021 के बीच तीन अस्पताल खोले गए हैं-

1. अंबेडकर नगर
2. बुराड़ी
3. इंदिरा गांधी द्वारका

तथा निम्नलिखित तीन नए अस्पतालों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

1. ज्वालापुरी 691
2. सिरसपुर 1164
3. मादीपुर 691
4. हस्तसाल (विकासपुरी) 691 (निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा)।

(ग) अस्पतालों में पदों का विवरण संलग्नक-3 में उपलब्ध है।

महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें में सभी वर्गों के भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण संलग्नक-4 में उपलब्ध है।

मोहल्ला क्लीनिक में पदों का विवरण संलग्नक-5 पर उपलब्ध है1

(घ) स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें से मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :

1. चल रही अस्पताल परियोजना में 54000 उपलब्ध बेड के साथ 3237 अतिरिक्त बेड और बढ़ जाएंगे।

2. दिल्ली सरकार संघ लोक सेवा आयोग एवं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नियमित रूप से मांग देती रहती है।

3. कई अस्पतालों में रिमॉडिलिंग (Remodelling) के तहत बेड जोड़े जा रहे हैं, ताकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

संलग्नक -1

क्र.

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Demand for Allotment of Land)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
1	Allotment of land for State Dental University, Pocket-29, Sector-35, Rohini	4.082 Hectare	DDA allotted land to DGHS on 09.06.2014. A payment amounting to Rs. 31,03,30,383/- was made to DDA on 14.01.2015. DGHS requested Pr. Commissioner (LD), Director (Lands), & Dy. Director (IL), DDA for handing over physical possession of said land vide letter 20.05.2015 & its subsequent reminders dated 28.07.2015, 31.08.2015, 23.11.2015, 03.10.2017, 09.07.2019, 01.09.2020, 17.09.2020 & 08.06.2021 (09 Reminders). However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
2	Allotment of land for construction of Hospital at Chowki No.-4, Model Town	11350 sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 22.07.2013. A payment amounting to Rs. 08,62,85,957/- was made to DDA on 03.09.2013. DGHS requested Pr. Commissioner (LD), Director (Lands), & Dy. Director (IL), DDA for handing over physical possession of said land vide letter 17.12.2013 & its subsequent reminders dated 29.01.2014, 03.04.2014, 11.06.2014, 21.07.2014, 27.10.2014, 12.11.2014, 05.03.2015, 14.04.2015, 03.09.2015, 09.10.2015, 17.08.2016, 30.09.2016, 20.01.2017, 04.08.2017, 14.09.2017, 12.03.2018, 11.06.2018, 25.11.2019, 17.09.2020, 10.11.2020, 19.04.2021, 08.06.2021 & 06.07.2021 (24 remidners). However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
3	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary at Sector-9, Rohini	1085 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 03.01.2012. A payment amounting to Rs. 20,45,195/- was made on 26.05.2012. DDA demanded an amount of 89,787/- as interest on premium of land vide letter dated 23.07.2012. Payment was made on 05.06.2013. DGHS requested Pr. Commissioner (LD), Director (Lands), & Dy. Director (IL), DDA to handing over physical possession of said land vide this office letter dated 02.07.2013 and its subsequent reminders dated 12.09.2013. DDA demanded an amount of Rs. 31,26,534/- on account of difference of cost amount due to revision of rates, payment was made on 19.12.2014. DDA again demanded an amount of Rs. 15,09,887/- on account of old interest on belated payment of premium and new interest on belated payment of differential premium due to revising of rate vide letter dated 01.06.2015. Secretary (H&FW) requested VC, DDA on 12.08.2015 and this office has requested DD(IL), DDA to waive off interest payment and handing over the physical possession of land vide letter dated 28.09.2016 and its subsequent reminder dated 20.01.2017, 20.12.2019, 17.09.2020 & 08.06.2021. However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response

स

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Demand for Allotment of Land)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
4	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary CS/OCF-2, Sector-24, Rohini	820 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 08.07.2013. A payment amounting to Rs. 62,33,918/- was made on 19.12.2014. DGHS requested Pr. Commissioner (LD), Director (Lands) & Dy. Director (IL), DDA for handing over physical possession of said land vide letter 07.01.2015. DDA again demanded an amount of Rs. 14,33,664/- on account interest on belated premium. Secretary (H&FW) requested VC, DDA on 12.08.2015 and this office requested DD(IL), DDA to waive off interest payment and handing over the physical possession of land vide letter dated 04.10.2016 and its subsequent reminder dated 20.01.2017, 12.07.2019, 20.12.2019 & 17.09.2020. However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
5	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary at Shahbad Daulatpur	1000 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 08.07.2013. A payment amounting to Rs. 76,02,328/- was made on on 22.01.2015. DGHS requested Pr. Commissioner (LD), Director (Lands), & Dy. Director (IL), DDA for handing over physical possession of said land vide letter 04.02.2015 & its subsequent reminders dated 17.07.2015, 27.08.2015, 28.09.2016, 25.07.2018, 23.09.2019, 17.12.2019, 01.09.2020, 17.09.2020 & 08.06.2021 (10 remidners). However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
6	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary Sector-A-6, Pocket-9, Narela	1000 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 04.06.2013. A payment amounting to Rs. 76,02,328/-was made on 22.01.2015. DGHS requested Pr. Commissioner (LD), Director (Lands), & Dy. Director (IL), DDA for handing over physical possession of said land vide letter 04.02.2015 & its subsequent reminders dated 20.07.2015, 04.09.2015, 27.09.2016, 25.07.2019, 01.01.2020, 03.09.2020 & 17.09.2020 (08 remidners). However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
7	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary at Isolated Pocket-5, Nasirpur	1061 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 18.07.2013. A payment amounting to Rs. 80,66,067/- was made on 22.10.2013. DGHS requested Dy. Director (IL), DDA for handing over physical possession of said land vide letter 27.01.2014. The handing ove /taking ove of possession of land on 18.02.2015 was deferred in view of alleged litigation involving said plot. This office requested DDA to furnished the clarificaiton/status of the land vide letter dated 03.03.2015 & subsequent reminders dated 22.04.2015, 17.07.2015, 28.08.2015, 02.03.2017, 18.04.2017, 31.10.2017, 25.04.2018, 19.12.2019, 03.09.2020 & 17.09.2020. However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.

₹

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Demand for Allotment of Land)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
8	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary Isolated Pocket-1 to 4, Nasirpur	1000 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 25.07.2013. A payment amounting to Rs. 76,02,328/- was made on 25.09.2013 and interest on delayed payment of premium of land of Rs. 55,626/- paid on 27.02.2014. However, DD(IL), DDA informed vide letter dated 03.06.2014 that there is a court case in Hon'ble Delhi High Court vide WPC No. 13061-66/2004 and there is order to maintain the status quo of the land. Therefore this office has requested DDA to share the latest update on the court case vide letter dated 02.03.2017 & subsequent reminders dated 18.04.2017, 14.07.2017, 25.09.2017, 31.10.2017, 15.11.2017, 25.04.2018, 25.09.2019 & 17.09.2020. However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
9	Allotment of land for construction of Delhi Govt. Dispensary A-Block, G.T. Karnal Road	1000 Sq. Mtr.	DDA allotted land to DGHS on 07.10.2013. A payment amounting to Rs. 76,02,328/- was made on 10.06.2021. DD(IL), DDA was requested to hand over the land vide this office letter dated 23.06.2021. However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
10	Construction of Hospital on Delhi Development Authority Facility Centre No. 58, Zone-H at Indira Park in Sultanpur Majra Vidhan Sabha	1 Hectare	Directorate General of Health Services requested Director (Lands), DDA to allotment of 01 Hectare land for Construction of Hospital on Delhi Development Authority Facility Centre No. 58, Zone-H at Indira Park in Sultanpur Majra Vidhan Sabha vide this office letter dated 13.06.2018, 14.08.2020, 18.02.2021, 10.03.2021, 24.03.2021, 27.04.2021. In response of this DDA has allotted the land vide letter dated 20.05.2021, payment of cost of land has been made by PWD on 28.06.2021. This office has requested DDA to fix suitable date and time for handing over/taking over possession of said land vide this office letter dated 01.07.2021. Response is still awaited from DDA.

स

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Demand for Allotment of Land)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
11	Allotment of land for construction of Mother & Child Hospital at DDA Facility Centre No. 58, Sultanpur Majra, Sultanpuri Zone-m in lieu of earlier allotment of land measuring 2940 Sqm. in plot no. 15 Sector - 22, Rohini, Delhi	2500 Sq. Mtr.	A land measuring 2940 Sq. mtr. was allotted by DDA on 08.07.2013 at plot no. 15, Sector-22, Rohini, Ph-III . Payment amounting to Rs. 2,23,50,757/- was made on 14.01.2015. DDA vide letter dated 11.07.2016 informed that an alternative site measuring of 2500 sq.mtr. in Facility Centre, 58, Sultanpuri, Zone - M is available as the above said land has been handed over to other society and allotment may be treated as cancelled. This office on 6/11/2018 has conveyed the consent to accept the land to DD(IL) DDA in lieu of already allotted plot and requested to allot the new plot and amount already paid may be adjusted. DDA vide letter dated 4/9/2019 informed that balance of Rs.33,45,004/- is lying with DDA. Accordingly DDA vide letter dated 13/9/2019, 3/10/2019 and 17/12/2019, 30.07.2020, 14.09.2020, 19.10.2020, 19.01.2021 was requested to inform the status of court case and refund the balance amount, so that handing over/taking over procedure may be initiated. DDA vide letter dated 04.01.2021 informed that the land is free from litigation. In the handing over / taking over process on 18.02.2021 the said land was found to have partial encorachmenmt and due to this exercise of handing over / taken over was cancelled. DD(IL), DDA vide this office letter dated 25.02.2021, 15.03.2021 and 29.04.2021was requested to take appropriate action for getting the said land encroachment free before handing over the same to DGHS. However, till date department has niether been handed over possession of the land not received any response from DDA.
12	Allotment of land earmarked for hospital at 7 pockets located along 30 mtr. RoW connecting NH-8 to Mehrauli - Mahipalpur Road	0.34 Hectare	Directorate General of Health Services requested Pr. Commissioner (Land Disposal), DDA to allotment of the said land vide this office letter dated 26.11.2019 and its subsequent reminder dated 22.07.2021. Till date no response has been received from DDA.
13	Allotment of land for constructio of Delhi Govt. Dispensary at Sector-15, Rohini, near Guru Nanak Polyclinic	1000 Sq. Mtr.	Directorate General of Health Services requested DDA to fix a suitable date & time for site inspection of the said plot to enable the department to study the feasibility (approach, encroachment, litigation etc.) vide this office letter dated 23.05.2015 and its subsequent reminder dated 15.07.2021. Till date no response has been received from DDA, regarding site inspection
14	Allotment of land for construction of a Hospital in Tilak Nagar Assembly constituency	25 Acres	Directorate General of Health Services requested Vice Chairman, DDA to remove the encroachments on the plot and allotted to DGHS for construction of Hospital vide this office letter dated 28.03.2016 and its subsequent reminder dated 12.10.2020, 22.03.2021, 04.05.2021. Till date no response has been received from DDA.
15	Proposal for opening of Super-Specialty Hospital at Laxmi Nagar		Directorate General of Health Services requested Dy. Director (IL), DDA regarding availability of litigation free and encroachment free plot for establishing of Super-Specialty Hospital at Laxmi Nagar with details of land earmarked in layout plan located in front of D.M. (East) Office vide this office letter dated 29.06.2015. Till date no response has been received from DDA.

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Demand for Allotment of Land)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
16	Allotment of land to DHS for construction of Dispensary building at Gokulpur Village	750 sq. Mtr.	Directorate General of Health Services reqeusted Commissioner (LD), DDA to allot land measuring 750 sq. Mtr. to DGHS for construction of Dispnesary vide this office letter dated 14.12.2012. In response of this DD(IL), DDA forward a list of plots allotted to DHSand sort their current status vide letter dated 03.05.2013. Reply of the same furnished vide this office letter dated 26.11.2013. DGHS requested to DDA to issue an allotment letter for construciton of DGD building at Village Gokulpur vide this office letter dated 07.01.2015 and its subsequent reminder dated 05.06.2015. Till date no response has been received from DDA.
17	Allotment of DDA vacant plot for construciton of Polyclinic in Dwarka Assembly Constituency	800 Sq. Mtr.	Directorate General of Health Services requested DDA for allotment of said land vide letter dated 28.04.2018. Till date no response has been received from DDA.
18	Opening of Dispensary at Pocket -05, Opposite pocket 07 & 08 Jasola, Delhi	963.46 Sq. Mtr.	Directorate General of Health Services reqeusted Commissioner (LD), DDA to allot land measuring 963.46 sq. Mtr. to DGHS for construction of Dispnesary vide this office letter dated 17.04.2013 and its subsequent remidner dated 18.04.2013, 12.09.2013, 12.01.2015 and 30.08.2017. Till date no response has been received from DDA.
19	Allotment of land for construction of Dispensary at Sayurpur Village	1200 sq. Mtr.	Directorate General of Health Services reqeusted Commissioner (LD), DDA to allot land measuring 1200 sq. Mtr. to DGHS for construction of Dispnesary vide this office letter dated 17.04.2012. In response of this DD(IL), DDA alloted a plot measuring 1200 sq. mtr. vide letter dated 24.09.2013. This office has requested DDA to furnish the status i.e free from any encroachment before making payment of said plot vide this office letter ated 03.10.2013 and its subsequent reminder dated 13.12.2013, 21.04.2014, 23.05.2014, 11.08.2014. DD (IL), DDA informed that acquirement of the subjected land has been cancelled by the Hon'ble High Court, Delhi vide WP (C) 6291/14 vide letter dated 03.07.2015 and it is also informed that as and when the land will be available with DDA the possession will be handed over. No further communication has been received from DDA in this regard.
20	Allotment of land for construction of Dispensary at Sector - 24, Pocket - 1 Rohini, Delhi		Directorate General of Health Services reqeusted Pr. Commissioner (Land Disposal), DDA to allotment of the said land vide this office letter dated 03.03.2015. Till date no response has been received from DDA.
21	Allotment of land for construction of Dispensary at Mahadev Chowk, Opposite D-Block, Sector - 1 Rohini, Delhi		Directorate General of Health Services reqeusted Commissioner (LD), DDA to allotment of land for construction of Dispnesary vide this office letter dated 11.07.2011 and its subsequent reminder dated 16.08.2011, 05.12.2011, 16.12.2011, 30.10.2012 16.01.2013. In response of thses DD (IL), DDA apply afresh as request of DGHS is 2-3 year old vide their office letter dated 06.10.2015, 25.03.2016 and 12.08.2016. However, DGHS again furnish consent vide this office letter dated 30.09.2016 and its subsequent reminder dated 03.08.2017. Till date no response has been received from DDA.
22	Allotment of land for construction of Dispensary at Jangpura & Lajpat Nagar, Delhi	1000 Sq. Mtr.	Directorate General of Health Services reqeusted Director (Lands), DDA to allotment of 1000 sq. mtr. land for construction of Dispnesary vide this office letter dated 29.05.2013 and its subsequent reminder dated 25.06.2018. Till date no response has been received from DDA.

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Demand for Allotment of Land)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
23	Allotment of additional land for expansion of Attar Sain Jain Eye & General Hospital at Lawrance Road	1600 Sq. Mtr.	Directorate General of Health Services requested Vice Chairman, DDA to allotment of 1600 sq. mtr. land for expansion of Attar Sain Jain Eye & General Hospital at Lawrance Road 13.10.2014. Till date no response has been received from DDA.
24	Establishment of Mother & Child Hospital at Batla House	1500 Sq. Mtr.	Directorate General of Health Services requested Director (Lands), DDA to allotment of 1500 sq. mtr. land adjacent to DGD Batla House for construction of Mother & Child Hospital vide this office letter dated 09.10.2014 and its subsequent reminder dated 05.12.2014. In response of this DD(IL), DDA informed that the case was being examined by the Planning Wing of DDA and requested to ask the DGHS to provide the LOP of the area under reference alongwith the total station survey of the area. In this connection a meeting was held under the chairmanship of Secretary (H&FW) on 06.01.2015 alongwith officers of DDA. Director (LM), DDA was requested it may be ensured that the vacant plot is secured from any encroachment by any person vide this office letter dated 20.01.2015. Further, Secretary (H&FW) requested Vice Chairman, DDA to allotment of the said land to DGHS vide D.O. letter dated 30.03.2015 and its subsequent reminder to Director (Lands) dated 29.09.2015, 06.01.2016. In response of this DD (IL), DDA was requested to depute the staff of DGHS for identify the site on the LOP. In this regard, a joint site inspection was done by the officers of DDA, DGHS, PWD 29.08.2017. After that till date no response has been received from DDA.

अनुलग्नक – 2

संलग्न

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Change of Landuse)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
1	Construction of Hospital at Molarband	4 Bigha 14 Biswa	Directorate General of Health Services requested DDA for change of land use of plot, allotted for construciton of Mother & Child Hospital at Village Molarband vide this office letter dated 25.02.2013, 16.08.2013, 21.10.2013 and 18.07.2014. In response of these Dy. Director (Plg.) Zone- E&O, DDA informed that the request regarding construction of Mother & Child Hospital in Zone - 'O' at Molarband Delhi cannot be acceded.
2	Construction of Health cum Maternity Centre at Village Jhatikara	8 Bigha 05 Biswa	Directorate General of Health Services requested DDA for change of land use of plot, allotted for construciton of Health cum Maternity Centre at Village Jhatikara vide this office letter dated 11.04.2011. In response of this Director (Plg.)/Dwk, DDA informed that the proposed land for construction of 100 bedded Hospital is part of Green Belt as per MPD-2021 and notified Zonal Development Plan for Zone - L. As per provision in MPD-2021 Hospital is not permitted in Green Belt. This Directorate again requested to inform if there is any change in the proposed hospital land as per revised MPD-2021 vide this office letter dated 17.10.2016. In response of this Dy. Director (Plg.) Zone - K & L L&N, DDA requested to provide some documents/information vide letter dated 14.12.2016. The required documents was submitted vide this office letter dated 06.09.2019. Till date no response has been received from DDA.
3	Construction of Hospital at Bamnoli	17 Bigha 05 Biswa	Directorate General of Health Services requested DDA for change of land use of plot, allotted for construciton of Hospital at Village Bamnoli vide letter dated 11.04.2011. DDA infromed vide letter dated 25.05.2011 that the land is part of Green Belt as per MPD-2021 and construction of Hospital is not permitted in Green Belt. This office has again requested DDA to inform that land use conversion of a piece of plot out of the total plot area for 100 bedded hospital in Semi-permanent Permanent building is fesiable or not vide this office letter dated 17.10.2016 and its subsequent reminder dated 20.02.2018, 14.08.2019.

संल

Vidhan Sabha Starred Question No. 16 (Change of Landuse)

S. No.	Name of Project/Land/Area/Locality	Plot Size	Latest Status
4	Construction of Hospital at Chattarpur	47 Bigha 09 Biswa	Directorate General of Health Services reqeusted DDA for change of land use of plot, allotted for construciton of Hospital at Village Chattarpur vide this office letter dated 11.04.2011 and its subsequent reminder dated 21.07.2011, 28.09.2011, 18.10.2011, 23.11.2011, 13.03.2012, 17.07.2012. DDA vide letter dated 19.07.2012 requested to the Forest Deptt., to issue NOC. Forest Deptt. was also requested by DGHS on 30.07.2012 and its reminder dated 07.12.2012 for issueing NOC. Forest Deptt. vide letter dated 20.12.2012 informed DDA to approach the Ridge Management Board (RMB) and Central Empowered Committee (CEC) for the change of the land use. The same was also conveyed to the DDA vide letter dated 11.01.2013. DDA vide letter dated 14.02.2013 has requested this office to obtain the same from RMB & CEC. RMB vide letter dated 17.12.2013 directed to submit a composite proposal for construction of Road and hospital at Chattarpur. The same was conveyed to DDA vide letter dated 02.01.2014 with the request to reply the RMB as the matter beyond the perview of this Directorate. In this connection a D.O. letter dated 09.01.2014 from side of Secretary (Health) also sent to VC, DDA. Dy. Director (Plg.), UC & Zone - J informed that the change of land use is heldup vide letter dated 23.02.2016.
5	Requested DDA to issue NOC for cosntruction of Polyclinic on 13 Land		Directorate General of Health Services reqeusted DDA to issue NOC for construction of Polyclinic on 13 lands already allotted for construciton dispensaries/hospitals vide this office letter dated 08.08.2018, 13.09.2018, 26.09.2018, 30.11.2018, 10.12.2018, 18.01.2019 and 27.06.2019. Till date no response has been received from DDA.

संलग्नक- 03

Vacancies Status in Delhi Government Hospitals

Doctors		
Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post
2583	2096	487

Nursing Staff		
Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post
8407	7169	1203

Para-Medical Staff		
Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post
4578	3744	834

Annexure-04

Vacancy Statement as on May 2021 for Dispensaries

S. No.	Name of the Post	Pay Band/GP (Previously)	GRAND TOTAL					
			S	FR	FC	V	D.W.	R.E.
	MEDICAL STAFF							
1	Director	PB-4, GP 10,000	1	1	0	0	0	0
2	Addl. Director	PB-4, GP 10,000	1	1	0	0	0	0
3	CDMO	PB-4, GP 10,000	11	11	0	0	0	0
4	ACDMO	PB-4, GP 8,700	11	11	0	0	0	0
5	GDMO/MO/ SMO/CMO	PB-3, GDMO/MO-5400, SMO-6600, CMO-7600	644	513	0	131	0	15
6	MS(HQ)		1	1	0	0	0	0
7	Specialist		0	0	0	0	0	0
	Skin	PB-3, GP 6600	2	0	0	2	0	0
	Eye	PB-3, GP 6600	2	0	0	2	0	0
	ENT	PB-3, GP 6600	3	3	0	0	0	0
	Medicine	PB-3, GP 6600	2	0	0	2	0	0
	Paeds	PB-3, GP 6600	2	0	0	2	0	0
	Surgery	PB-3, GP 6600	1	0	0	1	0	0
	Radiology	PB-3, GP 6600	1	0	0	1	0	0
	Gynae	PB-3, GP 6600	1	1	0	0	0	0
	Ortho	PB-3, GP 6600	1	0	0	1	0	0
	Pathology	PB-3, GP 6600	1	1	0	0	0	0
	Public Health	PB-3, GP 6600	1	1	0	0	0	0
8	CAS Dental	PB-3, 5400	13	0	0	13	0	0
9	Jr. Resident	PB-3, 5400	3	0	0	3	0	0
		TOTAL	702	544	0	158	0	15
	NURSING							
10	PHN	PB-2, 4800	177	128	34	15	0	0
11	Staff Nurse	PB-2, 4600	5	4	0	1	0	0
12	ANM	PB-1, 2400	378	318	47	13	0	0
		TOTAL	560	450	81	29	0	0
	PARAMEDICALS							

13	Medical Laboratory Technologist (Lab Technician)	PB-1, 2800	19	3	2	14	0	0
14	Junior Medical Lab Technologist (Lab Assistant)	PB-1, 2400	213	150	63	0	0	0
15	Pharmacist	PB-1, 2800	726	438	73	215	0	14
16	Dental Hyginist	PB-1, 2400	10	8	0	2	0	0
17	Physiotherapist	PB-2, 4200	1	0	0	1	0	0
18	Occupational Therapist	PB-2, 4200	1	0	1	0	0	0
19	Jr. Radiographer	PB-1, 2400	3	1	1	1	0	0
20	OT Technician	PB-1, 2800	1	0	1	0	0	0
21	Audiometry Asstt	PB-1, 2800	1	0	1	0	0	0
22	Refractionist	PB-1, 2800	8	2	3	3	0	0
23	ECG (Technician)	PB-1, 2800	2	0	0	2	0	0
		TOTAL	**985**	**602**	**145**	**238**	**0**	**14**
	ADMINISTRATIVE							
24	Spl. Director (Admn)	GP-8700	1	0	0	1	0	0
25	Dy.Director (Planning)	GP-6600	2	1	0	1	0	0
26	Dy. Controller (Accts)	PB-3, 6600	2	2	0	0	0	0

27	Office Superintendent	PB-2, 4800	2	0	0	2	0	0
28	Administrative officer	PB-3, 5400	2	2	0	0	0	0
29	Accounts Officer	PB-3, 5400	4	4	0	0	0	0
30	P.P.S.		1	0	0	1	0	0
31	AAO	GP- 5400	15	11	0	4	0	0
32	Legal Asstt.	PB-2, 4200	1	0	0	1	0	0
33	Head Clerk	PB-2, 4200	23	12	0	11	0	0
34	RO/SO	PB-2, 4600	12	4	0	8	0	0
35	Steno III	PB-2, 2800	10	5	0	5	0	0
36	Sr. PA	PB-3, 5400	6	6	0	0	0	0
37	UDC	PB-2, 2400	57	30	0	27	0	0
38	SA/SI	PB-2, 4200	35	13	0	22	0	0
39	LDC	PB-1, 1900	54	50	0	4	0	0
40	Driver	PB-1, 1900	21	14	0	7	0	0
41	Store Keeper/ store khalasi	PB-1, 1900	3	2	0	1	0	0
42	DEO	Out Source	29	0	0	29	0	0
43	Steno II	PB-2, 4200	11	7	0	4	0	0
44	Programmer	PB-2, 5400	1	1	0	0	0	0
45	Asst. Programmer	PB-2, 5400	1	0	0	1	0	0
46	Store & Purchase Officer/supdt.	PB-2, 4800	1	1	0	0	0	0
47	Distpatch Rider		1	0	0	1	0	0
48	Dresser	PB-1, 2000	303	192	0	111	0	0
		TOTAL	598	357	0	241	0	0
	GROUP-D STAFF							
49	Dark Room Attendent	PB-1, 1800	1	0	0	1	0	0
50	NO/Peon/ Attendant	PB-1, 1800	384	200	0	184	100	0
51	NO Out source	Out source	99	0	0	99	67	0
52	SCC	PB-1, 1800	573	160	0	413	244	0
53	SCC (Out Source)	Out source	158	0	0	158	122	0

54	Safai Karamchari	PB-1, 1800	2	1	0	1	0	0
55	Class-IV/Peon/Helper/Attendent		14	12	0	2	0	0
56	Class-IV(Outsource)		2	0	0	2	0	0
57	Dak Massenger		1	0	0	1	0	0
		TOTAL	**1234**	**373**	**0**	**861**	**533**	**0**
		GRAND TOTAL	**4079**	**2326**	**226**	**1527**	**533**	**29**

S=Sanction Post
FR=Filled Regular Post
FC=Filled Contract
V=Vacant Post
D.W= Daily wager
R.E= Re-employed

संलग्नक–5

मोहल्ला क्लीनिक में पदों का विवरण

डॉक्टर :–480 (रिक्त पद –25)

फार्मासिस्ट:– 469 (रिक्त पद –35)

मोहल्ला क्लीनिक असिस्टेंट :– 442 (रिक्त पद –62)

मल्टी टॉस्क वर्कर :– 485 (रिक्त पद –19)

17. **श्री राज कुमार आनंद :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनंद पर्वत क्षेत्र में थान सिंह नगर, पंजाबी बस्ती में सराय रोहिल्ला स्टेशन के लिए न्यू रोहतक रोड को पार करने हेतु विभाग का कोई फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हों, तो उसका विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि विधायक के अनुरोध के बावजूद इस परियोजना में विलंब हो रहा है; और

(घ) यह परियोजना किस तिथि तक पूरी होगी?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) आनंद पर्वत क्षेत्र में थान सिंह नगर, पंजाबी बस्ती में सराय रोहिल्ला स्टेशन के लिए न्यू रोहतक रोड को पार करने हेतु विभाग में ऐसा कोई फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

(घ) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

18. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं और उन्हें तदर्थ/अस्थाई/कार्यवाहक व विशेष कार्याधिकारी के आधार पर भरा जा रहा है :

(ख) इनका विवरण कॉलेजवार प्रदान करें;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन कालेजों में अयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्राचार्य के रूप में कार्य किए जाने की घटनाएँ भी प्रकाश में आई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उनका विवरण और इस परिपाटी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम; और

(ङ) इन पदों को तदर्थ/अस्थाई/कार्यवाहक के रूप में भरे जाने हेतु निर्धारित योग्यता के मानक क्या हैं?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) जी हाँ। दिल्ली सरकार द्वारा आंशिक (5 प्रतिशत के 16 कॉलेज) एवं पूर्ण वित्त पोषित (100 प्रतिशत के 12 कॉलेज) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 28 कॉलेजों में से कई कॉलेजों में तदर्थ एवं कार्यवाहक प्रिंसीपल कार्यरत हैं जिनकी सूची संलग्न है। इन सभी कॉलेजों में प्राचार्य के पदों को तदर्थ/अस्थाई/कार्यवाहक व विशेष कार्याधिकारी के आधार पर भरने की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उच्च शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के समक्ष वर्तमान में नहीं आई है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ङ) इन पदों को अस्थाई/कार्यवाहक के रूप में भरे जाने हेतु निर्धारित योग्यता के मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं दिल्ली विश्वविद्यालय निर्धारित करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए पत्र लिखा गया है।

दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

12 कालेजों (100 प्रतिशत अनुदान)

के प्राचार्य (प्रिंसिपल) के नाम

क्र.	कॉलेज का नाम	प्राचार्य का नाम
1	आचार्य नरेन्द्रदेव कॉलेज	डॉ. रवि टुटेजा, कार्यवाहक
2	भगिनी निवेदिता कॉलेज	डॉ. चारू शर्मा, कार्यवाहक
3	दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज	डॉ. हेमचन्द जैन, कार्यवाहक
4	महाराजा अग्रसेन कॉलेज	डॉ. संजीव कुमार तिवारी, कार्यवाहक
5	इन्दिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस साइंसिस	डॉ. संदीप तिवारी, कार्यवाहक

6	महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन	डॉ. रामजी दुबे, कार्यवाहक
7	केशव महाविद्यालय	डॉ. मधु परूथी, तदर्थ
8	अदिति महाविद्यालय	डॉ. ममता शर्मा, स्थाई
9	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लायड साइंसिस	डॉ. बलराम पानी, स्थाई
10	शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लायड साइंसिस फार वूमैन	डॉ. पायल मग्गो, स्थाई
11	डॉ. भीमराव अम्बेडकर कॉलेज	डॉ. जी.के. अरोड़ा, स्थाई
12	शहीद सुखदेव, कॉलेज ऑफ बिजिनस स्टैडीज	डॉ. पूनम वर्मा, स्थाई

दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 16 कॉलेजों (5 प्रतिशत अनुदान) के प्राचार्य (प्रिंसिपल) के नाम

क्र.	कॉलेज का नाम	प्राचार्य का नाम
1	भारती कॉलेज	रेखा सपरा, कार्यवाहक
2	शिवाजी कॉलेज	डॉ. शिव कुमार सहदेव, कार्यवाहक
3	कमला नेहरू कॉलेज	कल्पना भाकुनी, कार्यवाहक

4	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स	राजीव चोपड़ा, कार्यवाहक
5	मोती लाल नेहरू कॉलेज	डा. श्रीवत्स, कार्यवाहक
6	विवेकानंद कॉलेज	डॉ. हीना नन्द्रा जोग, कार्यवाहक
7	सत्यवती कॉलेज	डॉ. निर्मल जिंदल, कार्यवाहक
8	शहीद भगत सिंह कॉलेज	डॉ. अनिल सरदाना, कार्यवाहक
9	मैत्री कॉलेज	श्रीमती हरित्मा चोपड़ा, कार्यवाहक
10	कालिंदी कॉलेज	डॉ. नैना हसीजा, कार्यवाहक
11	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज	डॉ. साधना शर्मा, कार्यवाहक
12	लक्ष्मी बाई कॉलेज	श्रीमती प्रत्युष वत्सला, स्थाई
13	गार्गी कॉलेज	रीमा चौहान, स्थाई
14	राजधानी कॉलेज	राजेश गिरी, स्थाई
15	श्री अरविंदो कॉलेज	विपिन कुमार अग्रवाल, स्थाई
16	स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज	डॉ. प्रवीण गर्ग, स्थाई

MOST URGENT/TOP PRIORITY/OUT TODAY

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
GOVT. OF NCT OF DELHI
B –WING, 2ND FLOOR, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-54.
Email:-dtehedu@gmail.com

No. DHE-13(01)/2018-19/Misc./100% funded colleges/1912-14 Dated: 27/07/2021

To

The Jt. Registrar (Colleges),
University of Delhi,
Main Campus, Chhatra Marg,
Delhi-110007.

Sub:- Information regarding Post of Principals in r/o 28 Colleges (partially/fully funded by GNCTD) affiliated with University of Delhi.

Sir/Madam,

Reference subject mentioned above, you are requested to furnish the below mentioned information at the earliest:-

a) Whether it is a fact that the post of Principals in various colleges of Delhi University are lying vacant and they are being filled on adhoc/temporary/officiating basis or by Officers on Special duties;.
b) The college-wise details may be provided.
c) Whether it is also a fact that instances have come to light of unqualified persons occupying the posts of the Principals in these colleges.
d) If yes, the details of the same and the action being taken to stop this practice.
e) The eligibility criteria or qualifications prescribed for filling up these posts on adhoc/temporary/officiating basis.

This may be treated MOST URGENT/TOP PRIORITY.

Yours faithfully,

(K.R. MEENA)
Asstt. Director (Plg.)

No. DHE-13(01)/2018-19/Misc./100% funded colleges/1912-14 Dated: 27/07/2021

Copy to:-

1. P.S. to Secretary (HE), Department of Training and Technical Education, Muni Maya Ram Marg, Pitampura, Delhi-110088.
2. P.S. to Director (HE).

(K.R. MEENA)
Asstt. Director (Plg.)

19. **श्री जय भगवान उपकार :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बवाना गाँव में बवाना चौक-औचंदी रोड,। बवाना नरेला तथा बवाना कंझावला को जोड़ने के लिए 'एलीवेटेड फ्लाइओवर बनाने हेतु विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ तो उसका विवरण दें;

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित किए जाने हेतु उठाए जाने वाले कदम; और

(घ) इस परियोजना के पूरे होने की तिथि क्या है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) जी हां।

(ख)से(घ) इस कार्य के लिए अभी स्टडी करवाई जा रही है। स्टडी करवाने के बाद ही इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

20. **श्री अभय वर्मा :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में लोक निर्माण विभाग के नालों की सफाई के लिए आवंटित निधि का विवरण;

(ख) वर्ष 2021 में नालों की सफाई के लिए जारी की गई निविदाओं का, उनको जारी किए जाने की तिथि के साथ, संपूर्ण विवरण;

(ग) क्या ये कार्य पूरे हो गए हैं;

(घ) साउथ गणेश पार्क, रेलवे गेट के पास, पीडब्ल्यूडी रोड, आरओबी 36 में जल भराव को रोकने हेतु उठाए जाने वाले कदम;

(ङ) बार-बार शिकायत किये जाने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण परियोजना, जिसे अक्टूबर 2020 में रोक दिया गया था, की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही बिजली के खंभों के स्थान पर भूमिगत केबलिंग के कार्य की अद्यतन स्थिति; और

(छ) ये कार्य कब तक पूरे हो जाएँगे?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) नालों की सफाई का कार्य व्यापक अनुरक्षण/रखरखाव कार्यों के अन्तर्गत कराया जाता है जिसके लिये अलग से कोई निधि आवंटित नहीं होती हैं। लोनिवि ने व्यापक अनुरक्षण कार्यों के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 37.27 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में रु. 38.67 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

(ख) कार्य "Cleaning of drains" को व्यापक रखरखाव कार्यों की निविदाओं के अंतर्गत करवाया जा रहा है जिनका विवरण संलग्न है। (Annexure-1)

(ग) जी हां, ये कार्य लगातार बरसात के मौसम में भी जारी रहते हैं।

(घ) इस लोकेशन पर लो.नि.वि. की स्टोर्म वाटर ड्रेन में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कुछ गलियों से आने वाले कनेक्शन जुड़े होने के कारण हमेशा स्टोर्म वाटर ड्रेन में पानी भरा रहता है, जो कभी-कभी ओवरफ्लो भी हो जाता है। लो.नि.वि. स्टोर्म वाटर ड्रैन की समय-समय पर सफाई करानी पड़ती है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

(च) विकास मार्ग पर सौंदर्यकरण का कार्य Consultant के निधन के कारण रुक गया था। नए Consultant के द्वारा ड्राइंग बनाई गई है जोकि पुलिस विभाग के द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में है। जमीन के अंदर Cabling के कार्य को BSES द्वारा किया जाना है।

(छ) यह कार्य 2021-2022 में पूरा कर लिया जाएगा।

LIST OF STARRED QUESTION NO. 20 (SH. ABHAY VERMA)

Annexure-I

Sl. No.	Agreement No.	Name of Work	Time allowed	Date of Start & Date of Completion
1.	12/EE/PWD/East Road/M-212/ 2020-21	A/R & M/O Various roads under East Road Sub Division-I, East Road Division (M 212) during 2020-21. (SH:-Comprehensive maintenance of roads)	365 Days	24.02.2021 23.02.2022
2.	13/EE/PWD/East Road/M-212/ 2020-21	A/R & M/O Various roads under East Road Sub Division-II, East Road Division (M 212) during 2020-21. (SH:-Comprehensive maintenance of roads)	365 Days	24.02.2021 23.02.2022
3.	15/EE/PWD/East Road/M-212/ 2020-21	A/R & M/O Various roads under East Road Sub Division-III, East Road Division (M 212) during 2020-21. (SH:-Comprehensive maintenance of roads)	365 Days	24.02.2021 23.02.2022
4.	14/EE/PWD/East Road/M-212/ 2020-21	A/R & M/O Various roads under East Road Sub Division-IV, East Road Division (M 212) during 2020-21. (SH:-Comprehensive maintenance of roads)	365 Days	26.02.2021 25.02.2022
5.	15/EE/C&ND-R/PWD/2020-21	Comprehensive Maintenance of Ring Road/Outer Ring Road under Circle C & ND-M, PWD, Delhi. (SH.: Day to Day maintenance & repair of Civil Work, Electrical Work & Horticulture Work).	18 Months	S.D.O.S. : 14.08.2020 S.D.O.C. : 13.02.2022
6.	39/EE/C&ND-R/PWD/2020-21	Annual Comprehensive Maintenance of Arterial and Other Roads under Sub Division-1, of Division C & ND-Roads, PWD, during 2021-22, New Delhi.	12 Months	S.D.O.S. : 15.02.2021 S.D.O.C. : 14.02.2022

	40/EE/C&ND-R/PWD/2020-21	Annual Comprehensive Maintenance of Arterial and Other Roads under Sub Division-2, of Division C & ND-Roads, PWD, during 2021-22, New Delhi.	12 Months	S.D.O.S. : 15.02.2021 S.D.O.C. : 14.02.2022
8.	41/EE/C&ND-R/PWD/2020-21	Annual Comprehensive Maintenance of Arterial and Other Roads under Sub Division-3, of Division C & ND-Roads, PWD, during 2021-22, New Delhi.	12 Months	S.D.O.S. : 16.02.2021 S.D.O.C. : 15.02.2022
9.	04/EE/PWD/ M-213/2020-21	A/R & M/O Various roads under (NE) Road Division during 2020-21. (SH:- Comprehensive repair & maintenance of various roads Sub Division M-2134).	365 days	DOS 28.01.2021 DOC 27.01.2022
10.	05/EE/PWD/ M-213/2020-21	A/R & M/O Various roads under (NE) Road Division during 2020-21. (SH:- Comprehensive repair & maintenance of various roads Sub Division M-2132).	365 days	DOS 28.01.2021 DOC 27.01.2022
11.	09/EE/PWD/SER-1 / 2020-21	Comprehensive maintenance of various roads of SER-11, SER-12, SER-13, SER-14 during 2020-21	11 Months	DOS 01.08.2020 DOC 30.06.2021
12.	33/EE/SRD-I/PWD/2020-21	Comprehensive Maintenance of various Roads under SRD Project Division-I, Sub-Division-II, PWD, Delhi during 2020-21. (SH:- Civil work: Mechanised Desilting of Drains, Mechanised Repairing of Potholes, Maintenance and Cleaning of Subways and other misc. Works)	12 Months	D.O.S. 11.02.2021 D.O.C. 10.02.2022
13.	34/EE/SRD-I/PWD/2020-21	Comprehensive Maintenance of various Roads under SRD Project Division-I, Sub-Division-I, PWD, Delhi during 2020-21. (SH:- Civil work: Mechanised Desilting of Drains, Mechanised Repairing of Potholes, Maintenance and Cleaning of Subways and other misc. Works)	12 Months	D.O.S. 11.02.2021 D.O.C. 10.02.2022

4.	20/EE/SRDP-II/DS/2020-21	Comprehensive Maintenance of various roads under Sub Division-II, SRD Project Division-II, PWD, New Delhi during 2020-21. (SH:-Day to day Maintenance and repair of civil work, such as Footpath, Central verge, Drains, roads, Filling of Pot holes, and Other Misc. works)	12 Months	D.O.S. 21.01.2021 D.O.C. 20.01.2022
15.	21/EE/SRDPD-II/PWD/2020-21	Comprehensive Maintenance of various Roads under SRD Project Sub Division-III/SRD Project Division-II, PWD, Delhi, during 2020-21. SH:- Civil Works : Mechanised Desilting of Drains, Mechanised Repairing of Pot Holes and other misc. Repair works.	12 Months	D.O.S. 21.01.2021 D.O.C. 20.01.2022
16.	22/EE/SRDP-II/DS/2020-21	Comprehensive Maintenance of various roads under Sub Division-I, SRD Project Division-II, PWD, New Delhi during 2020-21. (SH:-Day to day Maintenance and repair of civil work, such as Footpath, Central verge, Drains, roads, Filling of Pot holes, and Other Misc. works).	12 Months	D.O.S. 21.01.2021 D.O.C. 20.01.2022

कार्यपालक अभियंता (यो
(पूर्व) अनुरक्षण, लो0नि0वि

क	वर्ष 2020–2021 और 2021–2022 में लोक निर्माण विभाग के नालों की सफाई के लिए आवंटित निधि का विवरण;	No specific fund is allotted for desilting of drains. The desilting of drain has been done in year 2020 -21 & 2021-22 as part of comprehensive maintenance of roads and the corresponding provision for year 2020-21 & 2021-22 for:- **SER-1 Division** During 2020-21 – Rs. 67,77,186/- During 2021-22 – Rs. 99,50,468/- **SER-2 Division** During 2020-21 – Rs. 14,55,230/- During 2021-22 – Rs. 66,61,968/- **SR-1 Division** During 2020-2021 – Rs. 122.00 Lakh During 2021-2022 – Rs. 114 Lakh **SR-2 Division** During 2020-2021 – Rs. 85.00 Lakh During 2021-2022 – Rs. 105.00 Lakh **SWR-1 Division** During 2020-2021 – Rs. 43.69 Lakh During 2021-2022 – No budget allotted so far. **SWR-2 Division** During 2020-2021 – Rs. 65 Lakh During 2021-2022 – Rs. 103 Lakh **South Zone, PWD** During 2020-2021 – Rs. 3,98,01,416 Lakh During 2021-2022 – Rs. 4,88,12,436 Lakh

वर्ष 2021 में नालों की सफाई के लिए जारी की गई निविदाओं का उनको जारी किए जाने की तिथि के साथ सम्पूर्ण विवरण

उत्तर परिमंडल

उप मंडल–11	30.05.2021
उप मंडल–12	13.04.2021
उप मंडल–13	23.04.2021
उप मंडल–14	02.04.2021
उप मंडल–15	23.04.2021

पश्चिम परिमंडल

उप मंडल–11	05.04.2021
उप मंडल–12	05.04.2021
उप मंडल–13	05.04.2021
उप मंडल–14	05.04.2021
उप मंडल–15	05.04.2021
उप मंडल–21	02.11.2020
उप मंडल–22	02.11.2020
उप मंडल–23	01.11.2020
उप मंडल–24	01.11.2020
उप मंडल–25	12.11.2020

उत्तर–पश्चिम परिमंडल

उप मंडल–11	14.03.2021
उप मंडल–12	05.02.2021
उप मंडल–13	05.02.2021
उप मंडल–14	18.03.2021
उप मंडल–21	01.04.2021
उप मंडल–22	15.03.2021
उप मंडल–23	07.04.2021
उप मंडल–24	22.05.2021
उप मंडल–25	01.04.2021

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. **श्री अजय कुमार महावर :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के लार्जेस्ट इन्टरेस्ट और माँग को देखते हुए गामड़ी मेन रोड के चौड़ीकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में इसके क्रियान्वयन की क्या योजना है।

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) मास्टर प्लान में गामड़ी मेन रोड़ चौड़ी दिखाई गई है। राजस्व विभाग द्वारा इस रोड के Alignment को मास्टर प्लान के अनुसार चिन्हित किया जाना है। राजस्व विभाग से मास्टर प्लान के अनुसार रोड को चिन्हित किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

02. **श्री संजीव झा :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नए CCTV कैमरे उपलब्ध करवाए जाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) पूर्व में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है;

(ग) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक स्थानीय RWA को इन कैमरों के पासवर्ड उपलब्ध नहीं करवाये गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन कैमरों के पासवर्ड कब तक स्थानीय RWA को उपलब्ध करवाने की योजना है; और

(ङ) क्या कैमरा खराब होने की स्थिति में या अन्य समस्या के समाधान के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) जी हाँ, बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में लगभग 2000 नए सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए जाने की दिल्ली सरकार की योजना है, बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चरण में 1994 सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं।

(ख) पूर्व में लगाये गये सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने की जिम्मेदारी Bharat Electronics Limited (A PSU of Govt. of India) की है।

(ग) बुराडी विधान सभा क्षेत्र में इच्छुक 08 स्थानीय RWA's को कैमरों के पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(घ) यदि कोई RWA कैमरों का Password लेना चाहता है तो माननीय विधायक के माध्यम से अपना requirement भेज सकता है।

(ङ) जी हाँ।

(च) कैमरों के खराब होने की स्थिति में या अन्य समस्या के समाधान के लिए हेल्प डेस्क संख्या 9015241524 और वैब पोर्टल www.delhicctv.in पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

03. **श्री नरेश यादव :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महरौली-महिपालपुर रोड पर रख-रखाव संबंधी विभिन्न कार्य पिछले कुछ महीनों से प्रगति पर हैं;

(ख) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस सड़क का पुनर्निर्माण आवश्यक है, और केवल पैच वर्क से काम नहीं चलेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सड़क का पुनर्निर्माण कराएगी?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) रख-रखाव कार्य निरंतर चलते रहते हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) यह सड़क स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना के अंतर्गत शामिल की हुई है, जिसकी प्रारंभिक प्रक्रिया प्रगति पर है।

04. **श्री धर्मपाल लाकड़ा :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधानसभा की 108 कच्ची कालोनियों में पानी की निकासी के लिए सिर्फ दो ड्रेन हैं (के.एन.एस. ड्रेन और मदनपुर ड्रेन) जो कि बहुत ही छोटी है जिसके कारण बारिश होने पर तो यहां जलभराव की भीषण समस्या रहती हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन दो ड्रेनों के अलावा सरकार की यहां 4 नई ड्रेन बनाने की योजना है जिससे गंदे पानी को सीधा नजफगढ़ ड्रेन तक पहुँचाया जा सके: और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कब तक कार्यवाही कब तक शुरू होगी?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) कच्ची कालोनियों में लो.नि.वि. द्वारा कार्य नहीं करवाया जाता है। अत: प्रश्न लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) जी हाँ, सत्य है, 4 नई ड्रेन प्रस्तावित है।

2 ड्रेन रोहतक रोड पर तथा

2 ड्रेन कंझावला-करावला मार्ग पर

(ग) इन परियोजनाओं के अनुमान तैयार हो रहे हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निविदा जारी कर दी जाएगी।

05. श्री अनिल कुमार बाजपेयी : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की 70 विधान सभाओं में से किन-किन विधान सभाओं में वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरे प्रथम चरण और दूसरे चरण में लगाये गये हैं;

(ख) किन-किन विधान सभाओं में अभी तक सीसीटीवी और वाई-फाई लगाने के लिए अभी तक सर्वे का काम नहीं हुआ है और किस-किस विधान सभा में सीसीटीवी और वाई-फाई नहीं लगाया गया है; और

(ग) जिन विधान सभाओं में अभी तक सीसीटीवी और वाई-फाई नहीं लगाये गये हैं, वहां यह काम कब तक शुरू हो जायेगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर हैं एवं सभी विधान सभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे एवं वाई-फाई लगाने का प्रावधान है तथा द्वितीय चरण का कार्य अभी initial stage (आरम्भिक चरण) पर है एवं सर्वे किया जा रहा है।

(ख) मुस्तफाबाद और विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सर्वे का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वाई-फाई लगाने का कार्य सभी विधान सभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। मुस्तफाबाद, विश्वास नगर और गांधी नगर विधान सभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

(ग) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू कर दिया जाएगा और वाई-फाई लगाने का कार्य सभी विधान सभा क्षेत्रों में चल रहा है।

06. **श्री जितेन्द्र महाजन :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत डीटीटीडीसी द्वारा रोड नंबर 68 पर एक फ्लाई ओवर तथा एक रोड अंडर ब्रिज बनाया गया है;

(ख) इस फ्लाई ओवर और रोड अंडर ब्रिज को बनाने में जो भी कमियां पायी गयी हैं, इसके लिए गैमन इंडिया लिमिटेड तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस फ्लाई ओवर को भारी वाहनों के लिए पुनः खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसको पुनः कब तक खोल दिया जाएगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) मैसर्स गैमन इंडिया का भुगतान DTTDC द्वारा रोक दिया गया है। DTTDC द्वारा Investigation जारी है।

(ग) DTTDC द्वारा structural safety के लिये detailed investigation चल रही है, जिसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक अपेक्षित है।

(घ) इसका निर्णय जाँच रिपोर्ट के बाद DTTDC द्वारा लिया जायेगा।

07. **श्री जितेन्द्र महाजन :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छह सालों में कितने फ्लाई ओवरों की नींव रखी गई है;

(ख) इनमें से कितने फ्लाई ओवर बनकर तैयार हो गए हैं;

(ग) बाकी फ्लाई ओवरों की क्या स्थिति है; और

(घ) प्रत्येक फ्लाई ओवरों पर कुल कितना खर्च हुआ है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) दिल्ली में पिछले छह सालों में 9 फलाईओवर/अण्डरपास/ब्रिज की नींव रखी गई है। (List attached as Annexure-1)

(ख) इनमें से 6 फलाईओवर/अण्डरपास/ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं।

(ग) (i) C/o Ashram Underpass at Ashram Chowk - अक्टूबर, 2021 तक बन जाएगा।

(ii) Extension of Ashram Flyover to DND Flyover - जून, 2022 तक बन जाएगा।

(iii) जगतपुर का अण्डरपास 31 दिसम्बर, 2021 तक बन जाएगा।

(घ) 9 फलाईओवर/अण्डरपास/ब्रिज की सूची संलग्न है (Annexure-1)

ANNEXURE-1

S.	Name of Corridor / Flyover / Bridge/ Underpass	Completion Cost / Total Expenditure (in Crores)	Status
1	Flyover at Mayur Vihar (Phase-I)	170	Completed
2	Flyover at Shastri Park (6 Lane)	160	Completed
3	Flyover at Seelampur (2 Lane)	90	Completed
4	Additional Bridge on supplementary drain (Near Bhaswa Landfill site)	15	Completed
5	C/o underpass at Ashram Chowk.	40	Under progress
6	Extension of Ashram Flyover to DND Flyover	20	Under progress
7	C/o Subway and Underpass at Jagatpur Outer Ring Road	18	Under progress
8	C/o bridge over Barapullah Nallah for Pillanji Village	6	Completed
9	C/o bridge over Barapullah Nallah for Village Aliganj	9	Completed

Pradeep Kumar Parmar
Chief Engineer (Flyover)

08. श्री जितेन्द्र महाजन : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में लोनी रोड, बाबरपुर रोड, मंड़ोली रोड को चौड़ा करने की सरकार की क्या योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस रोड को कब तक चौड़ा कर दिया जाएगा;

(ग) केशव चौक से जाफराबाद तक रोड नंबर-65 से अतिक्रमण को हटाने की सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस रोड से संबंधित कोई कोर्ट केस किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) ऐसी कोई योजना लोक निर्माण विभाग में लम्बित विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है।

(ग) रोड नं. 65 पर लोक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व विभाग को झुग्गियां हटाने हेतु 2,50,00,000 रुपये मार्च 2006 में एवं 4,11,56,225 रुपये फरवरी 2010 में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा इस रोड का डिमार्केशन आपेक्षित है। डिमार्केशन होने के बाद STF द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

(घ) लोक निर्माण विभाग के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उपरोक्त 'घ' के अनुसार लागू नहीं है।

09. श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की कितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं;

(ख) क्या वर्ष 2021-22 में इन टूटी हुई सड़कों के पुनर्निर्माण की कोई योजना है; और

(ग) जिन सड़कों के पुनर्निर्माण की योजना है, वे कौन-सी हैं और उनके पुनर्निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जाएगी, विधान सभावार विवरण उपलब्ध कराएं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के अन्तर्गत कोई सड़क टूटी नहीं पड़ी है। समय समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत के कार्य नियमित रूप से करवाये जाते रहते हैं।

(ख) वर्ष 2021-2022 में सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु कुछ मामलों में परीक्षण मूल्यांकन व प्रारंभिक अनुमान प्रगति पर है।

(ग) सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु परीक्षण मूल्यांकन व प्रारंभिक अनुमान प्रगति पर है। विधान सभावार विवरण संलग्न है, (Annexure-A)

Annexure-A

DETAILS OF ROADS TO BE STRENGTHENED/RESURFACED/MICROSURFACING

S. No.	Road Name	Road Length (in Km)	Expenditure to be incurred (Amt. in Lakh)
AC No. 43 Malviya Nagar			
1	Outer Ring Road (Service Road)	3.00	60.00
2	Outer Ring Road (Main Road)	3.00	138.00
3	August Kranti Marg	1.00	25.00
4	Sri Aurobindo Marg	4.30	91.00
	Total	11.30	314.00
AC No. 45 Mehrauli			
1	Anuvart Marg	2.50	100.00
2.	Micro-Surfacing on Pramod Mahajan Marg	-	30.00
	Total	2.50	130.00
AC No. 46 Chhattarpur			
1.	Strengthening of Chitorni Village Road	-	100.00
2.	Strengthening of Aya Nagar Road (ID:1191) and Mandi Road (ID: 548)	-	494.00
	Total	-	594.00
AC No. 50 Greater Kailash			
1	Asiad Games Village Road	3.00	100.00
2	Outer Ring Road (Service Road)	2.00	40.00
3	Outer Ring Road (Main Road)	2.00	92.00
4	August Kranti Marg	2.00	50.00
	Total	9.00	282.00

सहायक अभियन्ता (यो.),
परिमंडल दक्षिण,
लोनिवि, नई दिल्ली

(अ) सड़को की सूची जिनके सुदृढीकरण का अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृ लिए प्रेषित किया जा चुका है।

S. No.	Name of Road	Starting Point	End Point	Length of Road (In KM)	No. Assembly Constituency	Estimated Cost (In Cr.)
			CENTRAL & NEW DELHI CIRCLE			
1	Bunglow Road	Roop Nagar round about	Hansraj College T-point	0.65	AC-10	1.50 (Approx)
2	Jahanara Road	Bhamashah Marg	vijay Nagar	0.83	AC-8	2.0 (Approx)
3	Satyawati Marg	Police Station Roop Nagar	Shakti Nagar Chowk	0.52	AC-8	1.10 (Approx)
4	Inderchand Shastri Marg	Shakti Nagar Chowk	Swami Narayan Marg	0.90	AC-8	2.0 (Approx)
5	Surjit Singh Marg	Camp Chowk	Najafgarh Drain	0.80	AC-3	1.75 (Approx)
6	Vijay Nagar main road	Royal Palace	E-11 Vijay Nagar	0.75	AC-3 & 18	1.75 (Approx)
7	GT Road	Nanak Piao Gurudwara	Clock Tower	1.95	AC-3 & 18	6.0 (Approx)
			EAST CIRCLE			
8	Laxmi Nagar	Geeta Colony Yamuna bridge road from Ring road crossing	Pusta Road		(AC-58)	7.0 (Approx)
9	Laxmi Nagar Krishna Nagar Krishna Nagar	Pusta road from ITO Chungi	Kailash Nagar		(AC-58) (AC-60) (AC-61)	11.00 (Approx)
10	Laxmi Nagar	Marginal Band Road from ITO Chungi	NH-24		(AC-58)	10.50 (Approx)
			SHAHDARA CIRCLE			
11	(i) Road No. 56 (ii) G.T. Road				AC-56 AC-62	9.50 (Approx)
12	(i) Zonal office Road. (ii) Rishabh Vihar Road. (iii) Surajmal Vihar Market Road. (iv) Shrestha Vihar Road.				AC-56	3.25 (Approx)

	(i) Road No. 57 (Swami Dayanand Marg)				AC-56 AC-62	13 Crore (Approx)
			NORTH EAST CIRCLE			
14	Loni Road				Rohtash Nagar (AC-64)	4.50 Cr. (Approx)
			SE (Project) Circle			
15	Naya Bazar				Chandni Chowk (AC-20)	9.50 Cr. (Approx)
16	Zorawar Singh Marg				Chandni Chowk (AC-20)	
17	Mori gate road				Chandni Chowk (AC-20)	
18	Sarai Phoose Road				Chandni Chowk (AC-20)	
19	Gokhle Road				Chandni Chowk (AC-20)	
20	Hamilton Road				Chandni Chowk (AC-20)	
21	Road No.-47				Chandni Chowk (AC-20)	
22	N S Marg				Chandni Chowk (AC-20)	
23	Vivekanand Marg (Minto Road)				Matia Mahal (AC-21)	
24	Inderjeet Gupta Marg (Kotla Road)				Matia Mahal (AC-21)	
25	Bhavbhuti Marg (Thomson Road)				Matia Mahal (AC-21)	
26	Mir Dard Road				Matia Mahal (AC-21)	
27	Barron Road				Matia Mahal (AC-21)	
28	Qutub Road				Ballimaran (AC-22)	4.50 Cr. (Approx)

(ब) सड़को की सूची जिनके सुदृढीकरण का अनुमान परीक्षण रिर्पोट के अनुसार प्रकिया में है प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना हैं।

S. No.	Name of Road	Length of Road (In KM)	No. Assembly Constituency	Estimated Cost (In Cr.)
	CENTRAL & NEW DELHI CIRCLE			
1	Outer Ring Road (Burari Flyover) Both Side	0.70	AC-2	Shall be finalized as per recommendation of test report
2	Wazirabad Flyover to Burari Flyover (Ring Road) both side	0.38	AC-2	
3	Signature Bridge to Majnu ka Tila	0.58	AC-18	
4	Signature Bridge to Timar pur and Azadpur	0.10	AC-18	
5	Underpass Road	0.60	AC-18	
6	Slip Road from Wazirabad to Main Bridge	0.74	AC-18	
7	Tagore Park Main Road	0.90	AC-18	
8	Road in Tagore Park from H.No. 213 to Gole Chakar	0.45	AC-18	
9	Road in Tagore Park from H.No. 37 to H.No. 64	0.16	AC-18	
	EAST CIRCLE			
10	Disused canal road		**Krishna Nagar (AC-60)**	

(स) सड़को की सूची जिनके सुदृढीकरण हेतु परीक्षण करवाया जाना प्रकिया में है।

S. No.	Name of Road	Length of Road (In KM)	No. Assembly Constituency	Estimated Cost (In Cr.)
	CENTRAL & NEW DELHI CIRCLE			
1	Kishan Ghat Road	0.50	AC-41	Shall be finalized after the recommendation of test report
2	Sachivalya Road	1.69	AC-41	
3	IG Slips Road	0.58	AC-41	
4	Velodrome Road	1.70	AC-41	
5	Flag Staff Road	0.43	AC-20	
	EAST CIRCLE			
6	Road from Live stock market to Gali No. 7 Block - C in Ghazipur Dairy Farm.		Kondli (AC-56)	
7	NH-24 Ghazipur to Kondli Bridge. (Shamshan Ghat Road)			
8	Road from High land Apptt. To Soochna Apptt. In Vasundhara Enclave.			
9	Bhagvan Mahavir Swami Marg.			
10	Sameer Bhan Marg			

11	Sadhabhawana marg (111)		Trilokpuri (AC-55)	
12	Club Avenue Marg (112)			
13	Sehkarita Marg (113)			
14	Ambedkar Marg from Block No. 18 Trilokpuri to Kotla Road.			
15	Subhash Mkt. from Chand Cinema Turn to Balvikas School			
16	Road from Block No. (1) to (11) of Trilokpuri			
17	Khudi Ram Bose Marg from Chilla Chowk to block No. 15 Trilokpuri.			
	NORTH EAST CIRCLE			
18			Gandhi Nagar (AC-61)	
19			Seelampur (AC-65)	
20	Noor-E-Lahi		Ghonda (AC-66)	
21	Road No. 65		Babarpur (AC-67)	
22			Gokalpur (AC-68)	
23			Mustafabad (AC-69)	
24			Karawal Nagar (AC-70)	

(6)

Sl. No.	Name of Road	Last micro/ strenthening done	Date of micro/ strenthening done	Due date of micro/ strenthening	Lane No.	Length of road in Km.	Remarks
1	Outer Ring Road (Madhuban chowk to Mukarba Chowk)	Strenthening	09.2016	09.2021	6	3.800	Estimate has already been submitted to SE, North West Circle vide letter No. 1588-H dated 03-09-2020 amounting to Rs. 2,92,04,700/-
2	Road No. 40 (Bir Bandha Bairagi Marg)	Strenthening	24.05.2017	24.05.2020	6	3.185	Estimate has already been submitted to SE, North West Circle vide letter No. 1423-H dated 20-08-2020 amounting to Rs. 1,23,84,300/-. Estimate returned back with some query and in process for further preparation as desired by SE, NW, PWD Office.

Details of Stregthening due (sanction awaited)

Sl. No.	Name of Road	Last micro/ strenthening done	Date of micro/ strenthening done	Due date of micro/ strenthening	Lane No.	Length of road in Km.	Remarks
1	Zakhira Underpass	Strengthening	04.02.2014	04.02.2019	2	1.03	Estimate has already been submitted to SE, North West Circle vide letter No. 1721-H dated 11-09-2020 amounting to Rs. 94,76,300/-
2	Nimri Colony	Strengthening	04.02.2014	04.02.2019	2	2.550	Estimate has already been submitted to SE, North West Circle vide letter No. 1704 dated 10-09-2020 amounting to Rs. 4,82,34,900/-
3	Road No. 37 (Maharajan Nahar Singh Marg)	Micro surfacing	31.05.2017	31.05.2019	6	2.200	
4	Gulab Singh Marg	Micro surfacing	31.05.2018	31.05.2020	4	3.100	Estimate has already been submitted to SE, North West Circle vide letter No. 1587-H dated 03-09-2020 amounting to Rs. 8,57,36,[illegible]90/-
5	Madhav Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	4	1.609	
6	Muni Maya Ram Marg	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.738	
7	Power House Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.030	

C:\Users\[illegible]\Desktop\Details of Strengthening due awaited Dated 29.07.21.doc

Sl No.	Name of Road	Last micro/ strenthening done	Date of micro/ strenthening done	Due date of micro/ strenthening	Lane No.	Length of road in Km.	Remarks (Estimate Cost as per Per Lane Per Km)
1	Railway Road (Sardar Balbir Singh Siddhu Marg) Road No. 43 to RUB Shakurbasti	Strenthening	2014	2019	4	0.99	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
2	Lala Lajpat Rai Marg	Strenthening	2014	2019	4	0.37	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
3	Rampura Main Road	Strenthening	2015	2020	4	1.20	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
4	Road No. 38	Strenthening	2014	2019	2	0.700	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 40,61,886/-.
5	Laxmi Bai College Road	Strenthening	04.02.2014	04.02.2019	2	0.385	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 40,61,886/-.
6	S.N. Underpass Road	Strenthening	04.02.2014	04.02.2019	2	0.550	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 40,61,886/-.
7	Bhagat Singh Road	Strenthening	2014	2019	2	0.310	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 40,61,886/-.
8	Swamy Narayan underpass road	Strenthening	04.02.2014	04.02.2019	4	0.970	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
9	Road No.38	Strenthening	2014	2019	2	0.600	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.

C:\Users\M-3\Downloads\Details of Strengthening due under Division NW R-I

10	Private portion						
11	Lawrence Road	Micro surfacing	05.03.2018	05.03.2021	4	0.90	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,848/-.
12	Kabir Das Road	Micro surfacing	19.05.2018	19.05.2020	4	1.59	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,848/-.
13	Shyamji Krishan Verma Marg (Road No.44)	Micro surfacing	15.06.2017	15.06.2019	4	2.00	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,848/-.
14	Pardeshwar Dham Mandir Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	4	1.100	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,848/-.
15	Maharishi Dayanand Saraswati Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	0.455	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
16	Sh. Ram Krishan Mandir Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	0.551	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
17	Kulachi Hanraj School Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	0.230	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
18	F-block Road	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	0.380	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
19	B-block Road	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	0.270	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.

							approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-
21	K.C. Goel Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	4	1.430	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,848/-.
22	Ch. Devender Singh Tewatiya Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	1.03	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
23	Mata Jai Kaur School Road	Micro surfacing	23.04.2018	23.04.2020	2	0.290	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
24	Sunder Lal Jain Road	Micro surfacing	23.04.2018	23.04.2020	2	0.550	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
25	Kakaji lane	Micro surfacing	23.04.2018	23.04.2020	2	0.320	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
26	Bharat Nagar Road	Micro surfacing	30.[illegible].2018	30.06.2020	2	2.090	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
27	Mange Ram Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	5	0.371	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,42,23,561/-.
28	Guru Nanak Devji Marg	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	4	0.482	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,849/-.
29	Keshavpuram Thana Road	Micro surfacing	31.07.2018	31.07.2020	2	0.450	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
30	BDFD Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.540	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-

C:\Users\M.J\Downloads\Details of Strengthning due under Division NW R-I

	City Road Road	Paving surfacing	20.06.2018	20.06.2020	4	2.200	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs 1,13,78,849/-.
32	Haji Abdul Salam Querishi Marg	Micro surfacing	20.06.2018	20.06.2020	2	0.410	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
33	Azad Road	Micro surfacing	20.07.2018	20.07.2020	2	1.485	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
34	Link Road (East Moti Bagh)	Micro surfacing	20.07.2018	20.07.2020	2	0.165	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 40,61,886/-.
35	Kalidass Marg (Sarai Rohilla Flyover)	Micro surfacing	20.07.2018	20.07.2020	4	0.700	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,13,78,848/-.
36	Swami Narayan Marg	Micro surfacing	28.05.2018	28.05.2020	6	2.940	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 1,21,85,659/-.
37	Nand Lal Marg	Micro surfacing	20.07.2018	20.07.2020	4	1.110	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
38	Pratap Nagar Main Road	Micro surfacing	20.07.2018	20.07.2020	2	0.750	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
39	Link Road (Leelawati School Road)	Micro surfacing	28.05.2018	28.05.2020	2	0.280	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
40	Road No.37 Ext.	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	0.320	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
41	Jhule Lal Mandir Marg Shalimar Bagh	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.250	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.

C:\Users\M-3\Downloads\Details of Strengthening due under Division NW R-I

43	Abhinav model School	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.400	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
44	Ahinsa path Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.400	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
45	NP - MP Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.460	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
46	SP School Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.650	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-.
47	Shaheed Udham Singh Marg	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.600	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
48	Swami Shardanand Saraswati Marg	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.200	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
49	Maharaja Agarsen Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	2.840	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-.
50	Gopal Mandir Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.105	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81.23,773/-.
51	Gurudwara Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.600	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56.89,424/-.
52	Gyan Shakti Mandir Marg	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	4	1.250	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81.23,773/-.

C:\Users\M-1\Downloads\Details of Strengthening due under Division NW R-I

54	Bhagwan Mahavir Marg	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.540	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 81,23,773/-
55	Club Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.600	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-
56	K.L. Bagga Marg	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.600	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-
57	Haiderpur Main Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.900	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-
58	Canal Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.880	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-
59	Ram Leela Ground Road	Micro surfacing	30.11.2018	30.11.2020	2	0.880	Estimation work in under process and approx. amount of Estimated Rs. 56,89,424/-

1. Providing and laying stone mastic Asphalt on Raja Garden Flyover at Ring Road under Sub Division WR-21. Rs. 1,73,23,150/-

2. Strengthening of various road such as Najafgarh Road, Punjab Garden Road, Smt. Ginni Devi Road, Bhagwan das Road, Hemawati Nandan Bahuguna Marg, Road from Milan Cinema to H. No. 19/289, Road from House No. H-1 to I-47 near Milan Cinema Karampura and Road from House NIL to bus terminal of 234, HIL Karampura, Lal Sai Mandir Marg D Story, Pankaj Batra Marg under PWD Maintenance Division WR-2/Sub Division WR-21, New Delhi during 2021-22.
Rs. 14,90,51,750/-

3. Strengthening/Improvement of Service Road of Rohtak Road (NH-10) from Punjabi Bagh Round about to Metro Pillar No. 753 Tikri Border under PWD, Maintenance Division West Road-2, Sub Division WR-22, WR-23 and WR-24, Delhi during 2021-22.
Rs. 22,35,92,950/-

4. Strengthening of various internal roads under Division West Road-2, PWD Sub Division WR-24, Multan Nagar Delhi-110056 during 2021-22.
Rs. 2,69,64,291/-

5. Strengthening of Road Vishwakarma Marg under PWD Maintenance Division WR-2/Sub Division WR-25, New Delhi during 2020-21.
Rs. 1,65,10,700/-

6. Strengthening/Improvement of various road (i) Road from Kanjhawala Chowk to Tatesar Village (ii) Hiran Kudna Road under PWD, Maintenance Division West Road-2 Roads, New Delhi during 2021-22.
Rs. 9,21,23,550/-

7. Strengthening of Shaheed Bhagat Singh Marg (Jail Rd), Shaheed Bhagat Singh Marg, B-2/Dharam Marg , Capt. Anuj Nayyar Marg, B1- B2 Connecting Road, Gurudwara Road, Major Rajeev Lal Marg, Mangal Pandey Marg (Hari Nagar Clock Tower to Maya Puri), Goswami Tulsi Dass Marg i.e. Road No. 32, H.No. 6/1 to 3/200 Subhash Nagar, H.No. 17/117 to 17/197 Subhash Nagar, Vedic Marg, H.No. 11/76 to 11/85 Subhash Nagar, H.No. 8/1 to 14/149 Subhash Nagar, H. No. 10/1 to 14/97 Subhash Nagar under PWD Division WR-1, Sub Division WR-11, New Delhi.
Rs. 22,17,30,000/-

8. Strengthening of Dr. Kundan Lal Marg, Rajouri Apartment Road, H.No. 14/35 to 13/101 Subhash Nagar (Near Shadley School), Shanti Devi Marg, Ayodhya Prasad Chopra Marg, R.No. 32 to 17/117 Subash Nagar, DA-1, Hari Nagar to DB-1 Hari Nagar, BA-BB Block Road, Prem Nagar Gurudwara Road, Shaheed Mangal Pandey Marg, Bhai Kanheya Ji Marg (ITI Road) under Sub Division WR-11, New Delhi.
Rs. 9,20,51,400/-

9. Prof. Joginder Singh Marg, Major Deepak Tyagi, Lal Sai Marg, 60 Futa Road, Possangi Pur Road, A-1 Block Main Road, Opp. A-1 Block Main Road & Asalat Pur Road-1.
Rs. 856 lacs

10. Keshopur Sabzi Mandi Red Light (Outer Ring Road) to Subash Nagar Drain, Chowkhandi Road, Road from Guruvirjananad Marg to Distt. Park Vikaspuri, Tilak Nagar Main Road, Pelicon Road from Guruvirjananad Marg to Road No. 235 Extn. Brain Public School Road, K.R. Manglam Road, 70 Block Park Ashok Nagar to Tihar No. 2 School, 2/1 to 2/10 Ashok Nagar Road, Shaheed Raj Guru Marg Vikaspuri Road.
Rs. 506 lacs

11. Najafgarh Road from Uttam Nagar to Dwarka Mod.
Rs. 955 lacs

12. Road No. 235, Guruvirja Nanad Marg, Road between Jupiter Appt. to Priya Appt., Nalanda Appt. To Nightingale Appt., Navyug Appt. to IFC drain (Brotherhood Appt.), Road between Devdoot Appt. to Parmarth Appt., Road between Kirti Appt. to DAV school, Road between Lok Vihar Appt. (PWD Road) to F-block Market, Road Sunrise Appt. to DAV School, Road from F-234 to IFC drain (Over head tank) Vikas Puri, Road from ITI Corner to Central School, Road starting from Oxford School to Airport Appt. and Road No. 236 at Vikaspuri.
Rs. 853 lacs

13. Nangloi-Nazafgarh Road from Nilothi More to Airforce Bani Camp.
Rs. 966 lacs

इस कार्यालय के अधीन 04 सडके हैजोनिम्नानुसार है :-

1. NarelaSafiabad Road from Narela to Safiabad Border
2. NangliPuna Underpass to KheraKalan Railway X-ing
3. NarelaBawana Road to HolambiKalan Railway Crossing via Metro Vihar
4. BawanaNarela Road

10. **सुश्री भावना गौड़** : क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की कौन कौन सी डिविजन वर्तमान में कार्यरत हैं;

(ख) उपरोक्त डिविजन में कार्यरत अधिकारियों का पूर्ण विवरण दें;

(ग) 2015 से अब तक लोक निर्माण विभाग की किस-किस डिविजन ने पालम विधान सभा में कौन-कौन सा कार्य किया तथा उन पर खर्च होने वाली धनराशि का पूर्ण विवरण दें;

(घ) दादा देव अस्पताल में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य में अभी कितना कार्य हुआ और कितना कार्य लम्बित है और उसे पूर्ण करने की अवधि क्या है;

(ङ) पालम विधान सभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही स्कूल की बिल्डिंग अभी किस अवस्था में है, कितना कार्य हुआ और कितना निर्माण शेष है और उसे पूर्ण करने की अवधि क्या है; और

(च) भास्कराचार्य कॉलेज में लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से अब तक क्या क्या कार्य किये गये, कितनी धनराशि खर्च हुई है, पूर्ण विवरण दें।

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) स्वास्थ्य अनुरक्षण मंडल (दक्षिण-पश्चिम)

शिक्षा अनुरक्षण मंडल (दक्षिण-पश्चिम)

दक्षिण पश्चिम सड़क मंडल-2

(ख) श्री बी एल मीना, कार्यपालक अभियंता

श्री रविन्द्र कुमार, सहा. अभियंता

श्री तुलसी राम, कार्यपालक अभियंता

श्री पंकज मीना, सहा. अभियंता

श्री आशीष गुप्ता, कार्यपालक अभियंता

श्री किशन लाल मीणा, सहा. अभियंता

(ग) दादा देव अस्पताल में रु. 12.6 करोड़।

विभिन्न स्कूलों में 196 अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर अभी तक लगभग रु. 24.09 करोड व्यय हो चुके हैं।

Development of planters 1-Land on Palam Dabri Road under SWR-II, PWD, New Delhi कुल व्यय राशि रु. 12.50 लाख

Strengthening of Palam Dabri Road: कुल व्यय राशि रु. 205 लाख (इस रोड का कुछ ही हिस्सा पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(घ) न्यू ब्लॉक की संरचना का कार्य पूर्ण हो गया है तथा इसमें फिनिसिंग एवं फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है पहले से बने अस्पताल भवन

में नवीनीकरण एवं उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने की अनुमति तिथि 31.12.2021 है। कार्य को समाप्त करने की वास्तविक तिथि 01.01.2021 थी कार्य को पूर्ण करने का समय 12 माह था लेकिन कोविड-19 एवम् लोकडाउन की वजह से कार्य मे विलम्ब हुआ है। कार्य की अबतक की प्रगति 50 प्रतिशत से ज्यादा है।

(ङ) पालम विधान सभा के अंतर्गत सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 1, पालम गांव सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 2. पालम गांव रा. बालिका उ. मा. विद्यालय, पालम इन्क्लेव में क्रमशः 56, 68 एवं 72 कक्षा कमरों का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा सितंबर 2021 तक कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य है।

(च) कार्य विवरण एवं वास्तविक कुल खर्च रूपये 22,78,396/- का विवरण 'अनुसंलग्नक-1' के अनुसार है।

Annexure - 1

South West Builidng Maintenance Division M-121(N) ., PWD

पश्चिम बिल्ड़िग एम मण्डल लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली–110029 द्वारा 2015 से अब तक भास्कराचार्य कॉलेज मे किये गये कार्यो पर खर्च की गई कुल धनराशि का विवरण

10 (च) सुश्री भावना गौड

Agreement No	Name of Work	Actual expenditure incurred (Rs.)
62/EE/M-122(M)/2015-16	A/R & M/O Bhaskaracharya College of Applied Science Sector-2, Dwarka under Sub Div M-1222 dg. 15-16 (SH:- Repair to Patch plaster, renewing glass panes, oil bound distempering & painting etc)	Rs 10,39,643/-
1/EE/CBMD/M-121/2019-20	EOR to Bhaskaracharya college of Applied Sciences (University of Delhi), Sector-2, Dwarka, New Delhi-110075.(SH:- Rehablitation of two unit of rain water Harvesting Systems).	Rs 5,38,967/-
7/EE/CBMD/M-121/2019-20	EOR to Bhaskaracharya College of applied Science (University of Delhi) Sector-2, Dwarka, New Delhi.(SH; Preventive measures and replacement of kota stone by vitrified tile and mirror polishing at different location).(SH;-Civil Work).	Rs 6,99,786/-
	Total Expenditure Incurred	**Rs 22,78,396/-**

Executive Engineer
SWBMD M-121(N), PWD
New Delhi-110029

11. **श्री सोमनाथ भारती :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्क एस्टीमेट के 50 प्रतिशत से भी कम पर निविदाओं का आवंटन क्यों किया जा रहा है,

(ख) कई परियोजनाओं में ईएमडी को हटा दिया गया है। कार्य निष्पादन गारंटी केवल 3 प्रतिशत है। ऐसे में इंजीनियर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य कैसे पूरा कर पाएँगे;

(ग) लोक निर्माण विभाग के सभी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। उन्हें कब तक भरा जाएगा;

(घ) लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच कोई तालमेल नहीं है, इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकारी विभागों और निजी इकाइयों द्वारा लो.नि.वि. की सड़कों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और पुलिस सहयोग प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पेड़ों की छटाई के लिए सरकार की क्या योजना हैं;

(छ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण और संबन्धित विभाग की अनुमति ली गई है; और

(ज) क्या इस संबंध में कोई निविदा आबंटित की गई है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क मेनुअल एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रथम न्यूनतम ठेकेदार को कार्य आवंटित किया जाता है।

(ख) अनुबन्ध की शर्तों में बदलाव कोविड-19 को देखते हुए वित्त विभाग, भारत सरकार के ओ.एम. दिनांक 25.11.2020 की अनुपालना में लो.नि.वि दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 22.12.2020 के आदेशानुसार ईएमडी को हटा दिया गया है व कार्य निष्पादन गारंटी 3 प्रतिशत किया गया है। अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं। गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य को करवाया जा रहा है।

(ग) लोक निर्माण विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों की रिक्तियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार द्वारा भरी जाती है। सहायक लेखा अधिकारी के पदों को भरने के लिए समय समय पर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा जाता है, **(प्रति सलंग्न है)**।

(घ) लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल हेतु अलग-अलग स्तर पर आवश्यक Meetings की जाती है एवं समन्वित निर्णय लिए जाते हैं।

(ङ) ऐसे मामलों को संज्ञान में आने पर तुरन्त स्पेशल टास्क फोर्स को आवश्यक कार्यवाई के लिये प्रेषित किया जाता है।

स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पेड़ो की छटाई के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है।

(छ) इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। समय-समय परशिमायतों के आधार पर पेड़ों की छटाई की जाती है। यदि भारी छटाई की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग से भारी छटाई हेतु अनुमति ली जाती है।

(ज) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र हेतु कोई निविदा आवंटित नहीं की गई है।

दिल्लीसरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु-मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नईदिल्ली: 110002
☎23490260, 23724560, 23311293फैक्स23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई-मेल: pwdhqdelhi@gmail.com

सं. 27(1)/लो0नि0वि0/प्रमुख अभि./2021/701(M) दिनांक: 23.02.2021

सेवा में,

संयुक्त सचिव (व्यय)
वित्त लेखा विभाग,
दिल्ली सरकार, 6 ए विंग लेवल-4
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002।

विषयः- **सहायक लेखा अधिकारी के तैनाती के संबंध में।**

उपरोक्त विषय के संबंध में प्रमुख अभियंता कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारियों की स्वीकृत पदों की संख्या 70 है तथा रिक्त पदो की संख्या 45 है। सहायक लेखाधिकारियों की भारी कमी के कारण मंडल कार्यालयों में कार्य करने मे अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रिक्त पदो पर अतिशीघ्र लेखाधिकारियों की तैनाती अतिलम्ब करने की कृपा करें ताकि कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

यह पत्र प्रमुख अभियंता महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है।

निदेशक (कार्मिक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रषित :-

1. प्रधान मुख्य अभियंता (एम एवं फ्लाईओवर), लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजना), लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।

निदेशक (कार्मिक)

12. **श्री पवन शर्मा :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अंडरपास पर बरसाती पानी की निकासी को संचालित करने के लिए पूर्णत: स्वचालित रिमोट कंट्रोल (मिंटो ब्रिज जैसी) पम्पिंग व्यवस्था भी किये जाने की सरकार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें आजादपुर फ्लाईओवर अंडरपास भी शामिल है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) अंडरपास पर बरसाती पानी की निकासी को संचालित करने के लिए कई स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाया गया है. पानी का स्तर बढ़ने पर हूटर बजाने की व्यवस्था की गई है। 24×7 निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं यह सुनिश्चित किया गया है कि पम्प जरूरत के हिसाब से कार्य करें। स्वचालित रिमोट कन्ट्रोल पम्पिंग व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) आजादपुर फ्लाईओवर अंडरपास इसमें सम्मिलित नहीं है।

13. **श्री पवन शर्मा :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पीछे व मालिक राम टण्डन रोड के सम्मुख खाली पड़ी जमीन का हस्तांतरण दिल्ली मेट्रो द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी जमीन का हस्तांतरण किया गया है व कितनी समयावधि के लिए किया गया है;

(ग) हस्तांतरण के पश्चात् कुल कितनी जमीन शेष बची है, उसका क्षेत्रफल कितना है;

(घ) हस्तांतरण के पश्चात् बची हुई जमीन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) बची हुई शेष जमीन को लेकर क्या कोई अन्य प्रस्ताव आपेक्षित है?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) उपरोक्त जमीन के हस्तांतरण का मामला इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

(ङ) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

14. **श्री सुरेंद्र कुमार :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वजीराबाद रोड पर विभिन्न कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा किन-किन मदों के अन्तर्गत कितना-कितना फण्ड दिया गया है;

(ख) क्या वजीराबाद मेन रोड पर डीटीसी नन्द नगरी डिपो के सामने फ्लाईओवर अथवा अण्डरपास बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां तो यह कार्य कब से आरम्भ होने की सम्भावना है और कब तक इसे पूरा कर लिया जायेगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) इस विधानसभा क्षेत्र से जाने वाले मंगल पाण्डे मार्ग पर भजनपुरा-करावल नगर के फ्लाईओवर के लिए 50 करोड़ तथा गगन सिनेमा-नन्द नगरी के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अतिरिक्त A/R & M/O में लोनिवि के उपमंडल एम-2132 के अधीन आने वाली सभी सड़को (जिसमें वजीराबाद रोड भी शामिल है) नालों, फुटपाथ आदि के रख-रखाव के लिए रु. 2,92,06,589/- का करार चल रहा है।

(ख) हां, गगन सिनेमा टी-जंक्शन व नन्द नगरी के तिराहे के ऊपर फ्लाईओवर की योजना है।

(ग) अभी इस कार्य की A/A & E/S नहीं आई है। A/A & E/S आने के बाद 18 महीने लगेंगे।

15. **श्री ऋतुराज गोविन्द :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सुखी नहर (बाबा विद्यापति मार्ग) सड़क पर कोई रेलवे अंडर पास बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण दें; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) लो.नि.वि. में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है।

16. **श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस :** क्या **लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में बेनिटो जुआरेज मार्ग पर अण्डरपास के पूरा होने का अनुमानित समय क्या है?

(ख) आरटीआर मार्ग फ्लाईओवर के ऐलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान बसन्त एन्कलेव की गिर गई दीवार को विभाग कब तक पूर्ण रूप से बना लेगा?

(ग) आरटीआई मार्ग पर निर्यात भवन, बसंत अपार्टमैंट से लेकर बंसत गांव तक के पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पैदल चलने वालों, साईकिल सवारों और दोपहिया चालकों की सुविधा के लिए विभाग कब तक सर्विस रोड बनाएगा, पूर्ण विवरण दें।

(घ) क्या यह सत्य है कि आरटीआर मार्ग पर बने फुटओवर ब्रिज पर पेड़ की एक शाखा गुजरने के कारण पुल का संचालन नहीं हो पा रहा है; और

(ङ) विभाग कब तक इस शाखा को हटाकर पुल को चालू करेगा?

लोक निर्माण विभाग मंत्री :

(क) बेनिटो जुआरेज मार्ग पर अण्डरपास के पूरा होने का अनुमानित समय अक्टूबर, 2021 है।

(ख) दीवार को बना दिया गया है और आर.टी.आ. मार्ग पर फ्लाईओवर के ऐलिवेटिड रोड का निर्माण जून, 2019 को पूर्ण कर दिया गया था जिसे दिनांक 16.07.2019 को जनता को समर्पित कर दिया गया था।

(ग) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं है।

(ङ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं है।

17. **श्री जरनैल सिंह** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा पूरी दिल्ली में कुल कितने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि कई बार वैक्सीन की उपलब्धता न होने पर सेंटर पर वैक्सीन सेवा बंद रही;

(ग) सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) किन सेंटर्स पर यह सेवा कब-कब बंद रही, इसका विवरण दिया जाए?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) कम से कम समय में पात्र लाभार्थियों को टीका लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 1169 टीकाकरण केन्द्रों पर 1790 टीकाकरण सत्र स्वचालित किए हैं, जिनमें लगभग 2 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की क्षमता है। इनका पूर्ण उपयोग वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अलावा बहुत से अस्थाई केन्द्र (आर.डब्ल्यू.ए. वर्कप्लेस) आवश्यकता अनुसार शुरू किए जाते हैं।

(ख) जी हां, वैक्सीन की उपलब्धता न होने पर सेन्टर पर वैक्सीन सेवा बन्द करनी पड़ती है।

(ग) वैक्सीन की सीमित उपलब्धता सेन्टर पर वैक्सीन न होने का मुख्य कारण है।

(घ) 1 मई 2021 से 22 जून 2021 तक तिथिवार प्रत्येक दिन सेवा प्रदान करने हेतु स्वचालित सत्रों के संख्या संलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है। अन्य टीकाकरण केंद्र प्रसांगिक दिवसों को बन्द रहे।

Annexure-A

Delhi	Total Sessions	Delhi	Total Sessions	Delhi	Total Sessions
1-May-21	679	1-Jun-21	751	1-Jul-21	1415
2-May-21	SUNDAY	58	2-Jun-21	583	2-Jul-21	1307
3-May-21	819	3-Jun-21	717	3-Jul-21	1343
4-May-21	828	4-Jun-21	548	4-Jul-21	SUNDAY	123
5-May-21	565	5-Jun-21	692	5-Jul-21	810
6-May-21	894	6-Jun-21	SUNDAY	113	6-Jul-21	431
7-May-21	608	7-Jun-21	698	7-Jul-21	328
8-May-21	902	8-Jun-21	634	8-Jul-21	1219
9-May-21	SUNDAY	24	9-Jun-21	577	9-Jul-21	926
10-May-21	950	10-Jun-21	970	10-Jul-21	645
11-May-21	906	11-Jun-21	858	11-Jul-21	SUNDAY	126
12-May-21	574	12-Jun-21	883	12-Jul-21	393
13-May-21	868	13-Jun-21	SUNDAY	244	13-Jul-21	1072
14-May-21	51	14-Jun-21	850	14-Jul-21	611
15-May-21	863	15-Jun-21	848	15-Jul-21	494
16-May-21	SUNDAY	816	16-Jun-21	742	16-Jul-21	753
17-May-21	991	17-Jun-21	1101	17-Jul-21	579
18-May-21	993	18-Jun-21	1116	18-Jul-21	SUNDAY	103
19-May-21	662	19-Jun-21	1040	19-Jul-21	405
20-May-21	851	20-Jun-21	SUNDAY	210	20-Jul-21	691
21-May-21	543	21-Jun-21	1033	21-Jul-21	686
22-May-21	746	22-Jun-21	1049	22-Jul-21	546
23-May-21	SUNDAY	37	23-Jun-21	1086
24-May-21	703	24-Jun-21	1415
25-May-21	668	25-Jun-21	1642
26-May-21	595	26-Jun-21	1919
27-May-21	630	27-Jun-21	SUNDAY	13
28-May-21	493	28-Jun-21	2008
29-May-21	717	29-Jun-21	2033
30-May-21	SUNDAY	88	30-Jun-21	1656
31-May-21	877

18. श्री अजय कुमार महावर : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीएसआर और केन्द्र की योजनाओं को छोड़ कर दिल्ली सरकार ने स्वयं अपने फण्ड से कितने नये आक्सीजन प्लान्ट लगाये हैं;

(ख) पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार ने कितने नये अस्पतालों का निर्माण किया है;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा आयुष्मान योजना अभी तक लागू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि कोरोना काल में दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक्स में कोविड टेस्ट नहीं किये गए; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) सरकार ने दो बॉटलिंग प्लांट खरीदे हैं जिन्हें सिरसपुर साइट पर लगाया जा रहा है।

(ख) 2015 से 2021 के बीच तीन अस्पताल खोले गए हैं-

1. अम्बेडकर नगर अस्पताल
2. बुराडी अस्पताल
3. इंदिरा गांधी द्वारका अस्पताल

(ग) नेशनल हेल्थ अथारिटी से दिनांक 06.07.2021 को पत्र द्वारा जानकारी मांगी गई है कि कोरोना महामारी के दौरान पड़ोसी राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने मरीजों को इलाज हुआ है। जिसका जबाव अभी लंबित है।

(घ) आवश्यकतानुसार कुछ आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में कोविड टैस्ट किए गए हैं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

19. **श्री विशेष रवि :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा स्वास्थ्य मंत्री/विभाग के विभिन्न अधिकारियों को लिखे गए पत्रों क्रमशः दिनांक 10.10.20 संदर्भ 116065, दिनांक 05.11.2020 संदर्भ 116273, दिनांक 11.12.20 संदर्भ 116613, दिनांक 23.12.20 संदर्भ 116772, दिनांक 03.02.21 संदर्भ 118071, दिनांक 03.11.20 संदर्भ 116277, दिनांक 06.01.21 संदर्भ 116913, तथा दिनांक 06.01.21 संदर्भ 116916 पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त पत्रों में अपेक्षित जानकारी के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण दें।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क)और(ख) माननीय सदस्य से जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनको सम्बंधित अस्पतालों को भेजा गया है ताकि उनके जबाव प्राप्त हो सकें।

माननीय सदस्य को इस विभाग के द्वारा दो पत्र, पत्रांक संख्या F.23/Comp/57/ Central/DGHS/NHC/2020- 21/1113 dated 23.07.2021 तथा F.22/7512/Misc./VIP-DAK/2021/ CD#112635446/9795-97 dated 10.02.2021 भी लिखे गए हैं।

20. **श्री अभय वर्मा** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कितने ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और उनमें से कितने पर दिल्ली सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) इन ऑक्सीजन प्लांट्स की कितनी क्षमता है; और

(ग) कितने प्लांट्स पाइप लाइन में हैं और वे कब तक चालू हो जाएंगे?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क)और(ख) दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 42 पीएसए (प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन) प्लांट लगाए हैं । जिनकी कुल क्षमता 27810 LMP (50.08 MT) है। इसमें पीएमकेयर के माध्यम से 13 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन 13 प्लांटों में से 07 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और 06 प्लांट केंद्र सरकार के अस्पतालों में लगाए गए हैं. दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित सभी संयंत्रों को सीएसआर फंडिंग के माध्यम से प्राप्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा शेड, बिजली पैनल आदि के निर्माण सहित स्थल की तैयारी का कार्य किया गया है।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 21 और पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। 31.08.2021 तक 18 संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्राप्त होने वाले 03 संयंत्रों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इन्टॉल कर दिया जाएगा। PMCARES फंड के तहत 13 और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 09 और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 04 और प्लांट लगाए जा रहे हैं। उनके 15.08.2021 तक स्थापित होने की संभावना है।

21. **श्री संजीव झा** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 18+ और 45+ आयुवर्ग के अंतर्गत कोरोना वैक्सीन की प्रतिदिन कितनी मांग है;

(ख) इन दोनों आयुवर्गो में इस समय प्रतिदिन कितनी वेक्सीन लोगों को लगाई जा रही है;

(ग) इन दोनों आयुवर्गों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक दिल्ली सरकार को कितनी-कितनी वैक्सीन की संख्या उपलब्ध करवाई जा रही है;

(घ) इसके अतिरिक्त दोनों आयुवर्ग में दिल्ली की कुल आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पहली एवं दूसरी डोज के अनुसार टीकाकरण हो चुका है; और

(ङ) दिल्ली सरकार के द्वारा दोनों आयुवर्ग के लोगों के लिए कितने टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) दिल्ली में 18+ से 44+ के लगभग 92 लाख एवं 45+ आयुवर्ग के लगभग 57 लाख लाभार्थी हैं। जल्द से जल्द टीकाकरण की गतिविधि को पूरा करने के लिए दिल्ली में प्रतिदिन अभी 2 लाख+ टीके लगाने की क्षमता है।

(ख) प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाने की मात्रा वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। दिल्ली की प्रतिदिन क्षमता 2 लाख+ डोज लगाने की है। 26 जून 2021 को दिल्ली में अधिकतम 2,07,599 डोज लगाई है। वैक्सीन के अभाव में औसतन 15,521 (एक मार्च) से 1,66,775 (25 जून) डोज लगाई गई है, एवं बीच बीच में कुछ केन्द्रों को बन्द भी करना पड़ता है।

(ग) अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वैक्सीन की संख्या :

कोविसील्ड : 54,76,420 डोज

को-वैक्सीन 20,87,350 डोज

इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार/निजी क्षेत्र ने भी वैक्सीन उपलब्ध कराई है।

(घ)

केटेगरी	प्रथम डोज %	द्वितीय डोज %
स्वास्थ्यकर्मी (HCW)	75.6%	58.65%
फ्रंटलाईन वॉरियर (FLW)	87.17%	57.79%
18-44 आयुवर्ग	38.9%	2.5%
45+ आयुवर्ग	52.6%	28%

(ङ) कम से कम समय में पात्र लाभार्थियों को टीका लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 1169 टीकाकरण केन्द्रों पर 1790 टीकारण सत्र स्वचालित किए हैं, जिनमें लगभग 2 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की क्षमता है, इनका पूर्ण उपयोग वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अस्थाई केन्द्र (आर. डबल्यू. ए. वर्कप्लेस) आवश्यकता अनुसार शुरू किए जाते हैं।

22. **श्री नरेश यादव :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चार लाख से अधिक जनसंख्या वाले महरौली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, और यहाँ केवल प्राइवेट अस्पताल ही हैं, जो आम जनता की पहुँच से परे हैं;

(ख) क्या महरौली में कोई सरकारी अस्पताल बनाया जा सकता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि महरौली महिपालपुर रोड पर डीडीए का विशाल भू-खंड उपलब्ध है, जिसका उपयोग प्रस्तावित अस्पताल बनाने के लिए किया जा सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस संबंध में विचार करेगी?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) महरौली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार का कोई अस्पताल नहीं है।

(ख) आज की तिथि में स्वास्थ्य विभाग के पास महरौली में ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसपर अस्पताल बनाया जा सके।

(ग) जी हां, महिपालपुर रोड पर दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा 0.34 हैक्टेयर भूमि अस्पताल निर्माण के लिए निर्धारित है।

(घ) इस सन्दर्भ में दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को उपरोक्त भूमि के आबंटन के लिए अनुरोध किया है।

23. **श्री अनिल कुमार बाजपेयी :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद कितने अस्पतालों की नींव रखी गई और अब उनमें से कितने बनकर तैयार हो गए;

(ख) दिल्ली सरकार की कितनी कैट एम्बुलैंस हैं और उनमें से कितनी चल रही हैं और कितनी खराब खड़ी हैं; और

(ग) बाइक एम्बुलेंस कितनी हैं और पिछले दो सालों में उन्होंने कितने मरीजों को अस्पताल पहुंचाया?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन नए अस्पतालों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, और वर्तमान में निर्माण चरण पर है।

1. ज्वालापुरी - 1164 बेड्स
2. सिरसपुर - 691 बेड्स
3. मादीपुर - 691 बेड्स

इसके अतिरिक्त अनेक अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का कार्य चल रहा है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. लोक नायक अस्पताल - 1979 बेड्स
2. गुरू तेग बहादुर अस्पताल - 806 बेड्स
3. बाबू जगजीवन राम मेमारिल अस्पताल - 800 बेड्स
4. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल - 614 बेड्स

(ख) दिल्ली सरकार की कुल 237 एम्बुलेंस हैं और उनमें से करीब 220-225 एम्बुलैंस संचालित रहती हैं।

(ग) बाइक एम्बुलैंस की कुल संख्या 16 है। बाइक एम्बुलैंस मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं करती है। दुर्घटना स्थल पर मरीज को केवल प्राथमिक उपचार देती है।

24. श्री अनिल कुमार बाजपेयी : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फरिश्ते योजना के तहत वर्षवार अब तक कितने मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया;

(ख) उन मरीजों के इलाज पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) किस अस्पताल में सरकार की कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) किस अस्पताल में कितने मरीज दाखिल हुए, पूर्ण विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) दिल्ली में फरिश्ते योजना के तहत मरीजों को अस्पताल पहुंचाए जाने के बारे में वर्षवार जानकारी:

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 - 1540 मरीज

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 - 4419 मरीज

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 - 5919 मरीज

(ख) वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तक मरीजों पर दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा रुपये 21,31,83,992/- का बिल भुगतान किया गया है।

(ग) अस्पतालवार कुल दाखिल मरीज एवं धनराशि व्यय का विवरण निम्नलिखित संलग्नकों में दिया गया है :

2018-19 - संलग्नक-1

2019-20 - संलग्नक-2

2020-21 - संलग्नक-3

FY 2018-19			
Sl No	Hospital	Total No. of patients	Total Amount in INR
1	MAX HOSPITAL PATPARGANJ	807	7698397
2	MAX HOSPITAL,PANCHSHEEL PARK	1	203062
3	VENKATESHWAR HOSPITAL	72	6561849
4	TARAK HOSPITAL	4	52956
5	SAROJ HOSPITAL	91	1263445
6	PSRI	3	50365
7	AAKASH HOSPITAL	15	221000
8	MOOLCHAND HOSPITAL	3	190120
9	MAHARAJA AGARSEN	28	816041
10	FORTIS VASANT KUNJ	58	538401
11	INDIAN SPINAL INJURIES	52	2070061
12	SEHGAL NEO HOSPITAL	6	46211
13	BLK HOSPITAL	78	870793
14	PARK HOSPITAL	2	130366
15	CYGNUS SONIA	5	73720
16	JEEVAN MALA	17	413251
17	GARG HOSPITAL	1	2774
18	SRI BALAJI ACTION HOSPITAL	4	44721
19	ROCKLAND HOSPITAL	21	175301
20	BATRA HOSPITAL	12	828391
21	METRO HOSPITAL PREET VIHAR	2	1696
22	HOLY FAMILY HOSPITAL	2	15166
23	MGS HOSPITAL	6	61611
24	AYUSHMAN HOSPITAL	2	18316
25	JAIPUR GOLDEN HOSPITAL	12	1795459
26	SONIA HOSPITAL	15	145376
27	Fortis Shalimar Bagh	62	255008

28	Max Shalimar Bagh	18	599127
29	Max West Block	21	614893
30	Max Smart	74	157381
31	Max East Block	45	118418
32	Satyabhama	1	5857

FY 2019-20			
Sl NO	HOSPITAL	Total No of patients	Total Amount Paid IN INR
1	Aakash Health Care, Dwarka	64	616209
2	Sri Balaji Action Medical Institute	46	2737189
3	Indraprastha Apollo Hospital	214	3311457
4	Ardent Ganpati	3	55506
5	Ayushman Hospital	10	330059
6	Batra Hospital	20	100211
7	Bhagat Chandra Hosp	12	145895
8	Bhagwati Hospital	2	129841
9	Cygnus orthocare	1	25929
10	Cygnus Sonia	181	2420050
11	Delhi Multispecialty Hospital	2	1854
12	Dharamveer Solanki	3	27849
13	Fortis Hospital, Shalimar Bagh	286	3506874
14	Fortis Hospital, Vasant Kunj	168	754481
15	Garg Hosp	3	2869
16	Goyal Hospital	1	16806
17	Holy Family	32	847290
18	Indian Spinal Injuries Centre	134	4865690
19	Ishan Hospital	3	53536
20	J. K. Hosp	1	11880
21	Jain Hosp	2	20499
22	Jaipur Golden	94	4974166
23	Jeewan Mala Hospital	15	855166
24	Kalra Hospital	5	70730
25	Kapil Hospital, Nathupura	1	2881
26	Khandelwal Hospital	4	22990
27	Khetarpal Hospital	2	2051
28	Kukreja Hospital	9	43124
29	Maharaja Agrasen Hospital	238	7518080
30	Mahindru Hospital	1	21010
31	Makkar Hospital	2	91684
32	Malik Radix Hospital	1	3960
33	Manipal Hospital	19	290525
34	Mata Chanan Devi Hospital	24	1600306
35	Max (East Block)	198	981259
36	Max, Patparganj	723	11868059
37	Max Saket Smart SS Hospital	719	6759571
38	Max (West Block)	101	4814844
39	Max, Shalimar Bagh	79	7739284
40	MGS Hospital	130	1158562
41	Moolchand Hospital	11	421376
42	Ortho Junction	9	208178

43	Ortho Plus	9	95220
44	Park Hospital	9	210705
45	Pentamed Hospital	1	4290
46	PSRI Hospital	2	352871
47	Rathi Hospital	27	311965
48	Rockland Hospital	21	155966
49	Samar Hospital	3	59396
50	Sanjeevan Hospital	3	14911
51	Sant Parmanand Hospital	21	132517
52	Santom Hospital	44	1927010
53	Saroj Hospital	235	6282040
54	Satyabhama Hospital	8	32046
55	Savitri Hospital	33	856089
56	Sehgal Hospital	43	1741798
57	Shree Aggarsain Hospital	23	722787
58	Singhal Hospital	1	1902
59	St. Stephen's Hospital	12	112615
60	Tarak Hospital	4	35566
61	Venkateshwar Hospital	337	8767246
62	Vikas Hospital	7	219165
63	Vinayak Hospital	3	64968
		4419	91530853

FY 2020-21			
Sl No	HOSPITAL	TOTAL NO. OF PATIENTS	TOTAL AMOUNT PAID (in INR)
1	St. Stephen's Hosp.	119	1822161
2	Aakash Hospital	200	770259
3	Sri Balaji Action Medical Institute	155	4383362
4	Maharaja Agrasen Hospital	488	14802702
5	Alshifa	10	17993
6	Apollo Hospital	316	7171118
7	Ayushman Hospital, Dwarka	140	1581450
8	Batra Hospital, Tughlakabad	59	1318867
9	Behl Hospital, Naraina Vihar	1	26675
10	Bhagat chandra	63	495520
11	BLK hospital	698	11903854
12	Cygnus Sonia	57	784504
13	Cygnus MLS	10	485628
14	Dharamshila Narayna	9	57798
15	Divyaprastha Hospital	6	77229
16	Fortis Vasant Kunj	233	1700304
17	Fortis Shalimar	203	3397511
18	Garg Hospital	2	24648
19	Goyal Hospital & Uro Center	5	145901
20	Human Care charitable Hospital, Manipal	281	3025976
21	Indian Spinal Injuries Centre, Vasant Kunj	369	2713129
22	Ishaan Hospital	3	100459
23	Jain hosp.	8	137642
24	Jaipur Golden Hospital	173	2459728
25	Jeewan Mala	88	1360305
26	Kalra Hospital	14	1039719
27	Khandelwal Hospital	3	28445
28	Khetarpal Hospital	18	106611
29	Kukreja Hospital	9	9735
30	Makkar Hospital	1	52816
31	Mata Chanan Devi Hospital	68	2745226
32	Mata Roop Rani	1	12676
33	Max Super Speciality Hospital, Saket West Block	180	4129893
34	Max Super Specialty Hospital, East Block	220	443533

35	Max Super Speciality Hospital, Patparganj	464	6275788
36	Max Smart Super Specialty Hospital	154	853451
37	Max Super Speciality Hospital , Shalimar Bagh	384	6060542
38	Medcor Hospital	7	186757
39	Metro Preet Vihar	12	173639
40	RLKC Metro	22	251254
41	Singhal Hospital	1	21560
42	Sant Parmanand Hospital	45	700987
43	Park Hospital	17	738312
44	Sir Ganga Ram Hospital	21	1058166
45	Shri Aggarsain International Hospital	86	1904280
46	Tarak Hospital	19	262429
47	Universal Hospital	1	117370
48	Tomar Multispeciality Hospital	9	233246
49	Tirath Ram Shah Hospital	1	33637
50	Vikas Hospital	14	241023
51	Venketeshwar Hospital	452	7167788
	Total	5919	95613606

25. **श्री अनिल कुमार बाजपेयी :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर बेड और कितने आईसीयू बेड हैं; और

(ख) दिल्ली में कोरोना की पहली लहर के बाद वेंटिलेटर बेड और आईसीयू बेड में कितनी बढ़ोतरी की गई है; अस्पतालवार विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) दिल्ली में कोरोना की पहली लहर के बाद वेंटिलेटर बेड और आई.सी.यू. बेड में हुई बढ़ोत्तरी का विवरण इस प्रकार है-

* 17.12.2020 में अधिकतम आई.सी.यू. बेड की संख्या-5110 जोकि 26.05.2021 में बढ़कर 6867 हो गई।

* 17.12.2020 में अधिकतम वेंटिलेटर बेड की संख्या-1523 जोकि 26.05.2021 में बढ़कर 2481 हो गई।

* उपरोक्त आंकडों के अनुसार लगभग 1757 आई.सी.यू. बेड और 958 वेंटिलेटर बेड की बढ़ोतरी हुई।

26. **श्री रोहित कुमार :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिलोकपुरी विधान सभा के पास एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है; और

(ख) यदि हां तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करें कि इसका कार्य कब तक शुरू किया जा सकेगा?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क)और(ख) जी हां, त्रिलोकपुरी विधानसभा में दिल्ली सरकार का कोई अस्पताल नहीं है। निवासी नजदीकी दिल्ली सरकार के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जहां 460 बेडों का एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है।

27. **श्री रघुविन्दर शौकीन :** क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के पोटा केबिन और रैंटेड क्लीनिक में लोक निर्माण विभाग के कार्य करने का कोई मैन्यूअल/वर्क आर्डर है; और

(ख) यदि हां, तो उस आर्डर की कॉपी प्रदान की जाए?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक के पोटा केबिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदन से बनाए गए हैं-रेन्टेड क्लिनिक में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुमोदित कार्य ही कराए जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली एवं अनुबंध की सामान्य शर्तें उनके वेबसाईट : https://cpwd.gov.in पर उपलब्ध है।

28. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा कोई मल्टी सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल खोलने की योजना है; और

(ख) यदि हाँ तो इसका पूर्ण विवरण दें?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क)और(ख) दिल्ली सरकार द्वारा किराडी विधानसभा के अन्तर्गत प्लॉट संख्या पी.एस.पी.-6, सैक्टर-41, फेस-5, रोहिणी, दिल्ली में 1.0956 हैक्टयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस पर अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान खोलने की योजना बनाने का कार्य चल रहा है।

29. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और तैयारी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) जानकारी संलग्न है (संलग्नक-क)

संलग्नक-क

कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और तैयारी के लिए सरकार ने तीन समीतियों को गठन किया है। इनके मार्गदर्शन में यथोचित तैयारियों की जा रही हैं। यह एक सतत प्रकिया है। अब तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न हैं:

1. 42 पी. एस. ए. संयत्रों की स्थापना।
2. 271 मीट्रिक टन एल.एम.ओ. की भण्डारण क्षमता का विकास।
3. अब तक लगभग 97 लाख कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।
4. दो जीनोम सीक्यूसिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है।
5. चार स्तरीय ग्रेडिड एलर्ट सिस्टम का विकास।
6. आवश्यक दवाईयों का बफर स्टॉक रखने की योजना।
7. कायोजेनिक आक्सीजन टैंकर खरीद के लिए निविदा आमंत्रित।
8. 100 एम.टी., एल.एम.ओ. स्टोरेज टैंक के लिए निविदा आमंत्रित।
9. 6.7 एम. टी. क्षमता के आक्सीजन सिलेंडर फिलिंग प्लांट स्थापित।
10. 500 आई.सी.यू. बेड गुरु तेग बहादुर अस्पताल में व 500 आई. सी.यू. बेड लोक नायक अस्पताल में स्थापित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त अन्य बेड स्थापित करने पर कार्य जारी है।
11. 6 अस्पतालों से संबद्ध लगभग 6000 नए बेड्स बनाने तैयारी की जा रही है।

30. **श्री अजय कुमार महावर :** क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने प्रिंसिपल, कितने वाईस प्रिंसिपल और कितने शिक्षकों की कमी है तथा इन पदों पर कब तक नियुक्तियां की जाएंगी;

(ख) दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद कितने नए स्कूलों की नींव रखी गई है;

(ग) इनमें से कितने स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कितने स्कूलों का निर्माण कार्य जारी है; और

(घ) विधान सभावार इन स्कूलों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) शिक्षा निदेशालय में प्रधानाचार्य के 950 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कुल 195 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं, शेष विद्यालयों में विद्यालय प्रमुख का कार्य उप प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में एक भी विद्यालय, विद्यालय प्रमुख के बिना नहीं चल रहा है। प्रधानाचार्य के 363 पद सीधी भर्ती के अंतर्गत भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचना दिनाँक 10.07.2021 को जारी की गयी है। प्रधानाचार्य के 392 पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, इस हेतु संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार जारी है।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में उप प्रधानाचार्य के 1670 पद स्वीकृत हैं। 1252 उप प्रधानाचार्य विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं। 418 उप प्रधानाचार्य पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार जारी है।

शिक्षकों के कुल पदों की संख्या 65678 है। 40944 अध्यापक विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं। हाल ही में 5500 से अधिक अध्यापकों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया गया है। डी.एस. एस.एस.बी. द्वारा 10834 शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कुल 17583 अतिथि शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं।

(ख)और(ग) शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रथम फेज में 7137 समकक्ष कमरों का निर्माण कार्य 141 विद्यालय भवनों में किया जा चुका है तथा 27 खाली जमीनों पर विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके अतिरिक्त 12748 समकक्ष कमरों का निर्माण कार्य 241 विद्यालय भवनों में जारी है। साथ ही 22 अन्य खाली जमीनों पर विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य जारी है।

(घ) विधानसभावार इन स्कूलों को ब्यौरा संलग्नक 'क' के रूप में संलग्न किया गया है।

संलग्नक 'क'

List of schools where 7137 Equ. Rooms where constrcuted in priority-I

New sl. No.	Assembly Constituency Number	Assembly Constituency	District	Zone	School ID	School Name	Building ID
1	2	3	4	5	6	7	8
1	62	Shahdara	East	1	1001022	Vivek Vihar-SKV	10011352
2	57	Patparganj	East	2	1002001	Mandawali SBV (Veer Udham Singh)	10021704
3	55	Trilokpuri	East	2	1002025	Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen)	10021541
4	56	Kondli	East	2	1002026	Kondli-SKV (Jeeja Bai)	10021057
5	56	Kondli	East	2	1002027	Dallupura-SKV	10021197
6	55	Trilokpuri	East	2	1002034	Mayur Vihar, Phase I , Pkt-2-SKV	10021647
7	57	Patparganj	East	2	1002036	Mayur Vihar, Phase I , Pkt-4-SKV	10021020
8	55	Trilokpuri	East	2	1002182	Chilla Village, Mayur Vihar Ph.1-GCoedSSS	10021440
9	55	Trilokpuri	East	2	1002183	New Ashok Nagar-SKV	10021510
10	56	Kondli	East	2	1002185	Vasundhra Enclave-GGSSS	10021394
11	59	Vishwas Nagar	East	2	1002189	Patparganj, IP Extn.-G Co-Ed. S.V.	10021354
12	57	Patparganj	East	2	1002190	Mandawali , No.3 - SKV	10021366
13	68	Gokalpur	N E	4	1104017	Joharipur-G(Co-ed)MS	11041598
14	67	Babarpur	N E	4	1104019	Ghonda, No.2-SKV	11041097
15	70	Karawal Nagar	N E	4	1104022	Khajoori Khas-SKV	11041658

27/07/2021

16	66	Ghonda	N E	4	1104023	Yamuna Vihar, Block B, No.1-GGSSS	11041268
17	66	Ghonda	N E	4	1104024	Yamuna Vihar, Block C, No.2-SKV	11041196
18	66	Ghonda	N E	4	1104027	Yamuna Vihar B-Block, GGSSS No.2	11041533
19	67	Babarpur	N E	4	1104029	Vijay Park-GGSSS	11041243
20	70	Karawal Nagar	N E	4	1104142	Karawal Nagar-GGSSS	11041151
21	69	Mustafabad	N E	4	1104262	Tukhmirpur-GGSSS	11041587
22	70	Karawal Nagar	N E	4	1104335	Sonia Vihar-GGSSS	11041113
23	68	Gokalpur	N E	4	1104400	Loni Road,East Gokulpur,GGSSS	11061571
24	69	Mustafabad	N E	4	1104419	Tukhmirpur, No.2 - GGSSS	11041876
25	65	Seelampur	NE	5	1105023	Gautam Puri, GGSSS	11051712
26	65	Seelampur	N E	5	1105026	Brahampuri-GGSSS	11051190
27	65	Seelampur	N E	5	1105108	Welcome Colony-GGSS	11051374
28	67	Babarpur	N E	5	1105114	Jafrabad Extn.-GGSSS	11051005
29	66	Ghonda	N E	5	1105229	Brahmpuri, GGSSS Block-X	11051644
30	67	Babarpur	N E	5	1105239	New Jafrabad-G(Co-ed)SSS	11051754
31	63	Seemapuri	N E	6	1106018	New Seemapuri-SKV	11061017
32	68	Gokalpur	N E	6	1106019	Mandoli-SKV	11061586
33	63	Seemapuri	N E	6	1106022	Nand Nagri, Block B-SKV (Raja Ravi Verma)	11061404

27/07/2021

34	42	Kasturba Nagar	N E	6	1106023	Dilshad Garden, Block J&K-SKV (St. Eknath)	11061104
35	64	Rohtas Nagar	N E	6	1106024	East of Loni Road, DDA Flats-SKV	11061287
36	63	Seemapuri	N E	6	1106025	Dilshad Garden, Block C-GGSSS	11061482
37	63	Seemapuri	N E	6	1106026	Nand Nagri Extn., F-1, F-2, GGSS	11061703
38	63	Seemapuri	N E	6	1106113	Nand Nagri, Block E-SKV	11061610
39	64	Rohtas Nagar	N E	6	1106114	Shahdara, Mansarover Park, No.2-SKV	11061188
40	63	Seemapuri	N E	6	1106115	Nand Nagri, Janta Flats-GGSSS	11061194
41	68	Gokalpur	N E	6	1106117	Saboli-GGSSS	11061198
42	62	Shahdara	N E	6	1106122	Old Seema Puri-SKV	11061369
43	68	Gokalpur	N E	6	1106259	Mandoli Extension-GGSSS	11061761
44	3	Timarpur	North	7	1207004	Nehru Vihar-SKV	12071135
45	2	Burari	North	7	1207036	Burari-SKV	12071583
46	2	Burari	North	7	1207117	Burari-GGSS	12071752
47	2	Burari	North	7	1207230	Mukandpur GGSS	12071798
48	3	Timarpur	N W-A	9	1309003	Dr. Mukharjee Nagar-GBSSS	13091531
49	3	Timarpur	N W-A	9	1309027	Guru Teg Bahadur Nagar-SKV	13091172
50	4	Adarsh Nagar	N W-A	9	1309031	Adarsh Nagar-SKV	13091457
51	4	Adarsh Nagar	N W-A	9	1309034	Adarsh Nagar-GGSSS	13091398
52	3	Timarpur	N W-A	9	1309037	Dhakka GGSS	13091344

27/07/2021

53	5	Badli	N W-A	9	1309280	Bhalswa Village- SV	13091885
54	1	Narela	N W-A	10	1310005	Tikri Khurd-SKV	13101425
55	1	Narela	N W-A	10	1310014	Alipur-GBSSS	13101173
56	1	Narela	N W-A	10	1310030	Holambi Kalan-G(Co-Ed)SSS	13101674
57	1	Narela	N W-A	10	1310166	Narela-GBSSS (Mussadi Lal)	13101088
58	1	Narela	N W-A	10	1310430	Narela,Sect. A-6, Pkt-2 GBSSS	13101903
59	20	Chandni Chowk	N W-B	11	1411027	Ashok Vihar, Phase II-SKV	14111142
60	17	Wazirpur	N W-B	11	1411034	Wazirpur, J.J. Colony-SKV	14111739
61	17	Wazirpur	N W-B	11	1411035	Wazirpur Village-SV	14111074
62	10	Sultanpur Majra	N W-B	12	1412029	Sultanpuri, Block H-SKV	14121242
63	12	Mangolpuri	N W-B	12	1412031	Mangolpuri, Block O-SKV	14121353
64	10	Sultanpur Majra	N W-B	12	1412035	Sultanpuri, Block BC-GGSSS	14121410
65	10	Sultanpur Majra	N W-B	12	1412089	Sultanpuri, Block F-GGSSS	14121224
66	9	Kirari	N W-B	12	1412253	Mubarakpur Dabas, No-2,GGSS	14121166
67	9	Kirari	N W-B	12	1412258	Nithari Village-GGSS	14121467
68	8	Mundka	N W-B	13	1413078	Karala-SKV	14131568
69	7	Bawana	N W-B	13	1413268	Begampur, GGSSS	14131731
70	27	Rajouri Garden	W-A	14	1514011	Chand Nagar, No.1-SKV	15141239
71	25	Moti Nagar	W-A	16	1516002	Ramesh Nagar-SBV	15161277
72	24	Patel Nagar	W-A	16	1516142	West Patel Nagar-SKV	15161274
73	24	Patel Nagar	W-A	16	1516143	West Patel Nagar-SBV	15161272

27/07/2024

74	8	Mundka	W-B	17	1617001	Tikri Kalan-GBSSS	16171590
75	11	Nangloi Jat	W-B	17	1617004	Nangloi, Kavita Colony-G(Co-ed)SSS	16171184
76	11	Nangloi Jat	W-B	17	1617010	Nangloi-SKV	16171423
77	8	Mundka	W-B	17	1617012	Tikri Kalan-SKV	16171174
78	8	Mundka	W-B	17	1617014	Mundka Village-SKV	16171462
79	11	Nangloi Jat	W-B	17	1617021	Nangloi-GGSSS	16171340
80	11	Nangloi Jat	W-B	17	1617028	Peera Garhi-SKV	16171017
81	31	Vikaspuri	W-B	17	1617029	Bakkarwala-G(Co-ed)SSS	16171072
82	31	Vikaspuri	W-B	17	1617030	Baprola-G(Co-ed)SSS	16171595
83	8	Mundka	W-B	17	1617035	Nangloi, J.J. Colony-GGSSS	16171279
84	15	Shakur basti	W-B	17	1617137	Paschim Vihar, B 3-G(Co-ed)SSS	16171240
85	11	Nangloi Jat	W-B	17	1617254	Peera Garhi-SBV	16171071
86	30	Janakpuri	W-B	18	1618003	Janakpuri, Possangipur B1-SV(Co-ed)	16181039
87	31	Vikaspuri	W-B	18	1618016	Vikas Puri, Block- F-G(Co-ed)SS	16181262
88	30	Janakpuri	W-B	18	1618017	Janakpuri, Block C-SKV No.1	16181396
89	31	Vikaspuri	W-B	18	1618019	Vikas Puri, Block G-SKV	16181483
90	34	Matiala	W-B	18	1618020	Kakrola-SKV	16181351
91	31	Vikaspuri	W-B	18	1618062	Vikas Purl, Block A-SKV	16181265

27/07/2021

92	30	Janakpuri	W-B	18	1618064	Janakpuri, A-Block-GGSSS	16181535
93	34	Matiala	W-B	18	1618070	Matiala-SKV	16181474
94	31	Vikaspuri	W-B	18	1618193	Shiv Vihar-GGSS	16181146
95	31	Vikaspuri	W-B	18	1618278	Hastsal Village-GGSSS	16181873
96	39	Rajinder Nagar	SW-A	20	1720022	Naralna-SKV	17201607
97	45	Mehrauli	SW-A	20	1720028	Rajokari-GBSSS	17201656
98	36	Bijwasan	SW-A	20	1720032	Mahipal Pur- Amar Shaheed Major Sehrawat SKV	17201726
99	36	Bijwasan	SW-B	21	1821005	Samalka, No.1-GBSSS	18211231
100	33	Dwarka	SW-B	21	1821017	Sagarpur, No.2-SKV	18211458
101	36	Bijwasan	SW-B	21	1821022	Samalka-SKV	18211316
102	34	Matiala	SW-B	21	1821206	Dwarka, Sector-VI, G(Co-ed)SSS (Site-I)	18211725
103	34	Matiala	SW-B	21	1821037	Pochanpur-G(Co-ed) SSS	18211478
104	35	Najafgarh	SW-B	22	1822055	Jaffarpur Kalan- SV	18221304
105	35	Najafgarh	SW-B	22	1822262	Dichaon Kalan-SV	18221886
106	45	Mehrauli	South	23	1923056	Saket, J-Blk-SBV	19231465
107	43	Malviya Nagar	South	23	1923010	Malviya Nagar-GBSSS	19231874
108	48	Ambedkar Nagar	South	23	1923044	Dr. Ambedkar Nagar, Sector IV, No.1-GGSSS	19231566
109	45	Mehrauli	South	23	1923051	Lado Sarai-GGSS	19231667
110	48	Ambedkar Nagar	South	23	1923060	Dr. Ambedkar Nagar, Sector IV, No.3-GGSSS	19231562

27/07/2021

111	46	Chhattarpur	South	24	1923014	Fatehpur Beri- SBV	19231036
112	46	Chhattarpur	South	24	1923048	Chattarpur-GGSSS	19231382
113	46	Chhattarpur	South	24	1923059	Fatehpur Beri-SKV (Priya Darshani)	19231496
114	48	Ambedkar Nagar	South	24	1923062	Khanpur, Hakikat Rai-SKV	19231421
115	46	Chhattarpur	South	24	1923063	AYA NAGAR-SKV	19231123
116	46	Chhattarpur	South	24	1923064	Mandi Village-GGSSS	19231247
117	46	Chhattarpur	South	24	1923081	Chattarpur, Acharya Tulsi SBV	19231165
118	41	Jangpura	S E	25	1924043	Hari Nagar Ashram-SKV	19251639
119	41	Jangpura	S E	25	1924044	Jungpura-G(Co-ed)SS	19241629
120	54	Okhla	S E	25	1925033	New friends Colony-SKV	19251395
121	52	Tughlakabad	S E	29	1925027	Tekhand - GGSSS	19251077
122	52	Tughlakabad	S E	29	1925031	Tuglakabad, Railway Colony-SKV (Rani Jhansi)	19251591
123	53	Badarpur	S E	29	1925037	Molar Band-SKV	19251149
124	51	Kalkaji	S E	29	1925038	Kalkaji-SKV No.2	19251185

27/07/2021

125	51	Kalkaji	S E	29	1925039	Kalkaji-GGSSS No.3	19251360
126	52	Tughlakabad	S E	29	1925040	Tuglakabad Village-SKV	19251157
127	53	Badarpur	S E	29	1925042	Badarpur, No.1-GGSSS	19251671
128	50	Greater Kailash	S E	29	1925045	Kalkaji, DDA Flats, Phase II-GGSS	19251385
129	52	Tughlakabad	S E	29	1925046	Tuglakabad, Railway Colony, No.2-GGSSS	19251524
130	49	Sangam Vihar	S E	29	1925048	Tuglakabad Extn.-GGSS	19251236
131	53	Badarpur	S E	29	1925053	Molar Band, No.2-GGSSS	19251643
132	52	Tughlakabad	S E	29	1925054	Badarpur, No.2-GGSSS	19251202
133	49	Sangam Vihar	S E	29	1925056	Tughlakabad Extn.-SBV	19251137
134	49	Sangam Vihar	S E	29	1925061	Tughlakabad Extn., No.1-SKV (Aruna Asif Ali)	19251269
135	54	Okhla	S E	29	1925062	Madanpur Khadar-SKV	19251416
136	53	Badarpur	S E	29	1925190	Molar Band-GGSS No.3	19251397
137	53	Badarpur	S E	29	1925248	Badarpur, No.3-GGSSS	19251636
138	52	Tughlakabad	S E	29	1925250	Tughlakabad Extn.-GGSSS No.2	19251650
139	54	Okhla	S E	29	1925340	Madanpur Khadar Extn. J.J.Colony GGSS	19251415
140	52	Tughlakabad	S E	29	1925341	HARKESH NAGAR GGSSS	19251536
141	54	Okhla	S E	29	1925345	Jasola Village, GGSSS	19251738

27/07/2021

List of 241 School Buildings where 12748 additional equivalent rooms are under Construction in Priority-II

S. No.	Name of School
1	SKV Vishwas Nagar (School Id- 1001196)
	SKV Vishwas Nagar (School Id- 1001196)
2	SKV Surajmal Vihar (School Id- 1001102)
	SKV Surajmal Vihar (School Id- 1001102)
3	SKV, Kiran Vihar (School Id- 1001106)
4	Govt. Co-ed SSS Preet Vihar (School Id- 1002351)
	Govt. Co-ed SSS Preet Vihar (School Id- 1002351)
5	SKV Gazipur (School Id- 1002184)
6	SKV Kondali (Jija Bai) (School Id- 1002026)
7	GGSSS Mayur Vihar Ph-3 (Kondali Gharauli (School Id- 1002352)
8	GGSSS Kalyanpuri (School Id- 1002039)
9	SKV Patparganj (School Id- 1002031)
10	SKV Radhey Shyam Park (School Id- 1003153)
	SKV Radhey Shyam Park (School Id- 1003153) **(ADDITIONAL ROOMS)**
11	SKV Shanker Nagar (School Id-1003026)
12	RPVV Gandhi Nagar (School Id- 1003261)
	RPVV Gandhi Nagar (ID : 1003261) (Addl. Rooms)
13	SBV, Rajgarh Colony (School Id- 1001110)
	SBV, Rajgarh Colony (School Id- 1001110) **(ADDITIONAL ROOMS)**
14	SKV Vievk Vihar (ID : 1001022) (Addl. Rooms)
15	Govt. Co-ed I.P Extension (School Id-1002189)
16	GGSSS Khichripur (School Id- 1002037)
17	GGSSS Shivaji Park Shahdara (School Id- 1105022)
18	Govt. Co.ed. SSS, Chilla Village
19	Kailash Nagar, Delhi (School Id-1003033)
	Kailash Nagar, Delhi (School Id-1003033)
20	Bholanath Nagar, Delhi (School Id-1001020) **(DIET BLOCKS)**
	Bholanath Nagar, Delhi (School Id-1001020) **BOYS BLOCK**
	Bholanath Nagar, Delhi (School Id-1001020) **GIRLS BLOCK**
21	SKV Gokalpur Village (School Id- 1104021)
22	BCP SKV Babarpur (School Id- 1105019) **(50 Rooms + 2 Stilt)**
	BCP SKV Babarpur (School Id- 1105019)
23	SKV Block-13 Geeta Colony (School Id- 1003024)
	SKV Block-13 Geeta Colony (School Id- 1003024)
24	SKV Timarpur

27/7/2021

25	SBV Timarpur
26	SKV Dhakka
27	Ludlow Castle 2
28	GGSS Block-E Jahangirpuri
29	GGSSS Block K, Jahangirpuri
30	SKV Block-D (Rani Chennamma), Jahangirpuri
31	Bouleward Road
32	Holambi Kalan
33	Outram Lane
34	Shankaracharya Marg, SV Shaheed Bhai Bal Mukund
35	SKV Magazine Road
36	
37	GBSSS, Palla Majra
38	SKV (BMS) Bakhtawarpur
39	Govt. Co-ed SSS Mukhmail Pur
40	GSLV. Alipur
41	SKV No. 2 Narela
42	G (Co-ed SSS Bhorgarh
43	SKV, Khera Khurd
44	GGSSS Libaspur
45	GGSSS, Siras Pur
46	SBV, Tikri Khurd
47	SKV Banger, Prahaladpur
48	G Co-Ed SS, Auchandi
49	GBSS Bankner
50	SV, Sannoth
51	GBSS Prahladpur
52	GBSSS No.-2, Roop Nagar
53	GGSSS No.-1, Roop Nagar
54	SKV Rana Pratap Bagh
55	SKV, Vijay Nagar
56	GBSSS, Bawana
57	SKV Malka Ganj
58	GGSS Idgah Road
59	Co-ed Sec. School Sushila Mohan Marg, Naya Bazar
60	SKV, Burari
61	GGSS, Burari
62	GSKV Gulabi Bagh
63	SKV Padam Nagar
64	SBV Lalita Block Shastri Nagar
65	SKV Inderlok
66	GBSSS, Badli
67	GSKV, Badli
68	GGSSS Shalamar Village
69	GGSS, Azadpur Village
70	Jahangirpuri Block-A
71	BT Block Shalimar Bagh

27/07/2021

72	Bulbuli Khana SKV **Phase-I (Under Construction)**
	Bulbuli Khana SKV **Phase-2 (Site not handed over by school authorities)**
73	Kamla Market Zeenat Mahal SKV No.1 **Phase-1 (Under Construction)**
	Kamla Market Zeenat Mahal SKV No.1 **(Site not handed over by school authorities)**
74	Pandara Road SKV
75	Aram Bagh Lane SKV
76	East Park Road GGSS
77	Paharganj GGSSS
78	RPVV Link Road, Plot No-1, Karol Bagh
79	SKV Hari Nagar, Ashram
80	DDA Flat Kalkaji
81	Govt. Co.-Ed., Middle School, Sarai Kale Khan, Vidut Nagar
82	S.K.V. Andrews Ganj
83	SV Shahpurjat
84	S.B.V., Sadiq Nagar
85	RPVV Lajpat Nagar
86	Co-Ed SSS Lajpat Nagar
87	GBSSS Jangpura
88	SKV (Gargi) Green Park Extension
89	SV Safdarjang Enclave
90	SKV Hauzrani
91	S.K.V. New Friends Colony
92	SKV Noor Nagar
93	GGSSS Jogabai
94	GGSSS No. 1, East of Kailash
95	S.K.V. No. 2, East of Kailash
96	Sriniwas Puri/ School No. 2, Kalkaji
97	GBSS, Garhi, Jharia Maria
98	SBV Yogi Arvind
99	GGSSS Tigri
100	Ishani G- Block Saket
101	SKV MB Road Pushp Vihar
102	SKV, Mandi
103	SKV Begumpur
104	GGSS Begumpur
105	Sarvodaya Co-ed Vidyalaya Sec-2, R K Puram, New delhi/SKV Mehrauli
106	GBSSS Sec-3, R.K. Puram, New Delhi **(Site not handover)**
107	GGSSS No. 1, Molarband
108	GGSSS No. 2, Molarband

27/07/2021

109	GGSSS No. 4, Molarband,
110	S.K.V., Molarband
111	GGSSS, Tajpur Pahari
112	S.K.V. Rani Jhansi
113	GGSSS No. 2, Tughlakabad, Railway Colony
114	GBSSS, Varun Marg, Defence Colony
115	S.K.V., A-Block, Defence Colony
116	S.K.V., C-Block, Defence Colony
	S.K.V., C-Block, Defence Colony **(DDE Office)**
117	S.V. Ali Ganj,
118	S.V. Jorbagh,
119	Co-Ed Vidyalaya, Masjid Moth
120	SKV Madanpur Khadar
121	GGSS, DDA Flat, Kalkaji, Ph-II
122	Badarpur No. 3
123	GGSSS No. 3, Kalkaji
124	SPM Sarvodaya Vidyalya C.R.Park
125	BNSKV, Jaunapur
126	SBV, Jaunapur
127	Munrika, Sarvodaya (Co. Ed.) SSS
128	Vasant Vihar, C-4, G(Co. Ed.) MS
129	Vasant Vihar, SV
130	R.K Puram, Sector -13(Co. Ed.)SV
131	Rajokari SKV
132	Ghitorni GBSSS
133	Delhi Cantt. SKV
134	GBSSS Dichaon kalan
135	Najafgarh, Jharoda Kalan GGSSS
136	SV Co-ed Dichaon Kalan
137	Deendar Pur SBV
138	Govt. Co.Ed. SSS, Jaffarpur
139	Goela Khurd GGSSS
140	Goela Khurd GBSSS
141	Dhansa -GBSSS
142	Khaira-GGSSS
143	Jhatikara-G(Co. Ed.) SS
144	Kair -GBSSS
145	Kair SKV
146	G(Co.Ed.) SSS Hasanpur
147	G.(Co.Ed.) SSS Khera Dabar
148	Naraina, JJ Camp- GBSSS
149	Naraina, 1st shift SBV
150	Palam Enclave, No.1 SKV
151	Palam Enclave, No.3 GGSSS
152	Palam Village, No.1 SBV
153	GGSSS Bijwasan Bharthal Road,
154	SBV Bijwasan (Bharthal)
155	G Co.Ed.SS, Sec-16A, Dwarka

27/07/2021

156	Shahid Captain Amit Verma Govt. S(Co.Ed)V, Inderpuri
157	SKV, Rajnagar-I
158	Sarvodaya Co.Ed. Mehram Nagar (School ID: 170003)
159	GBSSS Dera Village
160	GGSSS Dera Village
161	Sarvodaya Kanya Vidhalaya, A-Block Keshav Puram Delhi
162	Sector-6, Rohini, New Delhi
163	SKV, No.-2, Shakurpur Delhi
164	GGSSS, Shakurpur Delhi
165	SKV, Sec-16 Rohini
166	GGSSS, Sector-1, Avantika Rohini, Delhi
167	Sarvodaya Co. ed. Vidyalaya Sec-2, Rohini,
168	GGSSS Anandvas, Kohat Enclave, Delhi
169	GGSSS Anandvas, Delhi
170	SV Kailash Enclave, Delhi
171	GGSSS, A-Block, Saraswati Vihar, Delhi
172	Sarvodaya Co-ed Vidyalaya Sec-8 Rohini
173	GBSSS Prashant Vihar,
174	GGSSS Mubarakpur Dabas
175	SKV Nithari
176	SKV Sector-20, Rohini Extn. Pooth Kalan
177	GGSSS Block-D, Sultanpuri
178	GGSSS, P-Block, Sultanpuri
179	GBSSS, E-Block, Sultanpuri
180	SKV, H-Block, Sultanpuri
181	Govt. (Co-ed) Sec. School, Sultanpur Majra
182	SKV Block-Q, Mangolpuri
183	SKV Kanjhawala
184	SV, Jaunti
185	Govt. Co-ed SSS Nizampur, Delhi
186	Rani Khera S (Co-ed). V
187	SBV Sawada (Ghevra)
188	SV Ghevra,
189	GGSSS No.-1, Khyala
190	SKV No.-2, Khyala
191	SBV Chand Nagar
192	G(Co. Ed.)SS, JJ Colony Raghubir Nagar
193	GGSSS, JJ Colony, Raghubir Nagar
194	SV, East Punjabi Bagh
195	GBSSS No.1, Punjabi Bagh
196	SKV No. 2, Punjabi Bagh
197	GGSSS No.-1, Madipur
198	SKV No. 2 Madipur
199	SV (Co.-Ed.) A-2 Paschim vihar
200	SV (Co. Ed.) B-4, New Multan Nagar

27/07/2021

201	SKV, Ranhaula
202	SV(Co-ed), Hiran Kudna
203	SKV, Nilothi
204	SKV, Amalwas, Jawalapuri
205	G.(Co-ed)SS Ranhaula, Kunwar Singh Nagar
206	Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Shiv Ram Park, Nangloi
207	SKV, G-Block, Vikaspuri
208	GBSSS No. 2 Uttam Nagar
209	SKV Uttam Nagar
210	G.(Co.Ed.)SS Vikas Nagar
211	GBSSS, KG-I/II, Vikaspuri
212	SKV Sultanpuri Road, Nangloi
213	SKV B-3, Paschim Vihar
214	SV, Jaidev Park
215	SBV Moti Nagar
216	SKV Moti Nagar
217	GGSSS Ambika Vihar
218	G(Co-Ed) SSS, Karampura, Industrial area
219	SKV Ranjit Nagar
220	GBSSS Shadi Khampur
221	SKV, Shadi Khampur
222	GBSSS, West Patel Nagar
223	GGSSS West Patel Nagar
224	SBV West Patel Nagar
225	SBV No.1, Tilak Nagar
226	SBV No. II Tilak Nagar
227	GGSSS No. I, Tilak Nagar
228	SKV No.-III, Tilak Nagar
229	SBV, Block-A, Vikas Puri
230	SKV, Block-B, Janakpuri
231	SKV No. 2 C-Block, Janakpuri
232	GGSSS No.-2, A-Block, Janakpuri
233	SV(Co-Ed) Block-L, Hari Nagar
234	GBSSS Site-2 Clock Tower Hari Nagar
235	GGSSS Ashok Nagar
236	SBV, Subhash Nagar
237	GBSSS, Rajouri Garden Extn.
238	SKV Rajouri Garden Extn.
239	SKV Rajouri Garden Main
240	SKV No. 2 Tagore Garden
241	GBSSS, Tagore Garden

27/07/2021

List of 54 Pilot Schools (51 Buildings)
(Renovated/facelifted with State of Art Facilities)

S.No.	Name of School & School ID
1	GGSSS Vivek Vihar Ph-II1001026
2	RPVV Surajmal Vihar1001104
3	RSKV Block-27 Trilok Puri1002024
4	RSKV West Vinod Nagar delhi *1002032
5	RSBV Block-27 Trilok Puri1002177
6	GGSSS New Kondli Delhi1002186
7	GGSSS School Block Shakarpur 1002191
8	GGSSS Mayur Vihar Ph-III1002199
9	GSBV Rani Garden 1003002
10	GGSSS No-2 Gandhi Nagar 1003034
11	SKVC 1 Yamuna Vihar Delhi-531104018
12	GBSSS Shastri Park1105011
13	SKV Jafrabad Delhi Jeenat Mahal1105018
14	GBSSS Shakti Nagar No-1 delhi1207019
15	SBV Mori Gate No-11207022
16	GGSSS Shakti Nagar No-2 1207038
17	GGSSS Nathupura Delhi1207111
18	GSKV Block Shalimar Bagh1309030
19	SBV A-block Jahangirpuri1309253
20	GBSSS Shahbah Daulat pur1310431
21	GSBV Pooth Kalan1412007
22	SBV R-Block Mangol Puri delhi 1412011
23	SKV C-Block Sultan Puri 1412026
24	SV Sec-3 Rohini1413002
25	Govt. Sarvodaya Co-ed Vidyalya Sec-9 Rohini1413010
26	SKV Qutab Garh1413028
27	SKV (DC) Vikas Puri1514017
28	GGSSS No-1 Tagore Garden1515026
29	SKV No-1 Janakpuri 1618017
30	SV N0-3 Sec-7 R.K.Puram1719022
31	SV Co-ed SSS Nanak Pura Moti Bagh1719105
32	GBSS IARI Pusa 1720005
33	SKV Gitorni 1720033
34	GGSSS Ghumanhera, New delhi -1100731820051
35	SKV No-1 Sagar pur new delhi1821016
36	Govt. Co-ed SSS Sec-2 Dwarka new delhi1821029
37	Rao Tula Ram SV Surhea1822003
38	Govt. Co-ed SSS Malik pur New delhi1822059
39	GBSSS Sect-5 DR. Ambedkar Nagar New Delhi1923011
40	SKV Chirag Delhi Soami Nagar1923037
41	GGSSS Sect-5 DR. Ambedkar Nagar New Delhi1923047

27/07/2021

42	GGSSS MB Road Pushp Vihar sec-1 new delhi (Morning Shift)1923055
43	GBSSS MB Road Pushp Vihar sec-1 new delhi (Evening Shift)1923058
44	Sarvodaya vidyalaya Dakshinpuri sec-51923351
45	KGSBV Chirag Enclave1925003
46	VSSKV No-1 Kalka ji new delhi1925029
47	SHKGSBV Lajpat Nagar 1925059
48	Rana Pratab Govt. (sindhi) Sarvodaya Vidyalaya 2128032
49	GSBV Krishna Nagar Delhi-511003013
50	GBSSS Mata Sundri Road 2127005
51	SBV, Rouse Avenue2127001
52	GBSSS, Sec-1,Dwarka1821234
53	SV, C-Block, Saraswati Vihar1411123
54	GBSSS, Jharoda Kalan1822065

27/07/2021

List of 22 Pucca School Buildings under Construction through PWD

S. No.	Name of Project	Assembly constituency
1	2	3
1	C/o Pucca School Building (Four Storeyed) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Dariyapur Kalan,** Delhi.	Bawana
2	C/o Pucca School Building (Four Storeyed) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Libaspur,** Delhi.	Badli
3	C/o Pucca School Building (Four Storeyed) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site, Govt. Sr. Sec. School (Co-Ed) at **Rana Pratap Bagh,** Delhi.	Model Town
4	C/o G+3 Pucca School Building at **Bhalswa (DUSIB Land)** with with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site, through PWD with amount of Rs.37,20,17,600/- (with break up in Financial Year 2019-20 Rs.7.51 Crores & in. Financial Year 2020-21 Rs.30.02 Crores).	Badli
5	Construction of Pucca School Building (G+3) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of sites, RWHS, STP, etc at **Sector 05, Rohini,** Delhi.	Rithala
6	Construction of Pucca School building (G+3) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installations, internal electrical installation and development of site, RWHS, STP, Furniture etc at **Sector 18, Rohini.** (SH: Civil and Electrical Composite Work)	Rohini
7	Construction of Govt. Sr. Sec. Pucca School building (G+3) with ancillary facilities including internal water supply,internal electrical installation, sanitary installations, development of site ,STP and RWH etc at **Sector-27, Rohini.**	Bawana
8	Construction of Pucca School building (G+3) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installations, internal electrical installation and development of site , RWHS, STP , Furniture etc at **Ladpur Village** . (SH:- Civil & Electrical composite work).	Mundka
9	Construction of G+3 Pucca School Building comprising with complete site development, RWHS, STP, Tubewell, Gen Set, PA System, Furniture etc. at **RPVV A-6 Paschim Vihar.**	Shakur Basti
10	Construction of G+3 Pucca School Building comprising with complete site development, RWHS, STP, Tubewell, Gen Set, PA System, Furniture etc. at **Vasant Kunj.**	Mehrauli

24/07/2021
S.O. (L&E)

11	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including Internal Water Supply, Sanitary Installation, Internal Electrical Installation and Development of site at **Nangli Shakrawati** through PWD.	Matiala
12	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including Internal Water Supply, Sanitary Installation, Internal Electrical Installation and Development of site at **Jaffarpur Kalan** through PWD.	Najafgarh
13	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including Internal Water Supply, Sanitary Installation, Internal Electrical Installation and Development of site at **Qutubapur (Sainik Vihar) (Near Goyla Dairy)** through PWD.	Shakur Basti
14	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including Internal Water Supply, Sanitary Installation, Internal Electrical Installation and Development of site at **Sector-16, Dwarka** through PWD.	Matiala
15	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Sultanpur** through PWD.	Mehrauli
16	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Jaunapur site-II** through PWD.	Chattarpur
17	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Sarita Vihar** through PWD.	Okhla
18	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Tehkhand** through PWD.	Tughlakabad
19	C/o (G+3) Pucca School Building with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of site at **Satbari** through PWD.	Chattarpur
20	Construction of Pucca School Building (G+3) with ancillary facilities including internal water supply, sanitary installation, internal electrical installation and development of sites at **Kohat Enclave,** Delhi. **(West) Division.**	Trinagar
21	Construction of Pucca School Building for Delhi Transco Ltd. Primary School at Desu Colony, **Janakpuri,** New Delhi including internal electrical works, drainage, furniture and external Development work.	Hari Nagar
22	Construction of Pucca School Building for Govt. Girls Sr. Sec. School No. 2 **Uttam Nagar,** New Delhi including internal electrical works, drainage, furniture and external Development work.	Vikaspuri

24/07/2021
S.O. (Land & Estate)

Status of newly constructed 21+6 Pucca school buildings & SPS School Buildings through PWD

S.No.	Name of work	Assembly Constituency
1	Sr. Sec. School, Sector-17, Dwarka (phase-II)	Matiala
2	Sr. Sec. School, Sector-22, Dwarka(phase-III)	Matiala
3	Sr. Sec. School, Madanpur Khadar, Phase-II	Okhla
4	Sr. Sec. School, Madanpur Khadar, Phase-III	Okhla
5&6	**Two Govt. Sr. Sec. School Buildings** with Swimming pool & MP Hall,+ Hastsal Village	Vikaspuri
7	Sr. Sec. School, Sector-1, Rohini	Rithala
8	Sr. Sec. School, Sector-3, Rohini	Mangolpuri
9	Sr. Sec. School, Sector-4, (Extn.) Rohini	Rithala
10	Sr. Sec. School, Sector-6, Rohini	Rithala
11	Sr. Sec. School, Sector-17, Rohini	Rithala
12	Sr. Sec. School, Sector-21 Phase-III, Rohini	Bawana
13	Sr. Sec. School, Sector-21 Phase-II, Rohini	Bawana
14	Sr. Sec. School, Sector-22 Phase-III, Rohini	Bawana
15	Sr. Sec. School, No. 3, Kalkaji	Kalkaji
16	Sr. Sec. School, Sector-3, Site-II, Dwarka	Matiala
17	Sr. Sec. School, Sector-5, Dwarka	Matiala
18	Sr. Sec. School, Sector-13, Dwarka	Matiala
19	Sr. Sec. School, Sector-19, Dwarka	Matiala
20	Sr. Sec. School, Khicharipur	patparganj
21	Sr. Sec. School, Sector-23, Rohini	Bawana
Status of newly constructed 06 SPS school buildings through PWD & I&FC		
1	Govt. Sr. Sec. School, I.P. Extension	Vishwasnagar
2	RPVV I.P. Extension	Vishwasnagar
3	Govt. Sr. Sec. School, Outram Lane	Timarpur
4	Govt. Sec. School Vipin Garden	Uttam nagar
5	Govt. Sr. Sec. School, shahbad Dairy	Bawana
6	Govt. Sr. Sec. School, Baprola	Vikaspuri

24/07/2021

S.O. (Land & Estate)

Status of newly constructed 21+6 Pucca school buildings & SPS School Buildings through PWD

S.No.	Name of work	Assembly Constituency
1	Sr. Sec. School, Sector-17, Dwarka (phase-II)	Matiala
2	Sr. Sec. School, Sector-22, Dwarka(phase-III)	Matiala
3	Sr. Sec. School, Madanpur Khadar, Phase-II	Okhla
4	Sr. Sec. School, Madanpur Khadar, Phase-III	Okhla
5&6	**Two Govt. Sr. Sec. School Buildings** with Swimming pool & MP Hall,+ Hastsal Village	Vikaspuri
7	Sr. Sec. School, Sector-1, Rohini	Rithala
8	Sr. Sec. School, Sector-3, Rohini	Mangolpuri
9	Sr. Sec. School, Sector-4, (Extn.) Rohini	Rithala
10	Sr. Sec. School, Sector-6, Rohini	Rithala
11	Sr. Sec. School, Sector-17, Rohini	Rithala
12	Sr. Sec. School, Sector-21 Phase-III, Rohini	Bawana
13	Sr. Sec. School, Sector-21 Phase-II, Rohini	Bawana
14	Sr. Sec. School, Sector-22 Phase-III, Rohini	Bawana
15	Sr. Sec. School, No. 3, Kalkaji	Kalkaji
16	Sr. Sec. School, Sector-3, Site-II, Dwarka	Matiala
17	Sr. Sec. School, Sector-5, Dwarka	Matiala
18	Sr. Sec. School, Sector-13, Dwarka	Matiala
19	Sr. Sec. School, Sector-19, Dwarka	Matiala
20	Sr. Sec. School, Khicharipur	patparganj
21	Sr. Sec. School, Sector-23, Rohini	Bawana
Status of newly constructed 06 SPS school buildings through PWD & I&FC		
1	Govt. Sr. Sec. School, I.P. Extension	Vishwasnagar
2	RPVV I.P. Extension	Vishwasnagar
3	Govt. Sr. Sec. School, Outram Lane	Timarpur
4	Govt. Sec. School Vipin Garden	Uttam nagar
5	Govt. Sr. Sec. School, shahbad Dairy	Bawana
6	Govt. Sr. Sec. School, Baprola	Vikaspuri

24/07/2021

S.O. (Land & Estate)

31. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दयालपुर की हालत अत्यन्त जर्जर है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि घनी आबादी को देखते हुए यह विद्यालय दो पालियों में चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक पाली के बालक/बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?

माननीय उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ, विद्यालय को बालिका और बालक, दो पालियों में चलाया जा रहा है।

(ग) 1. बालिका - 1608 (प्रथम पाली)

2. बालक - 1591 (द्वितीय पाली)

(घ)और(ङ) शिक्षा निदेशालय द्वारा लोक निर्माण विभाग को विद्यालय की आवश्यक मरम्मत, नवीनीकरण हेतु निम्नलिखित व्यय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है-

1. GGSSS दयालपुर (विद्यालय आई.डी.-1104026)

2. GBSSS दयालपुर (विद्यालय आई.डी.-1104004)

वर्ष 2013 में किए गए कार्य-

1. E.O.R. ID 20133002

Construction of 01 no. tubewell & pump house at GGSSS Dayalpur

वर्ष 2014 में किए गए कार्य-

1. E.O.R. ID 20141264

1. Providing and fixing fiber glass sheet in window ii. Providing and fixing factory made precase RCC perforated drain cover. iii. Providing and fixing in position precase RCC manhole cover and furnishing.

2. E.O.R. ID 20141328

1. Provision of electrical wiring with FRPVC copper conductor wire. ii. MCBDB iii. Ceiling & exhaust fan. iv. 1 × 36watt & HSPV flood light fitting.

वर्ष 2016 में किए गए कार्य-

1. E.O.R. 20162945

1. Providing and laying in position concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to

plinth level : (a) 1 : 5 : 10 (1 cement : 5 coarse and : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) 2. Brick work with common Burt clay FPS (non modular) brick of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor v level in all shapes and size in : cement mortar cement. 6 coarse sand) iii. Providing and laying cement concrete in retaining walls, return walls, (any thickness including attached pilasters, columns, piers, abutments, pillars posts, struts, buttress, pillar, posts, struts, utters, string or lacing courses parapets, coping bed block, anchor blocks, plain window sills, fillet, sunken floor etc., up to floor five level excluding the cost of centering, shuttering and finishing 1 : 2 : 4 (1 cement: 2 coarse: 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size iv. Providing and fixing M.S grills required pattern In frame of windows etc.

वर्ष 2017 में किए गए कार्य-

1. E.O.R. 20171164

1. Rewiring for light, fan, exhaust fan, call bell point with 1.5 s.q. mm 2. Supplying and drawing following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor. 3. Supplying and fixing metal box 4. Supplying and fixing following way single pole and sheet steel, MCB distribution board, 240 volts, on surface/recess, complete with tinned copper etc. 5. Supplying and fixing 5 amps to 32 amps rating 6. Supplying and fixing modular switch/socket 7. Supplying and fixing rating, double pole, 240 volts, isolator S. Supplying and fixing sizes of steel conduit along with accessories

in surface/recess 9. Providing and fixing rating and breaking capacity and pole MCCB 10. Supplying and fixing 3 pin, 5 amp ceiling rose on the existing junction box/ wooden block 11. Wiring for circuit/sub-main wiring along with earth wire 12. Supplying and fixing of 3 mm thick premium lamination junction box cover as reqd. 13. Supplying and fixing 20 amps, 240 volts, SPN industrial type, socket

तथा इस विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा दिया गया प्राथमिक प्राक्कलन विचाराधीन है।

32. **श्री विशेष रवि :** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा शिक्षा विभाग को लिखे गए पत्रों क्रमश दिनांक 8.10.19 संदर्भ 113582, दिनांक 17.03.2021 संदर्भ 228875, दिनांक 16.02.2021 संदर्भ 118177, दिनांक 11.11.20 संदर्भ 116412, दिनांक 16.02.2021 संदर्भ 118172, दिनांक 17.03.21 संदर्भ 118868, दिनांक 16.04.21 संदर्भ 119175, दिनांक 20.06.21 संदर्भ 119422 तथा दिनांक 26.06.21 संदर्भ 119394 पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त पत्रों में अपेक्षित जानकारी के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण दें।

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) पत्र संख्या 113582 दिनांक 08.10.2019 श्री विशेष रवि, माननीय विधायक, करोल बाग द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. कोटा लागू करने वाले पब्लिक स्कूलों के निरीक्षण के संबंध के सुझाव के अनुपालन में, 11 मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षा निदेशक द्वारा मनोनीत अधिकारियों ने इन विद्यालयों में निरीक्षण करके वर्ष 2019-20 में हुए ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के दाखिलों के विषय में रिपोर्ट जमा की।

पत्र संदर्भ 118172, 228875, 118177 तथा 118868 के संबंध में माननीय विधायक ने रामजस स्कूल, आनन्द पर्वत तथा जी.डी. सलवान पब्लिक स्कूल द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के कुछ दाखिलों को मना करने का मुद्दा उठाया है।

जी.डी. सलवान पब्लिक स्कूल ने प्री-स्कूल स्तर पर अपनी सीटें 100 से घटाकर 80 करने का प्रार्थना पत्र दिया है। उनका आशय है कि विद्यालय 100 सीटें भर नहीं पा रहा है।

इस संबंध में विभाग के निर्देशानुसार, इस विद्यालय में शिक्षा निदेशक द्वारा मनोनीत अधिकारी को विद्यालय के दावे की जाँच के लिए भेजा गया। दिनांक 06.03.2021 को संबंधित अधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय के फोन कॉल, एस.एम.एस. रिकॉर्ड व पत्राचार इत्यादि देखने के पश्चात् अधिकारी ने 10.03.2021 को रिपोर्ट दी कि समुचित प्रयास करने के बाद भी गत वर्षों में विद्यालय सामान्य श्रेणी के 75 दाखिले नहीं कर पा रहा है। अत:

15.03.2021 को डी.ई. नामिनी की रिपोर्ट के साथ, पत्रावली निर्णय हेतु पी.एस.बी. भेजी गई है।

रामजस पब्लिक स्कूल-

पत्र संदर्भ 118172, 228875, 118177 तथा 118868 के संबंध में लेख यह है कि उक्त विद्यालय को वर्ष 2019-20 में ई.डब्ल्यू. एस./डी.जी. श्रेणी के अन्तर्गत 73 सीटें आवंटित थीं तथा विद्यालय द्वारा कुल 73 सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था।

वर्ष 2020-21 में ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी में 57 सीटें आवंटित थीं जिसमें से 25 विद्यार्थियों को नर्सरी/प्री-स्कूल में तथा 1 विद्यार्थी को के.जी./प्री-प्राईमरी में दाखिला दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार 4 विद्यार्थी दाखिला लेने हेतु उपस्थित हुए। शेष सीटों के लिए स्कूल को निर्देश दिया गया है कि वह छात्रों को दाखिल करें।

माननीय विधायक के पत्र संख्या 116412 दिनांक 18.11.2020 के संबंध में सूचना प्रेषित है कि दिनाँक 09.10.2020 को सर्वोदय कन्या विद्यालय (बा.रा.दे.) की उप प्रधानाचार्य ने श्री ज्ञान सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करके उन्हें विद्यालय परिसर में उनके गैर कानूनी कब्जे को खाली करने का निर्देश दिया। श्री ज्ञान सिंह द्वारा उत्तर ना देने पर पत्रावली संख्या 1742/सी. डी. त्यार करके दिनाँक 01.12.2020 को कार्यवाही हेतु उसे सतर्कता शाखा भेजा गया।

दिनाँक 24.02.2021 को इस पत्रावली को सतर्कता शाखा ने क्रम संख्या 1620/जे.डी.ई. (ए) के तहत भूमि एवं सम्पदा शाखा को भेजा है क्योंकि ज्ञान सिंह वहीं कार्यरत है।

पत्र संख्या 199175 दिनाँक 16.04.2021 में माननीय विधायक ने जी. डी. सलवान स्कूल, राजेन्द्र नगर द्वारा शुल्क में वृद्धि का विषय रेखांकित किया है।

इस संबंध में इस विद्यालय को दिनांक 21.04.2021 को ही बढ़ाया हुआ शुल्क वापिस लौटाने हेतु एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके प्रत्युतर में पत्र दिनांक 23.05.2021 के माध्यम से विद्यालय ने बताया कि 2020-21 में उसने फीस नहीं बढ़ाई, किन्तु बढ़ते खर्चों व समाप्त होते संसाधनों के कारण विद्यालय प्रबंधन को शुल्क में 1200 रुपए बढ़ाने पड़े।

विद्यालय के उत्तर से असंतुष्ट जिला कार्यालय ने पत्रवाली संख्या 457 दिनाँक 13.05.2021 को पी.एस.बी. शाखा में भेजी गई है।

हालाँकि याचिका संख्या 7526/2020 में अपने आदेश दिनांक 31.05. 2021 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने इस विद्यालय को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य नियमित शुल्क वसूलने की अनुमति दी है।

पत्र संदर्भ 119422 दिनांक 20.06.2021 के संदर्भ में लेख निम्नानुसार है

बिन्दु संख्या 1, 7 व 9

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए बिन्दु 1, 7 व 9 के संबंध में यह निवेदन है कि माता-पिता की सहमति से, पूर्ववर्ती सी.एल.

भल्ला दयानन्द मॉडल स्कूल के छात्र आसपास के निजी स्कूलों और कुछ सरकारी विद्यालयों में भर्ती कराये गए।

इस संबंध में कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

बिन्दु संख्या 2

अधिकांश छात्रों (सामान्य और ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी दोनों) को उनकी पसंद के निजी/सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। तथापि, यदि कुछ ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. छात्र छूट जाते हैं, तो यह कार्यालय माता-पिता की पसंद के राजकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिन्दु संख्या 3, 4 व 8

चूंकि स्कूल को मान्यता सक्षम प्राधिकारी (तत्कालीन शिक्षा निदेशक) द्वारा तत्कालीन नीति के अनुरूप प्रदान की गई थी, इसलिए माननीय विधायक द्वारा उल्लेखित बिन्दु 3, 4 और 8 पर तथ्यों का अवलोकन करने के बाद शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय निर्णय ले सकता है।

बिन्दु संख्या 6

सी.एल. भल्ला दयानन्द मॉडल स्कूल (प्राईवेट स्कूल) से भूमि प्राप्त कर सी. एल. भल्ला डी.ए.वी. (सरकारी अनुदान प्राप्त) को दे दी गई है।

बिन्दु संख्या 10

मान्यता से संबंधित नीति एवं शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है।

पत्र संख्या 119394 दिनांक 26.06.2021 के संबंध में लेख यह है कि–

इस संबंध में प्रधानाचार्य, सलवान पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर ने अपने ईमेल दिनाँक 03.07.2021 के माध्यम से बताया है कि आज तक उनके पास सामान्य श्रेणी के तहत केवल 58 छात्र हैं और आनुपातिक रूप से स्कूल में पहले से ही प्री–प्राइमरी में ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी के 19 छात्र हैं। तथापि, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह सामान्य श्रेणी के तहत प्रवेश के अनुपात के आधार पर ई.डब्ल्यू.एस. छात्रों को निश्चित रूप से प्रवेश देगी।

हालांकि, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विद्यालय को बच्चे को दाखिल करने का निर्देश दिया जा रहा है।

No.E-XV/0/92/ 1265 Dated the 15/5/92

171

To,

The Organising Secretary,
C.L. Bhalla D.A.V. Modal School,
Jhandewalan, New Delhi.

Subject :- Issuance/Essentiality Certificate request for.

Sir,

With reference to your letter of dated 18-9-92 on the subject cited above, You are requested to full fill the following requirements to process the case:-

1. The Market cost of Land, occupied by the Management, be got estimated by the appropriate Authority.
2. The Management will have to deposit Market cost of Land in Fixed Deposit Account of Aided school in the name of the Manager of the school and the Director of Education, Delhi.
3. The school Authority should deposit a Reserve Fund of at least Rs.20,000(Twenty thousand) in the Joint Account of the Director of Education and the Manager of the school,
4. The school should be seprated having seprate gate.
5. All the conditions as laid down under the rules sholud be fulfilled.

Yours Faithfully,

(Mrs. J. Dixit)
Dy. Education Officer, Zone-XV
Distt. Central, New Delhi.

Recd. the Orig. & Duplicate
on 25.6.92

25.6.92

33. श्री अभय वर्मा : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल का वजीफा पिछले 2 वर्षों से नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन छात्रों को किताब, कॉपी और पेंसिल का वितरण भी नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि हिन्दी माध्यम के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की किताबें देकर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) छात्रों को बस पास साल भर के बजाय सिर्फ नौ महीने के लिए दिए जाने के क्या कारण हैं?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क)और(ख) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार "मेघावी छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना" के अंतर्गत पिछले वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 2500/- रूपए प्रतिवर्ष, प्रति छात्र वजीफा दिया जाता है। कक्षा 7 से कक्षा 12 के छात्र इस योजना के अंतर्गत वजीफा प्राप्त करने के योग्य हैं। 2019-20 में 29,508 छात्रों को वजीफा प्रदान किया गया। वर्ष 2020-21 में वजीफे की अदायगी नहीं हो सकी क्योंकि कोविड-19

के कारण विद्यालय बंद थे और वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी जो कि इस योजना का मुख्य आधार हैं।

(ग) यह असत्य है।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को सभी पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जाती हैं और लेखन सामग्री के लिए नकद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खाते में प्रदान की जाती है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नकद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

1. 2020-21 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले लगभग 7,94,310 छात्रों को पुस्तकें व नगद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

2. 2020-21 में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले लगभग 8,27,037 छात्रों को नगद राशि आधार कार्ड आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को सभी पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जा चुकी हैं और नकद राशि के भुगतान का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(च) विद्यालय द्वारा छात्रों को उनके आवेदन के अनुसार बस पास फॉर्म सत्यापित करके दिया जाता है तथा बस पास दिल्ली परिवहन निगम जारी करता है।

34. श्री अभय वर्मा : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 6 सालों में पढ़ने वाले बच्चों की हर साल की संख्या कितनी है, और

(ख) इन स्कूलों में दसवीं और बारहवीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या हर साल कितनी रही है. कृपया विवरण उपलब्ध कराएं?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) पिछले 6 वर्षों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	वर्ष	नामांकन
1	2015-16	1476427
2	2016-17	1495622
3	2017-18	1548323
4	2018-19	1520422
5	2019-20	1533360
6	2020-21	1646067

(ख) पिछले वर्षों में कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या	
	दसवीं	बारहवीं
2014-2015	141602	146251
2015-2016	143538	137709
2016-2017	157801	127291
2017-2018	147182	117998
2018-2019	186835	135943

35. **श्री नरेश यादव :** क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि प्राईवेट स्कूलों में सीट आवंटित होने के बाद भी बच्चों के माता-पिता स्कूलों के चक्कर लगाने को बाध्य होते हैं और कई बार उनके बच्चों को समय पर दाखिला भी नहीं मिल पाता;

(ख) क्या इस संबंध में कोई केन्द्रीकृत व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें माता-पिता को स्कूल न जाना पड़े और बच्चों के दाखिले का कार्य जिलेवार 'सिंगल विंडो' व्यवस्था से किया जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस संबंध में विचार करेगी?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) यह सत्य नहीं है। यह सूचित किया जाता है कि प्राईवेट स्कूलों में सीटों का आवंटन (ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी में) की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूटराईज्ड होती है।

शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के ऑनलाईन कम्प्यूटर डाटा के अनुसार पिछले तीन साल (सत्र 2018-2021) में ई.डब्ल्यू.एस./ डी.जी. श्रेणी में किए गए आवेदन और लिए गए दाखिलों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	वर्ष	आवेदन	दाखिला
1.	2018-19	130546	35557
2.	2019-20	157683	35659
3.	2020-21	172598	35081

यद्यपि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है. विभाग द्वारा उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ख) इस संबंध में जैसाकि उपरोक्त में बताया गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कम्प्यूटराईज्ड है। शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देशों से संबंधित परिपत्र संख्या DE.15(22)/PSB/2021-22/1897-1904 दिनांक-15.06.2021 जारी किया गया है (संलग्नक 'क') जिसमें निर्देशित किया गया है कि इस संदर्भ में सुधार/शिकायत हेतु

अभिभावक/विद्यालय, ई.डब्ल्यू.एस. हेल्पलाईन नम्बर–8800355192 एवं 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार (कार्यदिवस) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अभिभावक GRMS पोर्टल http://doepvt.delhi.gov.in पर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।

-1- 8/C संलग्नक-'क' 12/C

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION (PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No.DE 15 (22) /PSB/2021-22 / 1897-1904 Dated: 15/06/21

CIRCULAR

SUBJECT: Guidelines for admission of EWS/DG & CWSN Category Students in Private Unaided Recognized Schools of Delhi at Entry Level Classes for the academic session 2020-21 selected through Computerized Draw of Lots.

In continuation of this Directorate's order dated 06/04/2021 and 09/04/2021 (Copy enclosed), following instructions are issued for all concerned for taking necessary action:

1. The Computerized draw of lots for Online Applications received from EWS/DG & CWSN Category students for admission at the Entry Level Classes (Nursery/Pre-School, KG/Pre-primary, Class-I) has been conducted on 15th June 2021 (Tuesday).

2. The successful candidates/applicants of the computerized draw of lots shall be informed about the school allotted for admission under EWS/DG & CWSN category through SMS on their registered mobile number, within 24 hours of completion of draw of lots.

3. The applicants can check the name of the school allotted through Computerized Draw of Lots using Registration ID & Date of Birth at the link **'EWS/DG Result 2020-21** in the module **'EWS/DG Admission 2020-21'** available at the Home page of the departmental website www.edudel.nic.in. The total number of online applications received is 126738. Hence, every applicant can't be selected in draw of lots.

   a) If the applicant has been allotted the school, the screen will show the allotted school name.

   b) If the applicant has not been allotted any school, the screen will show a message that **'It is regretted that you have not been selected in the draw of lots.**

   c) If the applicant enters wrong Registration ID/Date of Birth then the screen will show a message that **'No Record Found'.**

4. The successful applicants shall approach the school allotted through computerized draw of lots on or before 30 June 2021 (Wednesday) up to 1 PM during school hours along with the following documents as per the information filled in the online application form:

   (a) Print out of the application filled.
   (b) Two photographs of the candidate.
   (c) Self Attested photocopy of proof of date of birth.
   (d) Self Attested photocopy of Residential Proof.
   (e) Self Attested photocopy of documentary proof for EWS/DG & CWSN category, whichever applicable.

   The parents/guardians shall also keep the original documents with themselves for verification by the school authority.

5. If the successful applicant fails to approach/report the school on 30 June 2021 (Wednesday) up to 1 PM for completing the formalities for admission under EWS/DG & CWSN category, his candidature shall be cancelled.

6. The School can check the details of the students/applicants allotted through computerized draw of lots on departmental website i.e. **www.edudel.nic.in.** Using the school ID and Password through the link **School Plant-EWS-EWS/DG Result 2021-22.**

7. The School can see all the online applications details of the allotted applicants by using the link as mentioned above.

In this connection, respective Unaided Recognized Private Schools are hereby requested to do the following:-

(i) Place an enlarged printout of the list of students outside the school gates for the information and ease of parents.

(ii) Many parents may be approaching private schools for the first time. Therefore, in order to help and facilitate the parents of EWS/DG & CWSN category children, the concerned schools must set up Help Desks within the school premises to explain to the parents the formalities regarding paper work etc. required for admission.

(iii) Schools shall not deny admission to the successful candidates who have filled details of only one of the parents in the online application form.

(iv) It should be ensured by school authorities that the admission to EWS/DG & CWSN category successful candidates shall not be denied on frivolous ground e.g. one or two letters are different in any name in some document. Absence of Aadhaar is also not a ground to deny admission to the successful candidates.

(v) Heads of the concerned Private Unaided Recognized Schools shall not unnecessarily sends the parents to the Department, for making amendments/correction in the online application forms, as the same cannot be done at this stage. Rather, they should be taking a decision based on genuineness/merit of the specific cases and must not deny admission on unjustified frivolous grounds.

(vi) Admission is to be granted as soon as possible so that children can join the academic session on the very first day itself.

(vii) The school shall not charge tuition fee from the students admitted under EWS/DG & CWSN category. Further, **schools have to provide the free books, school uniforms and writing material to each and every student admitted under EWS/DG & CWSN category, as is mandated for other children** at the time of admission, or in any case, before 30/06/2021.

(viii) Schools are advised to hold introductory session for all parents together including the parents of EWS/DG & CWSN category children.

(ix) The school must confirm details of the EWS/DG & CWSN category successful candidates from the supportive documents produced by them.

8. The school shall carefully carry out the necessary scrutiny/verification of the documents produced. The school must also verify the genuineness of EWS/DG & CWSN certificates issued by the different department through online (http://edistrict.delhigovt.nic.in) , if available, or in writing from the office of issuing authority.

9. Income certificate issued by the Competent Authority declaring the total annual family income less than Rs.1,00,000/-is a valid document for admission under EWS category whether it is in the name of mother or father or guardian of the child.

10. The school shall not ask for income certificate from those EWS category parents who submit copy of BPL/AAY/Food Security Card issued by Food and Civil Supply Department, GNCT of Delhi.

11. The school shall not ask for any Income Certificate from the parents/ applicants who have been selected under DG category.

12. The school shall not impose the condition for the copies of the documents produced at the time of admission to be attested by a Gazetted Officer. Self Attested documents must be accepted by the school. However, verification with original documents must be carried out by the school.

13. The school shall issue proper acknowledgement against the request of the parents/guardian seeking admission in the school as declared in the computerized draw of lots.

14. **The school shall call all candidates allotted through computerized draw of lots on their registered mobile number informing about the selection in the school and last date of admission.**

15. The school shall not refuse to grant admission to EWS/DG & CWSN category children on the ground of distance range.

16. Every selected student has been allotted a Serial Number in order of their selection in the respective school through computerized draw of lot and list of candidates has been forwarded online in the same order to the respective schools. **The school shall give admission to the selected candidates in order of the Serial Number allotted to the candidate through computerized draw of lots and as available on the online module. For example, if the total general category admission done in the school as on date is 18 out of the total declared 30 General Category seats then the school shall consider firstly, the candidates from S No.1 to 6, for admission under EWS/DG & CWSN category before considering the candidate of any subsequent serial numbers.**

17. The school, by 30 June 2021 (Wednesday) shall update the correct admission status as per the options available on the web page of the respective schools (Admitted/provisionally Admitted/Not Reported/ Rejected/Inwaiting) in respect of the applicants allotted through computerized draw of lots. The said details shall be updated daily through the link School department website www.edudel.nic.in. **School Plant---EWS---EWS/DG Result 2021-22** available on departmental website www.edudel.nic.in.

18. On the above mentioned link, the school shall clearly specify, in detail, the reason of rejection, if any selected applicant is denied the admission. The category of the reasons may be selected from the following grounds:-

- Non-submission of valid date of birth proof of the candidate.
- Non-submission of valid residence proof. Non-submission of valid EWS/DG & CWSN proof.
- For EWS, the Income Certificate does not show annual income as less than one lakh per annum.
- If ration card is submitted as residence proof, the name of the child does not figure in the ration card. Mismatch between online details and documentary evidence.
- Duplicate Entry.

General Instructions for all concerned:-

1. **The school once allotted to the applicant through the computerized draw of lots shall not be changed under any circumstances.**

2. The admission of the child shall be cancelled in case the documents submitted by the applicant at the time of admission are found to be forged/fake or not supportive at any stage.

3. Multiple/Duplicate entries, if found at any stage, shall liable to cancellation of the candidature/admission of the candidate.

4. For any clarification/grievances in this context, parents/school may contact on the EWS helpline number 8800355192 and 9818154069 on working days from Monday to Friday between 10:00 am to 5:00 pm. Parents can also file their grievances/complaints on the GRMS portal at http://doepvt.delhi.gov.in

5. For any clarification/grievances in this context, parents/school may contact respective Dy. Director of Education (District/Zone). All District DDEs are requested to ensure that above said instructions are adhered strictly by all the Unaided Private Recognized Schools. Further, all Dy. Directors of Education (District/Zones) shall attend the EWS/DG & CWSN parents sympathetically and resolve their grievances, if any, related to admission in co-ordination with respective school and shall insure appropriate directions to the schools regarding admission of the applicant, if necessary.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

(YOGESH PAL SINGH)
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

HOS/Managers
All Private Unaided Recognized Schools of Delhi.

No. DE.15(22)/PSB/2021-22/ 1897-1904 **Dated:** 15/06/21

Copy for information to:-
1. P.S. to Director, Education Department, GNCT of Delhi.
2. P.S. to Secretary, Education Department, GNCT of Delhi.
3. P.S. to Spl. Director, Education Department, GNCT of Delhi.
4. PA to (Director) Education, East MCD, North MCD, South MCD with the request to issue similar circular/guidelines to the students/schools under their jurisdiction.
5. All Special/Addl. Directors/RDs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. Of Education, GNCT of Delhi.
6. OS (IT) with the request to upload it on the departmental website.
7. Guard file.

(YOGESH PAL SINGH)
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION (PRIVATE SCHOOL BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No.DE 15 (22) /PSB/2021-22/ 1939-1946 **Dated:** 17/06/21

CORRIGENDUM

SUBJECT: Guidelines for admission of EWS/DG & CWSN Category Students in Private Unaided Recognized Schools of Delhi at Entry Level Classes for the academic session 2021-22 selected through Computerized Draw of Lots.

This is in continuation to this Directorate's circular no. DE15(22)/PSB/2021-22/1897-1904 dated 15/06/2021 on the subject cited above. The academic session under the subject head **2020-21** may be read as **2021-22.** Further, at clause no.3 the link **EWS/DG Result 2020-21 in the module "EWS/DG Admission 2020-21** may be read as **"EWS/DG Result 2021-22 in the module 'EWS/DG Admission 2021-22.**

Rest of the contents of the circular dated 15/06/2021 remains unchanged.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

(YOGESH PAL SINGH)
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

HOS/Managers
All Private Unaided Recognized Schools of Delhi.

No. DE.15(22)/PSB/2021-22/ 1939-1946 **Dated:** 17/06/21

Copy for information to:-

1. P.S. to Secretary, Education Department, GNCT of Delhi.
2. P.S. to Director, Education Department, GNCT of Delhi.
3. Director, Education, East MCD, North MCD, South MCD with the request to issue similar circular/guidelines to the students/schools under their jurisdiction.
4. All Special/Addl. Directors/RDs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. Of Education, GNCT of Delhi.
5. OS (IT) with the request to upload it on the departmental website.
6. Guard file.

(YOGESH PAL SINGH)
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

36. श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिए पिछले छः सालों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने बच्चों ने आवेदन किया और कितने बच्चों का दाखिला हो सका;

(ख) सरकार इन बच्चों की पढ़ाई के लिए पब्लिक स्कूलों को कितना भुगतान कर रही है; और

(ग) पिछले छः सालों के दौरान किस-किस स्कूल को कितने बच्चों के लिए कितना भुगतान किया गया, कृपया जानकारी उपलब्ध कराएं?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के ऑनलाईन कम्प्यूटर डाटा के अनुसार पिछले छः वर्षों में प्राईवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के आवेदन व दाखिले से संबंधित विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदन	दाखिला
1	2015-16	उपलब्ध नहीं है	23311
2	2016-17	73059	19875
3	2017-18	113991	25149
4	2018-19	130546	35557
5	2019-20	157683	35659
6	2020-21	172598	35081

(ख) निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी के छात्रों के प्रवेश के लिए वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर प्रतिपूर्ति दी जाती है जो कि पिछले 6 वर्षों की अनुमोदित दर इस प्रकार है–

क्रम संख्या	वर्ष	अनुमोदित दर
1	2014–15	15480/–
2	2015–16	19176/–
3	2016–17	19176/–
4	2017–18	19176/–
5	2018–19	26908/– रुपए + 1100/– रुपए (वर्दी) कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, 26708/– रुपए + 1400/– रुपए (वर्दी) कक्षा 6 से कक्षा 8 तक।
6	2019–20	26908/– रुपए + 1100/– रुपए (वर्दी) कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, 26708/– रुपए + 1400/– रुपए (वर्दी) कक्षा 6 से कक्षा 8 तक।

(ग) पिछले छः सालों के दौरान बच्चों तथा भुगतान से संबंधित जानकारी के आँकडे अत्यधिक विस्तृत है। यदि माननीय विधायक को किसी विद्यालय विशेष के आँकड़ों की आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

37. **श्री सुरेंद्र कुमार** : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकलपुर विधान सभा में स्कूलों में क्या-क्या कार्य चल रहा है, यह कितनी लागत में होना है;

(ख) अलग-अलग कार्यों का विवरण व कार्य एजेन्सी सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) और कौनसे कार्य पिछले तीन वर्षों में पूर्ण हुए हैं;

(घ) कितनी परियोजनायें स्कूलों की प्रस्तावित हैं; और

(च) समस्त स्कूलों में अलग-अलग जो कार्य किये गये हैं उनमें कितना-कितना, कब-कब किस संस्था को पेमेन्ट किया गया है, कृपया विवरण उपलब्ध कराएं?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) गोकलपुर विधान सभा के निम्नलिखित विद्यालयों में आवश्यक मरम्मत व नवीकरण कार्य चल रहा है-

Sl No.	School ID	School Name
1	1104017	G (Co-ed) Joharipur
2	1104020	SKV Gokalpuri
3	1104021	SKV Gokapalpuri Village
4	1104400	GSSS Gokulpur Loni road, East
5	1106019	SKV Mandoli
6	1106117	GGSSS Saboli
7	1106259	GGSSS Mandoli Extension

गेकलपुर विधानसभा के अंतर्गत एस.के.वी. गोकुलपुर गाँव में 40 समकक्ष क्लास-रुम का निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी लागत लगभग 7.50 करोड़ आएगी।

(ख) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा सभी कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) पिछले 3 वर्षों में निम्नलिखित विद्यालयों में प्रथम फेज में कमरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है-

Sl. No.	School ID	School Name
1	1104017	G (Co-ed) Joharipur
2	1104400	GSSS Gokulpur Loni road, East
3	1106019	SKV Mandoli
4	1106117	GGSSS Saboli
5	1106259	GGSSS Mandoli Extension

(घ) द्वित्तीय फेज में निम्नलिखित विद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहा है–

Sl No.	School ID	School Name
1	1104020	SKV Gokalpuri
2	1104021	SKV Gokalpuri Village

(च) व्यय स्वीकृति का विवरण निम्नलिखित है–

Sl. No.	E.O.R. ID	Amount
1	20191138	3652219
2	20181363	2507008
3	20182059	939800
4	20171025	1343455
5	20181833	996100
6	20191083	352183

38. श्री पवन शर्मा : क्या **माननीय उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली की सभी विधानसभाओं में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा आदर्श नगर विधानसभा मे दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में स्कूलों के लिए जगह/जमीन की मांग दिल्ली विकास प्राधिकरण से की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे किसी प्रस्ताव की योजना है?

माननीय उप मुख्यमंत्री :

(क) जी हाँ, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के सभी जोन में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव केबिनेट निर्णय संख्या 2980, दिनांक 22.03.2021 द्वारा पारित किया गया है जिसकी प्रति संलग्नक 'क' रुप में संलग्न की गई है।

(ख) शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन के लिए पत्र लिखा जा चुका है, पत्र की प्रति संलग्नक 'ख' के रुप में संलग्न की गई है।

(ग) लागू नहीं होता।

संलग्नक 'क'

CABINET MATTER

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No F.03/10/GAD/CN/2021/dsgadiii/1576-85 Dated: 22/03/2021

CABINET DECISION NO. 2980 DATED 22.03.2021

Subject: Cabinet Note Regarding Opening of Schools of Specialized Excellence.

Decision: The Council of Ministers considered the Cabinet Note of Director (Education) and approved the proposal contained in para-VIII of the Cabinet Note.

--Sd--
(Vijay Kumar Dev)
Secretary to the Cabinet

No F.03/10/GAD/CN/2021/dsgadiii/1576-85 Dated: 22/03/2021

1 Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2 Addl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3 Secretary to Dy. Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
4 Secretary to Minister, GAD, Govt. of NCT of Delhi.
5 Secretary to Minister, Health, Govt. of NCT of Delhi.
6 Secretary to Minister, Food and Supply, Govt. of NCT of Delhi.
7 Secretary to Minister, Social Welfare, Govt. of NCT of Delhi.
8 Secretary to Minister, Transport, Govt. of NCT of Delhi.
9 Director (Education), Govt. of NCT of Delhi for necessary action.
10 OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

22.3.2021

(P.K. Gupta)
Joint Secretary to the Cabinet

संलग्नक 'ख'

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY, DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
LAND & ESTATE BRANCH, LUCKNOW ROAD, DELHI-54

F.16/Land & Estate/2021/ 1262 **Dated:-** 14/7/21

To,

The Dy. Director (IL)
Delhi Development Authority (DDA)
Vikas Sadan New Delhi.

Subject: - Regarding allotment of land for constructing Schools of Excellence.

Sir,

Education is a priority sector of Govt. of Delhi doing best efforts for development of the better infrastructure to the Children of Delhi & trying to provide world class education to the students. In order to impart quality Education the Council of Minister of GNCT of Delhi has decided to open Schools of Excellence.

Therefore, It is requested you to allot land for construction for Schools of Excellence in each Zone of Directorate of Education as per Cabinet decision no. 2980 Dated 22-03-2021.

14/07/2021
[K.K Malhotra]
Section Officer (L&E)

39. **श्री रघुविन्दर शौकीन :** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नांगलोई स्थित सूरजमल स्टेडियम को दिल्ली सरकार के अन्तर्गत लाने हेतु संबंधित विभाग (डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन-स्पोर्ट्स ब्रांच) द्वारा वर्ष 2016 में कार्य शुरू कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो विगत वर्षों में विभाग द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. इस संबंध में विभाग के द्वारा किए गए पत्राचार सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) मामले से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

* सूरजमल स्टेडियम को दिल्ली सरकार के अन्तर्गत लाने हेतु प्रस्ताव आने के पश्चात् दिनांक 18.01.2018 को खेल शाखा-शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार. पी.डब्ल्यू.डी. व डी.डी.ए. के अधिकारियों द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

* तत्पश्चात् डी.डी.ए. से उक्त स्टेडियम के हस्तांतरण से संबंधित तौर-तरीकों की जानकारी देने व उक्त स्टेडियम की सम्पत्ति और देनदारियों के बारे में दिनांक-13.03.2018 (संलग्नक-'क') को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया तथा इस संबंध में

पुनः दिनाँक-02.04.2018 (संलग्नक-'ख') को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया।

* उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में डी.डी.ए. द्वारा दिनांक-10.04.2018 (संलग्नक-'ग') को पत्र द्वारा सूचित गया कि इस कार्यालय द्वारा किए गए अनुरोध पर उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

* दिनाँक-02.08.2018 व 02.11.2018 को डी.डी.ए. को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किए गए (संलग्नक-'घ')।

– डी.डी.ए. के पत्र दिनांक-13.11.2018 (संलग्नक-'ड.') द्वारा पुनः सूचित किया गया कि डी.डी.ए. ने उपरोक्त अनुरोध पर उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है, अनुमति मिलते ही डी.डी.ए. द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।

– संबंधित मामले पर डी.डी.ए. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, तत्पश्चात् शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.07.2021(संलग्नक-'च') को डी.डी.ए. को पुनः अनुस्मारक पत्र-2 प्रेषित किया गया।

22/C

संलग्नक 'ख'

24.

Speed Post

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SPORTS BRANCH
CHHATRASAL STADIUM: MODEL TOWN: DELHI – 110009

No. DE.41/Sports/2017-18/23026 Dated: 13.03.2018

To,

The Executive Engineer,
Sports Disison-2/DDA,
Delhi Development Authority,
Shed Park, Shakarpur,
Delhi-110092

Sub: Regarding handing over/taking over of Surajamal Stadium at Nangloi to Directorate of Education.

Sir,

Kindly refer to the joint inspection made by this office on 18.01.2018 with your officers and P.W.D. engineers regarding handing over/taking over of Surajmal Stadium at Nangloi.

In this connection, you are requested to intimate this office about modalities relating to transfer of said stadium. You are also requested to intimate this office about assets & liabilities of the said Stadium.

Yours faithfully

(ASHA AGGARWAL) 13/3/18
Dy. Director of Education (Sports)

O/C

Report regarding Surajmal Stadium

A visit of Surjamal Stadium, Nangloi was made by undersigned on 18.01.2018 alongwith Sh. Sanjay Kumar, Section Officer, Sh. Mukesh Dabas of Sports Branch and officers of PWD (Education Project Division) & D.D.A. (Sports Division-2) to assess the feasibility of taking over of stadium. During the inspection, Sh. P.K. Talwar, Ex. Engineer, Sports Division-2, D.D.A., Sh. R.L. Kaushik, A.E. Sports Division-2 DDA. were present from D.D.A.. Sh. Karamvir Singh Ex. Engineer, Education Project Division & Sh. Rajved, A.E. Education Project division were representative of Education Project Division of PWD.

The representative of D.D.A. stated that the stadium has playing field of Football cum Cricket, Basketball, Skating Ring, Volleyball, Tennis Lawn (and Jogging Track. It was also informed that there is G.I. Water Supply Pipe Line of 2.5 Inch running underground through the stadium. On enquiry, it was stated by them that the land is free from any litigation and encroachment. At present there is no provision of Security and Sanitation at the stadium. Only two employees of Horticulture Division of D.D.A. are employed at the site for maintaining the ground and stadium. Also, no drinking water facility is available at the site. Apart from that , a defaced statue of Maharaja Surajmal is also there. Representatives of D.D.A. stated that the tender for the statue has already been flouted and same will be beautified soon. A copy of the layout map was also handed over by D.D.A. officers.

During the inspection, it was found that only Football field is in operational condition although the same requires leveling and grass work. There are no coaches/ supporting staff employed to provide any coaching related to sports. Also, there are no rooms/ office to maintain the facilities.

The site was found to be conducive for developing Sports Center but will require major development work as the present facilities are in depilated condition. In the existing set up, Football, Basketball & Skating facilities may be developed for which manpower for Coaching, Security, Sanitation etc will be required throughout the year. At present there is no Toilet Block & Changing Room in the stadium.

At present there is no Sport Facility of Sports Branch in the area. Venue is easily approachable due to connectivity of Main Rohtak Road and Metro Station which incidentally is named Surajmal Stadium. Once, the stadium is developed, it will cater to the needs of not only Nangloi Area but will also cater to the needs of area adjoining Mundka, Tikri, Kirari , Peeragarhi & Sultanpuri.

Report is submitted for kind consideration and further n/a please.

संलग्नक 'ख'

Reminder-I

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SPORTS BRANCH
CHHATRASAL STADIUM: MODEL TOWN: DELHI-110009

No. DE/41/Sports/2016/ 09 Dated: 2/4/18

To

The Executive Engineer,
Sports Division-2/DDA,
Delhi Development Authority,
Shed park, Shakarpur,
Delhi-110092.

Sub: Regarding handing over/taking over of Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education.

Sir,

Kindly refer to this office letter of even number-23026 dated 13.03.2018 on the subject cited aboven whereby a request was made to intimate this office about modalities relating to transfer of said stadium. It was further requested to intimate this office about assets & liabilities of the said Stadium. However, nothing has been received from your side till date.

You are therefore, once again requested to kindly do the needful in the matter at the earliest

Yours faithfully,

(Asha Aggarwal)
Dy. Director of Education (Sports)

संलग्नक 'II'

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
SPORTS DIVISION-2
Seed Bed Park, Shakarpur, Delhi-110092
Ph: 22484881, e-mail: eespd2dda@gmail.com
(M) 9968682379

No: F1 (4) AE-V /Sports Divn. 2/DDA/2017-18/ 303 Date: 10/4/18

To,

The Dy. Director of Education (Sports)
GNCTD, Chhatrasal Stadium
Model Town, Delhi-110009

Sub: Regarding handing over / taking over of Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education

Ref: i) DE.41/Sports/2017-18/23026 dated 13.03.2018
ii) DE.41/Sports/2016/09 dated 02.04.2018 (Reminder-I)

With reference to above, this office has initiated the action for getting the permission from the higher authorities in order to act on your request.

Executive Engineer
Sports Divn.2/DDA

Copy to:

1. AE-V/Sports Divn.2 for information

Executive Engineer
Sports Divn.2/DDA

152/Sports
13/4/18

Inform the Hon'ble MLA.

13/4

ADE(V) 13/4

60(83) 16/4/18

संलग्नक 'ए'-

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SPORTS BRANCH
CHHATRASAL STADIUM: MODEL TOWN: DELHI-110009

No. DE/41/Sports/2018/ 4845-46 Dated: 04/5/2018

To

The Executive Engineer,
Sports Division-2/DDA,
Delhi Development Authority,
Shed park, Shakarpur,
Delhi-110092.

Sub: Regarding handing over/taking over of Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education.

Sir,

Kindly refer to your office letter No. F.1(4)/AE-V/Sports Divn.2/DDA/2017-18/303 dated 10.04.2018 on the subject cited above, intimating thereby that action for getting the permission from the higher authorities for handing over/taking over the Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education, has been initiated. However, no further information has been received from your side.

It is therefore, requested to kindly intimate this office about the progress in the matter so far and also the modalities to transfer of said stadium. It is also requested to intimate this office about assets & liabilities of the said stadium.

Yours faithfully,

(Dharmender Singh)
Dy. Director of Education (Sports-I)

Copy to Sh. Raghuvinder Shokeen, Hon'ble MLA, Assembly Constituency Nangloi Jat, Rajendra Public School Complex, 50 ft Road, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041 for favour of information please.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SPORTS BRANCH
CHHATRASAL STADIUM, MODEL TOWN: DELHI-110009

F. No. DE. 41/ Sports/2018/ 10404-05 Dated: 02.11.2018

To

The Executive Engineer,
Sports Division-2/DDA,
Delhi Development Authority,
Shed Park, Shakarpur,
Delhi-110092

Sub: Regarding handling over/taking over of Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education.

Sir,

Kindly refer to this office letter No.DE.41/Sports/ 2018/4845-46 dated 02.08.2018 on the subject cited above whereby it was requested to inform us about the modalities of transfer of Surajmal Stadium to this Directorate as well as about the assets & liabilities of the said stadium. But no reply has been received from your office.

It is once again requested to kindly intimate this office about the progress in the matter so far and also the modalities to transfer of said stadium. It is also requested to intimate this office about assets & liabilities of the said stadium.

Yours faithfully

1/4/18

(PRADEEP TAYAL)
Asstt. Director of Education (Sports)

Copy to Sh. Raghuvinder Shokeen, Hon'ble MLA, Assembly Constituency Nangloi Jat, Rajendra Public School Complex, 50 ft Road, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041 for favour of information please.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
SPORTS DIVISION-2
Seed Bed Park, Shakarpur, Delhi-110092
Ph: 22484881, e-mail: eesptd2dda@gmail.com

संलग्नक - 'ङ'

No: F1(4)AEV/Sports Divn. 2/DDA/2017-18/ 902 Date: 13-11-18

To,

The Asstt. Director of Education (Sports)
GNCTD, Chhatrasal Stadium
Model Town, Delhi-110009

Sub: **Regarding handing over / taking over of Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education**

Ref: **i) DE.41/Sports/2018/4845-46 dated 02.08.2018**
ii) DE.41/Sports/2018/10404-05 dated 02.11.2018

With reference to above, this office has already been initiated the action for getting the permission from the higher authorities in order to act on your request. As soon as the permission shall be granted, this office will intimate the same.

13/11/18

Executive Engineer
Sports Divn.2/DDA

Copy to:

1. AE(P)/Sports Divn.2 for information
2. Guard file

2644/Sports
16/11/18

Executive Engineer
Sports Divn.2/DDA

सं.सभा.क.सं.

Reminder-II

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SPORTS BRANCH
CHHATTRASAL STADIUM: MODEL TOWN: DELHI – 110009

F. DE/41/Sports/2019/ 1956-57

Dated: 29/7/21

To

The Executive Engioneer,
Sports Division-2/DDA
Delhi Development Authority,
Shed Park, Shakarpur,
New Delhi-92

Sub: **Regarding handing over/taking over of Surajmal Stadium at Nangloi to Directorate of Education**

Sir.

Please find attached a letter received from Sh. Raghuvinder Shokeen, Hon'ble MLA, Nangloi Jat Constituency, Rajendra Public School Complex, 50 Ft. Road, Nihar Vihar Nangloi, Delhi-110041 on the subject cited above whereby a request has been made to intimate his office about modalities relating to transfer of said stadium from DDA to Dte. of Education (copy enclosed).

In this regard, earlier a lettere No.- 23026 dt. 13.03.2018 & a Reminder No.-09 dt. 02.04.2018 (enclosed) on the subject cited requesting to intimate this office about assets & liabilities of the said Stadium. However, the said information is yet to be received.

You are therefore, onece again requested to kindly do the needful in the matter at the earliest.

(SANJAY AMBASTA)
DDE (SPORTS)

Copy for information:-

1. Sh. Raghuvinder Shokeen, Hon'ble MLA,
   Nangloi Jat Constituency, Rajendra Public School Complex,
   50 Ft. Road, Nihar Vihar Nangloi, Delhi-110041

40. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के किन-किन स्कूलों में निर्माण कार्य चल रहे है;

(ख) इन निर्माण कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इन कार्यों पर कितनी कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) वर्ष 2020-21 में किस-किस मद के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क) गोकुलपुर विधानसभा के निम्नलिखित सरकारी विद्यालयों में आवश्यक मरम्मत व नवीनीकरण कार्यों हेतु व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है

Sl. No.	School ID	School Name
1	1104017	G (Co-ed) Joharipur
2	1104020	SKV Gokalpuri SKV
3	1104021	Gokalpur Village
4	1104400	GSSS Gokulpur Loni road, East
5	1106019	SKV Mandoli

6	1106117	GGSSS Saboli
7	1106123	GGSSS B Block, Meet Nagar
8	1106256	GGSS, Harsh vihar
9	1106259	GGSSS Mandoli Extension

इसके अलावा मण्डल कार्यालय के अन्तर्गत एस.के.वी., गोकुलपुर गाँव में 40 समकक्ष क्लास रूम का निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी लागत लगभग 7.50 करोड़ आएगी।

(ख) ये निर्माण कार्य दिनाँक 31.10.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) इन कार्यों पर खर्च होने वाली धनराशि का विवरण इस प्रकार है

Sl.No.	School ID	E.O.R. ID	Amount
1	1106259	20191138	3652219
2	1104017	20181363	2507008
3	1104021	20182059	939800
4	1104400	20171025	1343455
5	1104400	20181833	996100
6	1106256	20191083	352183

इसके अलावा मण्डल कार्यालय के अन्तर्गत एस.के.वी. गोकुलपुर गाँव में 40 समकक्ष क्लास रूम का निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी लागत लगभग 7.50 करोड़ आएगी।

(घ) एस.के.वी. गोकुलपुर गाँव (आई.डी.-1104021) वर्ष 2020-21 में 25.08.2020 को लगभग 45,75,000/- दिनाँक 06.11.2020 को लगभग 1,04,44,000/- तथा दिनांक 16.01.2021 को लगभग 66,37,000/- का भुगतान किया जा चुका है।

41. **श्री ऋतुराज गोविन्द** : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा कोई एक्सीलेंस स्कूल खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क)से(ग) पहले चरण में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह एक नीतिगत मामला है जो भविष्य में भूमि/भवन की उपलब्ध ता पर प्रस्ताव दिया जाएगा।

42. **श्री जरनैल सिंह** : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला विकास समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है;

(ख) जिला विकास समिति के क्या अधिकार हैं;

(ग) जिला विकास समिति के सदस्यों का विवरण दिया जाए;

(घ) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली के अलग-अलग जिलों में जिला विकास समिति द्वारा की गई मीटिंग्स का विवरण दिया जाए; और

(ङ) जिला विकास समिति के कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य सुविधाओं का विवरण दिया जाए?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) जिला विकास समिति का गठन हर जिले में विकास संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है प्रतिलिपि अनुलग्नक '1'[12] पर संलग्न है।

(ख) जिले के विकास के लिए योजनाओं की निगरानी के लिए बैठक बुलाने, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी सहित सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाना।

(ख) दिल्ली सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और कार्यान्वयन एजेंसियों पर एक निगरानी के रुप में कार्य करना।

(ग) परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, जिन्हें जिला स्तर पर हल किया जा सकता है।

---

12. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(घ) समिति संबंधित मंत्री की सहायता से क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को हल करना प्रतिलिपि अनुलग्नक '2' पर संलग्न है।[13]

(ग) प्रतिलिपि अनुलग्नक '3' पर संलग्न है।[14]

(घ) प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।[15]

(ङ) प्रतिलिपि अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।[16]

43. श्री जरनैल सिंह : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला न्यायाधीश कार्यालय द्वारा कौन से प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं;

(ख) जन्म प्रमाण-पत्र बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसमें कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, तथा इन दस्तावेजों का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है;

(ग) सत्यापन होने के बाद कितने दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है;

(घ) पश्चिमी जिला में जनवरी 2016 से मई 2021 तक कितने जन्म प्रमाण पत्र बने हैं;

---

13. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

14. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

15. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

16. http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ङ) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2018 में पश्चिमी जिला न्यायाधीश कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के मामले सामने आए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) जिला न्यायाधीश कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC), अधिवास प्रमाण पत्र, लाल डोरा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, करदान क्षमता प्रमाण पत्र, जीवित सदस्य प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं, इस संदर्भ में e-district portal पर सभी प्रमाण पत्र की सूची उपलब्ध है, सूची की प्रतिलिपि **अनुलग्नक 'क' पर संग्लन है**।

(ख) इस विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाते हैं किन्तु विलंबित जन्म प्रमाण आदेश पत्र जारी किए जाते हैं।

(ग) किसी भी प्रमाण पत्र के आवेदन करने से लेकर प्रमाण पत्र जारी होने तक में 14 की अवधि निर्धारित की गई है लेकिन विवाह प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन की अवधि निर्धारित की गई है. अवधि की जानकारी के लिए प्रतिलिपि **अनुलग्नक 'ख' पर संग्लन है।**

अनुलग्नक 'ख' http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(घ) उपरोक्त 'ख' के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए परन्तु जनवरी 2016 से लेकर 31 मई 2021 तक पश्चिमी जिला द्वारा 20626 जन्म प्रमाण आदेश पत्र जारी किए गए हैं।

(ङ) जी हाँ।

(च) दो डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटा दिया गया था और एक डीलिंग असिस्टेंट का ट्रांसफर कर दिया गया था।

Service at doorstep.....

Home Services Downloads About Us Contact Us FAQ Feedback Theme

FORM FOR DISPLAYING SERVICES AVAILABLE AT E-DISTRICT DELHI

S.No.	Name of Servcie	Concerned Department	Date of Go Live	Prescribed Timeline
DEPARTMENT OF REVENUE				
1	Issuance of Translated version of the Certificates	Department of Revenue	05/03/2021	
2	B-Book for inspection, NOC and Certified Copy	Department of Revenue	18/05/2020	
3	Certified copy of the rules and regulation and governing body of the society	Department of Revenue	03/01/2021	
4	Deed writer for preparation of various deeds	Department of Revenue	18/05/2020	
5	Dr. B.R. Ambedkar State Topper Award to Minority students	Department of Revenue	03/02/2021	
6	Enrollment as Civil Defence Volunteer	Department of Revenue	13/09/2016	14
7	e-Search for Property	Department of Revenue	18/05/2020	
8	Final Judgment on Court Cases	Department of Revenue	13/09/2016	10
9	Grant of License of Cinematograph	Department of Revenue	13/09/2016	21
10	Help Desk for search dues pending at various local bodies	Department of Revenue	18/05/2020	
11	Issuance of Caste (OBC) Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
12	Issuance of Caste (SC) Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
13	Issuance of Caste (ST) Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
14	Issuance of Delayed Birth Order	Department of Revenue	06/05/2015	
15	Issuance of Delayed Death Order	Department of Revenue	06/05/2015	4
16	Issuance of Domicile Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
17	Issuance of Income Certificate	Department of	06/05/2015	14

18	Issuance of Lal dora Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
19	Issuance of Land Status Report	Department of Revenue	13/09/2016	14
20	Issuance of Permanent Identity Card to the Disabled Person	Department of Revenue	06/05/2015	14
21	Issuance of ROR	Department of Revenue	16/09/2016	10
22	Issuance of Solvency Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
23	Issuance of Surviving Member Certificate	Department of Revenue	06/05/2015	14
24	Merit Scholarship for students belonging to Minority studying in professional/technical colleges. Institutions/Universities	Department of Revenue	03/02/2021	
25	Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-One time Ex-gratia payment	Department of Revenue	05/07/2021	
26	Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana	Department of Revenue	05/12/2018	30
27	Mutation	Department of Revenue	28/04/2017	16
28	Online Cause List	Department of Revenue	13/09/2016	10
29	Payment and Relief Service	Department of Revenue	14/10/2016	14
30	Payment of Govt. Due/Recovery	Department of Revenue	13/09/2016	30
31	Property registration fee and circle rate calculation	Department of Revenue	18/05/2020	
32	Provisional Certificate of Cinematograph	Department of Revenue	13/09/2016	21
33	Registration of Marriage	Department of Revenue	06/05/2015	21
34	Registration of Partnership Firm	Department of Revenue	03/01/2021	
35	Registration of Sale deed/ Lease Deed/ Partnership Deed (Dept informed that the physical presence is mandatory for this Service)	Department of Revenue	29/12/2020	0
36	Registration of Society and Non-Government Organization	Department of Revenue	03/01/2021	
37	Reimbursement of Tution Fees to the Minority students of Class I to XII	Department of Revenue	03/02/2021	
38	Renewal of License of Cinematograph	Department of Revenue	13/09/2016	1
39	Renewal of Registration Welfare / Charitable/ Societies under Societies Registration Act, 1860	Department of Revenue	03/01/2021	—
40	Right to Information (RTI)	Department of	21/07/2017	

			Revenue		
	41	Solemnization of Marriage	Department of Revenue	14/10/2016	90
	42	Status Tracking of Recovery	Department of Revenue	16/09/2016	10
	43	Track Court Cases	Department of Revenue	13/09/2016	10
	44	Updation in records for change of constitution of firms and addition or retirement of partners	Department of Revenue	03/01/2021	
	45	Updation in records for change of name of the partners & permanent address of the partners	Department of Revenue	03/01/2021	
	46	Updation in records for change of principal place of bussiness & change in the name of the firm	Department of Revenue	03/01/2021	
	47	Updation in records for change of the other than the principal place of bussiness	Department of Revenue	03/01/2021	
	48	Updation in records for dissolution of the firm	Department of Revenue	03/01/2021	
	49	Updation in records for minor partner attains the age of majority	Department of Revenue	03/01/2021	
		DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE			
	50	Delhi Family Benefit Scheme	Department of Social Welfare	07/01/2017	45
	51	Disability Pension Scheme	Department of Social Welfare	07/01/2017	45
	52	Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-Monthly financial assistance to the family of the deceased NEW	Department of Social Welfare	05/07/2021	
	53	Old Age Pension Scheme	Department of Social Welfare	07/01/2017	45
		WOMEN & CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT			
	54	Application For Financial Assistant for Delhi- Ladli Scheme-2008	Women & Child Development Department	24/12/2020	
	55	Application For Financial Assistant for performing of marriage of daughter (WDM) of "Women in Distress"	Women & Child Development Department	24/12/2020	
	56	Delhi Pension Scheme to Women in Distress	Women & Child Development Department	12/12/2018	45
		DEPARTMENT OF FOOD & SUPPLY			
	57	FPS License Renewal	Department of Food & Supply	13/11/2020	30
	58	FPS Change in the AAY/Priority Household Card	Department of	09/02/2017	30

44. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत कुल कितने गाँव हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि गाँव के लोग एक गाँव से दूसरे गाँव चेक रोड के माध्यम से जाते थे;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि दयालपुर गाँव से तुकमीरपुर गाँव तक जाने के लिए एक चेक रोड बनी हुई थी;

(घ) यदि हाँ तो यह कितने गट्टे की रोड थी, बताने की कृपा करें;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि किसानों द्वारा इस चेक रोड को बेच दिया गया अथवा अतिक्रमण कर दिया गया; और

(च) यदि हाँ, तो इस चेक रोड की चेक निशानदेही करके इसे कब तक खाली करवा लिया जाएगा?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) सब डिविजन (करावल नगर) के अन्तर्गत कुल 11 गाँव हैं।

(ख) केवल राजस्व ग्राम करावल नगर में चेक रोड है, जो गाँववासियों द्वारा आने-जाने हेतु उपयोग में लाई जाती रही है।

(ग) गाँव दयालपुर और तुकमीरपुर राजस्व ग्राम बिहारीपुर के अन्तर्गत आते हैं, जिसके अक्श सिजरे (नक्शा) में कोई चेक रोड प्रदर्शित नहीं की गई है।

(घ) उपरोक्त चेक रोड का संबंधित गाँव के अक्श सिजरे (नक्शा) में प्रदर्शित नहीं होने के कारण, यह नहीं बताया जा सकता कि यह कितने गट्टे की है।

(ङ) ऐसी कोई जानकारी राजस्व रिकॉर्ड माल में मौजूद/दर्ज नहीं है।

(च) राजस्व ग्राम बिहारीपुर के अक्श सिजरे (नक्शा) में चेक रोड नहीं होने की वजह से इसकी निशानदेही नहीं की जा सकती है।

45. **श्री मोहन सिंह बिष्ट** : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के अंतर्गत अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा वह अपने धर्मानुसार पूजा अर्चना करते हैं;

(ख) यदि हाँ तो यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा कुछ धर्म के लोगों को वेतन/मानदेय दिया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ तो गुरूद्वारा, मंदिर, गिरिजाघर के पुजारी तथा सेवकों को वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन्हें भी वेतन/मानदेय देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) लागू नहीं।

(घ)और(ङ) उपरोक्त 'ख' के आधार पर लागू नहीं।

46. **श्री विशेष रवि** : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा डी.एम. सेंट्रल को क्षतिपूति के मामलों में संदर्भ संख्या 118110/9/2/2021, 116840/28/12/2020, 118490/24/02/2021, 116316/10/11/2020, 116115/20/10/2020, 116692/16/13/20, के लिखे गए पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त पत्रों में पूछे गए क्षतिपूर्ति मामलों की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क)और(ख) संदर्भ संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	शिकायतकर्त्ता का नाम	वर्तमान स्थिति
1	118110/9/2/2021	प्रीति मोहनपुरिया	मामला प्रक्रियाधीन है और मुआवजा जारी करने की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को फाइल भेजी गई है।

2	118490/24/2/2021	चमन लाल	फाइल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गई है।
3	116316/10/11/2020	विजय कुमार	मामला प्रक्रियाधीन है और मुआवजा जारी करने की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को फाइल भेजी गई है।
4	116115/20/10/2020	सुबोध यादव	मामला प्रक्रियाधीन है और मुआवजा जारी करने की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को फाइल भेजी गई है।
5	116840/28/12/2020	सिविल डिफेंस स्टाफ का लंबित वेतन	आईसीडी (मध्य) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार दिसम्बर- 2020 तक के सभी वेतन बिलों का भुगतान कर दिया गया है।
6	116692/16/12/20	नारायणी	मामला प्रक्रियाधीन है और दिल्ली पुलिस के पास लंबित है।

47. श्री धर्मपाल लाकड़ा : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में डीडीए द्वारा 89 गांवों को शहरीकृत घोषित किये जाने के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन गांवों में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी जमीन-जायदाद उसके उत्तराधिकारियों के नाम करने में बहुत दिक्कत आती है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क)और(ख) राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है।

(ग)और(घ) इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण शहरीकृत गाँव के राजस्व अभिलेख में दाखिल-खारिज बंद है।

48. **सुश्री भावना गौड़ :** क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व विभाग द्वारा पालम विधान सभा के अंतर्गत भिन्न-भिन्न श्रेणियों में 2015 से लेकर अब तक कितनी रजिस्ट्रियां की गयी हैं, उसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग द्वारा पालम विधान सभा में खसरा नंबर बदल-बदल कर रजिस्ट्रियां हुई हैं और हो रही हैं;

(ग) यदि हां तो उसका पूरा विवरण दें;

(घ) क्या पालम विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सभा/सरकारी जमीनों पर लोगों द्वारा कब्जे कर निर्मित बिल्डिंग्स पर राजस्व विभाग रजिस्ट्रियां की गयी हैं; और

(ङ) यदि हां तो किस नियम के तहत की गयी है, उसका पूर्ण विवरण दें?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) पालम क्षेत्र के अन्तर्गत की गई रजिस्ट्रियों का सालाना ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	कुल रजिस्ट्रियाँ
2015	1013
2016	1675
2017	3123
2018	3953
2019	1996
2020	960
2021 (अब तक)	614
कुल	13,334

(ख)से(ङ) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

49. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा में कुल कितनी ग्राम सभा/सरकारी जमीनें खाली हैं. इनका पते, खसरा का साईज पूर्ण विवरण दें;

(ख) खसरा नंबर 33/17/2 बीघा 1 बिसवा 18 की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) खसरा नंबर 33/9/2 पालम गांव हरिजन बस्ती की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पालम गांव खसरा नंबर 32/6 की वर्तमान स्थिति क्या है?

माननीय राजस्व मंत्री :

(क) रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सभा की कुल जमीन 700 बीघा 7 बिसवा है, कुल 194 खसरा नंबर है, सबका साइज अलग-अलग है।

(ख) 5 पालम गाँव शहरीकृत है, ग्रामसभा भूमि का कब्जा डीडीए विभाग को दिया जा चुका है।

(ग)और(घ) उपरोक्तानुसार।

50. **श्री मोहन सिंह बिष्ट :** क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत लोगों के आने-जाने के लिए कई बसों के कई रूट निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि दो विधान सभाओं करावल नगर तथा मुस्तफाबाद में चलने वाली बसों के लिए करावल नगर में बस टर्मिनल का निर्माण किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि बस टर्मिनल के अन्दर, मेन गेट पर कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर मदर डेरी बूथ खोल दिया गया है;

(घ) यदि हों, तो क्या इसके लिए सम्बन्धित विभागों से स्वीकृति ली गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कौन से विभाग से और कब ली गई बताने की कृपा करें?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) मदर डेरी बूथ को दिल्ली परिवहन निगम एवं मदर डेरी फ्रूट एंड वेजीटेबल (प्राइवेट) लिमिटेड के द्वारा अनुबंध के आधार पर खोला गया है।

(घ) इस बूथ को खोलने के अनुबंध को दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड के संकल्प संख्या 30/2017 मद संख्या 30/2017 दिनाँक 17.10.2017 से सरकारी एजेंसियां या सहकारी प्रतिष्ठान के लिए अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति दी गई है।

(ङ) मदर डेरी बूथ को दिल्ली परिवहन निगम के करावल नगर के बस टर्मिनल के मैन गेट के अन्दर सम्पदा विभाग दिल्ली परिवहन निगम के पत्र संख्या EO/MDFVPL/2018/344 दिनाँक 17.05.2018

द्वारा मदर डेरी फ्रूट एंड वेजीटेबल के साथ अनुबंध के आधार पर खोला गया है।

51. **श्री विशेष रवि :** क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा आयुक्त परिवहन को लिखे गए पत्र क्रमशः दिनांक 22.10.20, संदर्भ संख्या 114957, दिनांक 03.11.20 संदर्भ 116278, दिनांक 29.10.20 संदर्भ 116220 तथा दिनांक 31.08.20 संदर्भ 114979 पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त पत्रों में पूछे गए मामलों की वर्तमान स्थिति का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ।

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) पत्र दिनांक 22.10.2020 संदर्भ संख्या 114957 के बारे में दिल्ली परिवहन निगम ने माननीय विधायक को दिनांक 17.12.2020 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में संसाधनों के अभाव में आपकी मांग के अनुसार नई बस सेवा चलाना व रूट संख्या 610 पर बसें बढ़ाना सम्भव नहीं है। देव नगर से यात्री रूट संख्या 610 का लाभ प्राप्त करके तालकटोरा रोड तथा यहाँ से एयरपोर्ट एक्प्रेस व रूट संख्या 729 बी का लाभ प्राप्त करके अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। भविष्य में दिल्ली परिहवन निगम के बेड़े में संसाधनों की वृद्धि होने पर

आपकी मांग अनुसार बस चलाने पर अवश्य विचार किया जाएगा।

पत्र दिनांक 03.11.2020 संदर्भ संख्या 116278 को राज्य परिवहन प्राधिकरण शाखा ने उचित कार्यवाही करने के लिए दिल्ली मैट्रो को प्रेषित कर दिया था।

पत्र दिनांक 29.10.2020 संदर्भ संख्या 116220 के बारे में दिल्ली परिवहन निगम ने माननीय विधायक को दिनांक 07.12.2020 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि आपकी मांग एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु देवनगर के बस स्टाप का नाम बदलाव करके "देवनगर/सत गुरु रविदास मंदिर" के नाम से रूट प्लेट लगा दी गई है।

पत्र दिनांक 31.08.2020 संदर्भ संख्या 114979 के द्वारा ई-रिक्शा (यात्री/मालवाहक) को कम्पोजिट लोन स्कीम के अंर्तगत DSDFC द्वारा 50,000 के लोन दिलाने के बारे में आग्रह किया गया था। जिसे दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2020 के द्वारा DSDFC को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि प्रेषित की गयी थी।

(ख) पत्र दिनांक 22.10.2020 संदर्भ संख्या 114957 में दिए गए जवाब के अनुसार यथावत स्थिति बनी हुई है।

दिल्ली मैट्रो द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार करोल बाग मैट्रो स्टेशन से चंन्द्र विहार वाया देवनगर, पंजाबी बाग, ज्वाला हेडी, आईएफसीआई

कॉलोनी, एसबी नगर, मीरा बाग, नांगलोइ सयद रूट नम्बर एमएल 67 एसटीए परमिट के अनुसार निर्धारित है।

पत्र दिनांक 31.08.2020 संदर्भ संख्या 114979 में कार्यवाही DSDFC से संबन्धित है।

52. श्री नरेश यादव : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महरौली बस डिपो, जो महरौली क्षेत्र का एक बड़ा डिपो है. जहाँ का बुनियादी ढाँचा बहुत पुराना हो गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि महरौली बस डिपो का बेहतर सुविधाओं के साथ विकास किया जाना आवश्यक है; और

(ग) क्या इस डिपो के पुनर्विकास के लिए सरकार की कोई योजना हैं?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) महरौली क्षेत्र में कोई बस डिपों नहीं है, अपितु दिल्ली परिवहन निगम का बस टर्मिनल जोकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1984 में बनाकर दिल्ली परिवहन निगम को दिया गया था।

(ख) जी हाँ।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

53. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिल्ली में नए बस क्यू शैल्टर बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार कितने बस क्यू शैल्टर बनाने जा रही है या बना दिये गये हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ग) क्या सरकार की त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में भी नए बस क्यू शैल्टर बनाने की कोई योजना हैं?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) 1397 नये आधुनिक बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य परिवहन विभाग ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार (PWD) को सौंपा है।

(ग) जी हाँ।

54. श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेट्रो का तीसरा फेज कब पूरा होना था;

(ख) क्या दिल्ली में मेट्रों का तीसरा फेज पूरा हो गया है; और

(ग) दिल्ली में मेट्रो का चौथा फेज कब शुरू होना था। और कब पूरा होने का टारगेट रखा गया था?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) फेस-III की स्वीकृति पत्र संख्या -K-14011/4/2009-MRTS दिनाँक 26.09.2011 द्वारा लगभग 103 किलोमीटर के लिए जारी की गयी थी और इसे 2016 में पूरा किया जाना था।

दिल्ली के भीतर तीसरे चरण के अतिरिक्त विस्तार का अनुसूचित समापन निम्नानुसार है :

विस्तार	स्वीकृति की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
यमुना विहार (गोकुलपुरी)-शिव विहार	2012	2016
द्वारका-नजफगढ़	2012	2015
मुंडका-बहादुरगढ़ (दिल्ली के भीतर)	2012	2016
नजफगढ़-ढ़ासा बस स्टैंड	2017	2020

(ख) मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी तक पिंक लाइन के लगभग 0.85 कि०मी० के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर चरण-III चालू है। मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी को जुलाई 2021 के अंत तक चालू होने की संभावना है।

दिल्ली के भीतर तीसरे चरण के अतिरिक्त विस्तार के संबंध में, नजफगढ़ से ढ़ासा बस स्टैंड (1.18 कि.मी.) को छोड़कर, सभी चालू हैं। नजफगढ़ से ढ़ासा बस स्टैंड भी जुलाई 2021 के अंत तक चालू होने की संभावना है।

(ग) जुलाई 2019 में भारत सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो चरण-IV के 3 प्राथमिकता कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है और दिसंबर 2019 में भौतिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

इन कॉरिडोर का कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

55. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है जनकपुरी विधान सभा में बने बस शैल्टर के साथ दो दो पक्की दुकानें बनी हैं;

(ख) यह बस शैल्टर किस विभाग के अंतर्गत आते हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जनकपुरी में लगभग सभी पुराने बस शैल्टर टूट गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन बस शैल्टरों को कौन सा विभाग बनाएगा; और

(ङ) इन बस शैल्टरों के साथ बनी दुकानों का मालिकाना हक किस के पास हैं?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) जी हाँ।

(ख) यह बस शैल्टर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आबंटित किए थे।

(ग) जी हाँ। जनकपुरी के कुछ बस शैल्टर खराब हालत में हैं।

(घ) 1397 नये आधुनिक बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य परिवहन विभाग ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार को सौंपा है।

(ङ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

56. श्री रघुविन्दर शौकीन : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा कच्ची कॉलोनियों में लास्ट माईल कॉनेक्टिविटी के लिए मिनी बसों से नांगलोई विधान सभा के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली कॉलोनियों की सूची उपलब्ध कराई जाए; और

(ख) लास्ट माईल कॉनेक्टिविटी के लिए मिनी बसों को चलाने की क्या योजना है और कब तक समय निर्धारित किया गया है?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा नांगलोई विधान सभा में 112 मिनि बसों को 09 रूटों पर चलने के लिए दिए गये परमिट के अनुसार परिचालित है।

लाभान्वित होने वाली कच्ची कॉलोनियों की सूची उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए और समस्त क्षेत्रों से संपर्क जोड़ने एवं परिवहन तथा यातायात की सुविधा की जरूरत के हिसाब

से सार्वजनिक यातायात उपलब्ध कराने के लिए डिम्टस (DIMTS) द्वारा अध्ययन संपन किया जा चुका है। इस अध्ययन में लास्ट माईल कॉनेक्टिविटी के बारे में भी सुझाव दिए गए हैं।

परिवहन विभाग ने इसके कार्यान्वयन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है।

57. **श्री ऋतुराज गोविन्द :** क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा टीटीसी की कितनी बसें चलाई जा रही हैं;

(ख) इसका पूर्ण विवरण दें; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) वर्तमान में किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की 15 बसें व 9 फेरे अनुसूचित हैं।

इसके अतिरिक्त क्लस्टर सेवा के अन्तर्गत 02 रूटों पर 30 बसों का परिचाहन किया जा रहा है।

(ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की अनुसूचित बसों का विवरण निम्न है :

रूट सं.	गंतव्य से	गंतव्य तक	अनुसूचित बसें
567ए	मुबारिकपुर उबास	नेहरू प्लेस टर्मि.	3 फेरे
569एक्स्ट्रा	इन्द्र एन्कलेव (किराड़ी)	सफदरजंग टर्मि.	6 फेरे
921एक्स्ट्रा	मुबारिकपुर डबास	कश्मीरी गेट अ.रा. बस अड्डा	3
979	मुबारिकपुर डबास	नरेला टर्मि.	2
991	मुबारिकपुर डबास	शिवाजी स्टेडियम	7
991शटल	मुबारिकपुर डबास	कर्मपुरा टर्मि.	3
	कुल बसें		**15 बसें + 9 फेरे**

क्लस्टर सेवा की अनुसूचित बसों का विवरण निम्न है :

क्र. सं.	रूट संख्या	गंतव्य से	गंतव्य तक	संचालित बसों की संख्या
1.	929	मुबारकपुर डबास	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन	10
2.	979	नांगलोई	नरेला टर्मिनल	20

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

58. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डीटीसी बसों के वर्तमान बेड़े में कितनी बसें हैं;

(ख) मौजूदा समय में दिल्ली में कितनी बसों की कमी है;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) कब तक सरकार इस कमी को पूरा कर पाएगी;

(ङ) पिछले दस सालों में डीटीसी एसी, डीटीसी नॉन एसी, डीआईएमटीएस आदि में परिवर्धन का विवरण साझा करें; और

(च) बसों की बंचिग रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) डीटीसी के वर्तमान बेडे में कुल 3760 लो-फ्लोर सी.एन.जी बसें हैं।

(ख) माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार 11000 बसों की आवश्यकता है। वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम तथा क्लस्टर सेवा के अन्तर्गत 6750 बसें परिचालन में हैं अत: 4250 बसों की कमी है।

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने 1000 नई एसी लोफलोर सी.एन.जी. बसों की सप्लाई के लिए बस निर्माताओं

को आर्डर दे दिया है जोकि दिल्ली परिवहन विभाग के निर्देशानुसार वर्तमान में अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है।

इसके अलावा भारत सरकार की फेम-2 योजना के अंर्तगत दिल्ली परिवहन निगम ने 300 नई एसी लोफलोर इलेक्ट्रिक बसों को एन्गेज करने के लिए बस निर्माताओं को आर्डर दे दिया है।

इसके अतिरिक्त क्लस्टर सेवा के अर्न्तगत

(i) 89 लो फलोर सीएनजी बसें शीघ्र ही बेड़े में सम्मिलित की जाएंगी।

(ii) केबिनेट ने 160 लो फलोर सीएनजी बसों को अवार्ड लेटर देने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

(iii) 190 लो फ्लोर/एसी/सीएनजी बसों के टेन्डर का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।

(iv) 02 कल्सटरों में 465 इलैक्ट्रिक लो फलोर एसी बसों का टेन्डर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।

(घ) डिपों की जगह की उपलब्धता के आधार पर बाकी बसों को लाया जाएगा।

(ङ) पिछले दस सालों में डी.टी.सी. एसी और नान एसी में कोई परिवर्धन नहीं है।

क्लस्टर सेवा (डीआईएमटीएस) के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में बसों का परिवर्धन का विवरण **अनुलग्नक 'क'** पर दिया गया है।

(च) दिल्ली परिवहन निगम एवम् क्लस्टर बसें अनुसूचित एकीकृत समय सारणी (Unified Time Table) अनुसूचित है तथा अधिकतर बसें इसके अनुसार परिचालित होती हैं। डिम्टस (DIMTS) द्वारा रूट रेशलाजेशन का अध्ययन संपन किया जा चुका है। जिसमें बसों की बंचिग रोकने के लिए भी सुझाव है। परिवहन विभाग ने इसके कार्यान्वयन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है।

अनुलग्नक 'क'

प्रश्न संख्या : 58

क्लस्टर सेवा के अन्तर्गत बसों का परिवर्धन

वित्तिय वर्ष	नॉन एसी बसें	एसी बसें
2011–12	214	–
2012–13	265	–
2013–14	540	–
2014–15	273	–
2015–16*	1	–
2016–17	259	–
2017–18	96	–
2018–19	31	–
2019–20	927	135
2020–21	73	176
कुल	**2679**	**311**

* परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वार अनुबंध समाप्ति के कारण क्लस्टर 01 की 95 शेडयूल बसों को वापस ले लिया गया था।

Dr. Navlendra Kumar Singh
Joint Commissioner
Transport Department
Government of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054

59. श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास के लिए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कितनी राशि का प्रावधान किया है;

(ख) इन दो वर्षों में कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है; विधान सभा विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा गावों के विकास के लिए विभिन्न मदों से पैसा खर्च किया जाता है इसके साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए विशेषकर 50 करोड़ और वर्ष 2021-22 के लिए 300 करोड़ की राशि का प्रावधान विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली आई.डी.आर.यू.बी. स्कीम (Integrated Development of Rural and Urban Villages Scheme) में किया गया है।

(ख) कोविड-19 के कारण लॉक-डाउन और इससे उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर राजस्व संग्रह में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को छोड़कर बाकि बेहद महत्वपूर्ण खर्चों की ही अनुमति प्रदान की गई थी। विगत दो वर्षों में बजट न होने के कारण मटियाला विधान सभा को कुल 05 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी गई है, **(सूची संलग्न है)** शेष किसी भी विधानसभा को बजट की कमी होने के कारण कोई मंजूरी नहीं दी गयी है।

Report of RD work of Sanctioned scheme for the year 2020-21 Head 2515

S.No.	AC Name.	Distt.	Nature of work	Work	Village	Estimate amount (in lacs)	A&ES Sanctioned	Executing Agency	Area MP/MLA	Sanction Date	CD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Matiala	South West	MPCC Barat Ghar	Repair/Renovation of the MPCC Barat Ghar of Vilage Daur4ala in Najafgarh Block in (Matiala Constituency AC-34)	Daurala	64.14	34.49	I&FC	Sh.Gulab Singh	Sanction 19.03.21	CD I
2	Matiala	South West	MPCC Barat Ghar	Renovation of MPCC Barat Ghar in Vilage Badusarai in Najafgarh Block in (Matiala Constituency AC-34)	Badusarai	40.66	21.86	I&FC	Sh.Gulab Singh	Sanction 19.03.21	CD I
3	Matiala	South West	MPCC Barat Ghar	Repair/Renovation work of the MPCC Barat Ghar of Village Shikarpur in Najafgarh Block in (Matiala Constituency AC-34)	Shikarpur	39.45	20.67	I&FC	Sh.Gulab Singh	Sanction 19.03.21	CD I
4	Matiala	South West	MPCC Barat Ghar	Repair/Renovation of existing MPCC Barat Ghar at Village Rawta in (Matiala assembly Constituency AC-34)	Rawta	53.81	28.93	I&FC	Sh.Gulab Singh	Sanction 19.03.21	CD I
5	Matiala	South West	MPCC Barat Ghar	Repair/Renovation of the MPCC Barat Ghar in Village Daulatpur in Najafgarh Block in (Matiala Constituency AC-34)	Daulatpur	44.73	24.05	I&FC	Sh.Gulab Singh	Sanction 19.03.21	CD I

60. **श्री मोहन सिंह बिष्ट** : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करावलनगर विधान सभा के अंतर्गत कुल कितने गांव आते हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर बहुत से गांव में विकास कार्य न होने के कारण इन गांव में मूलभूत सुविधाओं का आभाव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन गांवों के लिए कोई विकास योजना बनाई जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण और यदि नहीं तो उसके कारण;

(च) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा में विकास कार्य हेतु अनेक योजनाएं लंबित हैं;

(छ) यदि हां, तो इन्हें लंबित रखने के क्या कारण है और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी।

उप मुख्यमंत्री :

(क) करावल नगर विधान सभा के अंतर्गत कुल 11 गांव हैं जिनमें से 5 ग्रामीण हैं और 6 गांव शहरीकृत हो चुके हैं।

(ख) विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली आई.डी.आर.यू.वी. स्कीम (Integrated Development of Rural and Urban Villages Scheme)

के तहत दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा करावल नगर विधान सभा की कुल 6 प्रोजेक्ट (सूची 'ए' संलग्न है) का दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने अनुमोदन किया है। जिनका ए./ए. और ई./एस. की राशि जारी कर दी गई है।

(ग) उपरोक्त

(घ) इस विभाग द्वारा 10 योजना सूची 'ए' एवं 'बी' के अनुसार बनाई गई है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

(च) करावल नगर विधान सभा में कुल 04 प्रोजेक्ट (सूची 'बी' संलग्न है) लंबित है। इनका निस्तारण दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की मीटिंग 28.06.2021 की सिफारिशों के अनुसार किया जायेगा।

(छ) कोविड-19 महामारी और फंड की कमी के कारण योजनाओं की स्वीकृति की प्रकिया पूरी नहीं हो पायी है तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही और फंड की उपलब्धता के बाद धनराशि जारी कर दी जाएगी।

Project proposals pertain to Karawal Nagar

S.No.	Name of work	Executing Agency	Detail of work approved by DVDB in tis meetingsdated (Road, Drain, Water body etc)	Name of PC/AC	Name of Village	Estimate amount (in lacs)	Date of approval by DVDB	Status
1	Improvement of damaged streets and side drains in Village Cauhanpatti in Karawal Nagar Constituency, AC-70	I&FC	Road	Karawal Nagar	Cauhanpatti	98.57	19.01.2018	I&FC CDIV 11.6.19
2	Development of damaged street pavement & side drains of village Sherpur in Karawal Nagar Constituency (AC-70)	I&FC	Road	Karawal Nagar	Sherpur	126.96	19.01.2018	EE CD-IV 03.03.20
3	Development of damaged street pavement & side drains of village Khajoori Khas in Karawal Nagar Constituency. (AC-70)	I&FC	Road	Karawal Nagar	Khajoori Khas	72.55	19.01.2018	EE CD-IV 03.03.20
4	Development of damaged street pavement & side drains of village Dayal Pur in Karawal Nagar Constituency. (AC-70)	I&FC	Road	Karawal Nagar	Dayal pur	36.52	19.01.2018	EE CD-IV 03.03.20

Project proposals santioned in Assembly Karawal Nagar

S.No.	Name of work	Executing Agency	Detail of work approved by DVDB in its meetingsd ated (Road, Drain, Water body etc)	Name of PC/AC	Name of Village	Estimate amount (in lacs)	Date of approval by DVDB	Status	Amount Sanctioned
1	Improvement of damaged streets and side drains in village Sadatpur in Karawal Nagar Constituency, AC-70	I&FC	Road	Karawal Nagar	Sadatpur	13.01	19.01.2018	Sanction on 27.12.19	13.01
2	Development of damaged street pavement & side drains of village Tukmeer pur in Karawal Nagar Constituency (AC-70)	I&FC	Road	Karawal Nagar	Tukmeer pur	49.6	19.01.2018	Sanction 9.7.19	49.6
3	Development of damaged street pavement & side drains of Village Karawal Nagar in Karawal Nagar Constituency (AC-70)	I&FC	Road	Karawal Nagar	Karawal Nagar	44.94	19.01.2018	Sanction 9.7.19	44.94
4	Development of street pavement and side drains of streets in village of new Sabhapur Gujran in Karawal Nagar Constituency (AC-70)	I&FC	Road	Karawal Nagar	New Sabhapur Gujran	133.85	19.01.2018	Sanction on 27.12.19	133.85
5	Improvement of damaged streets in village Badarpur Khadar in Karawal Nagar Constituency , AC-70	I&FC	Road	Karawal Nagar	Badarpur Khadar	72.08	19.01.2018	Sanction on 27.12.19	72.08
6	Improvement of damaged streets and side drains in village Sabhapur in Karawal Nagar Constituency, AC-70	I&FC	Road	Karawal Nagar	Sabhapur	94.08	19.01.2018	Sanction on 27.12.19	94.08

61. **श्री धर्मपाल लाकड़ा :** क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुडका विधान सभा क्षेत्र में गांवों के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें; और

(ख) मुख्यमंत्री पुनर्निर्माण सड़क योजना के तहत किये गये कार्यों का विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री :

(क) विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली आईडीआरयूवी स्कीम (Integrated Development of Rural and Urban Villages Scheme) के तहत दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा मुंडका विधान सभा की कुल 114 प्रोजेक्टों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। (सूची संलग्न है)।

(ख) कोविड-19 के कारणलोक-डाउन और इससे उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर राजस्व संग्रह में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को छोड़कर बाकी बेहद महत्वपूर्ण खर्चों की ही अनुमति प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के आरम्भ की तिथि से वर्तमान तक कोई भी विकास कार्य मुंडका विधानसभा क्षेत्र में इस परियोजना के अंतर्गत नहीं किया गया है।

Project proposals pertain to Mundka Assembly

S.No.	Name of work	Executing Agency	Detail of work approved by DVUG in its meetings(stated (Road, Drain, Water body etc)	Name of PGMC	Name of Village	Estimate amount (in lacs)	Date of approval by DVDB	Status	Amount Sanctioned
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Improvement of internal road from Kanjhawala Qutabgarh road to old phirni road at village Jaunti in Distt. North -West	I&FC	Road	Mundka	jaunti	64.01	21.12.2017	Sanction 6.9.18	49.04
2	Construction of road from Kh. No. 143/16/5 (Road No. 10B) to Kanjhawala Ghoora road at village Kanjhawala in Distt. North-West	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	265.54	21.12.2017	RD Unit 16.5.19	
3	Improvement of road No. 1 to 15 adjoining Kanjhawala Madanpur road at Village Kanjhawala in Distt. North-West	I&FC	Road	Mundka	kanjhawala	243.53	21.12.2017	Sanction 11.9.18	210.34
4	Construction of internal road at village Nizampur	I&FC	Road	Mundka	Nizampur	315.28	21.12.2017	Sanction 19.9.18	232.71
5	Improvement of phirni road and side drain from kanjhawala Qutabgarh road to NDPL office at village Jaunti	I&FC	Road	Mundka	jaunti	174.07	21.12.2017	Sanction 21.6.18	150.39
6	Construction of road from Kh. No- 142/6/19 to Kh. No. - 142/6/16 at village Kanjhawala in Distt. NW.	I&FC	Road	Mundka	kanjhawala	65.22	21.12.2017	RD Unit 16.5.19	
7	Development of road from Kh. No. 144/1 to 144/6 at village Kanjhawala in Distt. North-West	I&FC	Road	Mundka	kanjhawala	36.69	21.12.2017	CE I&FC	
8	construction of road at Kh. No.1451, 1452 and 514 at village Tikri Kalan	I&FC	Road	Mundka	Tikri Kalan	145.66	21.12.2017	Sanction 1.8.18	136.69
9	Construction of Sarco Road (Kh. No. 592 min/604) from Nizampur-Sawda Road to Mangoopur Drain at village Nizampur in Distt. NW.	I&FC	Road	Mundka	Nizampur	163.83	21.12.2017	RD Unit 16.5.19	
10	Widening of existing approach road from village Raseelpur to Mundka in Kanjhawala Block.	I&FC	Road	Mundka	Raseelpur	130.66	21.12.2017	EE CD VIII 14.3.19	
11	Development of 2 Nos. Streets at E.C.D. Ladpur (S. No. 142) at Kanjhawala Block	I&FC	Road	Mundka	kanjhawala	50.34	21.12.2017	RD Unit 9.1.19	
12	Construction of road from Kh. No. 142/07/3 to Kh. No. 142/8/3/3 (G. garden Extended Lal Dora) at village Kanjhawala	I&FC	Road	Mundka	kanjhawala	135.31	21.12.2017	Sanction 1.7.19	121.74
13	Construction of 2 Nos. Gates at Karala Extension at Village Karala in Kanjhawala Block.	I&FC	Gate	Mundka	karala	42.26	21.12.2017	EE CD VIII 20.6.19	
14	Construction of road in Kh. No. 1416 at village Tikri Kalan in Distt. West.	I&FC	Road	Mundka	tikri kalan	41.33	21.12.2017	Sanction 1.8.18	41.31
15	Improvement of existing RMC road from the House of Sh. Ramkaran to Subhash Chander Park at Village Harabadau in Distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Hiran Kudna	14.03	21.12.2017	Sanction 31.8.18	14.03
16	Reconstruction of existing damaged drain along phirni road from Harwinan Mandir to PVC road at village Tikri Kalan in Distt. West.	I&FC	Drain	Mundka	tikri kalan	162.22	21.12.2017	RD Unit 9.1.19	
17	Development of existing Graveyard at village Hiran Kudna in Distt. West.	I&FC	Cremation ground	Mundka	Hiran Kudna	49.73	21.12.2017	Sanction 1.8.18	49.73
18	Restoration of streets bearing Kh. No. 795 at village Tikri Kalan in Distt. West	I&FC	Road	Mundka	Mal kalan	22.75	21.12.2017		
19	Repair & renovation of Community centre at village Talesar in Distt. North-West	I&FC	Community Centre	Mundka	Talesar	80.85	21.12.2017	Sanction 8.12.18	72.02
20	Removal of Patura, grass etc. from the pond bearing Kh. No. 190/1 (shichwala pond) at village Mundka in Distt. West.	I&FC	pond	Mundka	mundka	0.63	21.12.2017	CE I&FC	
21	Restoration of roadside drains connecting NH-10 and phirni road mundka in village mundka in distt. West. (including maintenance five years)	I&FC	Road	Mundka	mundka	53.01	21.12.2017	Sanction 27.6.19	53.01
22	Restoration of road and kacha Drains from Mundka to Bakkarwala village in dist west	I&FC	Road	Mundka	Bakkarwala	94.31	09.01.2019	Sanction 1.4.19	85.10
23	Construction of sheet from Rajesh Ilo to Kailash Ilo (Kuldeep Wali Gali) at village Ladpur in distt north west	I&FC	Road	Mundka	Ladpur	32.57	10.01.2019	DD NW	
24	Construction of road adjoining Sawda Nizampur road at village Nizampur in Distt. North west	I&FC	Road	Mundka	Nizampur	46.72	10.01.2019	DAI NW 22.10.19	

	Construction / Restigation of road and side drains from pratap S/O Dafali Ha to Bhola Ha and remaking part of Pkimi road and restoration of apart of damaged portion of drain in village mundka in distt. West	MFC	Drain	Mundka	Mundka	28.87	19.01.2018	FE CD XII 8.3.19	
26	Re-blacken of phirni road from park to DDA plant at Qamruddin Nagar in distt. West.	MFC	Road	Mundka	Qamruddin Nagar	81.19	19.01.2018	Sanction 1.8.18	73.90
27	Construction of street (using interlocking Paver blocks) and side drains from richipal Ha to ramesh Ha in Village Qamruddin Nagar in distt. West	MFC	Road	Mundka	Qamruddin Nagar	29.43	19.01.2018	DROP	
28	Restoration of Syed Nangloi-Nilothi Sajja road between Suplementory drain bridge and Nursery Modin Distt.West	MFC	Drain	Mundka	Nilothi	50.2	19.01.2018	RD Unit 15.5.19	
29	Restoration of Side Drains from Nilothi Distributory to MCD Primary School at village Nilothi in Distt.West Delhi	MFC	Drain	Mundka	Nilothi	80.15	19.01.2018	Sanction 3.12.19	80.15
30	Construction of existing streets near dispensary at village Tikri Kalan in Distt West	MFC	Road	Mundka	Tikri Kalan	136.9	19.01.2018	Sanction on 31.08.18	136.9
31	Improvement of phirni road and side drain at village Hiran kudna in distt west	MFC	Road	Mundka	Hiran Kudna	49.57	19.01.2018	Sanction on 31.08.18	49.57
32	Removal of Palms, grass etc. from the pond bearing Kh.No.190/1(Shishawala pond) at village Mundka in Distt.West	MFC	Pond	Mundka	Mundka	0.63	19.01.2019	DM WEST 14.7.17	
33	Restoration of road and drain from Aggarwal Chowk to Nursery Mod(60 feet road) upto Nilothi Distributory in Distt.West	MFC	Drain	Mundka	Nilothi	157.54	19.01.2018	DROP	
34	Restoration/Re construction of South and East phirni road alongwith construction its side drain at village Tikri Kalan in Distt.West	MFC	Road	Mundka	Tikri Kalan	475.65	19.01.2018	Sanction 2.8.18	427.28
35	Repair/Restoration of road along left bank of Irrigation Channels from village Neelwal to Nangloi in Distt.West	MFC	Road	Mundka	Neelwal	300.41	19.01.2018	Sanction 6.9.18	295
36	Widening and restoration of road village Neelwal to Dichaon Kalan Hirankudna in distt.West	MFC	Road	Mundka	Neelwal	204.84	19.01.2018	Sanction 31.08.18	195.56
37	Demolishing of existing chaupal and reconstruction of double storey general chaupal at village Qamruddin Nagar in Mundka AC	MFC	Chaupal	Mundka	Qamruddin Nagar	170.12	19.01.2018	Sanction 7.10.19	166.67
38	Restoration of road and side drain from 75 feet Jat Chand Pusthan Marg) road to Vivekanjar road upto Nilothi Distributory at village Nilothi in Distt.West	MFC	Road	Mundka	Nilothi	289.72	19.01.2018	RD Unit 15.5.19	
39	Demolishing and re-construction Puranl of Chaupal near Haveli at village Nilothi in Distt. West.	MFC	Chaupal	Mundka	Nilothi	148.31	12.2.18	RD Unit 15.5.19	
40	Improvement of 75 Feet road from Rajender Farm House chowk to Saipal Market Chowk at village Nilothi in West.	MFC	Road	Mundka	Nilothi	291.04	12.2.18	RD Unit 15.5.19	
41	Construction of Bituminous road on Both side of abandoned Mundka Minor from Delhi Rohtak road to Nangloi DJB plant in Distt West.	MFC	Road	Mundka	Mundka	245.36	12.2.18	EE CD XII 8.3.19	
42	Construction of road and side drains from rohtak road (Metro Pillar no. 592) to 50 feet wide road at mundka Industrial area in Distt. West in mundka AC	MFC	Road	Mundka	Mundka	119.03	12.2.18	CE MFC 25.10.19	
43	Construction of sazra road & side drain at village karala in Kanjhawala block.	MFC	Road	Mundka	karala	40.43	12.2.18	Sanction 31.8.18	39.92
44	Maintenance and repair of cremation ground near primary school at village Neelwal in Distt. West.	MFC	Cremation ground	Mundka	Neelwal	2.84	12.2.18	RD 30.05.19	
45	Repair and Maintenance of Sehatwal Chaupal at village Hiran Kudna in Distt. West	MFC	Chaupal	Mundka	Hiran Kudna	10.2	12.2.18	Sanction 6.11.18	10.2
46	Repair and maintenance of street from pond in Kh. No. 485 to East phirni road at village Tikri Kalan in Distt. West	MFC	Road	Mundka	Tikri Kalan	21.78	12.2.18	Sanction 8.12.18	21.78
47	Repair/restoration of damage portion of road from Nangloi Najafgarh road (Nilothi Mod.) to Minor E-7 for village Qamruddin Nagar in distt. West	MFC	Road	Mundka	Qamruddin Nagar	49.2	12.2.18	RD Unit 23.5.19	
48	Restoration of streets around pond Kh. No. 485 at village Tikri kalan in Distt. West.	MFC	Road	Mundka	Tikri Kalan	20.71	12.2.18	Sanction 8.12.18	20.71
49	Maintenance and repair of cremation ground near Hanuman Mandir at village Tikri Kalan in distt. West.	MFC	Cremation ground	Mundka	Tikri Kalan	20.04	12.2.18	Sanction 10.11.18	20.04
50	Maintenance and repair of General chopal (Kalyan Pana) at Village Mtri Kalan in Distt. West	MFC	Chopal	Mundka	Tikri Kalan	22.49	12.2.18	MFC CD XII 7.12.18	
51	Maintenance and repair of damaged portion of Tikri Kalan to Sawda road near NH-10 at village Tikri Kalan in distt. West	MFC	Road	Mundka	Tikri Kalan	30	12.2.18	Sanction 6.11.18	30
52	Maintenance and improvement of street near Sh. Parveen and Sh. Anil house of village Hiran Kudna in Mundka AC, Distt. West.	MFC	Road	Mundka	Hiran Kudna	18.24	12.2.18	RD Unit 11.6.19	

	Maintenance & Repair of road from village neelwal towards village dichaon kalan at village Neelwal in Distt. West	I&FC	Road	Mundka	Neelwal	11.46	12.2.18	Sanction 13.9.18	11.46
54	Repair/pata of street from Gaurav House to Sukhbir House at village Tikri Kalan in Mundka A/C Distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Tikri Kalan	9.91	12.2.18	Sanction 4.9.18	9.91
55	Restoration of streets Near community centre at Village Hiran Kudna in distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Hiran Kudna	30.25	12.2.18	DROP	
56	Repair and Maintenance of pond in Kh. No. 5/4 at village Hiran Kudna in distt. West.	I&FC	Pond	Mundka	Hiran Kudna	8.67	12.2.18	Sanction 6.9.18	8.67
57	Restoration of street and construction of culvert near primary school at village Hiran kudna in Distt. West	I&FC	Road	Mundka	Hiran Kudna	11.71	12.2.18	Sanction 6.9.18	11.71
58	Repair and restoration of water body in Kh. No. 55 at village Neelwal in Distt. West.	I&FC	Water Body	Mundka	Neelwal	43.35	12.2.18	RD Unit 14.1.19	
59	Covering of storm water drain from pond Kh. No. 5/4 to its outfall point at village Hiran kudna in Distt. West.	I&FC	Drain	Mundka	Hiran Kudna	10.36	12.2.18	Sanction 4.9.18	10.36
60	Repair and Maintenance of existing kacca road from village Nerlwal to Hirankudna in Distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Nerlwal	24.95	12.2.18	RD 30.05.19	
61	Repair and restoration of streets near pond kh. No. 55 at village Neelwal in distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Neelwal	19.17	12.2.18	RD 30.05.19	
62	Providing and fixing wire mess around wet area of pond bearing Kh. No. 77/22 at village Ladpur	I&FC	Pond	Mundka	Ladpur	6.17	12.2.18	Sanction 31.8.18	5.2
63	Improvement of road from Bandi Ghar (MPCC) to Bamroli at Village Jaunti	I&FC	Road	Mundka	Jaunti	182.68	13.04.18	Sanction 13.9.18	160.87
64	Improvement of road from Village Ladpur-Nizampur road to Village Garhi Rindhata in distt. N/W	I&FC	Road	Mundka	Garhi Rindhata	232.85	13.04.18	RD Unit 16.5.19	
65	Construction of 16.5 feet wide road from Kh. No.142/4/9 to Kh. No.142/6/19 at village Kanjhawala in Distt. N/W.	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	165.95	13.04.18	RD Unit 16.5.19	
66	Development of Kshridan at village Kanjhawala in Distt. N/W	I&FC	Cremation ground	Mundka	Kanjhawala	22.6	13.04.18	Sanction 11.9.18	22.38
67	Continuatio of road from Kh. No. 143/6/27 to kh. No. 143/6/2 at village kanjhawala in Distt. N/W	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	365.55	13.04.18	RD Unit 16.5.19	
68	Improvement of Phirni Road from DC Office to Delhi Jal Board Office at village Kanjhawala in Distt. N/W	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	126.54	13.04.18	Sanction 5.9.18	125.29
69	Restoration of remaining old Phirni road and street at village Kanjhawala in Distt. North West	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	70.11	13.04.18	Sanctioned 16.11.18	70.2
70	Widening and restoration of road from village Nerlwal to Baprola in distt. West	I&FC	Road	Mundka	Nerlwal	228.01	13.04.18	RD Unit 2.8.19	
71	Widening and strengthening of road from village nerlwal to Hiran Kudna in Distt. West	I&FC	Road	Mundka	Nerlwal	83.07	13.04.18	Sanction 6.9.18	80.24
72	Restoration/ Improvement of road from Nilothi Minor drain towards Nangloi-Najafgarh road in village Nilothi in distt. West	I&FC	Road	Mundka	Nilothi	259.14	13.04.18	Sanction 25.7.19	230.31
73	Widening and strengthening of road from village nerlwal to Tikri Kalan in Distt. West	I&FC	Road	Mundka	Nerlwal	83.52	13.04.18	Sanction 25.7.19	79.9
74	Construction of road from Kh. No. 142/5/58 to 142/7/44 at village Kanjhawala in Distt. N/W	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	210.07	13.04.18	Sanction 7.9.18	210.07
75	Improvement of road from Village Tatrsar to Jhensarpura-Majra road in Distt. N/W	I&FC	Road	Mundka	Tatarsar	255.12	13.04.18	Sanction 9.7.19	252.59
76	Restoration of old flank street and adjoining streets at village Tikri Kalan in Distt. West	I&FC	Road	Mundka	Tikri Kalan	26.03	13.04.18	Sanction 11.10.18	24.9
77	Restoration and strengthening of road from village Tikri Kalan towards Nizampur in distt West	I&FC	Road	Mundka	Nizampur	220.91	13.04.18	Sanction 6.9.18	211.34
78	Improvement of existing road and side drain from Nilothi Sarvodaya Kanya Vidyalaya to Shiv Ram 50" road at village Nilothi	I&FC	road	Mundka	Nilothi	282.67	13.04.18	RD Unit 20.12.18	
79	Improvement/Upgradation of roads and side drains from I&FC Channel to Near Rajendra Farm House in village Nilothi in Distt.West	I&FC	road	Mundka	Nilothi	492	13.04.18	RD Unit 20.12.18	
80	Improvement/Upgradation of roads from Nilothi village to I&FC Channel in Nilothi village Distt.West	I&FC	road	Mundka	Nilothi	201.55	13.04.18	Sanction 31.8.18	192.65

	Restoration of sajra road and side drain from Nangloi-Najafgarh road to Kirari Suleman Nagar drain	I&FC	Road & Drain	Mundka	Nangloi	239.47	13.04.18	Sanction 13.12.18	230.1
82	Restoration of streets near pond in Kh.No.564 at village Harshudra in distt. West	I&FC	Road	Mundka	Hiran Kudna	15.02	13.04.18	RD Unit 12.3.19	
83	Restoration of internal streets (West side) at village Hirankudna in distt. West	I&FC	Road	Mundka	Hiran Kudna	70.94	13.04.18	Sanction 8.12.18	67.86
84	Repair/renovation of Gadhi Pana SC/ST Choupal at Village Nrelwal in Distt. West.	I&FC	Chaupal	Mundka	Nrelwal	10.14	23.05.18	RD Unit 2.8.18	
85	Development of Kabristan at village Ladpur in Distt NW	I&FC	Cremation ground	Mundka	Ladpur	51.35	23.05.18	EE CD VIII 14.3.19	
86	Construction of road from Kh. No. 143/134 to 184 and 194 to 225 at village Kanjhawala in distt. nw	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	456.36	23.05.18	RD Unit 16.5.19	
87	Improvement of cremation ground at village Nizampur in distt. nw	I&FC	Cremation ground	Mundka	Nizampur	22.82	23.05.18	EE CD VIII 1.2.19	
88	Construction of road kh. No. 574 at village jaunti in Distt NW	I&FC	Road	Mundka	Jaunti	24.82	23.05.18	RD Unit 16.5.19	
89	Repair/Renovation and construction of additional hall in community centre at village nrelwal in distt west	I&FC	Community Centre	Mundka	Nrelwal	105.02	23.05.18	RD Unit 23.5.19	
90	Construction of 3 No. Streets at village Karal in Kanjhawala	I&FC	Road	Mundka	karala	29.81	23.05.18	RD Unit 9.1.19	
91	Repair/renovation of SC/ST Choupal in Tehlan Pana at Village Nrelwal in Distt. West.	I&FC	Chaupal	Mundka	Nrelwal	5.9	23.05.18	Sanction 25.7.19	5.9
92	Restoration of streets behind community centre at village Hirankudna in distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Hiran Kudna	93.18	23.08.18	DM West 9.11.18	
93	Improvement of existing Sajra road and Side drains at village Karala in Kanjhawala Block	I&FC	Road & Drain	Mundka	Karala	37.33	23.08.18	DM NW 2.11.18	
94	Construction of road from Kh. No 142/402 to 142/729 at village Kanjhawala in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	198.4	23.08.18	Sanction 22.7.19	196.44
95	Restoration of Phirni Road from Kanjhawala-Dichaon to Nizampur road at village Ladpur in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Ladpur	91.72	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
96	Desilting of pond and construction of steps pond bearing Kh. No. 225 near Shiv Mandir at village Jaunti in Distt. NW	I&FC	Pond	Mundka	jaunti	173.24	14.12.18	RD Unit 16.5.19	
97	Restoration of sajra road from Ghevra Kanjhawala road to village Sawada in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Sawada	461.31	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
98	Restoration of sajra road from village Sawada to Village Nizampur in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Sawada	345.99	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
99	Restoration of sajra road from Ladpur Road to Bawana Border at village Nizampur in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Nizampur	211.46	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
100	Construction of Shed from Rajesh House to Kailash House (Kuldeep well got) at village Ladpur in Distt. NW)	I&FC	Road	Mundka	Ladpur	31.36	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
101	Improvement of Sajra road and Side Drains from Karala Sultanpur road to Haryana Irrigation Channel in Kanjhawala Block	I&FC	Road & Drain	Mundka	Karala	144.1	14.12.18	Sanction 1.7.19	144.1
102	Construction of road bearing Kh. No. 142/69, 70 and 142/40, 41 at village Kanjhawala in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	176.11	14.12.18	Sanction 3.12.19	174.37
103	Repair & Renovation of Mukyan Pana Chaupal at village Ladpur in Distt. NW	I&FC	Chaupal	Mundka	Ladpur	37.68	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
104	Demolishing and Reconstruction of Barhon Pana Chaupal at village Ladpur in Distt. NW	I&FC	Chaupal	Mundka	Ladpur	145.11	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
105	Construction of road from Haryana Irrigation Channel Kh. No. 142/812 to 100 Foot Road at village Kanjhawala in Distt. NW.	I&FC	Road	Mundka	Kanjhawala	269.47	14.12.18	RD Unit 20.7.19	
106	Development of Suheed Bhagat Singh Park at village Ladpur in Distt. NW	I&FC	Park	Mundka	Ladpur	165.25	14.12.18	EE CD VIII 14.3.19	
107	Restoration of Internal Road at village Jaunti in Distt. NW	I&FC	Road	Mundka	Jaunti	165.71	14.12.18	RD Unit 29.7.19	
108	Construction of double Storey Harijan Chaupal at Village Ghevra Mundka A.C (Distt. North/West)	I&FC	Chaupal	Mundka	Ghevra	92.44	11.1.19	Sanction 3.12.19	31.50

109	Development of Streets and side drains at village Ghewra in Mundka A.C	I&FC	Road	Mundka	Ghewra	269.49	11.1.19	EE CD VIII 11.7.19	
110	Construction of Sozra road at village Ghewra bearing Kh. No. 787 & 788 in Kanjhawata Block.	I&FC	Road	Mundka	Ghewra	10.63	11.1.19	EE CD VIII 11.7.19	
111	Construction of road in Kh. No. 1418 at Village Tikri Kalan in Distt. West.	I&FC	Road	Mundka	Tikri Kalan	133.14	11.1.19		
112	Restoration of RMC road and raising of drain or manhole from Mundka phirni road to phule ram house and sukbhir singh house to balmiki choupal and jaipal thekedar to balamiki choupal and satyo yadav house to rohtak road shishupal to dhupe house and dhupe house to phirni road, kachi sadak and other side drain in village Mundka .	I&FC	Road	Mundka	Mundka	312.54	11.1.19	Sanctioned 3.12.19	312.54
113	Restoration of internal streets at village Tikri Kalan in Mundka	I&FC	Road	Mundka	Tikri Kalan	899.33	11.1.19		
114	Repair/restoration of damage portion of road from Nangloi Najafgarh road to DJB plant and E-7 (40" Road) to Qamrudding Nagar in Village Mundka	I&FC	Road	Mundka	Mundka	88.7	11.1.19		

62. श्री जरनैल सिंह : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी दिल्ली से गुजर रही नजफगढ़ ड्रेन की साफ-सफाई से संबंधित विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ख) भविष्य में नजफगढ़ ड्रेन के विकास से संबंधित यदि कोई योजना बनाई जा रही है तो उसका भी विवरण दिया जाए;

(ग) क्या पिछले 5 वर्षों में विभाग को नजफगढ़ ड्रेन पर अनाधिकृत अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ तो उन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री :

(क) नजफगढ़ ड्रेन की साफ-सफाई एवं रख रखाव से संबंधित पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न सूची 'क' में दर्शाए गये हैं।

(ख) जी हाँ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा नजफगढ़ ड्रेन के विकास से संबंधित योजना बनाई जा रही है, जिसका विवरण संलग्न सूची 'ख' में दर्शाया गया है

(ग) जी हाँ।

(घ) बसईदारापुर (पंजाबी बाग पुल) से यमुना (वजीराबाद) तक भाग में वर्ष 2015 से पूर्व नाले के किनारे बनी झुग्गियों के पुनर्स्थापन

के लिए दोनों विभागों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के संबन्धित अधिकारी एक साथ कार्यरत् हैं एवं पुलिस बल की सहायता से अस्थाई अतिक्रमण को समय समय पर हटा दिया जाता है।

सूची 'क'

Annexure 'A'

Vidhan Sabha Un-starred Question No. 62 raised by Hon'ble MLA Sh. Jarnail Singh
List of executed works regarding desilting / maintenance and disposal of silt for the last five years i.e. 2016-17 to 2020-21 in respect of I&FC Department

Financial Year	S. No.	Name of Work
2016-17	1	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 11960 m to RD. 20180 m (i.e. from Jhatikra Bridge to Dhoolsiras Bridge) for a period of 365 days
	2	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth, vegetation, patera, elephant grass, floating material etc. and grass from RD. 30180m to RD. 45316m i.e. from Kakraula Regulator cum Bridge to Basaidarapur Bridge for a period of 10 months(304) days(Balance work).
	3	Disposal of excavated earth/ silt from left bank of N.G. Drain between RD.29850m to RD.30150m (Upstream of Kakraula Bridge cum Regulator).
	4	Maintenance of N.G. Drain between RD. 30180m (Kakraula Regulator (Old) to RD. 36800m (Pankha Road drain outfall) right bank free from malba, building rubbish and other similar unserviceable material etc. for a period of 180 days round the clock
	5	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 20180 m to RD. 30180 m (i.e. from Dhoolsiras Bridge to Kakraula Regulator) for a period of 365 days
	6	Carriage of slush/malba/earth, execvated by mechanical division from the left side of N.G. Drain from G.T. Road Bridge to Roop Nagar.
	7	Removal of rubbish malba from Mall Road Baridge along N.G. Drain Bank.
2017-18	8	Maintenance of N.G drain free from hyacinth-patera, elephand grass, floating grass and floating material from RD. 11960m to RD. 20180m (i.e. from Jhatikra bridge to Dhoolsiras Bridge) for a period of 365 days
	9	Disposal of excavated silt from left bank of N.G. Drain between RD. 30200m m to RD.30700m i.e. Kakraula Regulator (old) to Kakraula Regulator (New)
	10	Comprehensive maintenance of N.G. Drain from RD 49450m to 57106m by collecting all kind of floating material, garbage, clearing of hyacinth, removal of obstructions etc. from water surface of the drain to maintain free flow and clearing of all vegetation along the bank & slope including supply & installation of floating trash barrier at RD 49775m for collection and its further disposal to the SLF of North MCD.
	11	Comprehensive maintenance of N.G. Drain from RD 45136M to RD 49450M by collecting all kind of floating material, garbage, clearing of hyacinth, removal of obstruction etc. from water surface of the drain to maintain free flow and clearing of all vegetation along the bank & slope including supply & installation of floating trash barrier at RD 46175 for collecting and its further disposal to the SLF of North MCD.

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
पी.डब्ल्यू. क्षेत्र दिल्ली सरकार

.ıancial Year	S. No.	Name of Work
2018-19	12	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 0 m to RD. 11960 m (i.e. from Dhansa regulator to Jhatikra Bridge and parallel channel from RD 0 m to RD 6000m) for a period of 365 days
	13	Removal of excavated silt by departmental machine from left bank of N.G. Drain between RD 24900m to RD 25400m
	14	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 20180 m to RD. 30180 m (i.e. from Dhoolsiras Bridge to Kakraula Regulator) for a period of 365 days.
	15	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 11960 m to RD. 20180 m (i.e. from Jhatikra Bridge to Dhoolsiras Bridge) for a period of 365 days (During the year 2018-19)
	16	Disposal of excavated earth/silt from (between RD. 20200m to RD. 20500m) right bank on N.G. drain at disposal site (between RD. 17905m to RD. 18900m) on right bank
	17	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 0 m to RD. 11960 m (i.e. from Dhansa regulator to Jhatikra Bridge and parallel channel from RD 0 m to RD 6000m) for a period of (09) Nine Months
	18	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth, vegetation, patera, elephant grass, floating material etc. from RD. 30180m to RD. 45316m i.e. from Kakraula Regulator cum Bridge to Basaidarapur Bridge for a period of 12 months(365 days).
	19	Disposal of excavation earth/silt from left bank of N.G drain between RD 29860m to RD 30150m at (upstream of Kakraula bridge cum regulator) near RD 28980m on right bank of N.G drain
	20	Removal of excavated silt/earth from RD. 30180M to RD. 30780M (Between Kakraula Regulator(Old) to Kakraula Regulator (New) on left bank of N.G. Drain and dumped off in a spoil land of I&FC near Nursery
	21	Removal of excavated silt/earth from RD. 37280M (Nilothi Bridge cum aquaduct) to 38960M (Chander Vihar Bridge) on Right Bank of N.G. Drain and disposed off in a spoil land of I&FC along Road No. 236
	22	Removal of hyacinth- from RD. 9250m to RD. 11960 m (i.e. from Jheel Portion to Jhatikra Bridge) and parallel channel(i.e. from RD 0 m to RD 6000m) of N.G. Drain.
	23	Carriage of desilted material from up stream of Punjabi Bagh bridge of N.G. Drain by mechanical transport and banking at right bank of N.G. Drain from PWD bridge to Shastri Nagar bridge.
	24	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind of floating material, garbage, hyacinth, patera wild grass obstructions i/c dead animals, trees etc. from water surface of the drain to maintain free flow of water by collecting and its further disposal to the SLF of North MCD for one year from RD 49450m to 57106m.
	25	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind of floating material, garbage, hyacinth, patera wild grass obstructions i/c dead animals, trees etc. from water surface of the drain to maintain free flow of water and removal of building rubbish/malba etc dumped by the public including collecting and its further disposal to the SLF (Village Khampur) of North MCD for one year from RD 45136 to RD 49450m.

नोडल अधिकारी/कार्यसंचालक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार

..nancial Year	S. No.	Name of Work
2019-20	26	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 0 m to RD. 11960 m (i.e. from Dhansa regulator to Jhatikra Bridge and parallel channel from RD 0 m to RD 6000m) for a period of one year.
	27	Removal of excavated silt/earth from left bank of N.G. Drain between RD.30180m (Kakraula regulator Old) to RD. 30780m(Kakraula regulator New) and its disposal near the confluence point of Mungeshpur drain.
	28	Disposal of excavation earth/silt from left bank of N.G drain between RD 29800m to RD 30080m at (upstream of Kakraula bridge cum regulator) to near RD 28600m on right bank of N.G drain.
	29	Removal/Disposal of excavated silt between RD 24080m to RD 24560m U/S of Goela outfall on left bank of N.G. drain.
	30	Removal of excavated silt/earth from right bank of N.G. Drain between RD.37280m (Nilothi Bridge cum aquaduct) to RD. 38960m (Chander Vihar Bridge) and its disposal along Road No. 236 on the spoil land of I&FC.
	31	Maintenance of N.G. drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 20180m to RD. 30180m (i.e. from Dhoolsiras Bridge to Kakraula regulator) for a period of 365 days (During the year 2019-20).
	32	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth vegetation patera, elephant grass, floating material etc. and grass from RD. 30180m to RD. 45316m (i.e. from Kakraula regulator cum bridge to Basaidarapur bridge for a period of 12 Months (365 days).
	33	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 11960m to RD. 20180m (i.e. from Jhatikra Bridge to Dhoolsiras Bridge) for a period of 365 days During the year 2019-20.
	34	Removal of hyacinth-from RD.9250m to RD. 11960m (i.e. from Jheel Portion to Jhatikra Bridge) and parallel channel (i.e. from RD 0m to RD 6000m) of N. G. Drain.
	35	Carriage of desilted material from up stream of Punjabi Bagh bridge of N.G. Drain by mechanical transport and banking at right bank of N.G. Drain from Road No. 37 to PWD bridge to Shastri Nagar bridge. (2nd Call).
	36	Maintenance of bank of N.G. Drain by keeping it clear from malba/MSW/C & D and domestic waste/ garbage etc. from RD 45136m to RD 57140m including disposal of accumulated waste to the MCD sanitary land filled site/C&D plant/ nearby dhalao through mechanical transport complete for the period of one year.
	37	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind of floating material, garbage, hyacinth, patera wild grass obstructions i/c dead animals, trees etc. from water surface of the drain to maintain free flow of water by collecting and its further disposal to the SLF of North MCD for one year from RD 49450m to 57106m.
	38	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind of floating material, garbage, hyacinth, patera wild grass obstructions i/c dead animals, trees etc. from water surface of the drain to maintain free flow of water and removal of building rubbish/malba etc dumped by the public including collecting and its further disposal to authorized dumping ground or nearest MCD Dhalao for one year from RD 45136 to RD 49450m.

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
उत्तरी क्षेत्र दिल्ली सरकार

.nancial Year	S. No.	Name of Work
2020-21	39	Maintenance of N.G drain free from hyacinth, patera , elephant grass, floating material grass or any other water plant including removal of existing hyacinth green patches/grass from the bed of the drain and keep the surface of water in the drain clean from one end to other end to entire satisfaction of Engineer in Charge Rd.0 m to RD 11960 m(i.e from Dhansa regulator to Jhatikra Bridge and parallel channel from RD 0 m to RD 6000 m) for a period of one year
	40	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 20180m to RD. 30180m (i.e. from Dhoolsiras Bridge to Kakraula Regulator) for a period of 365 days. (During the year 2020-21).
	41	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth vegetation patera, elephant grass, floating material etc. from RD. 30180m to RD. 45316m i.e. from Kakraula Regulator cum Bridge to Basaidarapur Bridge for a period of 12 months (365 days). (2020-21).
	42	Maintenance of N.G. Drain free from hyacinth-patera, elephant grass, floating grass and floating material from RD. 11960m to RD. 20180m (i.e. from Jhatikra Bridge to Dhoolsiras Bridge) for a period of 365 days. (During the year 2020-21).
	43	Removal of existing standing hyacinth and maintenance of N.G. drain free from hyacinth, patera, elephant grass, floating material grass or any other water plant from the bed of the darin and keep the surface of water in the drain clear from one end to other end to entire satisfaction of Engineer-in-Charge from RD. 11960 m to RD. 20180 m (i.e. from Jhatikra Bridge to Dhoolsiras Bridge) for a period of 365 days.
	44	Carriage of desilted material from up stream of Punjabi Bagh bridge of N.G. Drain by mechanical transport and banking at same at right bank of N.G. Drain from Road No. 37 to PWD bridge to Shastri Nagar bridge.
	45	Maintenance of bank of N.G. Drain by keeping it clear from malba/MSW/C & D and domestic waste/ garbage etc. from RD 45136m to RD 49450m including disposal of accumulated waste to the MCD sanitary land filled site/ C &D plant/ nearby dhalao through mechanical transport complete for the period of one year.
	46	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind of floating material, garbage, hyacinth, patera wild grass obstructions i/c dead animals, trees etc. from water surface of the drain to maintain free flow of water by collecting and its further disposal to the nearby MCD Dhalao for 365 Days from RD 49450m to 57140m.
	47	Maintenance of bank of N.G. Drain by keeping it clear from malba/MSW/C & D and Domestic waste/ garbage etc from RD 49450m to RD 57140m including disposal of accumulated waste to the MCD sanitary land filled site/C & D Plant/nearby dhalao through mechanical transport complete for the period of one year.
	48	Maintenance of N.G. Drain to keep it free from all kind of floating material, garbage, hyacinth, patra wild grass obstructions i/c dead animals, trees etc. from water surface/slopes/patra/bank in the land boundary of the drain to maintain free flow of water and removal of building rubbish/malba/C&D etc dumped by the public including collecting and its further disposal to authorized dumping ground or nearest MCD Dhalao for one year from RD 45136 to RD 49450m.

नोडल अधिकारी/कार्यसंवेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार

Sub:- Comprehensive Consultancy services for Water Front Development on Najafgarh Drain from Chhawla Bridge RD. 17910m to Basaidarapur Bridge RD. 45316m with designing of two lane road on left & Right bank of Najafgarh drain & various Bridges (which includes designing of two lane road on both banks of drain, various bridges aesthetic/attractive design, desilting of drain from Dhansa regulator to Basaidarapur Bridge, cycle tracks, jogging/walking tracks, water harvesting, LED Screen controlled from Centralized command room, Double Decker bridge, Cruise drive to plan, Solar panels, Lighting, Fountains redevelopment/landscaping of parks & adventure facilities, beautification of banks designing of check dams/weirs/spillways/ barrages etc.) in Delhi, Irrigation and Flood Control Department, Govt. of NCT of Delhi.

Awarded amount: - Rs. 61875000/-

Work in progress.

Executive Engineer, CD- I

63. **श्री प्रकाश जारवाल :** क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देवली बाँध यू/एस की ओर आरसीसी बॉक्स टाइप ड्रेन बनाने का कार्य मेसर्स वरुण गुप्ता एंड कंपनी, गवर्नमेंट कांट्रेक्टर, ए-64/3 डीडीए फ्लैट साकेत को दिनांक 14 सितम्बर 2016 को आबंटित किया गया था, जिसमें कार्य आरंभ करने की नियत तिथि 23.09.2016 तथा कार्य समाप्त होने की नियत तिथि 20.05.2017 दी गयी थी;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2018 में मुख्य अभियंता श्री ओ पी श्रीवास्तव ने इसका निरीक्षण किया था और यह पाया था कि कार्य न केवल अधूरा है बल्कि इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा;

(घ) यदि हाँ, तो कान्ट्रैक्टर पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) जब विभाग द्वारा यह पाया गया था कि इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है तो यह कार्य अभी भी इसी कांट्रेक्टर के पास क्यों है?

(च) क्या विभाग और कांट्रेक्टर के बीच कोई मध्यस्तथा हुई थी, यदि हाँ?

(छ) इसका क्या परिणाम हुआ?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री :

(क) जी हाँ सत्य है।

(ख) हाँ यह सत्य है कि यह कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) हाँ इस कार्य का निरिक्षण मुख्य अभियंता तथा अन्य अधिकारियों द्वारा किया था परन्तु गुणवत्ता विषयक कोई चर्चा नहीं हुई थी।

(घ) उपरोक्त उत्तर 'ग' अनुसार।

(ङ) उपरोक्त उत्तर 'ग' अनुसार।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्त उत्तर 'च' अनुसार।

64. **श्री सुरेंद्र कुमार :** क्या **माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकुलपुर विधान सभा के अन्तर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले की सफाई के लिए कितने-कितने बजट का प्रावधान किया गया है;

(ख) यह कार्य किस-किस एजेन्सी को दिया गया है;

(ग) अब तक इसमें मदवार कितना-कितना कार्य किया जा चुका है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री :

(क) गोकुलपुर विधान सभा के अन्तर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के तीन निम्नलिखित नालों के कुछ भाग आते हैं।

1. ट्रक ड्रेन नं० 1 आरडी 10350 मी. से 13387 मी
2. एस्केप ड्रेन नं० 1 आडी 0 मी. से 980 मी.
3. एस्केप ड्रेन नं० 2 आडी 0 मी. से 453 मी

इन सभी भागों में नालों की सफाई का कार्य अधिकतर सरकारी मशीनों द्वारा किया जाता है जिसके लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं होता है। इसका बजट/खर्चा विभाग के Maintenance Drainage Non Plan Head से किया जाता है।

यद्वपि नालों की सफाई से निकाली गयी सिल्ट का डिस्पोजल तथा नालों का अनुरक्षण कार्य अलग से निविदाओं के माध्यम से अलग-अलग कार्य निविदा के द्वारा एजेंसी से करवाया जाता है जिसका विवरण संलग्न Annexure "A" दर्शाया गया है।

(ख) प्रत्येक कार्य का एजेन्सी अनुसार विवरण संलग्न Annexure "A" में दर्शाया गया है।

(ग) प्रत्येक कार्य की प्रगति तथा विलम्ब का कारण संलग्न Annexure "A" में दर्शाया गया है।

Annexure - A

ame of Drain	S.No.	Name of Work	Agency / Contractor Name	Awarded Amount (Rs. in Lakh)	Stipulated date of start	Stipulated date of completion	Physical Progress.	Remarks.
Trunk Drain No. I	1	Disposal of desilted earth available in between reach RD 11695m to RD 13387m (Delhi-UP Border) on both bank (L/side and R/side) to EDMC Village Singhola (Khampur/Tikri) near DJB sewage treatment plant on NH-1 near Singhu Border of silt site.	M/s Yuvansh Builders	158.00	20/06/19	19/06/20	90%	Work in progress ,however work delayed due to COVID 19 (1st wave and 2nd wave) and pollution ban in Delhi.
	2	Disposal of desilted earth available in between reach RD 10330m (Arterial Highway Bridge) to RD 11695m on both bank (L/side and R/side) to EDMC Village Singhola (Khampur/Tikri) near DJB sewage treatment plant on NH-1 near Singhu Border of silt site.	M/s Yuvansh Builders	236.92	20/06/19	19/06/20	55%	Work in progress ,however work delayed due to COVID 19 (1st wave and 2nd wave) and pollution ban in Delhi.
	3	Maintenance of Trunk Drain No.1 between RD 10330m (Arterial Highway Bridge) to RD 13387m (Delhi-U.P. Border).	Sh. Vijay Nimesh	16.70	04/05/21	03/05/22	16%	Work in progress.
Escape Drain No. I	4	Disposal of excavated desilted earth, silt, garbage, house waste lying between RD 0m to RD 980m of Escape Drain No. 1 to Karawal Nagar Drain between RD 1300m to RD 1600m (R/s) for strengthening bank and EDMC sanitary land fill / authorised Village Singhola (Khampur/Tikri) near DJB sewage treatment plant	Sh. Devdutt Sharma	16.70	30/12/20	27/02/21	100%	Work completed
	5	Disposal of desilted earth/malba/garbage/house waste from Escape Drain No. 1 between RD 0m to RD 980m (Right Side) to EDMC dumping ground at Village Singhola (Khampur/Tikri) near DJB sewage treatment plant on NH-1 near Singhu Border of silt site.	M/s Om Shiv Earthmover	16.80	18/07/21	14/11/21	0%	Work in progress.

नोडल अधिकारी/कार्यसंवेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
उ.प्र. क्षेत्र दिल्ली सरकार

65. श्री जय भगवान : क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना औद्योगिक एरिया के विकास व उस क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा क्या-क्या परियोजना लाई गई है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय उद्योग मंत्री :

(क) डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान बवाना औद्योगिक क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. बवाना औद्योगिक संपदा का अनुरक्षण एवं विकास कार्य रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020-2021 के दौरान सभी सेक्टरों की आंतरिक सड़को को कारपेटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

2. पिछले तीन वर्षों में डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित छूट एवं समय सीमा का प्रसार किया है। जिससे की ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक स्थापित हो सके और उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके :

(i) शेष प्लाटों की बकाया राशि के भुगतान हेतू समय सीमा का दिनांक 29.12.2020 तक विस्तार करना और उसके पश्चात् प्लाटों का कब्जा प्रदान करना।

(ii) कब्जाधारी आबंटियों को ब्याज में 30 से 50 प्रतिशत कि एक बार छूट निर्धारित समय सीमा में भुगतान करने हेतू प्रदान करना जैसा कि आर्डर दिनांक 14.08.2020 में अंकित है।

(iii) कोविड 19 महामारी की वजह से आवंटियों को लीज/भूमि रेन्ट के भुगतान हेतु बकाया राशि जो 1 जुलाई, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक देय था सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ब्याज में डी.एस.आई.आई.डी.सी. के प्लॉटों/शेडों/फ्लैटेड कारखानों/खोखों में निश्चित अवधि तक निम्नलिखित छूट प्रदान की गई थी :

तदोपरांत भूमि/लीज रैन्ट जोकि अग्रिम भुगतान वर्ष के दूसरी छमाही में देय था (जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक) का भुगतान 15 अक्टूबर तक बिना दंड ब्याज के करने के लिये किया गया था। यह सुविधा आबंटियों के लिए स्वैच्छिक था अथवा आबंटी समय से भी भुगतान कर सकते थे।

3. वर्ष 2019-20 में ई-नीलामी के माध्यम से तीन वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किए गए हैं (दो प्लॉट मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ईंधन स्टेशनों के लिए और एक प्लॉट वेट ब्रिज के लिए)।

4. वर्ष 2020-2021 में 36 कियोस्क ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए हैं।

5. एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के एमएसई-सीडीपी के तहत खाद्य उद्योग कल्याण संघों को सामूहिक सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु डी.एस.आई.आई.डी.सी. बोर्ड द्वारा भूमि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

66. **श्री ऋतुराज गोविन्द :** क्या **माननीय उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराड़ी विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर स्थित रानी खेड़ा में दिल्ली सरकार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हाँ तो इसका पूर्ण विवरण दें?

माननीय उद्योग मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) डी.एस.आई.आई.डी.सी. टेक्नोलॉजी पार्क रानी खेड़ा मुंडका लगभग 147 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। परियोजना का लेऑडट प्लान 08.12.2017 में स्वीकृत हो चुका है और परियोजना के बिल्डिंग प्लान 14.01.2021 में स्वीकृत हो चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के आदेश अनुसार परियोजना अभी स्थगित है।

67. **श्री रघुविन्दर शौकीन :** क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगलोई विधान सभा में दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल से कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

(ख) क्या पोर्टल को अपग्रेड करने या कोई नई कैटेगरी डालने की सरकार की कोई योजना हैं?

(ग) कोई कंपनी या संस्था यदि नौकरी पाने वाले व्यक्ति से धोखा करती हैं तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रावधान है?

माननीय उपमुख्यमंत्री :

(क) रोजगार बाजार पोर्टल (जोकि 27.07.2020 से आरम्भ हुआ) पर कुल दर्ज प्रार्थियो की संख्या 1397977 है पोर्टल पर प्रार्थियों का डाटा विधानसभा क्षेत्रानुसार उपलब्ध नहीं होता है।

(ख) पोर्टल को अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) रोजगार बाजार पोर्टल पर पंजीकृत संस्था/कंपनी किसी भी व्यक्ति से धोखा करती है और इसके सन्दर्भ में अगर रोजगार विभाग में शिकायत प्राप्त होती है तो यह कार्यालय उस संस्था/कंपनी का टेलीफोनिक वेरिफिकेशन करता है और शिकायत की पुष्टि होने पर उस संस्था/कंपनी को नियोक्ता सूची से ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे वह संस्था/कंपनी भविष्य में रिक्ति पोस्ट करने में असमर्थ हो जाती है।

68. सुश्री भावना गौड़ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा में स्थित निजी हस्पताल. होटल, फैक्ट्री, बैकेट हॉल एवं रेस्टोरेंट का पूर्ण विवरण दें;

(ख) इन सभी के लिए अग्नि सुरक्षा मानक क्या हैं;

(ग) क्या इन सभी को फायर सेफटी क्लियरेंस दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसका आधार क्या है;

(ङ) पालम विधानसभा में स्थित जिन भवनों को फायर विभाग द्वारा NOC/क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिये गये हैं उन सभी का पूर्ण विवरण दें;

(च) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अतर्गत बहुत सारे नर्सिंग होम, हस्पताल, रेस्टोरेंट ओर बँकेट हॉल बिना लाईसेंस/अनाधिकृत तरीके से चल रहे हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) :

(क) दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 9 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राजधानी शहर को 03 जोनों 06 डिवीजनों और 18 उपखंडों में बांटा गया है। तदनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रत्येक भवन में लागू अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यूनिफाईड बिल्डिंग बाई लॉज, 2016 (UBBL) के क्लॉज 1.4.75 के अंतर्गत भवनों की आक्यूपेंसी निर्धारित की गयी है। प्रत्येक आक्युपेंसी के भवन की उंचाई तथा अन्य विशिष्टताओं

के आधार पर अग्नि सुरक्षा उपाय, भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के प्रावधानों के अनुसार होते हैं।

(ग) पालम में जिन भवनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र/एफएससी जारी किया गया है, उनकी सूची अनुलग्नक-अ के रूप में संलग्न हैं।

(घ) दिल्ली अग्निशमन सेवा लोकल अथॉरिटी से भवनों के नक्शे अग्रेसित किये जाने पर फायर सेफटी गाईडलाईन जारी करता है। यह प्रकिया लोकल अथारिटी के पोर्टल के द्वारा ऑनलाईन की जाती है। दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 34 के अंतर्गत, लोकल अथारिटी से संदर्भ प्राप्त करने पर कार्य करता है। लोकल अथारिटी उन मामलों को अग्रेसित करते हैं जो दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के नियम 27 के तहत आते हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है/अग्नि सुरक्षा उपायों को वैरीफाई करता है और तदनुसार संबंधित प्राधिकरण को एफएससी जारी करता है या कमियों से अवगत कराता है।

(ङ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः पालम में जिन भवनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र/एफएससी जारी किया गया है. उनकी सूची अनुलग्नक-अ के रूप में संलग्न है।

(च)और(छ) दिल्ली अग्निशमन सेवा लोकल अथारिटी से संदर्भ प्राप्त होने पर, अग्नि सुरक्षा उपायों को वेरिफाई करता है और तदनुसार लोकल अथारिटी को एफएससी जारी करता है या कमियों से अवगत कराता है। अतः इसकी सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध नहीं है।

V.S. Q.No- 68 अनुलग्नक-'अ'

11/C

List of Schools having Fire Safety Certificate (Palam)

Sl. No.	NAME & ADDRESS
1	SHAHEED CAPTAIN SUMIT RAI GOVT SARVODAYA KANYA VIDYALAYA NO 1 PALAM ENCLAVE NEW DELHI 45 ID 1821018 SCSR
2	GOVT SARVODAYA KANYA VIDYALAYA RAJ NAGAR I PALAM VILLAGE NEW DELHI 45 ID 1821027
3	GOVT BOYS SR SEC SCHOOL RAJ NAGAR I PALAM COLONY ID 1821014
4	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL NO 3 PALAM ENCLAVE NEW DELHI ID 1821024
5	SARVODAYA KANYA VIDYALAYA RAJ NAGAR II PALAM COLONY ID 1821020
6	SARVODAYA KANYA VIDYALAYA RAJ NAGAR II PALAM COLONY ID 1821020
7	SDMC PRATIBHA BOYS/GIRLS SCHOOL RAJNAGAR PALAM COLONY NEW DELHI 45 ID 1757216
8	SDMC PRATIBHA VIDYALAYA PALAM NEW NEW DELHI 45
9	SDMC PRIMARY MODEL SCHOOL RAJ NAGAR EXTENSION I & II PALAM COLONY NEW DELHI
10	NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA PALAM VILLAGE NEW DELHI 45
11	SDMC PRIMARY BOYS/ GIRLS SCHOOL INDRA PARK PALAM NEW DELHI 45
12	SDMC PRIMARY CO ED SCHOOL MAHAVIR ENCLAVE D BLOCK PALAM NEW DELHI 45 ID 1757164
13	SDMC PRIMARY GIRLS SCHOOL PALAM VILLAGE NEW DELHI 45
14	SDMC PRIMARY PRATIBHA GIRLS SCHOOL PALAM ENCLAVE I & II NEW DELHI ID 1757175
15	PERFECT PATH SCHOOL MAIN PALAM VIHAR ROAD BIJWASAN NEW DELHI 61
16	DWARKA PUBLIC SCHOOL 12/6 PATEL GARDEN PALAM ROAD KAKROLA CHOWK NEW DELHI 59
17	KASTURI DEVI PUBLIC SCHOOL B 1/60 VIJAY ENCLAVE GALI NO 2 PALAM DABRI ROAD DELHI 45
18	DESHWAL PUBLIC SCHOOL RZ 5B PURAN NAGAR MEHRAULI ROAD GALI NO 9 PALAM COLONY NEW DELHI 45 RZ 58
19	GURU HARIKISHAN MODEL SCHOOL RZG 140/1 GALI NO 17 RAJ NAGAR II PALAM COLONY NEW DELHI 77
20	RAM CHANDER SANATAN DHARAM MODERN PUBLIC SR SEC SCHOOL SADH NAGAR PALAM COLONY
21	RCSD RAM CHANDER SANATAN DHARAM MODERN PRIMARY WING SR SEC SCHOOL SADH NAGAR PALAM COLONY
22	SIDHARTH PUBLIC SCHOOL RZH 330 B STREET NO 11 RAJ NAGAR-II PALAM COLONY N D
23	SONU PUBLIC SCHOOL RZ 84/1C RAJ NAGAR PALAM COLONY NEW DELHI
24	HIRA DEVI MODEL PUBLIC SCHOOL MAHATMA GANDHI MARG F BLOCK RAJ NGR PALAM COLONY
25	PRAKASH PUBLIC SCHOOL SEC 7 DWARKA POCKET II (OPP MCD SCHOOL) PALAM VILLAGE
26	SHAIL SARASWATI PUBLIC SCHOOL SADH NAGAR PALAM COLONY N DELHI
27	J D PUBLIC SCHOOL RZ 251 B STREET NO 1 DURGA PARK NASIR PUR PALAM NEW DELHI
28	NAV GYAN SAGAR MODEL SCHOOL RZ F 590 LAL BAHADUR SHASTRI MARG RAJ NAGAR II PALAM COLONY
29	BHARTIYAM PUBLIC SCHOOL RZG 641-642 RAJ NAGAR II PALAM COLONY DELHI
30	JAI PUBLIC SCHOOL C 3 MAHAVIR VIHAR SWARKA SECTOR 1 PALAM NEW DELHI
31	HAPPY CHILD PUBLIC SCHOOL B 12 CHANDER VIHAR PALAM EXTENTION SEC 7 DWARKA
32	GAUTTAM MODEL PUBLIC SCHOOL STREET NO 14 SADH NAGAR PALAM COLONY N D
33	N R PUBLIC SCHOOL RZF 764 NEAR DESU OFFICE RAJ NAGAR II PALAM COLONY N D
34	SHARDA DEVI MEMORIAL PUBLIC SCHOOL RZF-368 RAJ NAGAR PALAM COLONY N D
35	DELHI JAIN PUBLIC SCHOOL 12 RAILWAY ROAD PALAM NEW DELHI
36	GYAN SAGAR PUBLIC SCHOOL P BLOCK RAJ NAGAR II SEC 8 DWARKA PALAM CLY
37	JINDAL PUBLIC SCHOOL DWARKA PALAM RAOD NEW DELHI
38	UNIVERSAL PUBLIC SCHOOL G-109 MANDIR MARG MAHAVIR ENCLAVE PALAM DABRI RD
39	SEVTI DEVI MEMORIAL SR SEC VIDYA MANDIR MAIN PALAM RD MAHAVIR ENCLAVE DWARKA
40	DEEP PARMARTH SEC SCHOOL PURAN NAGAR MEHRAULI ROAD PALAM
41	SIR CHHOTU RAM PUBLIC SCHOOL WZ 727 A SIR CHHOTU RAM MARG PALAM VILLAGE NEW DELHI 45

42	ROYAL INDIAN PUBLIC SCHOOL D 55 A SITA PURI STREET NO 17 PART I DABRI PALAM ROAD NE W DELHI 45
43	JAIN MODEL PUBLIC SCHOOL 56 B VAISHALI COLONY PALAM DABRI ROAD NEW DELHI 45
44	LITTLE GARDEN A PRE NURSERY SCHOOL 13 PALAM EXTN SEC 7 DWARKA NEW DELHI 15
45	THE FUN VALLEY SCHOOL RZ H 921 GALI NO 14 RAJ NAGAR II PALAM COLONY NEW DELHI
46	ST LOUIS PUBLIC SCHOOL RZ 50 A HARI VIHAR PALAM MORE NEW DELHI 43
47	GYAN VIJAY MODEL SCHOOL WZ 184 A PALAM VILLAGE NEAR CO OPERATE BANK NEW DELHI
48	MODEL PUBLIC SCHOOL WZ 603 B PALAM VILLAGE NEW DELHI (ID 1821153)
49	PALMS VALLEY SCHOOL WZ 823 PALAM VILLAGE NEW DELHI 45
50	GOVT CO ED SEC SCHOOL MAHAVIR ENCLAVE NEW DELHI (1821136)
51	SARVODAYA KANYA VIDYALAYA BLOCK 2 & 5 SEC 1 POCKET 7 DWARKA ID 1821030
52	SDMC PRIMARY SCHOOL SEC 7 DWARKA NEW DELHI 75
53	SDMC PRIMARY CO ED SCHOOL MAHAVIR ENCLAVE D BLOCK PALAM NEW DELHI 45 ID 1757164
54	SDMC PRATIBHA NIGAM VIDYALAYA MAHAVIR ENCLAVE PART II/III SHIFT I & II ND 59 (1757162)
55	M C PRIMARY GIRLS/ BOYS SCHOOL MAHAVIR ENCLAVE PART I I & II NEW DELHI 45
56	GAUTAM MODEL PUBLIC SCHOOL STREET NO 14 SADH NAGAR PALAM COLONY N D
57	PRAKASH PUBLIC SCHOOL SEC 7 DWARKA POCKET II (OPP MCD SCHOOL) PALAM VILLAGE
58	HAPPY CHILD PUBLIC SCHOOL B 12 CHANDER VIHAR PALAM EXTENTION SEC 7 DWARKA
59	RISHIKUL INTERNATIONAL PRE SCHOOL KIDS PLOT NO 3 SEC 7 DWARKA KAPILA EDUCATIONAL SOCIETY
60	MAXFORT SR SEC SCHOOL P NO 9 SEC 7 DWARKA, NEW DELHI
61	SHIKSHA BHARATI PUBLIC SCHOOL EDUCATIONAL SOCIETY SEC 7 DWARKA
62	LITTLE GARDEN A PRE NURSERY SCHOOL 13 PALAM EXTN SEC 7 DWARKA NEW DELHI 15
63	RAINBOW KIDS VALLEY SCHOOL RZ 2 D PLOT NO 10 G BLOCK B KAILASH PURI
64	NEW UNIVERSAL PUBLIC SCHOOL CD 57/58 MAHAVIR ENCLAVE DELHI 45
65	HAPPY ENGLISH PUBLIC SCHOOL RZG 13 NANDA BLOCK MAHAVIR ENCLAVE NEW DELHI
66	NEW SAINIK PUBLIC SCHOOL RZ F 3 NAND RAM PARK MAHAVIR ENCLAVE PART III N D
67	SANT PUBLIC SCHOOL CD 127 MAHAVIR ENCLAVE NEW DELHI
68	PARKASH MODEL SCHOOL C-BLOCK MAHAVIR ENCLAVE PART III NEW DELHI

List of Guest House issued Fire Safety Certificate (Palam)

Sl. No.	NAME & ADDRESS
1	MSK RESIDENCY C 912 PALAM EXTN RAMPAL CHOWK SEC 7 DWARKA ONLINE ID 2020092607302

List of Hospital, Banquet, Community Hall etc issued Fire Safety Certificate (Palam)

Sl. No.	NAME & ADDRESS
1	PALAM UNDERGROUND LINE 8 JKP WEST TO KALKAJI CORRIDOR PH III
2	NCERT QTRS PKT 6 SEC 1 NEAR NASIR PUR DWARKA
3	SURYA GRAND BANQUET & PARTY HALL WZ 306 S 1 PALAM EXTN SEC 7 DWARKA NEAR FLYOVER
4	PLATINUM BANQUETS & GUEST HOUSE & SERVICES WZ 306 R CHOTIYAL PALAM VILLAGE CH DATA RAM MARG ND 45 (SH RAMESHWAR SOLANKI)
5	COMM HALL DDA SEC 7 PALAM VILLAGE DWARKA FOR DDA
6	COMMUNITY HALL PKT 1 2 3 4 NASIR PUR DWARKA FOR DDA AT GRAM SABHA LAND
7	JINDAL TRADERS R Z 132 SHIV MANDIR MARG RAJ NAGAR 1 PALAM COLONY(KAMAL AGGARWAL)
8	LAXMI FIRE WORKS RZ 1/8 MAIN ROAD RAJ NAGAR PALAM COLONY
9	DADA DEV MATRI EVAM / MATERNITI & CHILD HOSPITAL NASIR PUR, (DABRI - DWARKA ROAD)

69. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस : क्या **प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोर स्टेप डिलिवरी स्कीम पर विधवा/संकट ग्रस्त महिलाओं की पेंशन की सुविधा कब से दोबारा शुरू होगी?

प्रशासनिक सुधार मंत्री :

(क) डोर स्टेप डिलिवरी स्कीम पर विधवा/संकट ग्रस्त महिलाओं की पेंशन की सुविधा पहले से ही है और यह चालू है।

70. श्री जय भगवान : क्या **माननीय परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो रिठाला से कश्मीरी गेट तक चलाई गई थी जिसे आगे बरवाला गाँव तक जाना था;

(ख) क्या दिल्ली मेट्रो के दूसरे, तीसरे, चौथे फेज के विस्तार का काम चालू हो गया है; और

(ग) रिठाला से नरेला तक जो मेट्रो जानी है उसका काम कब तक चालू होगा?

माननीय परिवहन मंत्री :

(क) शाहदरा रिठाला लाइन की, शाहदरा-तीस-हजारी सेक्शन को 2002 में कमीशन किया गया था, तीस हजारी से इंद्रलोक सेक्शन को 2003 में कमीशन किया गया था और इंद्रलोक से रिठाला सेक्शन को 2004 में कमीशन किया गया था।

हाँ, इसको बरवाला तक जाना था, किन्तु बाद में इसके बदले में लाइन 3 के बाराखंभा से इन्द्रप्रस्था तक का विस्तार के लिए मंजूरी मिल गई थी।

(ख) जी हाँ।

(ग) चरण IV के शेष 3 कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोट जिसमें रिठाला से नरेला तक 22.915 कि.मी. मेट्रोलाइट कॉरिडोर शामिल है, जो सरकार के विचाराधीन है।

71. **श्री अखिलेश पति त्रिपाठी** : क्या **माननीय स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाऊन विधानसभा क्षेत्र में कितने मौहल्ला क्लिनिक कार्य कर रहे हैं एवं इन मौहल्ला क्लिनिक के लिए दवाईयों की व्यवस्था कहां से की जाती है;

(ख) मॉडल टाऊन विधानसभा क्षेत्र में कहां और कितने मौहल्ला क्लिनिक खोले जाने की योजना है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) मौहल्ला क्लिनिक के लिए कौन-कौन सा स्टाफ उपलब्ध कराया जाता है, उनको कितना-कितना वेतन दिया जाता है:

(घ) मौहल्ला क्लिनिकों में कौन-कौन सी जांच की जाती है:

(ङ) क्या इन मोहल्ला क्लिनिकों की सुरक्षा के लिए गार्ड रखे गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पर है?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री :

(क) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 मोहल्ला क्लीनिक कार्य कर रहे हैं। इन मोहल्ला क्लीनिकों के लिए दवाईयों की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय-सेन्ट्रल प्रोक्यूरमेंट (सीपीए) द्वारा की जाती है।

(ख) सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट-1

नार्थ डिस्ट्रिक्ट-5

नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट-2 (सूची-1 संलग्न है)

(ग) मोहल्ला क्लीनिक के लिए निम्नलिखित स्टॉफ उपलब्ध कराया जाता है।

एम्पैनेल्ड डॉक्टर-1

एम्पैनेल्ड फार्मासिस्ट-1

एम्पैनेल्ड मोहल्ला क्लीनिक असिस्टेंट-1

एम्पैनेल्ड मल्टी टास्क वर्कर-1

इन स्टॉफ का वेतन इस प्रकार है:

एम्पैनेल्ड फार्मासिस्ट-रु0 40/ओपीडी

एम्पैनेल्ड मोहल्ला क्लीनिक असिस्टेंट-रु010/ओपीडी+रू010/ब्लड सेम्पल+रु0 10/

इम्यूनाईजेशन

एम्पैनेल्ड मल्टी टास्क वर्कर-रु0 8/ओपीडी+रु010/ ड्रेसिंग

(घ) मोहल्ला क्लीनिकों में कुल 239 जाँच मुफ्त किए जाते हैं (सूची-2 संलग्न है)

(ड) मोहल्ला क्लीनिकों में सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं रखे गए हैं।

(च) मोहल्ला क्लीनिकों की सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग को सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने काकाम दियागयाहै। जो प्रक्रियाधीन है।

सूची-1

सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट : यता : 7- ब्लॉक, रूप नगर, जल बोर्ड भूमि

नार्थ डिस्ट्रिक्ट : यता :
1. अयोध्या मील पार्क, लाल बाग
2. सिंह साहब रोड, डी.जे.बी लैंड
3. डेरावल नगर, डी.जे.बी लैंड
4. चौकी न.4, लाल बाग
5. न्यू गुप्ता कालोनी, डी.डी.ए मार्केट के पीछे

नार्थ वेस्ट : 1. संगम पार्क

2. राणा प्रताप बाग

सूची न०. २

VII

Appendix-A

Categorization of Laboratory Tests

Group A

S. No.	Test	Recommended Method(s)
1.	11 cells panel for antibody identification	
2.	24 hours urine for proteins, sodium, creatinine	Fully automated chemistry analyser
3.	24 hr. urinary cortisol	
4.	3 Cell panal Antibody screening for pregnant female	
5.	Absolute Eosinophil Count	Fully Automatic Analyser
6.	Acid phosphatase	Fully automated chemistry analyser
7.	Activated partial thromboplastin time	
8.	Alkaline phosphatase	Fully automated chemistry analyser
9.	ANA qualitative	IFA/Line immunoassay/ELISA
10.	Bacterial culture and sensitivity	
11.	BETA-2 microglobin assay	
12.	Bleeding time	
13.	Blood grouping (Blood Group/Rh Type)	Slide Method/ Gel method
14.	Blood Sugar (Fasting/PP/Random)	Hexokinase method / fully automated analyser
15.	Blood Urea	Urease method / fully automated analyser
16.	Blood Urea Nitrogen (BUN)	Urease method / fully automated analyser
17.	C.P.K	Fully auomated chemistry analyser
18.	C.R.P quantitative	Immunoturbidometery/Nephlometery
19.	CK MB	Rapid card/ Fully automated chemistry analyser
20.	Complete Haemogram (Hb, TLC, DLC, Pl. Count, RBC indices, reticulocyte count ESR, Blood smear)	Using automated counter
21.	Coomb's Test direct	
22.	Coomb's Test indirect	
23.	Cortisol	Chemiluminiscence assay
24.	Creatinine Clearance	Fully automated chemistry analyser
25.	DLC	Using automated counter
26.	ESR	Using fully/semi automatic ESR Analyser
27.	Foetal Haemoglobin (HBF)	HPLC
28.	Free T3	Chemiluminiscence assay

29.	Free T4	Chemiluminiscence assay
30.	FSH	Chemiluminiscence assay
31.	Glucose 6 phosphate Dehydrogennse (G6PD) Deficiency Test	
32.	Glucose tolerance test(GTT)	GOD-POD Method / Fully automated clinical analyser
33.	Gram stain and Pus and body fluid	Microscopy
34.	Haemoglobin	Using automated counter
35.	Haemogram (Hb, TLC, DLC, Pl.Count)	Using automated counter
36.	HB A1C	HPLC
37.	HBsAg	Rapid Card test/ELISA
38.	HCV	Rapid Card Test/ELISA
39.	HIV serology	as per NACO guidelines
40.	IgA	Immunoturbidometry/Chemiluminice nce
41.	IgG	Immunoturbidometry/Chemiluminice nce
42.	IgM	Immunoturbidometry/Chemiluminice nce
43.	Insulin levels	Immunoturbidometry/Chemiluminic ence
44.	Kidney Function Tests (Blood Urea , S. Creatinine, BUN, S. Uric acid)	Jaffe rate blanked on automated analyser
45.	L.D.H	Fully automated chemistry analyser
46.	LDL	Fully automated chemistry analyser
47.	LH	Chemiluminiscence assay
48.	Lipid Profile (S. Cholesterol, Triglycerides, LDL, HDL, VLDL)	Cholesterol - oxidase method; HDL-Direct method; LDL- direct method; TG-Lipase GPO-PAP (no correction) method
49.	Liver Function Tests (S. Bilirubin - Total & Unconjugated, SGOT, SGPT, S. Alkaline Phosphatase, S. proteins (Total, A/G ratio), GGT	Modified jendrassik/diazo with sulphanilic acid on automated analyser
50.	Malaria Screen (Both for P.V and P.F)	Rapid Card Method and P/S Examination
51.	MCH	Using automated counter
52.	MCHC	Using automated counter
53.	Peripheral Blood Smear	Microscopy
54.	Platelet Count	Using automated counter
55.	Platelet function test	
56.	Progesterone	Chemiluminiscence assay
57.	Prolactin	Chemiluminiscence assay
58.	Prothrombin time (PT)	Automated analyser
59.	RBC indices	Using automated counter
60.	Reticulocyte count	Using automated counter

61.	RH antibody titer	
62.	Rheumatoid factor test	Immunoturbidometery/Nephlometery
63.	Routine-H and E	
64.	S. Alkaline Phosphatase	AMP optimized to IFCC on automated analyser
65.	S. Bilirubin (Total, Unconjugated)	Modified Jendrassik/diazo with sulphanilic acid on automated analyser
66.	S. Creatinine	Jafe rate blanked on automated analyser/ Fully automated chemistry analyser
67.	S. proteins (Total protein,albumin and A/G ratio)	Biurate reaction end point on automated analyser
68.	S. Uric acid	Jafe rate blanked on automated analyser/ Fully automated chemistry analyser
69.	Serum Albumin	Fully automated chemistry analyser
70.	Serum amylase	BPNPG METHOD / Fully automated chemistry analyser
71.	Serum bilirubin total direct	Fully automated chemistry analyser
72.	Serum Calcium Ionised	ISE
73.	Serum Calcium Total	ARSENZO THREE automated analyser
74.	Serum Chloride	ISE
75.	Serum cholesterol	Fully automated chemistry analyser
76.	Serum Electrolytes (Chloride)	ISE
77.	Serum Electrolytes (Lithium)	ISE
78.	Serum Electrolytes (Sodium, Potassium)	ISE
79.	Serum electrophoresis	
80.	Serum ferritin	Chemiluminiscence
81.	Serum iron	
82.	Serum lactate	
83.	serum Lipase	Fully automated chemistry analyser
84.	serum magnesium	Xylidyl blue method/ Fully automated chemistry analyser
85.	Serum Phosphate	Phosphomolybedate UV method on automated analyser
86.	Serum protein	Fully auomated chemistry analyser
87.	Serum Testosterone	Chemiluminiscence assay
88.	SGOT	Tris buffer without p5p / automated analyser
89.	SGPT	Tris buffer without p5p / automated analyser
90.	Smear for Acid fast bacilli	
91.	Smear for Gram stain and Albert stain for throat swab for diphtheria	Microscopy
92.	Stool (Routine, Microscopy, Occult blood)	Microscopy and card test
93.	Tests for lupus Anticoagant	
94.	Tests for RBCs sickling	

95.	Thalassemia studies (Red Cell indices and Hb HPLC)	HPLC
96.	Thyroid profile (T3, T4, TSH)	Chemiluminiscence assay
97.	Total Cholesterol	Cholesterol - oxidase method on automated analyser
98.	Total iron binding capacity (TIBC)	Automated method
99.	Total Leucocyte Count (TLC)	Using automated counter on automated analyser
100.	Total protein ALB/GLO ratio	
101.	Total Reticulocyte Count	Using automated counter on automated analyser
102.	Triglycerides	TG-Lipase GPO-PAP (no correction) method
103.	TSH	Chemiluminiscence assay
104.	Urinary calcium	Fully automated chemistry analyser
105.	Urinary chloride	Fully automated chemistry analyser
106.	Urinary potassium	
107.	Urinary sodium	
108.	Urine - Bile Pigment and Salts, pH, Specific gravity, Urobilinogen, proteins, Ketones, Glucose, Leuckocyte esterase, Nitrite	Strip Method
109.	Urine (Routine, Microscopy, Albumin and Sugar)	Microscopy and dipstick
110.	Urine Culture and Sensitivity	Conventional culture and CLSI/EUCAST based susceptibility testing
111.	Urine ketones	
112.	Urine microalbimin	
113.	Urine pregnancy test	
114.	Urine total proteins	Fully automated chemistry analyser
115.	VDRL Test	Approved assay using VDRL antigen
116.	Vitamin B12 assay	Chemiluminiscence assay
117.	Widal T est'	Tube Method

Group B

Annexure II

S. No.	Test	Recommended Method(s)
1.	17-DH Progesterone.	Chemiluminescence
2.	ACTH	Chemiluminenence method
3.	AFP.	Chemiluminenence method
4.	ANA (atleast 14 differential antigens)	LIA
5.	ANA Quantitative	ELISA/ Immunoturbidometry/ Chemiluminicence/ Nephlometery
6.	Androstendione.	Chemiluminenence method
7.	Anemia Profile (Serum iron / TIBC / Serum Ferritin)	
8.	Anti cycliocitrullinated peptide (Anti CCP)	
9.	Anti tissue transglutaminase antibody-IgA	ELISA/ Chemiluminescence
10.	Anti-Amoebic IgM Antibodies	ELISA/ ELUA/Chemiluminiscence Assay
11.	Anti-Chikungunya IgM Antibodies	ELISA
12.	Anti-Chlamydial IgG	ELISA/ ELUA/Chemiluminiscence Assay
13.	Anti-Chlamydial IgM	ELISA/ ELUA/Chemiluminiscence Assay
14.	Anti-CMV IgG Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
15.	Anti-CMV IgG avidity Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
16.	Anti-CMV IgM Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
17.	Anti-Cyticercus/T. solium Antibodies	ELISA
18.	Anti-HSV IgG Antibodies	ELISA/ELUA/Chemiluminiscence Assay
19.	Anti-HSV IgM Antibodies	ELISA/ELUA/Chemiluminiscence Assay
20.	Anti-leishmanial Antibodies (rK 39 Antigen)	Rapid card/ELISA
21.	Anti-Mycoplasma IgM	ELISA/ ELUA/Chemiluminiscence Assay
22.	Anti-Rubella IgG Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
23.	Anti-Rubella IgG avidity Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
24.	Anti-Rubella IgM Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
25.	Anti-thrombin	
26.	Anti-Toxoplasma IgG Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
27.	Anti-Toxoplasma IgG avidity Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
28.	Anti-Toxoplasma IgM Antibodies	ELUA/Chemiluminiscence Assay
29.	Apo A1.	Immunoturbidimetric
30.	Apo B.	Immunoturbidimetric
31.	Ascitic fluid pretein and sugar	On fully automated analyser
32.	ASO Titre Quantitative	Immunoturbidometry/ Chemiluminiscence/Nephlometry

33.	Bence zones proteins	
34.	Biopsy Analysis (Skin and kidney disease)	
35.	Bleeding disorder panel -BT, PT, APPT	
36.	Blood Culture and Sensitivity	Automated Blood Culture System
37.	Blood gas analysis with electrolytes	
38.	Body fluid (CSF/Ascitic Fluid etc.) Sugar, Protein etc.	Pyrogallol/biurate on fully automated analyser
39.	Body fluid for Malignant cells	Microscopy
40.	Body fluid LDH (e.g. Pleural fluid)	Immunoturbidometry
41.	c-ANCA antibodies	ELISA/IFA
42.	C-Peptide.	Chemiluminescence
43.	CA 15.3	Chemiluminiscence Assay
44.	CA. 125.	Chemiluminiscence Assay
45.	Calcitonin	Chemiluminiscence Assay
46.	Carbamazepine	immuno turbidometry
47.	Carcioembryonic antigen (CEA)	Chemiluminiscence Assay
48.	CPK total	IFCC on automated analyser
49.	CPK-MB quantitative	Total Inhibition method on automated analyser
50.	CSF Protein and Sugar quantitative	Immunoturbidimetric using automated analyser
51.	DHEAS.	Chemiluminescence
52.	Ds DNA quantitative	IFA/LIA/ ELISA/ ELUA/Chemiluminiscence Assay
53.	FNAC	
54.	Folic acid assay	Chemiluminiscence Assay
55.	Fungal Culture and sensitivity (Yeast)	
56.	Growth Hormone.	Chemiluminescence
57.	HAV IgM antibodies	ELISA/ELUA/Chemilumisence
58.	HCG.	Chemiluminence method
59.	HEV IgM antibodies	ELISA/ ELUA/Chemiluminiscence Assay
60.	Homocysteine.	ENZYMATIC/ Chemiluminescence
61.	HPV serology	ELISA
62.	hsCRP Quantitative	Immunoturbidimetric/ Nephlometry
63.	Hydatic Serology.	ELISA
64.	IgM (For cardiolipin and B2 glycoprotein 1)	
65.	Lp (a).	Immunoturbidimetric
66.	p-ANCA antibodies	ELISA/IFA
67.	PAP Smear	
68.	Pleural fluid protein and sugar	On fully automated analyser
69.	Post Coital Smear Examination	

70.	Protein S	Chemiluminence method
71.	PSA- Free.	Chemiluminence method
72.	PSA- Total.	Automated Method
73.	PT/PTTK/INR	CHEMILUMINESCENCE
74.	PTH (Parathormone)	Rapid card test
75.	Rapid Antigen Detection of Group A Streptococcus	Rapid Card
76.	Rota Virus serology	ELISA
77.	Rota Virus serology	ELISA
78.	Scrub Typhus antibody Test	
79.	Semen Analysis	Immunoturbidimetric
80.	Serum ADA	Enzymatic UV method on automated analyser
81.	Serum Ammonia	
82.	Serum erythroprotein	ISE
83.	Serum Fluoride	Chemiluminicence method
84.	Serum Folic Acid	ELISA/ ELUA/ Chemiluminiscence Assay
85.	Serum homocystine	
86.	Serum Osmolality	Fully automated analyser
87.	Serum Phenytoin levels	Chemiluminisence method
88.	Serum PTH	Fully automated analyser
89.	Serum Valproate level	Chemiluminicence method
90.	Serum Vit B12 Assay	Automated ID and Sensitivity
91.	Stool Culture and sensitivity for Vibrio, Salmonella, Shigella	RNTCP Approved Method
92.	TB Culture (liquid culture method)	
93.	Test for antiphospholipid antibodies syndrome	
94.	Test for hypercoagulable states- Protein C, Protein S, Antithrombin	Chemiluminescence
95.	Thyroglobulin.	Chemiluminicence method
96.	TPO	Chemiluminicence method
97.	Triple Marker (Pregnancy) Estradiol, AFP, beta-HCG	Rapid card
98.	Troponin I	Rapid card
99.	Troponin T	Rapid Card
100.	Typhidot Test	
101.	Urinary copper	On fully automated analyser
102.	Urinary creatinine	On fully automated analyser
103.	Urinary Proteins -24 Hour	On fully automated analyser
104.	Urinary Uric acid	On fully automated analyser
105.	Urine ca/creatinine ratio	
106.	Urine Osmolality	On fully automated analyser
107.	Urine protein/Creatinine ratio	Chemiluminence method
108.	VitD3 assay	

Annexure III

Group C

S. No.	Test	Recommended Method(s)
1.	Anti Sperm Antibodies	ELISA
2.	Brucella serology	ELISA/Weil Felix Test
3.	Catecholamines. Serum	Latex enhanced immuno turbidometry
4.	Fibrinogen.	Automatic coagulation analyzer
5.	Fructosamine.	ENZYMATIC
6.	Influenza A H1N1 PCR	As per recommendations
7.	Leukemia panel /Lymphoma panel	Flow cytometry
8.	PNH Panel-CD55,CD59	Flow cytometry
9.	Serum Procalcitonin Test	Chemiluminescence
10.	Serum Protein electrophoresis with immunofixationelectrophoresis (IFE)	
11.	Vinyl Mandelic Acid (Urine)	Latex enhanced immuno turbidometry
12.	Chikungunya IgM ELISA	ELISA
13.	Dengue IgM ELISA	ELISA
14.	Dengue NS1 ELISA	ELISA

239 – Total Tests

विशेष उल्लेख (नियम-280)

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। 280 श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी आपने 280 में बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के केन्द्र बिन्दू में दिल्ली की आम गरीब जनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार न सिर्फ दिल्ली में नये-नये शौचालय बनाए गए बल्कि उनको पूर्णतः निशुल्क भी कर दिया गया परन्तु वजीरपुर में अगर मैं शौचालयों की बात करूँ तो इन शौचालयों में इस वक्त न तो कोई ढ़ंग से रख-रखाव हो रहा है, न साबुन मिलता न डब्बे मिल रहे और अगर कोई मरम्मत का काम होता है तो उसको तीन-तीन दिन टाल दिया जाता है जिससे वहां की गरीब जनता को उन शौचालयों के उपयोग करने में बहुत दिक्कत होती है। मोटर खराब हो जाती है तो मोटर तीन तीन दिन तक ठीक नहीं होती, सीवर भर जाते हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कभी कोरोना का रोना रो दिया जाता है जबकि इनको सबको ठेकेदारों को दिया हुआ है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, कि जो ये ठेकेदार हैं इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। वैसे मैंने मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि इसके दोबारा से ठेके दिए जा रहे हैं और इस बार बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि ये ऐसी गलती ना कर सकें लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि सदन में बात उठे। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट है कि कुछ नालियां बननी हैं, जेलर वाला बाग मेरा एक क्षेत्र है वो रह गया है और वो भी DUSIB के अन्दर में ही आता है। उन बस्तियों में पानी लगातार भर रहा है लेकिन वो फाइल DUSIB के पास है वो कोरोना का नाम लेकर

उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो उसको आज ही पास कर दें ताकि उस पर काम शुरू हो सके और पानी वहां से निकल सके क्योंकि बरसात का समय है। आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एम. सी.डी. में जो विजिलेंस की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाने के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूँ कि एम.सी.डी. में भ्रष्टाचार को पराश्रय दिया जा रहा है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी को भी सूचना देना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम में ऐसे हालात हैं कि एक-एक पद पर एक-एक व्यक्ति चालीस-चालीस साल से बैठा हुआ है ये हालत है। जहां पर उसकी नियुक्ति होती है और जब तक रिटायर नहीं होता उसी पद पर बैठा रहता है। एक प्रमोशन होता है फिर उसी क्षेत्र में रहेगा। दूसरा प्रमोशन होगा फिर उसी क्षेत्र में बैठा रहेगा। तीसरा प्रमोशन होगा फिर उसी क्षेत्र में बैठा होगा और रिटायर हो जायेगा। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, गलतियों पर गलतियाँ करते जायेंगे और उसकी जांच न हो इसलिए वो व्यक्ति उसी स्थान पर बैठा रहता है जबकि अध्यक्ष महोदय Vigilance Commission of India की सिफारिश है कि किसी को तीन साल से ज्यादा अगर उसी पद पर पुनः नियुक्ति दी जा रही है तो उसका युक्तियुक्त कारण होना चाहिए और प्रमोशन के बाद वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रमोट नहीं हो सकता दूसरे किसी क्षेत्र में उसको जाना पड़ेगा ताकि उसने जो कार्य अपने कार्यकाल में किया है उसको कोई अतिरिक्त अधिकारी आकर देख पाए, अगर कोई गलतियां हैं तो उसको जनता और अधिकारी जान पायें और उस पर कार्रवाई

हो पाये। मेरे क्षेत्र में भी ऐसी हालत है। एक व्यक्ति सफाई कर्मचारी नियुक्त होता है वो वहीं पर एस.आई. बन जाता है, वहीं पर एस.एस. बन जाता है और वहां से उसको हटाया नहीं जाता ये हालत है।

एक और नई चीज सुनने में आई है, मैंने पता किया कि भई बिल्डिंग विभाग में मेट कौन होता है, बोले जी ये तो कोई पद नहीं है, बोले जी ऐसे लोग तमाम घूम रहे है। इनका नाम वसूली भाई है जैसा हमारे साथी कह रहे है। जब हमने पता किया तो वो व्यक्ति कहीं किसी दूसरे जोन में नौकरी करता है, सरकारी कर्मचारी है और किसी दूसरे जोन में, दूसरे वार्ड में जाकर वसूली करता है। ऐसे लोगों की सीबीआई जांच की फाइल भी बनी है केशव पुरम जोन में। लेकिन क्या मजबूरी है कि एमसीडी के अफसर ऐसे वसूली भाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं, जोगिंद्र नाम का एक व्यक्ति है, वो नरेला जोन में मैंटिनेंस में नियुक्त है और हमारे मॉडल टाउन विधान सभा के तमाम जगहों पर वसूली भाई के रूप में मशूहर है, वो कब जाता है ड्यूटी करने पता नहीं है।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी कन्कलूड करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः तो अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले है दिल्ली नगर निगम में जो अपने पदों पर 5 साल से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं उनकी जानकारी अगर सदस्यों को दें, तो इससे एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा करने का भरपूर अवसर मिलेगा। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 10 सालों से उसी जगह पर बैठे हों, वहीं प्रमोट हो गए और फिर भी उनका ट्रांस्फर नहीं हुआ, ऐसे लोगों का डाटा मंगाया

जाए हाउस में, ताकि पता चले और ऐसे लोगों का डाटा मंगाया जाए जो कि 15 सालों से ज्यादा समय से अपने पदों पर बैठे हुए है और उनको वहां से हटाया क्यों नहीं गया, इसका कारण उत्तरी दिल्ली नगर निगम दे, ताकि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसपर रोक लगायी जा सके।

माननीय अध्यक्षः नम्बर तीन अजय महावर, नम्बर चार ओम प्रकाश श, नम्बर पांच रोहित कुमार महरौलिया जी।

श्री रोहित कुमारः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-280 में बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन का और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जोकि न केवल मेरे विधान सभा के हजारों-लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि दिल्ली के भी हजारों लोगों के रोजी-रोजगार और लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है शायद ही कभी इस सदन में इस विषय पर कभी चर्चा हुई होगी। माननीय अध्यक्ष जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि त्रिलोकपुरी, जो कॉलोनी बसाई गई थी 1975-76 के आसपास बसाई गई थी, उसी समय सरकार द्वारा त्रिलोकपुरी ब्लॉक नम्बर 8 और ब्लॉक नम्बर 30 के सामने दो सुअर पालन केंद्र बनाए गए थे। लेकिन इस दौरान लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई भी सरकार की तरफ से नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यापक व्यवस्था सुअर पालन करने वाले लोगों के लिए नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो लोग ना केवल सूअर पालन वहां पर करते हैं बल्कि वहीं पर उनकी slaughtering यानि की उनको काटने का काम भी करते हैं और जिस वजह से उसके सामने रहने वाले जितने निवासी हैं उनका जीवन बहुत नारकीय हो चुका है। बरसातों के दिनों में तो वहां पर इतनी बदबू

और इतनी गंदगी होती होती है कि वहां पर निकलना दूभर हो जाता है, कोई आदमी निकल नहीं सकता है। साथ ही साथ इस सूअर पालन केंद्र के साथ पीडब्ल्यूडी का नाला गुजरता है, उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें रक्त भी होता है, अन्य चीजें भी होती हैं वो नाले में डाल दिया जाता है जिससे सं8मण व बीमारियाँ फैलने का भी खतरा रहता है। इसमें मेरा कहने का भाव यही है कि ना केवल ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है बल्कि लोगों के रोजगार का भी मुद्दा है। डीएमसी एक्ट–1957 की धारा 405 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर slaughter house बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर थी, अन्य सभी जो खाने में नॉनवेज में इस्तेमाल किए जाने वाले जो जानवर हैं उनके लिए slaughter house बनाए गए, अच्छे स्तर पर बनाए गए। चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, भैंस हो, मछली हो, मुर्गा हो। लेकिन सुअर के लिए कोई भी slaughter house की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा पीछे भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अंग्रेजो के जमाने में 1914 में दिल्ली के अंधा मुगल इलाके के अंदर एक slaughter house की स्थापना की गई थी कि जो आजादी के समय तक चलता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में आई सरकारों के उदासीन रवैये और ये खासतौर से एक जाति और वर्ग विशेष के कार्य के ऊपर उस मंशा को देखते हुए इस ओर बिल्कुल उदासीन रवैया सरकारों का रहा कि उन अंग्रेजों के जमाने में जो slaughter house था उसको भी बंद कर दिया गया, आगे उसको और।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी कन्कलूड करिए प्लीज।

श्री रोहित कुमारः मैं कन्कलूड कर रहा हूं सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। एमसीडी के मुताबिक ये Prevention

of Cruelty to Animals Slaughter House नियम 2001 की धारा-3 के खंड-2 के तहत किसी भी बीमार जानवर को काटने की मनाही है लेकिन एमसीडी की ये पूरी नाकामी है कि खुले में इस तरह से जानवरों को काटा जाता है जिसमें बहुत सारे बीमार जानवर भी होते हैं, उनकी कोई भी डॉक्टरी जांच नहीं की जाती। आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि बहुत सारे स्वंयसेवी संगठन और सूअर पालन करने वाले लोग, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जब पहुंचे हैं तो वर्ष 2015 में दिल्ली के रानी खेड़ा के अंदर डीडीए ने उत्तरी नगर निगम को जगह आवंटित की, बावजूद उसके इतने साल बीत जाने के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी अभी वहां पर एक ईंट नहीं लगी है, कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेरा इस सदन से आग्रह है कि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जब लोगों को पूरा हक है कि उनका जो खाना वो खाना चाहते हैं तो उनको वो सही ढंग से मिले, उसकी डॉक्टरी जांच होकर मिले, साथ ही साथ वो लोग जो इस व्यवसाय में है उनको भी अच्छे अवसर मिलें, उनके लिये एक व्यापक व्यवस्था हो। ना केवल रानी खेड़ा के अंदर नगर निगम द्वारा वहां पर व्यवस्था की जाए, बल्कि गाजीपुर के अंदर जो slaughter house है उसके अंदर भी अलग से सुअरों के लिए slaughting house की व्यवस्था सरकार की तरफ से नगर निगम की तरफ से की जानी चाहिए, यही मेरा आग्रह है। एक उदाहरण बता दूं हिन्दुस्तान में केवल एक जगह शिमला के अंदर जो slaughter house है वहां पर सभी जानवरों के साथ-साथ वहां पर सूअर के, पिग के slaughter के लिए व्यवस्था की गई है, पोर्क के लिए। तो वैसी ही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने वहां पर की थी, वहां पर तो बदस्तूर जारी है लेकिन दिल्ली के अंदर बंद कर दी गई थी। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना

चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें ताकि आने वाले समय के अंदर जो लोग सूअर पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं उनको भी रोजगार के अच्छे अवसर मिलें, उनको अच्छा दाम मिले। साथ ही साथ एक्सपोर्ट के अंदर हर चीज में ये कृषि से जुड़ा मामला भी है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब कन्कलूड करिए आपने जो लिखा था उससे ये बहुत ज्यादा है।

श्री रोहित कुमारः मैं खत्म कर रहा हूं दो मिनट में। उनको एक्सपोर्ट में भी अच्छा अवसर मिल सकता है, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सूअर पालन करने वाले लोगों के लिए व्यापक व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ की जो लोग इसका, ना केवल बाल्मिकी समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी इसका उपभोग करते हैं उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा मुद्दा है। तो कृपा करके आप इस ओर ध्यान दें और माननीय मंत्री जी इसमें सरकार की ओर से लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में देखते हुए, लोगों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। राजकुमारी ढिल्लो जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने आज मुझे नियम-280 के तहत बोलने का मौका दिया। लेकिन अध्यक्ष जी पिछले सत्र में भी नियम-280 के तहत मैं बोली थी विषय मेरा वही है कि 12 मार्च, 2021 को मैंने इस सदन के माध्यम से एक बहुत

ही गम्भीर विषय उठाया था और गरीब लोग जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खासतौर से पहचाने जाते है। तो मेरी विधान सभा में एक जेजे क्लस्टर है, झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर मायापुरी फेस-1, उसमें अध्यक्ष जी एक 700 से लेकर 800 मीटर लम्बाई का नाला है जो कि अध्यक्ष जी 6 मीटर चौड़ा है और वो झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर के बीच में से निकल रहा है। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे लगातार 4 महीने हो गये डूसिब डिपार्टमेंट के इंजीनियर-इन-चीफ और चीफ इंजिनियर, एससी और एक्सईएन सभी से मैंने कोर्सपोंडेंस की लेकिन इनका कोई भी जवाब नहीं आया, बहुत ही दुख की बात है। माना कि मार्च और अप्रैल में पीक टाइम पर हमारा कोई कार्य नहीं हुआ लेकिन बरसात का मौसम चल रहा है और मैं लगातार उनसे सम्पर्क में हूं। आज ये स्थिति हो गई है कि वो जो नाला है उसका सारा पानी पूरी झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर में जहां कि तकरीबन 10 से 12 हजार गरीब लोग रहते है, उनकी झुग्गियों में दो-ढ़ाई फुट पानी डेली भर जाता है, क्योंकि दो भारी बरसात आ चुकी है और लगातार वो लोग त्राही-त्राही मचा रहे है, क्योंकि अध्यक्ष जी इस नाले की जो चौड़ाई है वो 4 फुट से ऊपर है, 4 फुट से नीचे नगर निगम का काम है, नगर निगम ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। अब ये अध्यक्ष जी झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर का जो नाला है वो डूसिब डिपार्टमेंट का है और साथ-साथ हमारा पीडब्ल्यूडी, डीएसआईडीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद करूंगी। लेकिन डूसिब डिपार्टमेंट बिल्कुल भी काम करके राजी नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है कि तीन दिन पहले मैंने उनको गुहार लगाई कि यहां पर पम्प से इस नाले का पानी निकाल दीजिए, लेकिन एक हॉर्स पावर की इन्होंने मोटर और 20 फुट का लम्बा पाइप जो कि सिर्फ पोना इंच चौड़ा

पाइप, उससे वो पानी निकाल रहे हैं बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तीसरी भारी बारिश आने से पहले इस नाले का जो पानी है फिलहाल उसको बड़े-बड़े पम्पों से निकलवाया जाए जिससे की गरीब लोगों के घरों में ये जो ऐसी एक दशा बन गई है, बहुत ही मुश्किल का समय आ जाएगा। साथ-साथ करोना और साथ में बरसात में भयंकर बीमारी हो सकती है उनको बचाने के लिए आप कोई ना कोई उसका उपाय ढूंढेघ। आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। सात नम्बर अनिल बाजपेयी जी, आठ नम्बर गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने नियम-280 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं बता दूं इस सवाल को मैं पहले भी नियम-280 के तहत उठा चुका हूं, लेकिन समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा के अंदर 77 नम्बर रोड पंजाबी बाग वार्ड नम्बर-2 से वार्ड नम्बर-3 के अंदर जो एक पुल बनाया था फलड डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो पुल एफए-33 नम्बर रोड मेहता चौक की तरफ जाना था तो उससे मिलना था वो रोड। लेकिन उसको वहां पुल बना कर वहीं छोड़ दिया गया और वो चालू नहीं हुआ। लेकिन 3लड डिपार्टमेंट ने टेढ़ा-मेढ़ा करके उसको किसी रोड में मिला दिया और वहां रास्ते में झुग्गियाँ आड़े आ रही हैं, क्योंकि वो झुग्गियाँ उठनी है। जिस तरह से मैट्रो पिलर अभी डल रहे थे मेरी विधान सभा में, तो वहां से भी उन्होंने करीब 70 झुग्गियाँ हर्टाइं थी और उनको मकान-वकान दिए थे और वो मैट्रो पिलर का काम चालू

हो गया, मैट्रो भी चालू हो गई। लेकिन वहां एक संकरा सा रोड चालू कर दिया गया है, लगभग-लगभग एक गाड़ी निकले उसमें से। तो वहां रोज, डेली शाम को जाम लग जाता है, झगड़े हो जाते हैं, लोगों ने गोलियाँ तक चला दी वहां रोड पर कि तू अपनी गाड़ी पीछे कर, मैं अपनी गाड़ी पीछे करूं। तो इस तरह की वहां जो व्यवस्था बनी हुई है। अब जबकि वहां सावदा घेवरा में इन झुग्गी वालों को मकान देने का प्रावधान है, तो जल्दी से जल्दी अगर उनमें से कुछ झुग्गियों को जैसे 50-100 जितनी भी उस पुल के आड़े आती है, उस काम को तेजी से किया जा सके जिससे की वहां जो डेली जाम लगता है और जो डेली के झगड़े होते है और डेली पुलिस थाना अक्सर वहां होता रहता है, इस समस्या का निवारण हो सके। तो जबकि मेरे पास एक लिस्ट भी आई है उसमें कुछ 900 झुग्गियाँ हैं जो आर ब्लॉक के अंदर है, उनको शि3ट करने के लिए सावदा घेवरा में मकान दिए जा सकते हैं, उन मकानों की लिस्ट भी आई है। तो मैं वहां देखकर आया था, लोगों को मैंने कहा भी है इस प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंट को आगे काम करना होगा। क्योंकि जो फलड डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो इसको संज्ञान में लेकर उस पुल को चालू कर सके जिससे कि इस समस्या का निवारण हो सके, धन्यवाद अध्यक्ष जी अपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मेरी आरकेपुरम विधान सभा में ज्यादातर जो जमीन है जहाँ कार्य कर सकते हैं वो सीपीडब्ल्यूडी की है केन्द्र सरकार के अधीन है आती है, जो हमारी भाजपा के साथी जो अभी अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, ये तो जनता के अधि

कारों की बात है वो उनको छीनने पर आई है। अध्यक्ष जी मेरे आरकेपुरम सैक्टर-1 से लेकर 12 तक सीपीडब्ल्यूडी का काम है। वसंत विहार नानकपुरा ये सारा सीपीडब्ल्यूडी इसमें कार्य करती है। F/SS न तो वो खुद कार्य करती है और न हमें करने देती है। हमने कई बार उनसे एनओसी भी मांगी है लेकिन ना वो एनओसी देते हैं और वहां के जो आर.डब्ल्यू.ए. है या वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे पास आते हैं अपने कार्यों को लेकर। बच्चों के लिए झूले लगवाने हैं या जिम लगवाने हैं या जहां पर अंधेरा है, जहां पर लाइट नहीं है, लाइट लगवाने के लिए लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमें एनओसी नहीं देते हैं। कई बार लैटर भी लिखे हैं उनको। मैं नौ लैटर लिख चुकी हूं लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी लैटर का जवाब नहीं दिया है ना एनओसी दी है सर। मैने 2019 में पहली चिट्ठी लिखी मई में, दूसरी मैंने दिसम्बर में लिखी 19 में ही, तीसरी चिट्ठी मैंने 2020 में लिखी सितम्बर में। फिर मैने चौथी फिर सितम्बर में लिखी। पांचवी मैंने अक्तूबर में लिखी। छठी मैने 2021 जनवरी में लिखी। सातवीं फिर मैंने 2021 में ही जनवरी में लिखी। आठवीं चिट्ठी मैंने 2021 फरवरी में लिखी और नौवीं भी फरवरी में ही लिखी लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नही दिया ना एनओसी दी है ना वो बात करके राजी है। अध्यक्ष जी, वहां की जनता बहुत दुखी है कि उनके वहां पर अंधेरा है और महिलाएं आती हैं हमारे पास। उनको डर लगता है चलने में, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन केन्द्र में भाजपा की सरकार है और जो एरिया हमारा सीपीडब्ल्यूडी कालोनी का या तो एमसीडी का एरिया है या हमारा सीपीडब्ल्यूडी का एरिया है जो दोनों ही भाजपा शासित लोगों का है जो ना काम करने देती है, ना करने देंगे। उनका तो विकास अभी तक हुआ नहीं है सर। हम विकास करने

जा रहे है तो वो विकास होने नहीं देते.....। सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि वहां के जो लोगों की रिक्वेस्ट आई है झूलों की या वहां पर पार्कों में जिम लगने हैं, लाइटें लगनी है, वो हमें एनओसी दें ताकि हम वहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाए। धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद-धन्यवाद। श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आज नियम 280 के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सैक्रेट्री महोदय के द्वारा पत्रों के जवाब न देने और कार्यवाही न करने के संदर्भ में आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः ये विषय तो नहीं दिया है आपने।

श्री विशेष रविः जी सर।

माननीय अध्यक्षः जो मेरे पास है 280 में ये नहीं है। पढ़िए क्या है। पढ़िए।

श्री विशेष रविः सर, अलग डेट। कल का अलग है आज का अलग है।

माननीय अध्यक्षः आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये 280 चल रहा है।

श्री विशेष रविः जी हाँ सर, 280 ही बोल रहा था सर।

माननीय अध्यक्षः 280 में आपने जो दिया है worst state does the government intend to take....

श्री विशेष रविः सर, ये भी दिया था ये शायद कल के लिए था ये आज आया है।

माननीय अध्यक्षः चलिए वो कल को देख लिजिएगा।

श्री विशेष रविः सर, सर ये स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सैक्रेट्री महोदय को मैने लगभग 18 पत्र पिछले एक साल के अंदर लिखे है, अलग-अलग समस्याओं को लेकर। संवैधानिक व्यवस्था के अंदर एक निर्वाचित सदस्य के पास सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो पत्र का ही होता है। लोग हमारे पास आते हैं समस्याओं को लेकर और अपनी चिट्ठी देते है तो हमारी इसमें डयूटी बनती है कि हम जो सम्बन्धित विभाग है उनको लिखें और उस पर कार्यवाही के लिए उनसे प्रार्थना करें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 18 चिट्ठियां एक साल में गई हैं। चिट्ठियों पर कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, चिट्ठी का acknowledgment तक भी आज तक नहीं आया। सर, मेरा ये निवेदन है कि नियम-280 में आज इसे उठाने के बाद आप जिस भी कमेटी के अंदर इसको आप ठीक समझें इसको आप रैफर कर दें ताकि.....

माननीय अध्यक्षः विशेष जी मेरे पास एक बार आपने जो भेजा हुआ है वो दूसरा है ये 29.07.21 की डेट है आपके साईन है। ये जो आप मांग कर रहे है इसको मुझे लिखकर दे दीजिए वो अलग।

श्री विशेष रविः ठीक है।

माननीय अध्यक्षः मैं बात कर लूंगा। ये जो आपने दिया हुआ है इसको आप पढ़ दीजिए।

श्री विशेष रविः ठीक है सर। तो जो आज दूसरा लाया हूं वो पढ़ देता हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं उसको नहीं टेकअप कर रहा हूं। नहीं चालाकी मत करिएगा।

श्री विशेष रविः सर, नहीं-नहीं-नहीं। सर, आपने अलाऊ किया है मैंने तभी पढ़ा है।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये वाला लीजिए जो दिया हुआ है।

श्री विशेष रविः ठीक है सर। मैं ये वाला ही पढ़ देता हूं। ये जो ईश्यू है उसमें निवेदन ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी जितने ये एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट जो एसडीएम ऑफिस से बनाए जाते हैं सर इसके अंदर जो 1996 से पहले का रिकार्ड या हो सकता है कि हर एसडीएम कार्यालय के अंदर अलग व्यवस्था हो। हमारे यहां करोल बाग के अंदर 1996 से पूर्व के जितने सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो उनका रिकार्ड इनके ऑफिस में नहीं होता है। उसके लिए ये इनका हैड ऑफिस शाम नाथ मार्ग पर है वहां पर भेजते हैं, वहां से वैरिफिकेशन आने के बाद फिर वो किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट बनाते हैं। अगर कोई अपने बच्चे का या परिवार में किसी का बना रहे है। सर, इसमें समस्या ये है कि बहुत सारे लोग जो अब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इनके परिवार के लोगों के सर्टिफिकेट पहले बने हुए हैं और जिनका रिकार्ड एसडीएम ऑफिस में नहीं है उनका रिकार्ड वहां हैड ऑफिस में भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से एसडीएम ऑफिस की तरफ से जो सर्टिफिकेट्स हैं वो समय पर नही बनाए जाते। हमें personally intervene करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि भई नियम में ये है, ग्राउंड वैरिफिकेशन कीजिए उसके बाद बन जाएगा। तब जाकर आदमी का बनता है तो सर मेरा ये निवेदन

है कि इन रिकार्डस को जो 1996 से पहले के हैं या दूसरे पूरी दिल्ली के जितने भी सर्टिफिकेट जो पुराने बने हुए हैं उनको डिजिटाइज किया जाए, उनको कम्प्यूटर सिस्टम में लाया जाए ताकि वहां पर कोई भी आदमी अगर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कभी भी अप्लाई करे तो सिस्टम में रिकार्ड में वहीं एसडीएम ऑफिस में हो, वहीं वैरिफिकेशन हो जाए और बिना समय खराब किये ये सर्टिफिकेट जो है applicant को मिल जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री सोमदत्त जी।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा में विधायक कार्यालय से सम्बन्धित विषय पर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष भी कोरोना का लॉकडाउन लगा और गाइडलाईन्स तमाम लागू रही। इस वर्ष भी लॉकडाउन रहा और तमाम लाइडलाईन्स लागू हैं। इस दौरान विधायक कार्यालय में रोजाना आज की डेट में भी एवरेज कम से कम सात सौ आठ सौ लोग रोजाना विजिट करने आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर या अपनी क्वेरीज को लेकर। लेकिन कोविड की गाइडलाईन्स को लागू करने के लिए और इसके प्रोटोकोल पालन के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम चार सिविल डिफेंस के volunteers क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये केवल मेरी समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से हरेक विधायक साथी की है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम चार सिविल डिफेंस के volunteer जिनमें दो पुरूष और दो महिला हों दिए जाएं ताकि वहां पर सही तरीके से कोविड गाइडलाईन्स का पालन कराया जा सके, क्राउड मैनेजमेंट की

जा सके। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि बहुत urgent है। हम सब के परिवारों से जुड़ा हुआ मसला है। इसके लिए प्लीज कोई व्यवस्था दी जाए। आपने मेरी बात को सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी। एक सैकेंड। इस विषय पर मैने चर्चा की है और बहुत जल्दी ये करने वाले हैं।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो साथ की साथ आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज ही देकर भेज दो साथ की साथ।

माननीय अध्यक्षः भावना गौड जी।

सुश्री भावना गौडः सर मेरा 280 में इसमें नहीं है।

माननीय अध्यक्षः आपका है 280 में भई क्या बात कर रहे हो। 29.07.21 आप नहीं पढ़ना चाहती तो नैक्स्ट बोल दूं मैं।

सुश्री भावना गौडः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण यानि डीडीए के भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहती हूं। एग्रीमेंट नं0 52 के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एसडब्ल्यूडी-7 के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री आरके बावरिया की देखरेख में एसटीपी पाइप लाईन डाली गई थी। तब वर्ष 2016 में इस पर लगभग आठ करोड़ रूपये की लागत लगाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डीडीए के द्वारा ड़ाली गई इस पाइप लाईन के केवल मरम्मत के कार्य में अब तक इस लाईन को बिछाने के बाद में लगभग

पांच करोड़ और खर्च हो गए हैं और ये पाइप लाईन जगह-जगह से फटने लगी है। इस गम्भीर मामले पर संज्ञान लेते हुए जब आईआईटी दिल्ली से जांच कराई गई तो रिपोर्ट में पाया गया कि ये पाइप लाईन एस्टीमेट के अनुसार जिस कम्पनी की ड़ाली जानी चाहिए थी उस कम्पनी की नहीं ड़ाली गई। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस काम में अनियमितताएं बरतते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री आरके बावरिया की देखरेख में जबरदस्त घोटाला हुआ जिसकी शिकायत दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और प्रधान मंत्री जी को भी जो पीएम का सेल है शिकायत सेल है उसको भी इसकी शिकायत की गई, परन्तु सम्बन्धित दोषी एवं भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्यवाही करना तो बहुत दूर की बात है उस अधिकारी को प्रमोशन दिया गया। सेवानिवृत होने के बाद में आज भी consultant के रूप में वो डीडीए के अंदर कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, इस घोटाले की प्रधान मंत्री कार्यालय को जब शिकायत की गई तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाही न करके उन्हें पदोन्नति दिया जाना यह दर्शाता है कि डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों को भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दिल्ली विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा दिल्ली की आम जनता के हितों की सुरक्षा हेतु यथेष्ठ कार्रवाई की जाने की मांग करती हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। धन्यवाद। जितेंद्र महाजन जी तेरहवां, चौदहवां है मोहन सिंह बिष्ट और अन्तिम मैं ले रहा हूं पन्द्रहवां जय भगवान उपकार जी।

श्री जय भगवानः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महेदय, मैं आपका ध्यान बवाना विधान सभा के बवाना जेजे कालोनी के F,G,H,I,J,K,L,M ब्लॉक की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह ब्लॉक दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा वर्ष 2006 में इनका आवंटन किया गया था। यहां पर पश्चिम विहार, विकास पुरी, केला गोदाम, अशोक विहार, प्रगति मार्केट मुण्डका मैट्रो की जगह से झुग्गियों को हटाकर उन्हें डीडीए द्वारा यह प्लाट दिये गए। पिछले सात वर्षो में डीडीए द्वारा विकास के नाम पर यहां किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। वहां की सड़कें, गलियां टूटी हुई हैं। बारह शौचालयों में से दस बंद पड़े हैं। शादी विवाह करने के लिए कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए आसपास कोई विद्यालय नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए कोई भी पार्क विकसित नहीं है। पार्को की चारदीवारी टूटी फूटी पड़ी है। कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़ा ढ़लाव घर नहीं है और तो और पीने के पानी की जो सप्लाई है वो भी ठीक नहीं है। इनके सभी पम्पिंग हाउस खराब पड़े हैं। इन ब्लॉकों में आने जाने के लिए कोई भी परिवहन की व्यवस्था नहीं है। बिजली के खम्बों पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वहां अंधेरा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह लोग अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि यहां चोरी, लड़ाई झगड़ा या अन्य कोई वारदात होने पर पुलिस द्वारा इनकी कोई मदद नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि डीडीए को आदेश करके इन दस हजार झुग्गी वासियों के साथ न्याय करे और उनके यहां पर विकास जल्दी से जल्दी शुरू कराए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना

चाहता हूं कि बवाना जेजे कालोनी F,G,H,I,J,K,L,M ब्लॉक के दस हजार झुग्गीवासी आप की और दिल्ली विधान सभा की तरफ बड़ी आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि उनके विकास का मुद्दा दिल्ली विधान सभा में उठाने के बाद उनका विकास कार्य डीडीए द्वारा जल्दी से जल्दी चालू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बवाना के झुग्गीवासियों के लिए आज जब मैं सदन में बोल रहा हूं तो यह सोच कर मेरे मन को बड़ी पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है कि आजादी के 75 साल पूरे होने को हैं और आज बारिश होने की वजह से उनके घरों में, गलियों में, रोडों पर, पार्कों में पानी भरा हुआ है। उनकी स्थिति बदहाल हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, जब इन झुग्गीवासियों के यहां सम्पूर्ण विकास होगा तो मुझे लगता है कि उनका भी कोई बेटा डा0 भीमराव अम्बेडकर डा0 अब्दुल कलाम, डा0 अब्राहम लिंकन और कोई भी बेटी एम सी मैरीकोम, कल्पना चावला और करणम मल्लेश्वरी बन सकती है। अंत में अध्यक्ष महोदय, जब तक पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति के यहां पर विकास नहीं पहुंचेगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मेरी महरौली विधान सभा की समस्या को उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एक जे.जे. क्लस्टर है बहुत बड़ा कुसुम पुर पहाड़ी नाम से लगभग 50 हजार से ज्यादा की आबादी का क्षेत्र है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, वहां पर पानी की विकट समस्या है कहीं से भी कोई फिल्टर पानी की लाइन नहीं है वहां पर और लगातार 2015 से पहली बार जब मैं विधायक था तब भी ये डिमांड वहां के

लोगों की है कि वहां पर पाइप लाइन से फिल्टर पानी दिया जाए। अध्यक्ष जी, वहां पर अभी जो पानी का सोर्स है वो केवल टेंकर्स के द्वारा दिया जाता है या वहां पर कुछ ट्यूबवेल बनवाए गए हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ट्यूबवेल में भी ज्यादा पानी नहीं आता अध्यक्ष जी। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कुसुम पुर पहाड़ी की ये काफी पुरानी डिमांड है कि वहां पर पाइप लाइन से पानी देने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष जी, इसके अलावा वहां पर डूसिब के बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए थे और वो टॉयलेट्स काफी संख्या में थे मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का। लेकिन अध्यक्ष जी वहां पर उनके रखरखाव में आज बहुत बुरी हालत है। जैसे ही वो भर जाते हैं तो उनको सफाई नहीं की जाती, वहां के जो ठेकेदार हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ईवन जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था अध्यक्ष जी वो भी अब काफी खराब होने लग गया है, शीट्स वगैरह टूट गई हैं, उसकी छत टूट रही है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कुसुम पुर पहाड़ी में जितने भी टॉयलेट्स बने हैं और अभी हाल ही में बने हैं उसपर एक जांच भी की जाए ताकि वहां पर क्वालिटी चेक भी हो और उनका ठीक से रखरखाव कराया जाए। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्वाद। अब माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी कार्यसूची में दर्शाए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं अब नहीं सुन रहा जी प्लीज। दर्शाये गये अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। माननीय मंत्री जी।

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक 4 के उप बिन्दु I में दर्शाये गये दस्तावेजों की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

1. दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) का वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[12]
2. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूपरेखा को लागू करने विषय(क) विनियम, 2021 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(600)/टैरिफ-वित्त/डीईआरसी/2019-20/6750/061 दिनांक 13 अप्रैल, 2021 (हिन्दी एवं अंगेजी प्रति)[13]
3. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(600)/टैरिफ-वित्त/डीईआरसी/2019-20/6705/063 दिनांक 13 अप्रैल, 2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[14]

माननीय अध्यक्ष: अब श्री कैलाश गहलौत जी माननीय परिवहन मंत्री कार्यसूची में दर्शाये गये अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

---

12. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20009 पर उपलब्ध।
13. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20007 पर उपलब्ध।
14. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20006 पर उपलब्ध।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक 4 के उप बिन्दु II में दर्शाये गये दस्तावेजों की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

1. दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के पूर्वावलोकन की प्रतियों सहित वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[15]

2. दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के पूर्वावलोकन की प्रतियों सहित वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंगेजी प्रति)[16]

3. दिल्ली परिवहन निगम भविष्य निधि न्यास का वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[17]

4. परिवहन विभाग की मुख्य चांदनी चौक मार्ग पर लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद और आसपास के क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-4) में जारी अधिसूचना संख्या फा. सं. 19(17)/सचि0/परिवहन/2020/49052 दिनांक 14 जून, 2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[18]

---

15. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20011 पर उपलब्ध।
16. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20010 पर उपलब्ध।
17. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20012 पर उपलब्ध।
18. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय के संदर्भ संख्या आर-20008 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा जी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में चर्चा आरम्भ करेंगे। इस चर्चा में अन्य सदस्य भी भाग ले सकते हैं।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। जैसा कि अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति हुई है। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं श्री राकेश अस्थाना जी जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर हुई है और इसमें हैरतअंगेज बात ये है कि उनके रिटायर्मेंट के केवल 4 दिन रह रहे थे। तो 4 दिन पहले न केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि एक साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है और जो एक established procedure है ये उसके भी खिलाफ है। चूंकि हम सबको बेहतर याद है कि 2019 में एक जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर किसी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति डीजीपी के लेवल पर होनी है तो कम-से-कम 6 महीने की अवधि होनी चाहिए। अगर 6 महीने की अवधि नहीं हो तो उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्देश भी जारी किया गया है यूपीएससी को कि क्या क्राईटेरिया हो सकता है अगर आप डीजीपी की नियुक्ति करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों को कार्यकारी डीजीपी के रिटायर्ड होने से 6 महीने

पहले यूपीएससी को इस पद के दावेदारों का नाम भेजना होगा। यूपीएससी डीजीपी के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त तीन अधिकारियों का एक पेनल तैयार करेगा और उसे वापस भेजेगा। यूपीएससी जहां तक व्यावहारिक हो, विचार क्षेत्र के ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी सेवानिवृत्त में कम-से-कम दो साल शेष हों और इसके अन्तर्गत योग्यता एवं वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी। तदोपरांत राज्य सरकारें यूपीएससी द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से किसी एक को डीजीपी पद पर नियुक्त करेंगी। अब देखिए अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इसमें से एक भी कोई ऐसा मानक नहीं है जिसका अस्थाना जी के नियुक्ति में अनुपालन किया गया हो। ये नियुक्ति रातों-रात की गई है। क्या वो तीनों अधिकारियों का पैनल बना, कौन-कौन से नाम भेजे गए और उस नाम पर इनकी अनुशंसा कैसे हुई? तो अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि प्रकाश सिंह वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था जिस जजमेंट में ये categorically कहा गया था। अगर वो जजमेंट का मैं आपको केवल एक पैरा सुना देता हूं 'it has been brought to our notice that some of the states have adopted a practice to appoint DGPs on the last date of retirement as a consequence of which the person continues for two years after his date of retirement. Such a practice is not in conformity with the spirit of the direction' तो इसका मतलब है कि इनकी जो नियुक्ति है ये नियुक्ति ये दर्शाती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट था उस जजमेंट की अवहेलना की गई है। अब राकेश अस्थाना जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, मैं कहता हूं ये हाईएस्ट पोस्ट है पुलिस का, अगर highest पोस्ट पर कोई आता है तो उनकी integrity उनकी commitment क्या है ये सबसे पहले जानना

बहुत जरूरी है। अब राकेश अस्थाना जी blue eyed guy रहे हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी के चाहे वो जब गुजरात में रहे हो तब या अब जब केन्द्र में आए हैं तब। जब जब प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी है राकेश अस्थाना जी available मिले हैं उनको और ऐसे कई सारे instances हैं। अगर मैं 2002 से गिनने लगूं तो एक लम्बा सीरिज है बहुत वक्त जाएगा। आप सबको याद होगा 2011 में एक केस जिसमें राकेश अस्थाना जी पर लेन-देन का आरोप लगा था। 2017 में जो कुछ वाक्या हुआ एक लड़ाई सीबीआई वर्सिस सीबीआई हो चुका था अब जो व्यक्ति अपने ही institution को sabotage करे, जो व्यक्ति अपने institution को खत्म करने की कोशिश करे ऐसे व्यक्ति की integrity पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं और हैरत-अंगेज बात ये है कि इसी व्यक्ति को आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उनको जब सीबीाई हैड की नियुक्ति की बात हुई थी तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये संस्था कमजोर करने की कोशिश की जा रही है चूंकि उनके tenure के केवल 6 महीने बचे हुए थे। तो अगर वो सीबीई स्टेट हैड नहीं बन सकते, अगर वो वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन था तो फिर ये आज पुलिस हैड दिल्ली में कैसे बन गए? आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी है? मैं वो नोटिफिकेशन देख रहा था तो नोटिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि स्पेशल purpose से अब ये स्पेशल purpose किसका है ये दिल्ली की जनता का है या माननीय प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का है चूंकि ये जो ACC है उसको हैड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को ना तो संविधान से मतलब है, ना माननीय उच्चतम न्यायालय से मतलब है, ना उनको प्रोसीजर से मतलब है। वो भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री इस देश में demoractically elect होकर आए हैं और ये

देश लोगों की will से चलता है ये किसी "whims and fancy" से नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरह से ये नियुक्ति की गई है वो दिखाता है उनकी "whims and fancies" है। तो ये स्पेशल केसिज नहीं है ये स्पेशल मिशन पर भेजा गया है इनको और मुझे ये लगता है कि जब-जब प्रधानमंत्री जी को ये आशंका हुई कि हम पर किसी तरह की गाज गिर सकती है तो राकेश अस्थाना की नियुक्ति हो जाती है, चाहे वो सीबीआई का मसला हो या गुजरात में एक series of stories उसका मसला हो। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया है चूंकि आज गुजरात कैडर के व्यक्ति को, दिल्ली एक राजधानी है उसकी पुलिस का हैड बनाया जा रहा है, जिनको ना तो दिल्ली का अनुभव है, ना दिल्ली के क्राइम के बारे में जानकारी है या क्राइम के consequence उनके बारे में जानकारी है। इनका अनुभव भी अगर देखें तो सीबीआई में ज्यादा है। तो ये क्या बनाना चाहते हैं, क्या ये सीबीआई investigation wing बनाना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि इनको दिल्ली में हो रहे अपराध की चिंता नहीं है। दिल्ली में चाहे रोज मर्डर हो रहे हो या रेप की घटनाएं हों या molestation की घटनाएं हो रही हों या चोरी हो या डकैती हो रही हो, उसको रोकना इनकी मंशा नहीं है चूंकि अगर ये मंशा उनको रोकने की होती तो एक AGMUT जिस कैडर के जरिए दिल्ली में कौन पुलिस हैड होगा वो तय होता है उसी कैडर से आते हैं लोग। तो एक बात और प्रधानमंत्री जी को बतानी चाहिए कि क्या AGMUT Cadre में कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति नहीं है, किसी के पास दिल्ली में पुलिसिंग का अनुभव नहीं है। decades of experience वाले लोग पुलिस में हैं, क्या उनको उन पर विश्वास नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालाजी श्रीवास्तव जी को अतिरिक्त

भार देने के बाद फिर उनको वापस ले लिया गया? बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली में पुलिसिंग का अनुभव है। decades से वो दिल्ली में पुलिसिंग करते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो AGMUT Cadre पुलिस है, जो AGMUT Cadre के लोग हैं उनकी भी अवमानना, उन आईपीएस की अवमानना है चूंकि आप उनपर भरोसा नहीं कर रहे या जैसा मैंने पहले कहा कि जो स्पेशल मिशन आप दिल्ली में चाहते थे आपको भरोसा नहीं था कि AGMUT Cadre पुलिस वो आपके लिए करेंगे इसलिए उस मिशन पर आपने इनको भेजा है। तो दिल्ली में आपका क्राइम नहीं रोकने का मकसद है, दिल्ली को destablise का मकसद है। आज ही मैंने अध्यक्ष महोदय आपकी पीड़ा सुनी कि किस तरह से सदन के अधिकार को छीना जा रहा है। आपकी पीड़ा से हम सब भी आहत हैं कि आज दिल्ली में एक इलेक्टिड गवर्नमेंट के ना केवल अधिकार को छीना जा रहा है बल्कि दिल्ली के सदन के अधिकार को भी कम किया जा रहा है। तो एक तरफ आप जितने भी प्रशासनिक राइट्स हैं वो भी ले रहे हैं और दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति को भेजकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं यहां पर बैठे जितने भी व्यक्ति हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे 90 परसेंट लोग हैं जो पुलिस की इस atrocity का शिकार रहे हैं और कोर्ट में जब ये केसिज गए तो सब धराशायी हो गया। तो फिर आप अपना एक henchman भेज रहे हैं। एक तो इससे दिल्ली का कोई कोई भला नहीं होने वाला।

मैं एक कहानी कहीं पढ़ रहा था कि किसी एक मठ में कोई एक बदमाश, एक क्रिमिनल था। कुछ लोगों के सहयोग से वो मठाधीश बन गया। जब वो मठाधीश बन गया तो कहा गया कि जो मठ के महन्त हैं उनको प्रवचन भी

देना है। अब बेचारे को प्रवचन देना तो आता नहीं था। दिन-रात वो मारपीट करता था, गुण्डागर्दी करता था वो। तो जब बात होती थी राम कथा की तो उसमें घुसेड़ देते थे महाभारत। तो जब कहा कि भाई महन्त को प्रवचन देना आता नहीं है तो साथ में एक henchman को रख लो और अगर मान लीजिए वो लीक से बहक जाये तो वो टार्च दिखा दे। अब जिसको वो टार्च दिखायेगा वो गायब हो जायेगा। वैसे भी उस समय के लोगों ने कहा कि इस मठ के जो महन्त हैं इनके भी ट्रैक रिपोर्ट बहुत लोग जानते है। डर से ऐसे भी नहीं बोलेंगे। अगर दो-चार बोले तो टार्च दिखाओ। बाकी अपने आप डर जायेंगे। तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक टार्च bearer बुलाया है कि अगर कोई उनके खिलाफ बोले तो उसको टार्च दिखाओ और वो गायब हो जाये। हो सकता है सदन में जो साथी बोल रहे हैं टार्च की रोशनी उन पर भी आये लेकिन इसके शिकार हम पहले भी हो चुके है। हम सब घबराने वाले नहीं हैं लेकिन चिन्ता हमे दिल्ली की है। चिन्ता हमारी ये है कि आज जो ये दिल्ली में अपराध रेट है, आज जो ये दिल्ली में तरह-तरह के क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम कैसे रूकेगा। चूंकि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति न तो दिल्ली की पुलिसिंग को समझ पायेगा, न दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली को समझ पायेगा। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा दुरूपयोग अपने अधिकार का न केवल प्रधानमंत्री या जो ये कैबिनेट कमेटी जो एप्वाइन्टमेन्ट करता है उसने अपने अधिकार का दुरूपयोग किया है बल्कि एक प्रोसीजर जो स्टेब्लिश किया हुआ है, आने वाले दिनों में इसका एक बहुत गलत मेसेज जायेगा। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैं आज इसका पुरजोर विरोध करता हूं और साथ में मैं आज इस हाउस में एक रिजोलूशन भी लाना चाहता हूं कि the Legislative Assembly for the

National Capital of Delhi in its sitting on 29th July 2021 adopted the following resolution:

'this House expresses strong disapproval over the Ministry of Home ffAairs, Govt. of India order dated 27th July 2021, Shri Rakesh Asthana to the post of Commisisoner of Police, Delhi for a period of one year or till further order. This MHA order is in complete violation of the Hon"ble Supreme Court of India judgment dated March 13, 2019 in the case listed: Prakash Singh Vs Union of India. The judgment clearly lays down that no individual who has less than six months of service left, can be considered for appointment as the head of a police force anywhere in the country. It is a widely known fact that Shri Asthana was to retire from service on 31st July - meaning barely two days later. Further, the post of Commissioner of Police, Delhi belong to AGMUT IPS Cader. This appointment of a conterversial Gujarat cadre officer, who has faced multiple inquiries on serious charges in the past, will only bring Delhi Police into controversies. Further, it is beyond any reasonable understanding as to why a controversial officer who was removed by the central government from the post of Special Director, CBI in October 2018 and was not considered fit for the post of CBI director only very recently, is being imposed on the Delhi Police. Given the past track record of this officer, there is a reasonable apprehension that the Central Government will use him for foisting false cases on political rivals, to create a reign of terror in the national capital. Such a conterversial individual should not be heading the Police force in the country capital. This House directs

the Govt. of NCT of Delhi to convey to MHA that the appointment order of Shri Rakesh Asthana be immediately withdrawn and fresh process for the appointment of Commissioner of Police, Delhi be initiated in accordance with the proper rules and regulation. Thank you.

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मुद्दे पर बात करके इसलिए और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि गुजरात से मेरा पुराना नाता है और राकेश अस्थाना जो कि 1984 बैच के अधिकारी हैं पूर्व में ये बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ये बालाजी श्रीवास्तव का एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, क्या जल्दबाजी पड़ी थी एकदम से कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर की गयी। अगर आप राकेश अस्थाना के बारे में गुगल करेंगे। राकेश अस्थाना के बारे में कहीं पर भी आप चर्चा करेंगे तो विवादों से घिरा हुआ और ऐसे मुख्य विवाद जो देश में काफी चर्चित हुए। आप देखेंगे कि एक बार इनकी सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति हुई थी। तो उस समय के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके साथ में करप्शन के एक मामले में इन दोनों के बीच में काफी फाइट हुई और वो जगजाहिर है, सबको पता है। सबको पता है कि हाँ दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे जो इशरत जहाँ एनकाउन्टर की बात है उस समय गुजरात कैडर के आईपीएस सतीश वर्मा ने गुजरात हाईकोर्ट के अन्दर एक याचिका दायर करके ये साफ-साफ कहा, राकेश अस्थाना के उपर आरोप लगाया कि इशरत जहाँ इनकाउन्टर के मामले में ये जो फॉरेंसिक अधिकारी है उसके उपर दबाव डालकर पूरी की पूरी जॉच

को भटकाने की कोशिश की गयी। इसके अन्दर राकेश अस्थाना का सीधा-सीधा नाम वहीं के एक अधिकारी ने हाईकोर्ट के अन्दर याचिका दायर करके सीधा इनका नाम लिया गया। ऐसे विवादित आदमी को दिल्ली के अन्दर कमिश्नर बनाया गया और इनकी नियुक्ति से एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि लॉ एण्ड आर्डर से कोई लेना-देना है नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायको को, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को किस तरह से इस सरकार को यहां पर दबोचा जाये। जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात हो, पंजाब हो, उत्तराखण्ड हो, अन्य राज्य हो। हर राज्य के अन्दर जो संगठन का फैलाव पूरी ताकत के साथ आज आम आदमी पार्टी का हो रहा है, कहीं न कहीं उसको कुचलने का, उसको दबाने का एक प्रयास अस्थाना के माध्यम से किया जाये। मुझे याद है 2016 में एक ऐसी हाई प्रोफाइल शादी इनकी बेटी की हुई बड़ोदरा के अन्दर। बड़ोदरा में इतनी हाई प्रोफाइल शादी की, बड़ोदरा के जितने फाइव स्टार होटल थे सारे के सारे गेस्ट को उन होटल्स में ठहराया गया। ताज्जुब की बात, एक पैसे का बिल उन होटल्स वालों ने इनसे नहीं लिया। इनका अपना इतना बड़ा पोलिटिकल जाल है और मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए चन्दा तक इकट्ठा किया इस अधिकारी ने और ऐसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तमाम इतने ज्यादा इनके कांड हैं अगर मैं बात करूं तो शायद आधा-पौना घण्टा लगेगा लेकिन गुजरात के हर मोहल्ले में, गुजरात के हर शहर में इस व्यक्ति को अगर कोई जानते हैं तो एक ही बात के लिए जाना जाता है कि जितने कर्मकाण्ड, काले काण्ड मोदी और अमित शाह ने किये हैं उनको अगर कहीं दबाया गया तो इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ गुजरात के अन्दर उनको बचाने में रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं इसकी घोर

निन्दा करता हूं और ये टोटल राजनीतिक फायदा लेने के लिए और आम आदमी पार्टी की सरकार को, हमारे विधायको को, मुख्यमंत्री और मत्रियों को किसी भी तरह से दबाने का प्रयास किया गया है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी। श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हुई है उस पर पूरे देश के लोग अचम्भित हैं। दिल्ली के लोग तो अचम्भित हैं ही। सबसे बड़ा प्रश्न राकेश अस्थाना जी के पुलिस कमिश्नर बनाये जाने पर यह है कि आखिर सरकार की क्या ऐसी मजबूरी थी कि AGMUT जो Cader है जिसको दिल्ली में काम करने का, दिल्ली के लाँ एण्ड आर्डर को समझने का बहुत लम्बा अनुभव है उनको डिमोरलाइज करते हुए कहीं अन्य प्रदेश से एक अन्जान व्यक्ति को लाने का कोशिश की गयी जिसका पूरा का पूरा चरित्र दागदार रहा है। जिसका पूरा का पूरा चरित्र राजनैतिक विद्वेषों से युक्त रहा है। जिसका पूरा राजनीतिक चरित्र, पूरा नौकरी का जीवन किसी पार्टी विशेष की सेवा के लिए समर्पित रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली की पुलिसिंग से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं है। कभी दिल्ली में पुलिसिंग के ए,बी,सी,डी को नहीं जाना। ऐसे व्यक्ति को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहां नियुक्ति दी है। तब अध्यक्ष महोदय प्रश्न उठता है और संशय होता है जैसा अभी संजीव भाई भी कह रहे थे और गुलाब भाई कह रहे थे कि कब संशय होता है कि आप किस मिशन पर भेजे हैं। वही मिशन जो आपने गुजरात में चलाया था। मिशन मर्डर, मिशन दंगा।

वही मिशन इशरत जहां केस। फर्जी एनकाउन्टर। वही मिशन जिसमें सत्ता के द्वारा सत्ता का दुरूपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दियो को कुचलने की कोशिश की गयी जो गुजरात में होता रहा। वो मिशन दिल्ली में भेजा क्या आपने, ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न वाजिब है जो माननीय सदस्यों ने उठाया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ऐसा व्यक्ति हो सकता है डीजीपी या पुलिस कमिश्नर किसी प्रदेश का जिसकी सेवायें कम से कम दो साल की बची रह गयी हो। 6 महीने तो मिनिमम बची हो उसी व्यक्ति को इमपैनल्ड किया जायेगा एक। दूसरा कहा गया कि भई कम से कम 6 महीने पहले यूपीएससी एक पैनल बनायेगा तीन लोगों का और सजेशन दे देगा स्टेट को या नियुक्ति कमेटी को और उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को डीजीपी या पुलिस कमिश्नर बनाया जायेगा। इसको भी आपने हटा दिया। ऐसे व्यक्ति को लाने की कोशिश की जिसका एक दिन रिटायरमेन्ट का रह गया हो। जिसकी एलिजिबिल्टी नहीं बनती है कि वह पैनल में भी आ पाये और साथ-साथ में अध्यक्ष जी कि जो सदस्य कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेन्डा सेट करने के लिए यहां भेजा गया है राकेश अस्थाना जी को, तो ये सोच लें कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। गुजरात में कांग्रेस के लोग नहीं है। ये क्रान्ति की कोख से निकले हुए लोग हैं। यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं उनमें मैं भी हूं, जिन पर पुलिस ने विद्वेषपूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज करने का काम किया, केस चलाने का काम किया और जब कोर्ट में गये तो पुलिस को लगातार डांट और फटकार मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा जो देश में चल रहा है उससे थोड़ा रिलेट करके इसको बताने के बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

लगातार जो संस्थायें हैं उनका दुरूपयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से सीबीआई का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से इडी का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से देश में लोगों की प्राइवेसी को खत्म करने के लिए फोन की टेपिंग की जा रही है, तमाम प्रकार के पेगासस जैसे साफ्टवेयर मंगाकर लोगों की बातें सुनकर सरकारें गिराने का काम किया जा रहा है।

अब स्पेशल मिशन पर दिल्ली पुलिस का एक विशेष व्यक्ति बनाकर अपने एक विशेष नुमाइंदे को जिसके बारे में अभी और सदस्य भी बताएंगे कि क्या-क्या इतिहास रहा है उनका, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं इश्रत जहां केस, गुजरात दंगा, हरिश पाण्डया मर्डर केस गुजरात, वहां पर अपने राजनीतिक प्रतिद्धंद्धियों को कुचलने के लिए जिस तरीके से राकेश अस्थाना जी का प्रयोग मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते किया है, उसी तरीके का प्रयास दिल्ली में करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। इस असंवैधानिक नियुक्ति और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जो नियुक्ति की गयी है, उसकी मैं निन्दा करता हूं और माननीय सदस्य संजीव झा ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूरजोर समर्थन करता हूं कि ये तुरंत तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए, यह असंवैधानिक है, नियमों और कानूनों के खिलाफ है। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री बीएस जून जी।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर लॉ में एक कहावत है quid pro quo जिसका मतलब होता है अगर किसी ने आप पर अहसान किया है तो आप उसका बदला चुकाएं। लगता है जो आज के पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली

के, उनके केस में भी ऐसा ही हुआ है। कुछ दिन पहले गजुरात में एक खबर आयी थी कि किसी लेडी की स्नूपिंग की। उन दिनों ये महाशय गुजरात में सूरत या अहमदाबाद के कमिश्नर थे। तब भी एलिगेशन्स आए थे। आज पेगासस के, स्नूपिंग के चर्चे चल रहे हैं, उनमें भी कहीं न कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि आज तक तो ये डीजी, बीएसएफ। सर he was DGP, BSF, Director General, Police. डायरेक्टर जनरल किसको लगाते हैं। एक three star ffoicial with senior most officer in States or UT Cadre जब एक बार इनको डीजी, बीएसएफ बना दिया और फिर इनको डीमोट करके दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट हो सकती है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्ट डीजी के इकुवैलेंट नहीं है। अगर इकुवैलेंट नहीं हैं तो इनको डीमोट किया गया। इन्होंने Post एक्सेप्ट क्यों की, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नें इन पर अहसान किया, इनको रिवार्ड दिया पिछले किसी फेवर के लिए और अगर ये डीजी के इकुवैलेंट पोस्ट है दिल्ली की तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह का जजमेंट 2006 का आड़े आता है। छः मंथ से कम सर्विस और दो साल का टेन्योर आपने इसको टेन्योर कितना दिया, एक साल का एक्स्टेंशन, वहां पर वायलेशन हो गयी तो ये अप्वाइंटमेंट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या पुलिस कमिश्नर, दिल्ली की पोस्ट और डीजी की पोस्ट का कम्पेरिजन हो, एक इलिगल आर्बिटरी और एक against the interest of the UT Cadre officials के है। एक ऐसा आदमी जिसका पूरा कैरियर डाउट्स में रहा हो, ड्यूबियस रहा हो, कंट्रोवर्सियल रहा हो, उस आदमी को आप कैपीटल में कमिश्नर बना देते हैं। सर लॉ में फंडामेंटल राइट है हर आदमी का कि fair investigation and fair trial. जिस आदमी का कैरियर आज तक इतना

कंट्रोवर्सियल रहा हो being a Police Head of the State क्या उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक फेयर इंवेस्टिगेशन होगी केसेस में। अभी कुछ मेम्बर्स ने कहा कि पिछले 2015 में एक पुलिस कमिश्नर आए थे बस्सी जी। उन्होंने कसम खा रखी थी कि अगर किसी के खिलाफ झूठी भी कंप्लेंट आयी है सबसे पहले एफआईआर करो। कम से कम 15 मुकदमों में सर मैं रिप्रजेंट कर चुका हूं अपने एमएलए भाई को और कोर्ट ने क्या किया, मोस्टलि में डिसचार्ज किया। सीएम साहब के सात-आठ केस थे, जिनमें उनको डिसचार्ज कर दिया। आज के दिन उनके खिलाफ कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं है। तो जिस तरीके से इनको लाया गया है, आगे क्या होगा। अगर किसी एमएलए ने किसी valid agitation में भी हिस्सा ले लिया तो अगले दिन उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। किसी ने किसी Protest को लीड किया तो फिर कहेंगे पब्लिक सर्वेंट के साथ ड्यूटीज में इंटरफेयर कर दिया, उनके खिलाफ फिर एफआईआर हो जाएगी। पर्पस है आम आदमी पार्टी की सरकार, मंत्रियों को हैरास करना ताकि जो डेवलपमेंट वर्क आज चल रहा है, किसी न किसी तरीके से एमसीडी एक्ट को अमेंड कर दो। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ऐसा ले आओ जो काम ही न होने दे, एमएलए को डराने की कोशिश करे, अधिकारियों को डराए, मिनिस्टर्स को दबाये। तो सारी बात वहीं पर आ जाती है कि जो हमारे दूसरी साइड में भाई लोग बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये डीजी हैं या इनको डीमोट करके आईजी के पोस्ट पर ला दिया गया है पर्पसली। तो ये सीधा-सीधा एक quid pro quo का केस है, जिसमें साफ नजर आता है कि इनको रिवार्ड दिया गया है, इनको बैनीफिट दिया गया है, इनको गिफ्ट दिया गया है। इन्होने कुछ ऐसा काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के

लिए कि आज इनको वो बैनीफिट देने के लिए ये सब किया जा रहा है। सर एक बात और कहूंगा। स्नूपिंग की मैंने बात की। छः महीने मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और दो साल का कैरियर मिलेगा उस आदमी को कम से कम। इनकी अप्वाइंटमेंट एज सीबीआई डायरेक्टर इसलिए टर्न डाऊन हो गयी थी कि इनकी छः महीने से कम सर्विस बाकी थी। अगर वहां इनको टर्न डाऊन कर दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओब्जेक्शन पर तो आज ये किस कैटेगरी में फॉल होकर इलिजिबल हो गये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए? अगर दिल्ली पुलिस की पोस्ट डीजी के बराबर है और अगर डीजी के बराबर नहीं है, तो क्या इनका इंटरेस्ट है कि आईजी लेवल की पोस्ट पर आ रहे हैं? तो ये सीधा-सीधा मामला बनता है कि कहीं न कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इनको फेवर करने के लिए, रिवार्ड करने के लिए इनको गिफ्ट दिया गया है और पर्पस यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को हैरास किया जाए, एमएलए को फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट किया जाए और मिनिस्टर्स जो हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बनाएं जाएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो संझीव भाई ने प्रस्ताव रखा, मैं उसका अनुमोदन करता हूं और ये जो इनकी अप्वाइंटमेंट हुई है टोटली इल्लिगल, आर्बिटेरी है और दूसरे जो हमारे यूटी कैडर के आफिसर्स हैं, वो डीमोरलाइज होंगे, उनके कैरियर में इफेक्ट पड़ेगा। तो सर जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, तीन बातें देखती है, एक Constitution of India क्या कहता है, दूसरा उनके अपने जजमेंट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट source of law है वो अपने जजमेंट देखते हैं और तीसरा सबसे बड़ी बात होती है नेचुरल जस्टिस and equity। इस केस में Natural Justice and Equity पर ध्यान दिया ही नहीं गया। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली पुलिस के आज के जो आफिसर्स हैं वो नालायक

हैं, इनकंपिटेंट हैं, इनकेपेबल हैं, वो इस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। इन्होंने ये रूल आउट कर दिया। तो बहुत गलत अप्वाइंटमेंट हुई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जो संजीव भाई जो प्रस्ताव लेकर आए हैं मैं उसका अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः हां सोमनाथ भारती जी आपका नाम पहले बोला था मैंने। हां बोलिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना विचार रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जो साथियों ने बात रखी। जून साहब ने संविधान और कानून को भी रखा सदन के आगे लेकिन जो बात इसमें से निकलकर आ रही है कि पर्पस क्या है। भाई जब AGMUT कैडर के आईपीएस आफिसर्स उपलब्ध है, इन्फेक्ट तीन नाम चूंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के जरिये वो जो बात कही थी, उसका मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। जो प्रकाश सिंह वाला केस है, उसमें बस a small paragraph which says, 'Director General of Police of the State shall be selected by State Government from amongst the three senior most officers of the Department' और ऐसे दो नाम थे, जो मेरे संज्ञान में है, जो कंसिडरेशन में था। संजय बैनीवाल जी का नाम था, सतेन्द्र गर्ग जी का नाम था। तो ये जो AGMUT कैडर के आईपीएस आफिसर्स दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी कि आपने गुजरात काडर के व्यक्ति, जिसके खिलाफ 6 केसेस थे, उनके ऊपर misappropriation केस था, corruption का केस था, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से सीबीआई के अंदर आलोक वर्मा जी और उनके बीच में जो मुसीबतें

क्रिएट हुई, उसके बाद आलोक वर्मा जी के साथ क्या किया इन लोंगों ने। दोनों को बुला तो लिया फिर तुरंत पोस्ट दिया बीएसएफ के अंदर और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट चूंकि आर्टिकल 142 इस देश के अंदर संविधान का जो एक अनुच्छेद है, वो साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को एक दर्जा देता है लॉ का। कहता है 'enformecement of decrees and orders of Supreme Court and unless as to discovery etc., the Supreme Court, in exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter peding before it and any decree so passed or orders so made shall be enforceable, it is saying "shall be", it is not "may be", shall be enforceable throughout the country of India, throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may, by order, prescribe. अब इसमें कोई इधर-उधर नहीं है। इसके तहत् जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो कह दिया, वो कानून बन गया। अब इस कानून के वायलेशन के बारे में अभी पीछे जब सीबीआई डायरेक्टर की अप्वाइंटमेंट की बात चल रही थी, उस कमेटी के हिस्सा थे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका और उनका धन्यवाद करता हूं, यह सदन धन्यवाद करता है उनका। जस्टिस रमन्ना ने जिस प्रकार से ये बात कही जो हमने मीडिया में पढ़ा कि अस्थाना जी के पास छः महीने का वक्त नहीं है। कम से कम छः महीना होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को आप सीबीआई डायरेक्टर बनाते हैं और ये उल्लेख दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो मुझे यह समझ में

नहीं आ रहा है कि भई इस देश की न्यायालय व्यवस्था के सुप्रीम व्यक्ति ने कह दिया कि ये व्यक्ति सीबीआई डायरेक्टर नहीं बन सकता तो आपने किस प्रकार से रिटायरमेंट के तीन दिन पहले एक्सटेंशन देकर माननीय प्रधानमंत्री ने खुद, ये माननीय प्रधानमंत्री का फैसला है, ये मोदी जी ने फैसला लिया कि जी गुजरात कैडर का व्यक्ति चूंकि कैडर का ट्रांस्फर होना था और यूपीएससी के पास वो जारी होती है as per the law of the land यूपीएससी को स्टेट गवर्नमेंट और यहां पर केन्द्र सरकार को तीन महीने पहले वो नाम देने होते हैं और यूपीएससी उसमें पूरी जांच-परख करती है कि क्या क्वालिफिकेशन है, कोई केसेस तो नहीं है पीछे, सबकुछ होता है। जब तक यूपीएससी क्लीयरेंस नहीं देती तब तक उस व्यक्ति का कंसिडरेसन नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट और यहां पर केन्द्र सरकार। तो न तो यहां पर यूपीएससी के पास कोई लिस्ट दी गयी और न यूपीएससी से कोई रिकॉमेंडेशन आया। तो होता ये है अध्यक्ष महोदय कि जो कुछ देश में चल रहा है। देखिये, अगर आपने मुखिया चौंज कर दिया, मुखिया का जो करेक्टर है, वही नीचे तक आएगा। अगर इस देश के मुखिया माननीय मोदी जी, गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी इनका पीछे कोई पास्ट देखें, इनका एटिंसिडेंट क्या रहा है, इनका पास्ट क्या रहा है। कहते हैं कि वो अमित शाह जी खुद ही तड़ीपार थे, तो तड़ीपार व्यक्ति किसका नाम रिकॉमेंड करेगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का नाम रिकॉमेंड किया, जिसका पूरा पास्ट रहा है। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया भाजपा को, मेरे पास अखबार की कटिंग है, 20 करोड़ रुपया एज ए सूरत कमिश्नर इस जेंटलमैन ने राकेश अस्थाना जी ने भाजपा को डोनेट किया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एस्टिब्लिश करने के लिए कि भाई कहां biased होगा ये। किसके लिए काम करेगा ये। दिल्ली में क्या करने आया है यह व्यक्ति।

अध्यक्ष महोदय, जैन साहब ने गोवा में लास्ट जो काम किया है, वो उससे बहुत दुखी है। भाजपा के मंत्री ने गोवा में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आम आदमी पार्टी का जो पावर मॉडल है, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी की हर तरफ जो एक्सपेंशन हो रही है, जो acceptance हो रहा है, जैन साहब ने मुस्कराकर सारी बात कह दी गोवा में। अब गोवा के जरिए पूरे हिन्दुस्तान में ये बात पहुंच रही है कि भाई अगर पावर आपको सस्ता और मुफ्त का लेना है, अगर जनता का टैक्स का पैसा सही मायने में लगना है तो आम आदमी पार्टी के पास मॉडल है।

अब हो ये रहा है कि इस व्यक्ति को इसलिए लाया गया है अध्यक्ष महोदय कि ये व्यक्ति दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बहुत तंग करे। लेकिन बता दूं, मेरे ऊपर कई केस हुए। अभी एम्स वाले केस में इन्होंने जेल ही भेज दिया मुझे और शुक्र है इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था है। तो भाजपा ये जान ले कि आम आदमी पार्टी का जो डीएनए जो है न वो केजरीवाल जी से आता है। आपका मुखिया मोदी, आपका मुखिया अमित शाह, हमारा मुखिया केजरीवाल। तो केजरीवाल जी का जो मॉडल हम पर आता है तो जैसे हमारे नेता हैं वैसे हम सारे हैं। आप कुछ भी कर लो हिन्दुस्तान की राजनीति के अंदर जो आगमन केजरीवाल जी का हुआ है, वही इस देश का उपकार और उद्धार कर सकता है अध्यक्ष महोदय और ये ही दर्द है इनको। चूंकि उत्तराखंड के अंदर देखिए जो एक्सेप्टेंस आई है हमारे साथी दिनेश मोहनिया वहां है और गजब का वहां हो रहा है। माननीय अरविंद जी गए, वो जो कर्नल साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री

पद के दावेदार जो हैं, ऐसी वहां यूथ में लहर पैदा कर दी है। पंजाब चले जाइए, पंजाब में तो सिद्धू साहब खुद ही जो कवर करना है उसे कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी कंक्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं दो मिनट लूंगा बस। चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गुजरात में सूरत के अंदर, गुजरात में घुसकर आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद जी के नेतृत्व में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, उसका बदला है ये। अच्छा, दाढ़ी भैया ऐसा है कि वो जब बढ़ गई तो वो मोदी जी से वो लुक लाइक हो रहा था। तो खतरा हो गया मुझे, मुझे खतरा हो गया कि मोदी जी बड़े अनपॉपुलर हो गए हैं इस देश में, उनके पास जैड प्लस सिक्योरिटी है, हमारे पास नहीं है। तो बोले थोड़ा सा हम उसको कटवा ले।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब कंक्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये लॉ से deviation हुआ है। मैं माननीय मोदी जी को कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि ये डेविएशन अच्छे के लिए होता तो अच्छा रहता दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं देख रहा हूं जैसे आपने आज सवेरे, मेरा दिल रो पड़ा आपको देखकर जिस प्रकार से आपने अपनी बातें रखीं, आप दिल से बात कह रहे थे, आप बना नहीं रहे थे। इस प्रकार से इन्होंने सदन को कमजोर करने का काम किया है। नए आईटी रूल्स ले आए हैं ये। सोशल मीडिया कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का अपाइंटमेंट करके इन्होंने हिन्दुस्तान में हर तरफ संविधान का एक तरह से मजाक उड़ाया है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है इन्होंने, कोर्ट का अपमान किया है इन्होंने, जनता का अपमान किया है इन्होंने, दिल्ली की

चुनी हुई सरकार का अपमान किया है इन्होंने। क्या कारण है, ऐसे कौन-से स्पेशल रीजन्स हैं मैं जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई ने खुद ही केस कर दिया हो ऐसा क्या खास है इस व्यक्ति में? एक ही चीज खास है, ये आम आदमी पार्टी के ग्रोथ रेट से बहुत ही दुखी है। इस प्रकार से दुखी है चूंकि हर तरफ, हर राज्य में अरविंद जी चले गए, 300 यूनिट मुफ्त, 300 यूनिट मुफ्त, वहां की सरकारों को समझ नहीं आ रहा है कि भई क्या करे इस बात का। शीला जी चली गई कहते-कहते कि भई केजरीवाल जी कैसे दे रहे हैं ये पावर मुफ्त में। तो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एक ही काम के लिए लाया गया है इनको कि केजरीवाल जी के अंतर्गत जो सरकार चल रही है उसको कैसे कमजोर करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अटल जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था।

माननीय अध्यक्षः अब कंक्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः बस कंक्लूड कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः समय की सीमा।

श्री सोमनाथ भारतीः जैसा हमारे साथियों ने भी कहा आपने आज भी कहा, अपनी चेयर से कहा कि सरकारें आयेंगी-जायेंगी, पार्टियां बनेंगी-मिटेंगी लेकिन ये देश रहेगा अध्यक्ष महोदय, ये देश रहेगा और लोकतंत्र रहेगा। जो लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट है, राकेश अस्थाना जी के अपाइंटमेंट से ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, भाजपा इस बात को जान ले अध्यक्ष महोदय। मैं, जो संजीव भाई ने रेजुलुशन मूव किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और ये कहना चाहता हूं दो लाइन के माध्यम से

कि एक शेखचिल्ली नाम का हमारे यहां जोक्स में चलता है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भई बीवी मर गई, शेखचिल्ली तुम्हारी बीवी मर गई, वो रोने लगा। मतलब भई तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो जिन्दा हो। बोला मेरे जिन्दा रहने से क्या होता है जब मेरी मां भी विधवा हुई थी तब भी मैं जिन्दा था। जब मेरी फुआ विधवा हो गई थी तब भी मैं जिन्दा था। अगर मेरी बीवी मरकर विधवा हो गई तो मेरे जिन्दा रहने से कुछ नहीं होता। इस प्रकार की हरकत भाजपा कर रही है। इनको कोई फर्क नही पड़ता, ऊल-जलूल बातें हो रही हैं इस देश में। कुछ भी कह दे पुलिस का डर, कुछ भी कह दे आपके राइट्स को हनन कर लेंगे ये। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने का जो काम किया है भाजपा ने।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी धन्यवाद, सोमनाथ जी प्लीज धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारतीः उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और संजीव भाई का जो प्रपोजल है जो इन्होंने जो मूव किया है आज सदन के आगे उसके साथ खड़ा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी(माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री संजीव झा जी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के बारे में चर्चा प्रारम्भ की है, दिल्ली के बहुत ही ईमानदार, शानदार पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी के बारे में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलने दीजिए उनको, जो बोलना चाह रहे हैं बोलने दीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जो कुछ भी रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है, मैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उससे सहमत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स के पास श्री राकेश अस्थाना जी के बारे में जानकारी का अभाव है। मैं इस ऑनरेबल हाउस को ये जानकारी देना चाहता हूं कि श्री राकेश अस्थाना जी को 2001 में उनकी शानदार सेवाओं के लिए पुलिस मैडल दिया गया और उसमें आज के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी या हमारे जो माननीय गृहमंत्री जी है श्री अमित शाह जी का, उनका कोई योगदान नहीं था। 2009 में देश में कांग्रेस की सरकार थी, डाक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए श्री राकेश अस्थाना जी को प्रेजिडेंट पुलिस मैडल दिया गया। अब उनको देश के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम सभी को श्री राकेश अस्थाना जी की जो नियुक्ति हुई है उसका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए और मैं इस हाउस में जरूर कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी के मन में ये दर्द हो, 2002 में 59 कारसेवकों को जिन्दा जला दिया गया। उसकी जांच-पड़ताल भी श्री राकेश अस्थाना जी ने की, जो दोषी थे उनको जेल भेजा गया। जिन लोगों ने रामभक्तों की हत्या की और किसी के मन में ये दर्द है कि हत्यारों को सजा श्री राकेश अस्थाना जी के प्रयासों से क्यों मिली तो अध्यक्ष जी, उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1989 में श्री राकेश अस्थाना जी जब वहां के पुलिस के चीफ थे तो 4100 गोल्ड बिस्किट्स पकड़े गए। उस समय उसकी कीमत लगभग 15

करोड़ रुपये थी। एक बड़ी कामयाबी थी, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। इस सदन को प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए कि 1994-95 में जब वो एसपी, सीबीआई, धनबाद रहे, श्री राकेश अस्थाना जी ने एक बहुत ही सीनियर आफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, को 11 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पूरे देश में चर्चा हुई और देशभर से लोगों ने श्री राकेश अस्थाना जी को इस कार्य के लिए बधाईयां दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि पुरूलिया आर्म्स जो बंगाल में जो हथियार गिराए गए उसकी जांच भी राकेश अस्थाना जी ने की थी और उसका पूरा राज उन्होंने ही खोला था। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री राकेश अस्थाना जी 1996-97 में जब संयुक्त बिहार था, चारा घोटाला हुआ, 900 करोड़ रुपये का घोटाला था। 200 करोड़ रुपये का तारकोल का घोटाला हुआ और मैं समझता हूं कि इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों को इस बात को लेकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि श्री राकेश अस्थाना जी ने उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ चारा घोटाला में एफआईआर दर्ज की और उनको 1997 में गिरफ्तार किया। अनेकों सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने अरेस्ट किया अध्यक्ष जी, इसलिए प्रेजिडेंट मैडल उनको दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए क्या आज तक एक उदाहरण दे सकते हैं कि कोई इतना पावरफुल चीफ मिनिस्टर हो और उसके साथ बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे और किस तरह के प्रेशर्स रहे होंगे। अरे इस हाउस को बधाई देनी चाहिए राकेश अस्थाना जी को कि एक नहीं दिल्ली पुलिस में या इंडियन पुलिस में, ऐसे हजारों राकेश अस्थाना जब तक पैदा नहीं होंगे भ्रष्टाचार और आतंकवाद के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता है। मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देखिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य उनको बोलने दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं मंत्री जी जवाब देंगे न बस।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, उनके ऊपर आरोप लगा कि उनके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब आपके पास तीन मिनट का समय है कंक्लूड कर लीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी, मैं ये इस रिकार्ड के ऊपर लाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2008 में अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ राकेश अस्थाना जी ने उसके दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा।

22 दिन के अंदर मामले को सुलझा लिया। इस सदन को राकेश अस्थाना जी को बधाई देनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राकेश अस्थाना जी बीएसएफ के डीजी रहे और उनके पास एडिशनल चार्ज भी रहा। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी थे। बगैर किसी के दबाव में आए हुए श्री सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जो लोग ड्रग्स केस में जुड़े हुए थे, उसमें बहुत ही पहुंच वाले लोग थे, लेकिन इस ईमानदार और शानदार अधिकारी ने इस बात की चिंता

नहीं की कि किसकी पहुंच कहां तक है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन करके जो एक उदाहरण पेश किया, ये है उनकी ईमानदारी, ये है उनका इस देश के प्रति समर्पण भाव और मैं आज इस हाउस के अंदर कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा न 'चोर की दाढ़ी में में तिनका', अरे राकेश अस्थाना जी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में यदि भ्रष्टाचार है, दिल्ली में यदि आतंकवाद है, ये राकेश अस्थाना जी उसको समाप्त करेंगे और दिल्ली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो बीड़ा उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, उठा लिया है। दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था हो उसके बारे में उन्होंने कह दिया है। ऐसे ईमानदार पुलिस अफसर को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस अधिकारी के केवल 6 महीने रह गए हैं उनकी इस पोस्ट पर नियुक्ति नहीं हो सकती, ऑनरेबल मेंबर्स को जानकारी नहीं है, श्री अस्थाना जी के रिटायरमेंट में अभी एक साल है और उनके ऊपर जो ये गलत जानकारी हाउस को दी जा रही है, मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मैं।

...व्यवधान...

मननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी ये शब्द नहीं प्लीज।

...व्यवधान...

मननीय अध्यक्षः अरे भई।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः देखिए।

मननीय अध्यक्षः मंत्री जी जवाब देंगे न सारा।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: आप कन्क्लूड करिए भाई साहब।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: तो मैं अपनी बात को।

माननीय अध्यक्ष: नहीं कन्क्लूड करिए समय आपका 10 मिनट हो गया प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: देखिए 10 मिनट में अभी इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया 3 मिनट ....

माननीय अध्यक्ष: नहीं आप बोल रहे हैं कंटीन्यू।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: और अध्यक्ष जी हमें इस बात की खुशी है कि जब श्री राकेश अस्थाना जी 2017 से लेकर और 20 जनवरी, 2019 तक जब वो स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई थे तो बहुत सारी जो जांचें हुई उस समय जिसको श्री राकेश अस्थाना जी हैड कर रहे थे उसमें मैं जरूर एक मिनट में चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: बस ये लास्ट है इसके बाद नहीं प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: तीन-तीन लोगों के खिलाफ उन्होंने जांच की विजय माल्या, अगस्ता वेस्टलेंड केस, लैंड स्कैम केस जो एक पार्टी के अध्यक्ष के दामाद के खिलाफ जो जांच की है, ये है पेट में असली दर्द। जिन्होंने लैंड स्कैम किया उनको भी पकड़ने का काम श्री राकेश अस्थाना जी ने किया और इसके साथ-साथ।

मननीय अध्यक्षः हो गया बिधूड़ी जी, अब हो गया प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः तो मैं अंत में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि राकेश अस्थाना जी को एक बार नहीं दो बार उनको पुलिस का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो दो-दो बार दिया गया है। जो उनकी नियुक्ति हुई है वह बिल्कुल ठीक हुई है और अध्यक्ष जी मैं ऑनरेबल मेंबर से चाहूंगा, अरे भइया इस हाउस में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप, बिजली, पानी, सड़क, पीडब्लूडी, स्कूल, हॉस्पिटल, आज दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। आज पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलेप्स हो गया है। आज पूरी दिल्ली में जलभराव है। पीडब्लूडी के नाले साफ नहीं हुए। आज दिल्ली के अंदर बिजली के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। आज इन सारे मुद्दों पर इस हाउस में चर्चा कराइये जिससे कि दिल्ली के लोगों का कुछ भला हो सके और दिल्ली के लोग यही सुनना चाहते हैं। दिल्ली के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो राशन भेजा उस राशन को आपने सड़ा दिया।

मननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी अब हो गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः उसको ब्लैक मार्किट में बेचकर लोग खा गए आज इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए मैं ये कहना चाहता हूं, उसके ऊपर चर्चा कराइये और राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति जो हुई है मैं एक बार फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इतना शानदार पुलिस कमिश्नर जो उन्होंने दिल्ली को दिया है, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, आतंकवादी जेल में होंगे और दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी जगह दिल्ली में नहीं होगी तिहाड़ जेल में होगी बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

मननीय अध्यक्षः सत्येन्द्र जैन जी इससे पहले उत्तर दें।

...व्यवधान...

मननीय अध्यक्षः नहीं अब बैठ जाइये प्लीज। लेकिन बिधूड़ी जी के अपने।

...व्यवधान...

मननीय अध्यक्षः भई अब बातचीत छोड़ दीजिए, ये तो गलत बात है। सदन का समय खराब हो रहा है प्लीज, प्लीज, प्लीज साहनी जी प्लीज। माननीय मंत्री जी श्रीमान सत्येन्द्र जैन जी।

माननीय गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी पिक्चर सामने पेश की उन्होंने एक बात तो ये सिद्ध कर दी कि अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी कमिश्नर लगाए इस सरकार ने सब नकारा थे, निकम्मे थे, नालायक थे और उन्होंने ये कहा कि पहली बारी, 7 साल से क्यों नालायकों को लगा रहे थे, क्यों भ्रष्ट को लगा रहे थे ये समझ नहीं आया, अभी खुद कहा है उन्होंने कि सारे नालायक थे। अब तक ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे थे। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो। तो अगर इनका बयान इस तरह का है तो मुझे तो लगता है शर्मनाक है और उनको सोचने की जरूरत है की भई ऐसे ही अगर काबिल अफसर इनके पास पहले से ही थे तो पहले लगा देते भई केन्द्र में सरकार बने हुए 7 साल हो गए, एक तो ढ़ंग का अफसर लगाया होता दिल्ली के अंदर। ये इनकी स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस का निकम्मापन

है, नाकारापन है इन्होंने जानबूझकर किया हुआ है। अभी इन्होंने एक बात और कही कि जो अभी नियुक्त किए गए हैं कमिश्नर साहब उन्होंने एक पार्टी के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की, भई वो कौन सी की पता तो चले। चलिए किसी को नहीं पता हुआ क्या, कब हुआ, भई वो पूछ रहे हैं क्या हुआ बता तो दो, कुछ नहीं पता क्या हुआ। गीत गा रहे हैं दामाद जी के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, अरे दम हो न करके दिखाओ, वो दामाद जी उल्टा टांग देंगे तुम्हारे को। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी करते फिरते हैं, दामाद जी के खिलाफ जिस दिन कार्रवाई करेंगे वो बीजेपी को उल्टा टांग देंगे । बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं दोनों के दोनों मिलकर। अंदर ये शोर मचा रहे हैं, बाहर कांग्रेस वालों को खड़ा कर दिया। वहां पर वो शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं खूब उसको वॉटर कैनन में नहा रहे हैं। वॉटर कैनन से नहा रहे हैं, धो रहे हैं और कहते हैं जी पानी नहीं आया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं प्लीज।

माननीय गृह मंत्रीः वैसे देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अगर कुछ कहा जाए तो बीजेपी को बड़ा दर्द होता है और बीजेपी को कुछ कहा जाए तो कांग्रेस को बड़ा दर्द होता है। अभी जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं गोवा गया था वहां पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भई कुछ विधायक बिक गए, तो बीजेपी के मंत्री जी को तकलीफ हो गई। मैंने कहा भई मैं बिकने

खरीदने की बात नहीं करूंगा, मैं आपका नाम नहीं लूंगा तो भी तकलीफ होगी। कहते हैं आप ऐसा जिक्र ही क्यों कर रहे हो। कहते हैं विधायकों को खरीदना और बेचना हमारा परम अधिकार है। कांग्रेस को अगर वोट दी या नहीं दी, वो तो बाद में खरीद-फरोख्त कर ही लेते है। इन्हें दर्द किस बात का है, मैं रिपीट करना चाहूंगा कहां पर दिक्कत आ रही है। इसी सदन के अंदर 14 फरवरी, 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी के 28 विधायक थे और बीजेपी के 32 थे सिर्फ 4 विधायक चाहिए थे। गोवा का एक किस्सा बताता हूं गोवा में 17 विधायक थे कांग्रेस के इन्होंने 13 ले लिए 4 छोड़े। खरीद लिए, मतलब साफ-साफ है, ऐसे 0ी में कुछ नहीं मिलता सब खरीद कर होता है। अब दिल्ली में उल्टा काम था 28 में से 4। वहां 17 में से 13 ले लिए 4 छोड़े, यहां पर 28 में से 4 खरीद सकते थे, धमका कर अपनी तरफ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पूरे एक साल लगे रहे, एक भी नहीं तोड़ पाए, एक साल तक कुछ नहीं कर पाए। अच्छा जिनसे बात करते थे, वो कहते थे भाई साहब अगले दिन जाकर केजरीवाल को दिखाते थे देखो जी ये बात हुई, ये स्टिंग है कि मेरे को ऐसे-ऐसे बात कर रहे थे। तो इनको तकलीफ ये है कि दामाद जी का नाम तो लेते हैं कि भई दामाद जी के खिलाफ अगर कार्रवाई की तो अगली बार वो अपने एमएलए क्यों बेचेंगे तुम्हारे को। मुझे क्या लगता है ये खरीदना बेचना असहमति से होता है, ऐसा नहीं है। देश के इतिहास में आज तक कभी हुआ ही नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आई हों उसके सारे विधायक, 17 सीट आई और बीजेपी की 10-11 थीं, वो 13 खरीद लिए। आपस की सहमति से होता है इनका और ये दामाद जी दामाद जी चिल्लाते हैं। ये चिल्लाना

बंद करें। अगर दम है न कहो अपने आकाओं से दामाद जी के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस दिन दामाद जी जेल जाएंगे, उससे पहले आपकी सरकार गिर जाएगी, देखते रहना। अभी हमारे माननीय सदस्य ने ये बताया कि देखो सिंपल सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि डीजी लेवल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल पर अगर नियुक्ति होगी तो उसका टेन्योर कम से कम 6 महीने बचा होना चाहिए। राकेश अस्थाना जी का जो टेन्योर था 4 दिन बचा हुआ था, एक्सटेंशन तो बाद में दी गई। अगर एक्सटेंशन देने से ही होता तो सीबीआई डायरेक्टर न बन जाते । अगर ये बात सत्य है कि उनका टेन्योर बढ़ा हुआ था, एक साल बच सकता था तो सीबीआई डायरेक्टर ही बना देते, वो तो और भी बड़ी पोस्ट थी। ये तो इन्होंने गड़बड़झाला करके बेईमानी कर ली है और मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद भी करूंगा कि वे बड़ी डिटेल में इसको ढूंढ़कर लाए कि भई ये गड़बड़झाला चलेगा नहीं क्योंकि पढ़े-लिखे लोग हैं न, सोमनाथ जी बैठे हैं, हमारे जून साहब बैठे हैं और अपने भाई संजीव झा जी ने जो ये प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ये सरकार को किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों को मर्यादा के अंदर रहते हुए पालन करना चाहिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, संकल्प स्वीकार करना। अब श्री संजीव झा माननीय सदस्य द्वारा अल्पकालिक चर्चा के विषय से संबंधित प्रस्तुत किया गया संकल्प सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है, वो हाँ कहें।

जो इसके विरोध में है, वो ना कहें।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

संकल्प स्वीकार हुआ

अब ठीक एक घंटे के लिए लंच ब्रेक है। मेरे दांयी ओर भी व्यवस्था की गई है और बांयी ओर भी। पत्रकार बंधुओं के लिए लंच की व्यवस्था उन्हीं के रूम में की गई है। ठीक एक घंटे बाद दोबारा सदन आहूत होगा बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही लंच हेतू एक धंटे के लिए स्थगित की गई)

.....

सदन अपराह्न 2.44 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री रोहित कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं नियम 114 में प्रस्ताव लगाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः इजाजत है, बोलिए।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अपने साथी माननीय चीफ व्हिप एवं तिमारपुर से हमारे विधायक साथी दिलीप पाण्डेय जी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, और आई.एस.ओ प्रमाणपत्र के साथ तिमारपुर से विधायक हमारे दिलीप पाण्डेय जी ने जो विधायी में गुणवत्ता मानकीकरण के नये आयाम स्थापित किये हैं उसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक बार इस बात को आपने फिर से चरितार्थ किया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, बदलने आये हैं। तो आपका ये विधायक कार्यालय अपने आप में इस बदली हुई राजनीति का एक स्वरूप है, एक परिचायक है। तो इसके लिए पुनः आपको बधाई और जिस प्रकार से आपने सेवा भाव से और राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति के साथ में इस जज्बे को दिखाया है और वो करके दिखाया है कि आज पूरे देशभर के अंदर केवल एकमात्र हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय ही आई.एस.ओ. प्रमाणित है और पहला देश का विधायक कार्यालय आपने ऐसा बनाया कि जिसमें, जो भी आपके क्षेत्र से समस्या लेकर लोग वहां पहुंचते हैं उनकी समस्याओं को न केवल सुना जाता है बल्कि उनको बहुत ही एक सुव्यवस्थित तरीके से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जिसके तहत वहां पर आने वाले व्यक्ति की समस्या को सुना जाता है, संबंधित अधिकारी उस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, साथ ही साथ उनको एक शिकायत का नम्बर भी दिया जाता है, कम्पलेंट नम्बर दिया जाता है, साथ ही साथ समय-समय पर उनकी शिकायत का अपडेट उनके मोबाइल पर एस.एम.एस के द्वारा, व्हाट्सएप्प के द्वारा उनको मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है और हमारे अन्य विधायक साथी भी जा-जाकर, उस विधायक कार्यालय से

बहुत कुछ सीख रहे हैं। न केवल हम सीख रहे हैं, बल्कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी बोलूंगा कि अच्छी बात सीखने में कोई गुरेज नहीं है, अब हालांकि यहां कोई मौजूद नहीं है लेकिन अगर मेरा संदेश उन तक पहुंचे तो मैं उनसे भी कहूंगा कि अच्छी बात कहीं से भी सीखने को मिले, अच्छी बात सीख लेनी चाहिए । तो मैं एक बार पुनः अपने साथी तिमारपुर से विधायक और चीफ व्हिफ भाई दिलीप पाण्डेय जी को अपनी बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित कराता हूं कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, मानवसेवा के लिए, अपने इलाके की सेवा के लिए और एक नया आयाम आपने स्थापित किया हैं, इसके लिए पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस प्रस्ताव के लिए समय देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथी आ गये हैं तो मैं पुनः कह दूं कि भाई दिलीप पाण्डेय जी ने जो अपना....

माननीय अध्यक्षः हो गया, हो गया।

श्री रोहित कुमारः कार्यालय बनाया है तो उसको भी आप जरूर देखने आये।

माननीय अध्यक्षः चलिए हो गया।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद।

श्री विनय मिश्राः सर, मैं एक प्रस्ताव लाना चाह रहा था।

माननीय अध्यक्षः किस चीज पर?

श्री विनय मिश्राः बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से दिल्ली सरकार का विजन रहा है उसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री- श्री मनीष सिसोदिया जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरीके से हमारी सरकार का विजन रहा है कि हमारे यहां के बच्चे नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे तो उसके लिए जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और एस.ओ.एस. ई, School of Specialised Excellence जिसके तहत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, humanities, vocational studies की जो शिक्षा दिल्ली में दी जाएगी उससे वाकई में, जो सोच दर्शाती है कि हमारी दिल्ली सरकार की सोच बच्चों के प्रति कितनी गम्भीर है। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को और माननीय सत्येन्द्र जैन को भी बहुत-बहुत बधाई दूंगा। सीखने वाली चीज ये है कि सुबह 6 बजे, 7 बजे जब सारी दुनिया अपने घरों में सो रही होती है या कुछ morning walkers walk पर जाते हैं उस समय जो हमारे स्कूल बन रहे हैं, वहां पर स्कूल पर जाकर राउंड लेते हैं और वहां देखते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर बन रहा है वो व्यवस्थित तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो उसके लिए जो ये राउंड लेते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्षः भई ये, ये विषय नहीं।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः नहीं-नहीं, उसको....

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः भई धन्यवाद में, धन्यवाद प्रस्ताव में ये....

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय सदस्यो से....

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः भई अब ये नहीं, ये विषय नहीं। ये धन्यवाद प्रस्ताव पर था....

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः उसके लिए मैंने समय दिया।....

श्री विनय मिश्राः अच्छा।

माननीय अध्यक्षः वो आपका कम्पलीट हो गया।

श्री विनय मिश्राः 12 हजार स्क्वायर मीटर की जगह कब्जा हो रखी थी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत -बहुत धन्यवाद करूंगा कि उस कब्जे को छुड़ाकर आज वहां पर स्कूल का उद्घाटन किया, उसके लिए मैं उप-मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो कब्जा 10 साल से हो रखा था, उस लैंड को खाली कराकर स्कूल बनवाया और वहां पर लगभग 4 से 5 हजार बच्चे अगले सेशन में पढ़ाई करेंगे। और हमारे पीडब्लूडी मिनिस्टर जिन्हें उस स्कूल का जो एक साल का जो समय था वो नौ महीने में करने की बात हुई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं.....

माननीय अध्यक्षः मिश्रा जी, हो गया, मिश्रा जी। नहीं, अब नहीं, प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये। आपसे पहले विशेष रवि जी का था।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः प्लीज ऋतुराज जी और नहीं। कल रखियेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कल रखियेगा न। मैं....

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, कल रखियेगा, प्लीज।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भैया आज जो चर्चा है, वो भी तो करनी हैं न।

श्री विनय मिश्राः ऋतुराज जी एक बात सुनिये।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, प्लीज। कल रख लीजियेगा।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः भई अब मिश्रा जी, अब बैठिये प्लीज।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब बैठिये।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः मिश्रा जी।

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx [19]

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मिश्रा जी, मैं आग्रह कर रहा हूं बैठ जाइये।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

...व्यवधान...

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः मिश्रा जी, ये मैं निकलवा रहा हूं, आपके धन्यवाद प्रस्ताव में ये नहीं आयेगा।

श्री विनय मिश्राः xxxxxxxxxxxx[19]

माननीय अध्यक्षः ये धन्यवाद प्रस्ताव में नहीं आयेगा।

श्री विनय मिश्राः मैं....

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब हो गया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्री विशेष रवि जी। प्लीज। मिश्रा जी बैठिये आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मिश्रा जी, बैठ जाइये प्लीज। नियमों के अनुसार चलिए। धन्यवाद प्रस्ताव हो गया।

...व्यवधान...

---

19. xxxxxxxxxxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीय अध्यक्षः नहीं, हो गया बस, ठीक है, अब बैठिये प्लीज। विशेष रवि जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः सर रोहित भाई की....

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे जो ऑनरेबल मेम्बर्स को आपने हाउस से निकाला है, कब तक के लिए निकाला है, क्या....

माननीय अध्यक्षः मैंने आपको रोका है, जो आकर बैठ जाएं-बैठ जाएं, एक को निकाला है आज पूरे सेशन के लिए, वो आएं बैठें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः बाकी हम....

माननीय अध्यक्षः हां, आप आये, मैंने रोका थोड़ी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ओम प्रकाश जी....

माननीय अध्यक्षः नहीं, वो आ जाएं, आकर, नहीं भई ओम प्रकाश जी को नहीं, प्लीज। सदन को शांति से, उनके आते ही सदन में शोर शराबा होगा। विशेष जी।

श्री विशेष रविः सर, मैं रोहित जी ने जो दिलीप पाण्डेय जी के जो कार्यालय ऑफिस के लिए जो....

माननीय अध्यक्षः वो हो गया, वो हो गया।

श्री विशेष रविः सर उसी पर मैं बधाई दुबारा दे रहा हूं और ये मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं सर कि आपने हमें प्रेरणा दी है, क्योंकि हम भी तीन बार के विधायक है लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई है।....

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद।

श्री विशेष रविः आपने पहली बार में ये काम किया है....

...व्यवधान...

श्री विशेष रविःएक मिनट, एक मिनट रोहित भाई। सर एक निवेदन इसमें ये था कि विधान सभा की तरफ से प्रपोजल बनकर गया था विधायक के कार्यालय को लेकर और वो प्रपोजल अभी तक पेंडिंग है सर, जिसके अंदर वहां पर हर विधायक को कार्यालय मिलना था, वहां पर एलडीसी....

माननीय अध्यक्षः भई ये धन्यवाद में आयेगा क्या, मुझे बताइये विशेष रवि जी? धन्यवाद का मैंने आपको दिया है, उसका अनुचित लाभ मत उठाइये। प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिए ऋतुराज जी। किस चीज पर है धन्यवाद?

श्री ऋतुराज गोविंदः मैं धन्यवाद प्रस्ताव ही दे रहा हूं, 10 सेकंड, केवल धन्यवाद ही करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बस

कि किराड़ी क्षेत्र जो दिल्ली विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली के अंदर में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से, माननीय सत्येन्द्र जैन जी के सहयोग से 458 बेड का एक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए कल टेंडर लग गया है, इसके लिए हम अपने 8 लाख लोगों की तरफ सरकार को तहे दिल से शुक्रियादा करते है। जैन साहब का बहुत सहयोग रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।

माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। नगर निगमों द्वारा जल भराव को रोकने तथा नालों के रख रखाव में असफल रहने के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी। अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकेंगे।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने दिल्ली में विगत कुछ समय में जो बारिश हुई है उसमें जो जल भराव की समस्या हुई, उस पर चर्चा करने के लिए मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जो इंटर्नल रोड्स हैं, नालियां हैं, नाले हैं, रेनवाटर ड्रेन हैं, उनकी साफ-सफाई, उनका रख-रखाव, वो सभी कार्य नगर निगमों को दिये गये हैं और बरसात से पहले उसकी डिसिल्टिंग उनको करनी होती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक डाटा जो मंगाया गया, साउथ दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि इस वर्ष उन्होंने 33,705 मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट अपने नालों से निकाला है, 33,705 मीट्रिक टन। अब मैं साउथ दिल्ली के लोगों से आज कहना चाहता हूं कि ये जो सिल्ट निकाला गया है, क्या आपने अपनी गलियों में, मोहल्ले में कभी ये सिल्ट निकालते हुए किसी को देखा? क्या कभी कोई ट्रक उस सिल्ट को ले जाते हुए आपने देखा? क्योंकि 33,700 मीट्रिक

टन, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और वो कहां फेंका? कौन-कौन से ट्रक से फेंका? कितने दिनों में इसकी सफाई कर ली? और इसके बावजूद इतना तो निकाल चुके हैं, इतना निकालने के बावजूद भी अभी जो उनका डाटा है कि इस बार चूंकि टेंडर लेट से हुआ था इसलिए सफाई लेट से शुरू हुई है और अभी पूरा काम नहीं कर पाये हैं। तब ये 33,705 उन्होंने निकाल दिया है यानी कि पूरा निकालेंगे तो अभी और निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 9,883 मीट्रिक टन सिल्ट अभी तक बरसाती नालों से निकाला है । ऐसा उन्होंने अपने हाउस में जवाब दिया है। मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले दिल्ली के नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि आपने अपने गली मोहल्ले में तो देखा होगा, कभी न कभी कोई तो आया होगा। किसी ने सफाई की? कोई ढक्कन उठाया? कोई सिल्ट निकाली? M/Vkt कोई ट्रक आया सिल्ट को उठाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, नहीं आया। तो सवाल उठता है कि डाटा कहां से आया? इसी तरीके का डाटा पूर्वी दिल्ली नगर निगम से आया। उनका भी मानना है कि उन्होंने 12 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट अपने नालों से निकाल दिया। लेकिन पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हमारे तमाम विधायक साथी बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पता किया, मैंने कहा ऐसा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि इस बार तो डिसिल्टिंग ही नहीं हुई। इस बार जब बारिश आई तब तक तो शुरूआत ही नहीं हो पाई थी डिसिल्टिंग की। तो ये मलबा कहां से निकला? मलबा निकला तो गया कहां? और इस पर मलबा निकालने के लिए जो पैसा आवंटित हुआ जिसका ठेकेदारों को पेमेंट किया जाना है या कर दिया गया है, वो पैसा कहां गया? तो अध्यक्ष

महोदय, आज एक प्रश्न यह है सदन के सामने कि न केवल तीनों नगर निगमों ने बरसात से पहले कोई भी डिसिल्टिंग नहीं की, दिल्ली के लोगों को जलभराव की समस्या से दो-चार होने के लिए छोड़ दिया, अपितु जो पैसा सफाई का था , उसमें भी भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया। हालत यह हो गयी पिछली बारिश में, 10 दिन पहले जो पहली बारिश आई, कि लोगों के घरों में पानी भर गया। माडल टाउन जैसे पॉश कालोनिज में पानी भर गया लोगों के घरों में जहां कि सारी की सारी सड़कें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आती हैं, सारे नाले उनके अन्तर्गत आते हैं। महेन्द्रू एनक्लेव में पानी भर गया, डेरावाल-गुजरांवाल में पानी भर गया, एसबीआई कालोनी जैसी पॉश कालोनी में पानी भर गया। तो ये पानी क्यों भरा? और लोगों ने देखा कि कोई सफाई उत्तरी नगर निगम ने नहीं करवाई थी, इसलिए भर गया। अध्यक्ष महोदय, यहीं तक नहीं रूके। नाले का पानी झुग्गियों में घुसने के नाते तमाम झुग्गी में बहुत सारे मकान गिर गए । ये निगमों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। एक जगह तो ऐसा हुआ अध्यक्ष महोदय, कि नगर निगम की सड़क पर गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। एक युवक गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और उस गड्ढे में फंसने के कारण वो युवक गिरा और उसकी मौत हो गयी। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सत्ता में है उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा देने का काम किया है, दिल्ली को जो बदनाम करने का काम किया है, दिल्ली को उन्होंने कूड़े का ढेर बनाने का काम किया और अब दिल्ली को स्विमिंग पूल बनाने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। आज मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नगर निगम के पार्षद, नगर

निगम के मेयर, नगर निगम के पदाधिकारी जहां भी आएं, आप लोग उनसे जरूर पूछिए कि मेरे मोहल्ले में जो पानी भरा, आप झूठ बोल रहे थे कि हमने सफाई कर दी है, इन नालों की, सफाई आपने कब की? हमने तो देखा ही नहीं। और इवन देन, मैं एक विधायक हूं, मैंने खुद नहीं देखा अपने एरिये में, मैं लगातार घूमता रहता हूं। जहां जहां भी जाते थे, कहीं पर 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल से ढक्कन तक नहीं खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में मैं सदन का ध्यान इन कुछ फोटो की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिनको मैं खींचकर लाया हूं। ये श्रीनिवासपुरी डिपो का एसडीएमसी का ड्रेन है अध्यक्ष महोदय। ये ड्रेन बता रहा है कि कितना साफ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये त्रिलोकपुरी का एक ड्रेन है जहां पर ड्रेन नजर ही नहीं आ रहा। ये सारा, एक एक नाले का सब फोटो जो मैं लेकर आया हूं, मैं सदन के पटल पर रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, चिराग दिल्ली का नाला जो साउथ दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आता है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये हालत है इस नाले की। साथ में एक एक नाले पर जा करके ग्रेटर कैलाश ड्रेन, ये ग्रेटर कैलाश का एक ड्रेन है जो साउथ दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आता है ये उसका फोटो आपके सामने है अध्यक्ष महोदय। इसमें कितना डिसिल्टिंग हुआ, आपके सामने है। मैं और आगे जाउंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ अपने क्षेत्र की लाल बाग, कबीर नगर और तमाम झुग्गियों में जो एमसीडी के ड्रेन हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, देखिए क्या हालत बना हुआ है। एक भी नाले की सफाई नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सामने ये प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं कि ये जो नालों की सफाई में लापरवाही नगर निगम द्वारा की गयी, जो जलभराव

की समस्या से दिल्ली के लोगों को जूझना पड़ा और एक चीज और दिखा दूं मैं अध्यक्ष महोदय कि।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, ये सदन पटल पर रख दीजिए न सारे?

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः नहीं मैं एक चीज और दिखा दूं जो न्यूज चला, ये न्यूज चला है टीवी पर। 'घंटे भर की बारिश, दिल्ली हुई पानी पानी। दिल्ली में सड़कें नहीं खुलती, खुलती है भाजपा की एमसीडी की पोल'। ये न्यूज का आर्टिकल है अध्यक्ष महोदय। एक और घंटेभर की बारिश के बाद दिल्ली में जलभराव, इसकी जिम्मेदारी, 98 परसेंट दिल्ली की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली एमसीडी, पूर्वी दिल्ली एमसीडी और दक्षिणी दिल्ली एमसीडी की है। ये न्यूज का रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। यानि कि 98 परसेंट नालों की, नालियों की, बरसाती ड्रेन की सफाई का जिम्मा नगर निगमों के पास था जिसको नहीं निभाने के कारण दिल्ली के लोगों को जलभराव की समस्या से दो-चार होना पड़ा। तो यह सदन इस जलभराव की समस्या को और जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी सफाई में, उसकी जांच इस सदन की लोक लेखा समिति को देने का कष्ट करे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी दिल्ली के लोगों के सामने आ पाए, मैं ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर इसमें मेरा ये निवेदन बहुत कम शब्दों में ये है कि हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ज्यादातर दिल्ली जो है वो बड़ा हिस्सा अन-प्लांड तरीके से बना हुआ है और अन-प्लांड होने की वजह से दिल्ली के अंदर जलभराव की समस्या जहां ज्यादा होती है वो इसी

वजह से होती है क्योंकि छोटे छोटे एरिये के अंदर लोग बसते चले गए और उसके बाद कालोनियां बनती चली गयी। लेकिन सर बड़ी समस्या जो है वो ये है कि दो एजेंसियां हैं दिल्ली के अंदर जो बड़ा काम करती हैं जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए या उसको रोकने के लिए, एक है पीडब्ल्यूडी और दूसरी है एमसीडी। दोनों में सर जो बड़ा फर्क है और जो एमसीडी की तरफ से जो बड़ी लापरवाही है वो ये है कि एमसीडी के जो नाले हैं या एमसीडी की जो सड़कें हैं अगर जब बारिश आने से पहले या बारिश हो रही होती है और पानी भर जाता है तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं अगर बारिश वहां पर आ रही है और बारिश से पानी भर गया है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, कर्मचारी वहां पर पंप ले कर नाले खोलते हुए, पानी को निकालते हुए, पानी को सरकाते हुए आपको दिल्ली की हर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर दिख जाएंगे । और वहीं जब आप एमसीडी सड़कों की बात करेंगे और अगर वहां पानी भर रहा है तो वहां उनकी ये फिलॉसफी है कि अगर पानी भर गया तो 8 घंटे में अपने आप निकल जाएगा। अगर कहीं नाला भर गया तो 6 घंटे बाद जब आगे का नाला बैठेगा तो हमारा नाला अपने आप खाली हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क जो है काम करने के तरीके में है। दिल्ली की हमारी सरकार जिस तरह से, जितनी सिंसेयरली काम करती है, कर रही है इस समस्या को लेकर और मिंटो रोड का जो ब्रिज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हमारी नीयत है और काम करने की मंशा है तो हम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और वहीं उल्टा एमसीडी की जो नीयत है और जो मंशा है वो काम न करके बल्कि ये उस पुरानी फिलॉसफी पर चलने की है कि अगर पानी भर गया है तो अपने आप कुछ घंटों में निकल जाएगा, उसमें एफर्ट करने की या काम करने की

कोई जरूरत नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है और इसमें बस अब यही कुछ महीनों की और बात है, आगे चुनाव है तो दिल्ली की जनता से ये अपील है कि इतने साल आपने निगम में जिस पार्टी को वोट दिया है और उनका काम देखा है, उससे जितना लोग नाखुश हैं, तो उस सरकार को बदलें ताकि ये जो समस्या हम इतने सालों से झेल रहे हैं उसका हमें हल मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः रोहित महरोलिया जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत गंभीर विषय पर अपनी बात कहने का समय दिया है। तो मैं अपने वक्तव्य की शुरूआत, अपने बचपन का बहुत ही भयानक अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। 80 के दशक की बात है, मेरी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी। मैं अपने पिताजी के साथ में नयी दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल से आ रहा था। हम डीटीसी की बस में थे और डीटीसी की बस में जब हम सफर कर रहे थे तो बारिश बहुत जोरदार तरीके से जब शुरू हुई तो थोड़ी ही देर में जब हमारी बस मिंटो ब्रिज के नीचे से गुजरी तो माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पानी भरा हुआ था और बस हमारी किस तरह फंसती हैं, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने पुरानी डीटीसी की बसों में सफर किया होगा तो पता होगा कि जो गियर लीवर के साथ में एक चौखंटा सा, गड्ढा सा हुआ करता था जहां से सड़क भी नीचे नजर आती थी, वहां से जैसे ही मिंटो ब्रिज के नीचे बस गुजरी तो तुरंत बस के अंदर उस मोटे छेद से पानी बस के अंदर भरना शुरू हो गया, मोटी धार उपर की ओर उठी, हम सभी लोग लोग डर गए। मेरे पिताजी और सभी लोग आनन फानन में अपनी जान

बचाने के लिए कमर से उपर पानी में मेरे पिताजी मुझे गोद में लेकर मुझे उस पानी से बाहर निकालकर लेकर आए। बस के तमाम यात्री सकुशल बस से निकल कर बाहर आ गए। लेकिन वो बचपन की जो छाप दिमाग पर पड़ी थी कि किस तरह की एक स्थिति जो बड़ा चेलेंजिंग रहता था, उसके बाद भी काफी सालों तक इस तरह के फोटोग्राफ्स हमने देखे हैं कि डीटीसी की बस फंस गयी है, तो एक पिक्चर मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। ये पहले की पिक्चर है मिंटो रोड ब्रिज की, बहुत पुराना ब्रिज है, ऐतिहासिक दिल्ली की जगह है कि यहां पर जब भी बारिश होती थी, पानी भर जाया करता था। इसमें दो तस्वीरें हैं एक उपर है ब्लैक एंड व्हाइट, ये मुझे लगता है कि पुरानी डीटीसी की बस नजर आ रही है तो ये उसी जमाने की पिक्चर रही होगी। ये अभी कुछ वर्ष पहले की है क्योंकि सब कुछ रंगीन और साफसुथरा नजर आ रहा है। और अब जो दूसरी पिक्चर आपको दिखाने जा रहा हूं ये पिक्चर इस साल की है। इस साल दिल्ली के अंदर 17 साल का रिकार्ड बारिश ने तोड़ा है। 2003 में जो बारिश हुई थी उससे भी ज्यादा बारिश केवल मानसून के शुरूआती दौर के अंदर दिल्ली में हो चुकी है और उसके बावजूद छ 26-39/PB भी मिंटो ब्रिज के उपर कोई भी जलभराव की समस्या सामने निकल कर नहीं आई, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली की जनता को कि जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपने मुख्य मंत्री के तौर पर चुना कि जो आईआईटी खड़गपुर से जिन्होंने इंजीनियरिंग की, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, सूझबूझ हैं और उन्होंने इसका समाधान निकाला, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये जो मिंटो ब्रिज जो कभी इस तरह की जो मेरे बचपन में छाप पड़ी

है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे दुखद हादसे भी वहां पर हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी उसा मिंटो ब्रिज पर गंवाई है तो आज ये असंभव काम भी संभव हो पाया, तो इसलिए क्योंकि एक साफ नीयत थी, ईमानदार सरकार है, ईमानदार मुख्य मंत्री है, साफ नीयत से, सही रास्ते पर चलकर और ईमानदारी से काम करने का नतीजा है कि आज इतना बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मिंटो ब्रिज पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने न्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो वहां पर लगवाया, वाईफाई सिस्टम लगवाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, वाटर सेंसर अलार्म लगाया और एडिशनल पंपस् के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट टू पंप्स् यानि कि पानी भरने की स्थिति में अपने आप जो पंप चालू हो जाएं, इस तरह की नयी आधुनिक तकनीक वहां पर लगाई गयी। तो दिल्ली के अंदर ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर के दिखाया है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के अंदर 15 साल से ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। दूसरी तस्वीरें भी अब आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा जैसे कि हमारे सम्मानित साथी भाई त्रिपाठी जी ने तस्वीरें दिखाईं, मैं भी कुछ तस्वीरें लेकर आया था। ये त्रिलोकपुरी मेरे इलाके के कुछ एमसीडी के नाले हैं कि जिनमें गाद, सिल्ट भरी पड़ी है, कोई सफाई नहीं हुई। उसके साथ साथ ये देख सकते हैं ब्लाक नंबर 2 का ये नाला है, ब्लाक नंबर 9 का संजय ड्रेन की हम बात करें। ये अशोक नगर का नाला है। ये गाजीपुर का नाला पटा रहता है, लोग जाम की समस्या में फंसे रहते हैं क्योंकि नालों की सफाई सही से हो नहीं पा रही है। लक्ष्मीनगर की मार्किट वाला ये रोड़ है, ये पूर्वी दिल्ली की मुख्य मार्किट है । यहां पर नाले गाद से लदे पड़े हैं। ये लोनी का रोड

है, ये गीता कालोनी का नाला है और सबसे बड़ी बात डीसी आफिस के बिल्कुल बाजू वाला नाला है ये बिल्कुल एमसीडी के बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे, दिलशाद गार्डन के अंदर ये देख लीजिए कितनी गाद भरी हुई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एमसीडी के अंदर जो 98 परसेंट नाले हैं दिल्ली के वो तीनों नगर निगमों के आधीन हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको बरसात से पहले साफ करने की, उनकी गाद साफ करने की तो क्यों नहीं वह अपना काम ईमानदारी से करते हैं? हर साल जोन के हिसाब से सैंकड़ों करोड़ रूप्ये का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है क्योंकि ईमानदारी से काम करने की आदत तो है नहीं भाजपाईयों को, तो उसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए, जैसे अभी आंकड़े हमारे भाई ने बताए हैं कि सैंकड़ों, हजारों मीट्रिक टन गाद निकालने की बात की जा रही है। अगर इतने हजारों मीट्रिक टन गाद निकाली गयी तो ये अभी दो-तीन दिन पहले की पिक्चर्स हैं, तो ये गाद क्या आसमान में से टपकी है, सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि तीनों निगमों की मैं बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि हर साल नालों की सफाई को लेकर भाजपा के तमाम मेयर, उनके पार्षद, नेताओं और अधिकारियों के बीच में हजारों करोड़ रूपये की बंदरबांट होती है, इस हजारों करोड़ रूपये की जनता की गाढ़ी कमाई को, ये टैक्स के रूप में दिए गए पैसे को इस तरह बर्बाद करते हैं। इनके पास में जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनको देने के लिए तो पूरा बजट रहता है, पैसा रहता है लेकिन जो हमारे स्वच्छता के सैनिक, हमारे सफाई कर्मचारी भाई-बहन, उनको समय पर सेलेरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर हम बात करें दिल्ली की जो देश की राजधानी है।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी, कंक्ल्यूड करिए, प्लीज।

श्री रोहित कुमारः जो पूरे विश्व बिरादरी के अंदर पूरे देश को रिप्रजेंट करती है उसकी ये हालत है। आज प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश में कराते हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं वो उस श्रेणी के अंदर कहीं उपर हैं और हम टाप हंड्रेड्स में भी जगह नहीं बना पाए अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी, प्लीज कंक्ल्यूड करिए। कंक्ल्यूड।

श्री रोहित कुमारः तो कंक्ल्यूड कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी 10 सेकेंड के अंदर। ये बड़े शर्म की बात है देश की राजधानी, हमारी तीनों एमसीडी टाप हंड्रेड्स में भी जगह नहीं बना पाती है ये अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। छोटे छोटे इंदौर जैसे शहर, मंडी जैसे शहर जो छोटे छोटे शहर हैं वो दिल्ली से कहीं आगे निकल जाते हैं क्योंकि इनके पास में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए, नालों की गाद निकालने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं है। योजना तो तब होगी जब इनकी नीयत सही होगी। जब इनकी नीयत ही सही नहीं है तो इनके द्वारा किए गए कोई भी काम से कोई भी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करना पूरी तरीके से अपने आप में बहुत ही बेमानी साबित होगा और आज मैं आप से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो एमसीडी को फंड दिया जाता है उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए क्योंकि ये हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आपने मुझे इतने गंभीर विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभी नगर निगम को टारगेट करते हुए नालों की सफाई की बात की जा रही है। मैं इससे बिल्कुल भी इतेफाक नहीं रखता और पूरी दिल्ली जानती है कि नगर निगम के पास 4 फुट, 6 फुट, 10 फुट की छोटी छोटी गलियां हैं। 60 फुट और उससे उपर बड़ी सड़कें सारी पीडब्ल्यूडी के पास हैं। अभी ये बात कर रहे थे कोई हमारे मेंबर कि बस गिर गयी, कार गिर गयी। पर उन्हें ये ठीक जानकारी होनी चाहिए कि मसौदा हम भी लेकर आए हैं तो जितनी सड़कें, पहली बात तो नगर निगम की छोटी सड़कों पर बस चल नहीं सकती। 4 फुट की सड़क पर आप कब बस चलाने लगे, 10 फुट की सड़क पर आप कब बस चलाने लगे?

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः और भईया देखो हमने टोका नहीं आपको, सुन लो, इतनी पेशियंस रखो। तो ये जो गाड़ी, बस।

माननीय अध्यक्षः आप इनको बोलने दीजिए, 5 मिनट बोल रहे हैं। 5 मिनट उनका समय डिस्टर्ब मत करिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मिश्रा जी, बैठ जाइए।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः वो सब सड़क पीडब्ल्यूडी की सड़क थीं, मैं ये कहना चाहता हूं। इसको समझ लीजिए ये पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जिसके अंदर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये बैठ जाइए आप बैठिये

श्री अजय कुमार महावरः वो सब पीडब्ल्यूडी की सड़कें थीं, आप सुनना नहीं चाहते। आप गला घोंटना चाहते हो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मिश्रा जी,

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने दिया है तो मैं जरूर बोलूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आपकी आदत हो गयी है। इस सरकार की।

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड अजय जी, एक सेकेंड। देखिए आप बैठ जाइए मिश्रा जी। बैठ जाइए आप छोड़िए। नहीं मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं बैठिए। आपके।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब आप बैठ जाइए, बैठिए। प्लीज। देखिए मैं सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं बीच में डिस्टर्ब न करें, अपने माननीय सदस्य जिनका इनके बाद नंबर आएगा वो उत्तर दे सकते हैं, वो चीज को नोट करें, उत्तर दें। बाद में आप डिस्टर्ब करेंगे सब। ऐसे तो सदन नहीं चल सकता। आपका भी नंबर आएगा ऋतुराज जी। उस वक्त, आप नोट करिए न बिन्दु को, उसका

उत्तर दीजिएगा। आपकी बारी आएगी, तब उत्तर दीजिएगा। आपका नाम आया हुआ है मेरे पास।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद। इस सरकार की आदत हो गयी है अपनी नाकामी को दूसरे के सर मढ़ना। और मैंने यह देखा है कि जलभराव के संबंध में भी मैंने यही चीज देखी। चाहे कभी आक्सीजन का मामला हो, फूड सप्लाई का मामला हो, कोई भी अन्य मामले आते हैं, कभी किसी सरकार पर, कभी किसी सरकार पर, कभी किसी एजेंसी पर, अपने उपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, ये इस सरकार की आदत बन गयी है। मैं ईडीएमसी का उदाहरण देता हूं डिसिल्टिंग का, अभी सिर्फ 46 हजार मीट्रिक टन डिसिल्टिंग की है ईडीएमसी ने और एचीवमेंट जो इनका टारगेट था 46 हजार का और उनका एचीवमेंट आफ डिसिल्टिंग है 55 हजार मीट्रिक टन। और पीडब्ल्यूडी जिनका अपना टारगेट था वो 35 हजार मीट्रिक टन ही अभी तक डिसिल्टिंग कर पाई है जो उनके टारगेट से बिलो टारगेट है, शर्म आनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं एमसीडी की जिन्होंने टारगेट से ज्यादा अचीव किया डिसिल्टिंग के लिए। और इसी प्रकार से 460 किलोमीटर की सिर्फ 4 फुट की नालियां हैं जो नॉर्थ एमसीडी में आती हैं। वो सभी की सफाई हो चुकी है। मेरा ये मानना है अभी एक हमारे मेंबर कह रहे थे कि सेंसर लगाया है, नालों के लिए, पानी के लिए, हमने तो आज तक देखा नहीं?

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः आप निकलोगे तब देखोगे न? आप निकलते नहीं घर से, कहां से देखोगे। वाटर हारवेस्टिंग की बात भी सरकार ने की थी

जिससे जलभराव के लिए मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से भी कि वाटर हारवेस्टिंग के कितने प्लांट लगाए आपने, जलभराव के हर केन्द्र पर अगर वाटर हारवेस्टिंग लग जाए तो डबल फायदा होगा। जलभराव भी खत्म होगा और उससे वाटर लेवल भी उपर आएगा। मुझे इतना ही कहना था कि जेसीबी हो, ट्रक हो, सेंसर मशीन हो, जो भी एमसीडी के पास संसाधन हैं अपने तंगी के हालात में भी उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए सफाई कर्मचारियों ने जनता की सेवा की, अपने अपने परिवार की चिंता नहीं की। मैं एमसीडी को धन्यवाद देता हूं तीनों निगमों को जिन्होंने इस शुचिता के काम को जारी रखा लेकिन आप सिर्फ मदद करने के बजाए उनका पैसा रोकते हो, उनका दमन करते हो, उनके विचारों का दमन करते हो, उसके बावजूद आप उस पर टारगेट करते हो क्योंकि आपको एमसीडी की सत्ता लपकने के लिए मन लालायित है और आप बीजेपी की सत्ता को बदनाम करना चाहते हो। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अध्यक्ष जी ने आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ जी। ऋतुराज जी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। महावर जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग एमसीडी के खिलाफ बोल रहे हैं। एमसीडी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ बोल रहे हैं। यही स्कूल, यही अस्पताल है कि नहीं, भाजपा 15 साल से एमसीडी में

है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 20 साल होने वाले हैं। किस प्रकार से यही स्कूल, यही अस्पताल जो अरविंद जी ने विश्वस्तरीय तरीके से निर्माण करके दिखाए, चला कर दिखाया, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। इन्हीं स्कूलों में कोई जाना ही नहीं चाहता था पहले, इन्हीं अस्पतालों में कोई जाना ही नहीं चाहता था पहले। तो मुसीबत एमसीडी से नहीं है, मुसीबत भाजपा से है। यही एमसीडी के कर्मचारी, यही एमसीडी के सफाई कर्मचारी, यही एमसीडी as an Institution जब आम आदमी पार्टी के पास 6 महीने के बाद आएगी तो यही एमसीडी दिल्ली को विश्वस्तरीय नंबर एक शहर बना करके दिखाएगी। कारण क्या है नेतृत्व का।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: देखिए, अरे भईया अब ये हसीन सपने किसके हैं चूंकि।

माननीय अध्यक्ष: आप बोलते रहिए सोमनाथ जी। बोलिए आप प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: मैं पूरे क्षेत्र के अन्दर मैं दिल्ली के अन्दर खूब घूमता हूँ और मुझे बताया जाता है कि भाजपा वाले भी अब हार मान चुके हैं बोले कि भईया ठीक है। 2017 में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: प्रमिला जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: 2017 में माननीय मोदी जी के नाम पर कि भईया नई ऊर्जा, नई उड़ान के नाम पर नए-नए उम्मीदवारों को खड़ा किया था। अब

फोटो मोदी जी की और नई ऊर्जा, नई उड़ान के नाम पर एम.सी.डी. में फिर वोट ले लिया लेकिन इस बार मोदी जी की जो एक stature है उसको भी आपने दांव पर लगा दिया। भई पांच साल में भाजपा ने ऐसा कांड किया है कि इस बार भाजपा के सारे सिनियर नेता कह रहे हैं कि भईया इस बार तो आम आदमी पार्टी ही आयेगी।

साथियों मैं बताना चाहता हूँ छोटा सा एक वाक्या। मेरे यहां ग्रीन पार्क है एक रोड़ पी.डब्ल्यू.डी. की है। बीजेपी का एक नेता वो विडियो बना रहा है कि देखिए केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया ये पानी भर गया है, पानी भर गया है। मैं नैक्सट डे पहुंचा वहां सारे अधिकारी मेरे साथ थे तो जो वहां पार्किगं अटेंडेट है वो मुझे कह रहा है कि देखिए इस नाले में भाजपा के एक नेता ने पहले slab गिराया कि बारिश का पानी सारा इकट्ठा हो जाए और लोगों ने कहा कि भई slab हटा देता हूँ मैं कि नहीं-नहीं पहले विडियो बनाने दो मुझे तो जानबुझकर slab गिराना, बारिश के पानी से जनता को तंग करना और विडियो बनाना फिर राजनीति करना ये भाजपा के डीएनए में है कि भाजपा जब आम आदमी पार्टी से सही तरीके से नहीं जीत पाती है तो राकेश अस्थाना जी को लेकर आए हैं, इसी काम के लिए लेकर आए हैं कि जब आप कुछ विडियो बनाओगे, उनके खिलाफ एक्सपोजर करोगे तो अस्थाना जी को आगे कर देंगे, चलो भई आप लोग अपने काम पर लगो ड्यूटी पर लगो। साथियों जैसा अभी अखिलेश जी ने बताया कि 98 परसेन्ट दिल्ली में ड्रेन्स एम.सी.डी. के पास हैं। पी.डब्ल्यू.डी. के जो ड्रेन्स हैं, जैन साहब मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और पूरी desilting की, दबा के desilting की है जबकि हम सारे, आम आदमी पार्टी के करीब-करीब सारे नेता जमीनी

हैं। जा जाकर देखते रहते हैं भई कि हम कूदकर जाकर वहां देख लेंगे तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रीगण को, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत बधाई कि पी.डब्ल्यू.डी. ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमने उतर-उतर कर देखा है और मुझे वहां पूरा desilted मिला। तो पूरी desilting पी.डब्ल्यू. डी. ने अपनी तो कर ली लेकिन एम.सी.डी. नहीं कर पाई, इस कारण से मुसीबत रही और जिस प्रकार से अभी रोहित ने कहा कि भई एम.सी.डी. भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी । अन्दर की कॉलोनियों में जो storm water drains था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन को बता रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः साहनी जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः कि जो अन्दर ड्रेन्स हैं एम.सी.डी. की कागजों पर हैं। कागजों पर हैं एम.सी.डी. की ड्रेन्स और कागजों पर ही desilting हो रही है और कागजों पर ही पैसे दिए जा रहे हैं तो कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का पता नहीं कहाँ है अगर वो काश अपने पास एक जांच एजेंसी होती, ACB छीन लिया है इन्होंने। अब जो ACB था छीन लिया इन्होंने। अगर जांच एजेंसी होती तो कागजों पर जो नाले एम.सी.डी. के दिखते हैं जिनकी desilting कराकर पैसे खाए जा रहे हैं, उसकी जांच होती और कई सारे लोग जेल में होते। अध्यक्ष महोदय, जो मिन्टो ब्रिज में, दिल्लीवासियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मिन्टो ब्रिज अरविन्द जी ने एक मॉडल के तौर पर दिखाया है कि भई दिल्ली के अन्दर अगर एम.सी.डी. में आम आदमी पार्टी आ गई, चूंकि आने वाली है, तो जिस प्रकार से मिंटो ब्रिज की decades old समस्या का समाधान हो गया उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी आने के बाद इसी एम. सी.डी. के जरिए पूरे दिल्ली के अन्दर एक भी बूंद जलभराव की समस्या नहीं

रहेगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो हम सब साथियों को झेलना पड़ता है बारिश के दिनों में, भई जल बोर्ड का सीवर बह रहा है, जल बोर्ड का सीवर बह रहा है, अरे भई जल बोर्ड का सीवर नहीं बह रहा है, चूंकि storm water drains नहीं है दिल्ली में, एम.सी.डी. ने बनाया नहीं। एम.सी.डी. ने केवल कागजी कार्रवाही की, desilting कागज पर ही कर दी। तो क्या वो हर कॉलोनी के अन्दर जो बारिश के पानी का drain बनना चाहिए था क्योंकि सीवर और बारिश के पानी का destination separate-separate है। सीवर जायेगा STP के अन्दर sewage treatment plant वहां पर वो cure होकर वापस आयेगा। बारिश का पानी जायेगा storm water drain के जरिए। इन्होंने क्या किया है, एम.सी.डी. ने सारा बारिश का ड्रेन जो कागजों पर desilting हो रहा है उसको जोड़ दिया हमारी सीवर लाइन में।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारतीः हाँ, भाजपा शासित एम.सी.डी., भाजपा शासित एम.सी.डी.। अरे वहां पर अभी रूको, 2024 आने दो, चिन्ता न करो। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकार्ड ये बात लाना चाहता हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन बारिश का पानी कैरी करने के लिए नहीं हैं, तो जहां कहीं भी दिल्ली वासियों को जल बोर्ड की सीवर लाइन वअमतसिवू दिखती है तो ये समझ लें कि एम.सी.डी. अपने काम में फिस्ड्डी साबित हुई, भाजपा शासित एम.सी. डी. के जरिए दिल्ली के अन्दर storm water drain बनाने में फिस्ड्डी साबित हुई, फेल हो गई और वही पानी हमारे सीवर लाइन में जाकर के आज सीवर लाइन overflow हो रहा है जो कि क्रिमिनल है it is criminal to insert storm water into our sewerage line, it is criminal और जल बोर्ड को चाहिए कि

इसके ऊपर संज्ञान लें और भाजपा शासित एम.सी.डी. के ऊपर केस करें । अध्यक्ष महोदय, एक बात से मैं सहमत हूँ चूंकि दिल्ली के अन्दर water table बहुत नीचे चला गया है इसलिए यहां rain water harvesting की जरुरत है। माननीय केजरीवाल साहब ने और सतेन्द्र जैन साहब ने जिस प्रकार से यमुना को सुधारने का काम किया है और कर रहे हैं उसके ऊपर और देखना आने वाले समय में क्या होता है। मुझे लगता है कि एक concerted approach होना चाहिए। अभी चूंकि बारिश चल रहा है, परमात्मा खूब बरसा रहा है, परमात्मा का गिफ्ट आ रहा है लेकिन बारिश का पानी जो अमृत रूपी पानी है जिसको हमें उपयोग में लाना था, अगर rain water harvesting pits हर low lying area में बना दिया जाए जोकि एम.सी.डी. का दायित्व बनता है और उसके बाद उसके जरिए बारिश का पानी जमीन में जाए और जमीन का जो water table है उसको रिचार्ज किया जाए लेकिन इस काम में भी एम.सी.डी. हर तरफ नाकाम साबित हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस discussion के जरिए हमारे साथी ने जो एम.सी.डी. की नाकामी जल भराव के क्षेत्र में हर तरफ दिखायी है और जो प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा है मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि इस बार इस बात का संज्ञान लेते हुए, दिल्ली तो संज्ञान ले रही है चूंकि दिल्ली की जनता ने फैसला कर ही लिया है कि भई आम आदमी पार्टी को एम.सी.डी. देना है लेकिन आपके माध्यम से इस बात को कमिश्नर को बताया जाए कि भई जल भराव की समस्या में भाजपा शासित एम.सी.डी. नाकाम साबित हुई है और जो भी उचित कदम हो उसको लिया जाए, नहीं तो हमारे पास एक दुर्गेश पाठक जी हैं अभी उन्हीं के press conferences से भाजपा हिली हुई है। वो एक-एक करके घोटाले को उजागर

करते जा रहे हैं और भाजपा के पास जवाब नहीं है। तो समझ लीजिए कि क्या आपकी preparation है और आपने बीस साल में एम.सी.डी. का क्या कबाड़ा किया है। सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों किसी को आपने समय से वेतन नहीं दिया । कोरोना काल के अन्दर भी सभी लोग बहुत मुश्किलों में रहे। यहां तक की आपने डॉक्टरों के ऊपर टैक्स लगाने का प्रयत्न किया, वो हमारे कारण वापस लिया। तो एम.सी.डी. के हर डिपार्टमेंट में भाजपा ने एक ही चीज का बोलबाला स्थापित किया है, वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तो इस बार बदलाव होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अखिलेश भाई ने जो बात शुरू की उसका मैं समर्थन करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद हाजी युनूस जी।

श्री हाजी युनूसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस जल भराव और एम.सी.डी. की सफाई व्यवस्था को लेकर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे विपक्ष के साथी हमारे विधायक जी ने एक तस्वीर दिखाई थी जो कि मैं अभी अपने मोबाइल पर उसी तस्वीर की विडियो दिखाये देता हूँ। अब ये विशाल मेगा मार्ट के सामने का रोड़ है ये बता दें इसके दोनों तरफ के नाले, ये क्या एम.सी.डी. के नहीं हैं या ये रोड़ एम.सी.डी. का नहीं है। मैं अपने विपक्ष के साथी से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने अभी-अभी फोटो दिखाई थी इस सदन के अन्दर। दूसरे इसके अन्दर जो ये गाड़ी फंसी हुई है जिसकी फोटो ये दिखा रहे थे ये नाला विशाल मेगा मार्ट जो कि वार्ड-57 के निगम पार्षद जी का खुद का है और जस्ट उसके सामने की ये विडियो और फोटो है जो अभी हमारे साथी ने दिखाई। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एम.सी.डी. के नालों का

हाल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अभी ईद गए हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है और कुछ निगम पार्षद वहां जाकर जहां ढलावघर है वहां जाकर लाइव विडियो चलाते हैं कि जी हम कूड़ा उठवा रहे हैं, कूड़ा उठवा रहे हैं। अरे भई जिन एजेंसियों को आपने ये ठेका दिया है वो एजेंसी क्या कर रही हैं, किसलिए हैं वो एजेंसी? क्या ये ठेका जिन एजेंसियों को दिया गया है वो एजेंसी कूड़ा उठाने के लिए नहीं है? फिर ढलावघर पर जाकर आप दिखा रहे हैं अवाम् को जरा कम से कम गलियों के अन्दर की हालत तो जाकर देख लो कि वहां क्या हाल हैं। गलियों के अन्दर नालियां भरी पड़ी हैं। एक तो कोई नालियां निकलती नहीं लेकिन अगर इत्तेफाक से कभी 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में कोई नाली निकल भी गई तो उसको उठाने वाला पैदा नहीं होता है और वो कूड़ा सूखने के बाद वापस उसी नालियों में चला जाता है। हद तो यहां तक हो चुकी है कि ये जनता को इस तरह गुमराह करने लगे हैं निगम पार्षद कि अगर जनता निगम पार्षद के घर जाती है तो वो कहते हैं भई विधायक जी से जाकर बात कर लो। तो जैसा अभी हमारे साथी विधायक ने बताया वकील साहब ने कि आगे आने वाले टाइम में ये तो जनता दिखा ही देगी कि क्या होगा और क्या होने जा रहा है। आने वाले टाइम में एम.सी.डी. में जरूर आम आदमी पार्टी की सरकार आयेगी और ये रोड़ जो विशाल मेगा मार्ट के सामने शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्किट तक का और रामलीला मैदान के 33 फुटे का जो रोड़ अभी बन रहा था लेकिन इत्तेफाक से उस काम के चलते में ये बारिश आ गई। बारिश की वजह से वहां जो दिक्कतें आई तो हमारे भाजपा के एक निगम पार्षद जी के पी.ए. साहब ने उसको वहां से लाइव चलाना शुरू कर दिया कि भाई रोड़ बने हुए एक साल भी नहीं हुआ

और रोड़ बनकर टूट गया क्योंकि वो रोड़ अभी बना ही नहीं है, कच्चा ही डला था और वहां जो मैंने विडियो दिखाई जिस तरह से कि नाले भरे होने की वजह से P-52 to 1.05/PK पानी लगभग एक-एक मीटर के करीब खड़ा हुआ है और जो एमसीडी के नाले और एमसीडी के रोड हैं, अब जब एक मीटर पानी खड़ा हो जाएगा तो वो जो कच्चा हुआ काम है लाजमी बात है वो खराब होगा। अब हद तो यहां तक हो गई है कि आज कल जो साप्ताहिक बाजार एल जी साहब ने बंद कर रखे हैं कोरोना की वजह से कि साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, साप्ताहिक बाजार से जो गरीब अपना पेट पालते हैं अगर वो साप्ताहिक बाजार लगा लेते हैं तो एमसीडी के लोग।

माननीय अध्यक्षः हाजी जी चर्चा इस पर नहीं है, चर्चा जिस विषय पर है उसी को लीजिए प्लीज।

श्री हाजी युनूसः सर ये एमसीडी के ताल्लुक से ये लोग मतलब गलत अफवाहें फैलाकर दिल्ली सरकार को बदनाम करने की एमसीडी कोशिश कर रही है, मैं एमसीडी से हटकर नहीं बोलूंगा कुछ भी।

माननीय अध्यक्षः नहीं जो कुछ आप बोल रहे हैं वो नालों पर आ जाइए सीधा, हाँ पहले ठीक ट्रैक पर चल रहे थे ।

श्री हाजी युनूसः चलिए सर नालों की तो हालत और नाली की हालत और अभी हमारे जो विधायक साथी ने प्रस्ताव रखा, अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने तो ये बात बिल्कुल सत्य है और इस सदन के अंदर मैं दावे के साथ एक बात कह रहा हूं ये तिरपाल फैक्टरी रोड पर, जो कि पूरा रोड गोकलपुरी विधान

सभा के अंदर आता है लेकिन मुस्तफाबाद की सारी जनता वहां से लगभग लाख डेढ़ लाख लोग रोज सुबह से शाम तक गुजरते हैं, वहीं पुलिया पर ढ़लाव घर बने होने की वजह से जाम की स्थिति ये रहती है कि उस ढ़लाव घर की वजह से वहां से निकलने में एक-एक घंटा लग जाता है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि अगर 2 साल के अंदर भी उस नाले का निकला हुआ कचरा या गाद कहीं भी कोई दिखा दे तो जो सजा देना चाहें मैं वो सजा मंजूर करता हूं। मैंने आज तक उस नाले को, निकलते हुए नहीं देखा जो एमसीडी के अंदर आता है, गोकलपुर विधान सभा में है और ये तिरपाल फैक्टरी रोड पर है, उस नाले की सफाई का एक भी फोटो साबित कर दें तो मुझे ये जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। तो एमसीडी का घोटाला और एमसीडी के अंदर जो कुछ हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली सरकार जितनी तेजी से, चाहे वो कोई भी विकास हो, कोई भी मंत्रालय हो, हमारे मुख्यमंत्री जी जितनी तेजी से दिल्ली का विकास कर रहे हैं, एमसीडी उतनी ही तेजी से उस विकास को चकनाचूर कर रही है। तो हमारे साथी अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए, अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। अब्दुल रहमान जी

श्री अब्दुल रहमानः बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। मैं एक छोटी सी दो लाइन की एक कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, है एमसीडी से रिलेटिड कि एक आदमी एक बकरा खरीद कर लाया और बकरा खरीद कर लेकर चला तो 4 ठग बैठे हुए थे आगे। पहला ठग उसे मिला और उसने कहा भई ये कुत्ता कहाँ से खरीद कर लाया बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने

कहा यार मैं तो बकरा खरीद कर लाया हूं ये कुत्ता कैसे हो गया? वो थोड़ा आगे चला, वो चारो ठग मिले हुए थे, दूसरा ठग बोला कि आओ भई भाई साहब क्या हाल है, कि बढ़िया। कि यार कुत्ता तो बढ़िया ले आए। उसने कहा यार कुत्ता! मैं तो बकरा खरीद कर लाया हूं भई। उसने कहा यार ये तो कुत्ता है, बहरहाल वो थोड़ा ओर आगे चला तीसरा ठग मिला, उसने भी कहा आओ भाई साहब क्या हाल है, और कुत्ता कहाँ से लेकर आ रहे हो पकड़ कर। अब उसको भी शक होने लगा कहीं मैं कुत्ता ही तो नहीं ले आया। जब चौथा मिला तो उसने कहा आओ भाई साहब, कुत्ता बड़ा शानदार लेकर आ रहे हो, उसने उसकी चौन छोड़ी और वो वापस गया जहां से लाया था उसके पास, कि यार मैं तो वाकई कुत्ता ले आया, वो ठग उस बकरे को लेकर चलते बने। तो बड़े-बूढ़े कहते थे कि बड़ों ने निकाली कार, उतर गई पारम-पार। तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलें बताओ हमारा क्या बिगाड़ोगे। इनके तो बड़ों ने इन्हें झूठ बोलना, घुट्टी में सिखाया है, इनको घुट्टी जो पिलाई गई भाजपाइयों को उस घुट्टी में सिर्फ और सिर्फ झूठ डाला, जैसे बच्चे को मुगलीघुट्टी 555 पिलाते थे। तो वो तुम्हें उसमें झूठ डालकर इतना पिलाया गया कि तुम झूठ की लाइन से हटकर कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरे अपने अजीज दोस्त अभी बता रहे थे इनका एमसीडी से कोई बा-वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन मैं इनकी जानकारी दुरूस्त कर दूं कि 60 फीट से बड़े रोड जितने भी हैं वाकई पीडब्ल्यूडी के पास है, लेकिन 59 फीट का भी है तो वो एमसीडी के पास है। आप जो 4 फीट, 7 फीट गिना रहे थे, मैं आपकी जानकारी को दुरूस्त कर रहा हूं कि अगर 59 फीट भी है तो वो एमसीडी के पास है। दूसरी बात, रही नालों की आपने अभी एक आंकड़ा बताया यहां सदन के सामने मेरे काबिल

दोस्त ने, कि 34 हजार मीट्रिर्क टन सिल्ट ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाल दी और 45 हजार का टारगेट है। बिल्कुल आप 34 हजार नहीं, अगर उसे कागज पर लिख कर सदन को ये बताएं कि हमने 4 लाख मीट्रिक टन निकाल दी तो भी तुम इतना बोलोगे, इतना बोलोगे कि लोगों को सच लगने लगेगा। झूठ इतनी सफाई से बोलते हो, उसकी वजह क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे यहां 4 नाले एमसीडी के आते है। एक नाला साफ हुआ मेरे यहां, 3 नाले अभी भी अगर किसी ने उस पर हाथ लगाया हो तो मैं जो ये कहें वो हारने के लिए तैयार हूँ। एक नाले की सफाई हुई है मेरे यहां आधी-अधूरी बाकी तीन नाले ऐसे के ऐसे पड़े हैं और ये जो अभी एक मेरे काबिल दोस्त रोहित मेहरोलिया जी ने एक बात कही थी कि दिल्ली सरकार के पैसे को बर्बाद करना इनका लक्ष्य बन गया है। इनका एक अहम कार्य है कि किसी भी तरह झपट कर, झटक कर, दिल्ली सरकार से रोकर, लड़कर, पीट कर पैसे लो और उस पैसे को अपनी जेबों में डालो और तरीका क्या है इनका डालने का। एक टैंडर कर दिया, टैंडर धारक से बंदरबांट कर ली कि तू इस पर लिख कर लाता रह, कोई गाड़ी नम्बर नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा, 34 हजार टन निकाल दी आधे पैसे तेरे आधे हमारे, आधे तेरे आधे हमारे, ये इनकी बंदरबांट चल रही है और क्या करते हैं जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो डस्टबिन खरीद लाते हैं। डस्टबिन खरीदेंगे वो 5-6-4 रुपये की एक बाल्टी खरीदी और उसे दिखाया जी ये हमने 44 रुपये की एक बाल्टी खरीदी है, कितनी खरीदी है कि साहब 4 लाख बाल्टियाँ खरीदी है। अब वो बाल्टियाँ बांट रहे हैं जी दुकानों पर, इधर-उधर वो फिंक जाती है बाल्टियाँ। तो इस तरह दिल्ली सरकार की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करने पर तुले

हुए है और कभी इन्होंने अपने ढ़लाव घरों पर ध्यान नहीं दिया, अपने एमसीडी के नालों पर ध्यान नहीं दिया। जो एसएलएफ कूड़े का पहाड़ बन चुका है वहां आज तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया आकर। इनके यहां एक पोस्ट है नाला बेलदार की जो नालों पर काम करते हैं, एक नाला बेलदार कभी नाले पर नहीं मिलेगा। वो मिलेंगे कहाँ जहां बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले बिल्डिंगे बन रही होंगी वहां उगाही करते मिलेंगे, क्योंकि आकाओं को पैसे देने हैं और आका भी करें क्या, इनकी भी मजबूरी है भाई साहब। अध्यक्ष महोदय, इनकी मजबूरी ये है कि 2012 में जो इनके काउंसलर जीतकर आए, इनके शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया की भई इनको टिकट ही नहीं देंगे, ये भ्रष्ट हैं, अब वो तो हटा दिए गए । अब जो नए लाए उन्हें भी पता है तुम्हें आगे नहीं मिलना, पेट भर लो जितना भरना है। अब वो भी जेब भरने पर लग गए। उन्होंने सारे काम छोड़ दिये, कैसा नाला किसका नाला, 6 महीने की ओर बची है, खाओ पेट भरो अपने घर को चलो, आगे तो टिकट मिलना नहीं, आगे लड़ना नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी से भागना, ये भाजपा शासित एमसीडी का काम है। दिल्ली की सरकार ने अपने नालों की सफाई की, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने पीडब्ल्यूडी के मंत्री को और तमाम पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मॉनिटरिंग की और ऐसी शानदार नालों की सफाई कराई कि हमारे एक भी नाले में, जितनी बारिशें पड़ी है, आप दिखा दीजिए पीडब्ल्यूडी के नाले में अगर कहीं पानी का जल भरा हुआ हो और पानी प्रॉपर तरीके से मूव ना हुआ हो। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, महावर भाई। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं आपसे वरना आप एक नाले पर लेकर चलिए कि पीडब्ल्यूडी का ये नाला रह गया और मैं आपको 100 नाले दिखाता हूं एमसीडी

के चलकर, बल्कि सदन से आप 10 आदमी उठा लीजिए और चलिए 100 नाले दिखाऊंगा जहां एमसीडी के एक नाले पर हाथ नहीं लगाया गया होगा आज तक, सिर्फ कह देना यहां पर। और आपकी गलती नहीं है, आपको एमसीडी का पता नहीं, मैं तो 8 साल काउंसलर के रूप में रहा हूं एमसीडी में इसलिए मुझे एमसीडी का पता है। तो आप तो कुछ भी कह सकते हो, आपकी जानकारी की बात है लेकिन अगर वाकई आपने अपने काम का निर्वाह सच्चाई से किया होता, अगर ईमानदारी से आपने एमसीडी को चलाया होता तो एमसीडी की ये दुर्दशा नहीं होती, न ही एमसीडी के लिए बार-बार आपको दिल्ली सरकार के पास भागना पड़ता। एमसीडी की इतनी कमाई है कि एमसीडी की अपनी कमाई से एमसीडी को बेहतरीन चलाया जा सकता है, एमसीडी के एक-एक कर्मचारी को, एक-एक डॉक्टर को, एक-एक नर्स को तनखा बहुत आसानी से दी जा सकती है और अल्लाह ने चाहा तो मैं इस सदन को बता दूं कि आने वाले 2022 में फिर से एमसीडी का चुनाव आ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार तीनों सदनों में आएगी और देखिएगा कि बिना किसी मदद के, सिर्फ ईमानदारी के चलते आम आदमी पार्टी इन तीनों सदनों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी कमाई से चला कर भी दिखाएगी और पैसे बचा कर भी दिखाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बस अंत में इतना कहना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त इस चीज पर अच्छे से सलाह करें अपनी ओर से एक बार जाकर एमसीडी के नालों को देखें और हम आपस में बहस ना करके, यहां एक-दूसरे पर लांछन ना लगाकर अपनी दिल्ली से अगर प्यार करते हैं तो जाइए थोड़ा सा उनको कहिए, एमसीडी के नालों की सफाई कराइये ताकि दिल्ली के लोगों की जो दुर्दशा एमसीडी के नालों की वजह से, जल भराव की वजह से हुई है, वो ना हो

और दिल्ली के निवासी चौन-सकून से इस बरसात को गुजार सकें और लोगों के घरों में जलभराव से जो पानी भर जाता है, वो ना भरे इसकी हिदायत आपको एमसीडी के कर्मचारियों को, अपने काउंसलर्स को देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे इस जलभराव पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे त्रिपाठी जी ने जो ये मुद्दा उठाया था मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और एमसीडी के नालों की सफाई ना होने की पूरी तरह से निंदा करता हूं और बधाई देता हूं अपने पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर्स को, अधिकारियों को कि जो उन्होंने इतने अच्छे से अपने नालों की सफाई कराई कि एक भी नाले में आज कोई गाद नहीं है, धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे जलभराव की समस्या पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी जो अखिलेश त्रिपाठी जी प्रस्ताव लेकर आए हैं, जलभराव और नगर निगम की नाकामियाँ, मुझे लगता है कि ये जलभराव का जो मुद्दा है दिल्ली के एक-एक निवासी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको नगर निगम तक सीमित करके।

इस मुद्दे को हम divert कर रहे हैं। अभी हम विधान सभा में बैठे हैं बाहर बारिश हो रही है। सबको पता है यहां से निकलने के बाद अगर मुझे घर जाने में बीस मिनट लगना था तो अब 40 से 45 मिनट लगेगा। उसका कारण नगर निगम का नाली नहीं है। उसका एक मात्र कारण है पीडब्ल्यूडी के नाले। रोज ये अखबार में छपते हैं पूरी की पूरी कार पीडब्ल्यूडी के रोड में समा जाती है। एक ही घटना नहीं है साहब। एक ही घटना नहीं है। मैं

उदाहरण दूंगा ना अभी। हम पूरी कार को और बस को डूबते हुए देखते हैं। देखिए हम पीडब्ल्यूडी, डीडीए और एमसीडी का झगडा करेंगे तो हम दिल्लीवासियों को जल भराव से मुक्ति नहीं दिलवा सकते। मेरा simple इतना कहना है अध्यक्ष जी, मैं अपने विधान सभा का उदाहरण दे रहा हूं। अभी रोहित महरोलिया जी ने कहा कि लक्ष्मी नगर की जो रोड है दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी का नाला है। मैं उनकी वो चीज ठीक करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में होगा अभी जो मैट्रो स्टेशन है, निर्माण विहार मैट्रो स्टेशन पूरा रोड फट गया। सिर्फ नाली की सफाई के कारण, पानी के ब्लॉकेज होने के कारण पानी ने पूरे रोड को फाड़ दिया। कम से कम दो घंटा, तीन घंटा ट्रैफिक बाधित रहा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब साउथ गणेश नगर की नालियों में पानी भरा और मैं स्वयं गया हूं मौके पर और मौके पर जाकर देखने के बाद ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हुए। बारिश का पानी आया और उसने पूरी कालोनी में पानी बैक मारा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ये बात ठीक नहीं है। मेहरोलिया जी।

श्री अभय वर्माः ये पीडब्ल्यूडी के नाले हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं। कोई बात नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के नाले हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महरोलिया जी।

श्री अभय वर्मा: डीसी ऑफिस के पीछे पीडब्ल्यूडी साफ करती है साहब। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है अध्यक्ष जी कि पीडब्ल्यूडी के नाले अगर ठीक से सफाई हो जाए। नगर निगम की नालियों के पानी की निकासी ठीक से मिल जाए क्योंकि सारी छोटी नालियां बड़े नालों में गिरती हैं और बडे नाले साफ नहीं होते इसलिए नगर निगम की सारी नालियां पीछे ब्लॉकेज रहती हैं। अगर इस बीमारी को हम समझना चाहते है तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के नाले की सफाई की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाउस में अभी रहमान साहब कह रहे थे एक रास्ता बता दो। मैने इस हाउस में 280 के माध्यम से क्वेश्चन किया था। सालों भर पीडब्ल्यूडी के रोड पर पानी रहता है। सालों भर बारिश तो भूल जाइए और वो रास्ता भी बता रहा हूं। मंत्री महोदय जी को भी ज्ञान होगा क्योंकि मैने पत्र भी लिखा है साउथ गणेश नगर की अंडर पुलिया के पास पीडब्ल्यूडी का रोड है, सालों भर पानी रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी बकरे और कत्ते की कहानी सुना रहे थे। तो बकरा जो है एमसीडी बीजेपी ऐसे नहीं छोड़ने वाली कि ठग लेकर भाग जाए। वो कहानी इनके ऊपर सूट करता है। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है अध्यक्ष जी कि ईमानदारी पूर्वक दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को फोन करें इस साल सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी के रोडों पर जाम लगे हैं और दिल्ली की कोई भी जनता, आप तो सर्वे कराते रहते हैं, आप सर्वे करा लीजिए अगर कोई जनता ये कह दे कि मुख्य रोड की यातायात सुचारू रूप से बारिश के समय चला है तो आप जो कहेंगे सदन में मैं मानने के लिए तैयार हूं। हर व्यक्ति बडे नाले, बडे रोड से परेशान है। गलियों का पानी निकलता ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी का जाम पड़ा हुआ है। दोनों तीनों रोड पर कुछ भी काम नहीं हुआ है पीडब्ल्यूडी

का। ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, ये इतना बड़ा मुद्दा है इसको वाद-विवाद आरोप-प्रत्यारोप करके खत्म नहीं करना चाहिए। सभी संस्थाओं को मिलकर इस जल भराव पर काम करना चाहिए। अगर हम बार-बार दोष देते रहेंगे नगर निगम को, कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि केन्द्र पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी के कारण ही नगर निगम की नालियों में दिक्कतें हैं। उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राजकुमारी ढिल्लों जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा है और अखिलेशपति त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है पूरा सदन उसको समर्थन देता है। ईवन जो मेरी दांई साइड बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर वो भी इसी बात का समर्थन करते हैं। क्योंकि मैं नगर निगम में निगम पार्षद रही और अभी जो ये बरसात आई परसों भारी बारिश हुई उसकी एक छोटी सी घटना हरिनगर वार्ड से एक निगम पार्षद की मैं आपको बता देना चाहती हूं। बहुत ही शर्म की बात है कि जो नगर निगम के क्षेत्र की अंदर की सारी गलियां होती है वो भाजपा की निगम में बैठी सरकार के पास है। निगम पार्षद गलियों में वीडियो बनाती घूम रही है। आप देखिएगा कहती हैं कि पानी भर गया, पानी भर गया, पानी भर गया। उन्हें ये नहीं मालूम अभी तक कि जो नगर निगम की गलियां हैं वो किसके पास हैं। मैं धन्यवाद करूंगी हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं सत्येन्द्र जैन जी, जिन्होंने कि पूरी दिल्ली में अपने जितने पीडब्ल्यूडी के रोड हैं उनके अधिकारियों ने तकरीबन दो महीने से continuously इतना सिल्ट निकाला

कि आज अभी भी जो बारिश आ रही है, सड़कों पर पानी भरेगा केवल आधा या एक घंटा लेकिन और जो गलियां है नगर निगम के एरिये के अंदर की वहां कालोलियों में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। अभी सोमनाथ भारती जी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के रोड का नाला जो है उससे एरिये का पानी निकल जाता है लेकिन इनके पास के एरिये के अंदर की जो गलियां है पानी निकालने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई पम्प नहीं है और कोई storm water drain नहीं है जिससे कि पानी निकल सके। उन्होंने illegally जो हमारे सीवर है जो एरिये के अंदर के वहां grating जालियां बनाकर उसमें अध्यक्ष जी उनको जोड़ा हुआ है। गलियों का पानी निकालने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। दिल्ली के क्षेत्र के अंदर 98 परसेंट जो एरिया है, उनके पास जो गलियां है वह नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है। ये पानी निकलेगा कैसे। जितने भी storm water या इन्होंने grating जालियां बनाई हुई है कभी वहां सफाई नहीं हुई। निगम पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जितने सेनेटरी इंसपैक्टर हैं उनके साथ उनकी महीने की सौटिंग है स्वीपर के साथ। वो स्वीपर्स ये कहते हैं मैडम हम गलियों में नहीं आ सकते क्योंकि हमारी जो एक महीने की हाजिरी है वो तकरीबन 15 या 20 दिन की होती है। मैं बता देना चाहती हूं दांई साइड पर जो आगे के लोग बैठे हुए है उनको अब दिल्ली के अंदर वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में 2022 में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में काम कर रहे हैं विकासभागी बना रखा है दिल्ली सरकार का, इसी प्रकार आने वाले समय में एमसीडी में दिल्ली नगर निगम में विकास का मॉडल बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के विधायक और दिल्ली नगर निगम में निगम पार्षद दिल्ली को एक विश्व सुन्दर तरीके से बनाएगें। दिल्ली की कैपिटल उस

दिन जानी जाएगी जब दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों हमारी एक ही पार्टी के होंगे। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने आज तक किया हुआ है, लोग कहते हैं कि निगम पार्षद उस समय नजर आते हैं जब कोई नई बिल्डिंग बन रहीं होती है। उस समय स्कूटर पर बैठकर निगम पार्षद एक चील की तरह नजर लगाए हुए होते हैं कि कौन से मकान, कौन सी बिल्डिंग बन रही है और उसको नोटिस दिलवाते हैं। नोटिस कैंसिल हो जाता है। ये भ्रष्टाचार दिल्ली के नगर निगम के अंदर है, इसीलिए मैंने नगर निगम को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन पर चलकर इस पार्टी को ज्वाईन किया है। आने वाले समय में दिल्ली में नगर निगम में सभी निगम पार्षद हमारे आम आदमी पार्टी के होंगे। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपने इस अहम मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अब मेरे पास जो लिस्ट है इसमें से कुल दो वक्ताओं को ले रहा हूं कुलदीप जी और ऋतुराज जी । उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। पहले कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय देने के लिए। जैसा कि अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता भी भली-भांति इस बात से परिचित है कि दिल्ली के अंदर नालों की जिम्मेदारी का 98 फीसदी हिस्सा दिल्ली नगर निगम के पास आता है। उसके साथ एक काफी बड़ा हिस्सा नीचे निगम में भाजपा बैठी हुई है, उसके ऊपर डीडीए है और डीडीए में भी भाजपा बैठी हुई है। जितनी काला बाजारी, जितनी चोरी एमसीडी के अंदर है अध्यक्ष जी उससे ज्यादा चोरी डीडीए के अंदर है। मतलब

ऊपर भी चोरी और नीचे भी चोरी। अध्यक्ष जी, मेरे यहां कोंडली विधान सभा में एक केरला स्कूल है। सामने खोड़ा कालोनी है और उसके सामने पेपर मार्केट है। सबको पता होगा कि पूरा पेपर मार्केट चांदनी चौक से उठाकर पूरा गाजीपुर में शि3ट किया गया था। बड़े अच्छे से डेवलप तरीके से उसको बसाया गया। अध्यक्ष जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के साथी भी यहां बैठे हुए हैं अगर उस पूरी इतनी बड़ी पेपर मार्केट के अंदर जिसमें मुझे लगता है हजारों दुकानों से ऊपर है और सारी दुकानों के साईज बहुत बड़े-बडे हैं। उसके अंदर का ड्रेनेज सिस्टम अगर एक भी ये दिखा दें, अभी अगर आप जाएगें अध्यक्ष जी तो इतना-इतना पानी उसके अंदर भरा हुआ होगा। लेकिन पानी निकालने का कोई भी साधन इनके पास नहीं है। इनके पास साधन क्या है, वहां से उठाएगें, पम्प लगाएगें और पीडब्ल्यूडी के नाले में ड़ाल देंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी उसको दिन रात लगकर, टैम्पो लेकर वहां जा-जा करके उसको साफ करने का काम करते हैं और सारे पानी को उठाकर पीडब्ल्यूडी के नाले के अंदर ड़ाल देते हैं। दूसरी बात अध्यक्ष जी, अभय वर्मा जी ने भी कहा था। एक एनएच 24 है अध्यक्ष जी जो पूरा पटपडगंज से होता हुआ पूरा आगे की तरफ निकलता है। उस एनएच 24 का उद्घाटन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आए। उसकी ब्रांडिंग की गई और कहते हैं कि इसको बड़े स्टाइल से बनाया गया, डेवलप किया गया, नई टैक्नोलोजी का यूज किया गया। अध्यक्ष जी, मैं दावे से कह रहा हूं अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो कोई जाकर देख ले उस एनएच-24 के ऊपर इतना-इतना पानी भरा मिलेगा। कहां गया इनका ड्रेनेज सिस्टम अध्यक्ष जी। हम ये एमसीडी से आगे की बात कर रहे है। एमसीडी तो कालागुजारी है। एनएच-24 के ऊपर

जाकर इतना बुरा हाल है जहां पूरा ट्रैफिक निकलता है। उसकी वजह से दूसरी एक और बात उस एनएच-24 के साथ में जो ड्रेन बनी है वो सबसे बड़ी ड्रेन एमसीडी की ड्रेन है जिसकी सफाई आज तक नहीं हो पाई। ये चार फुट के नाले की बात करते हैं। संजय गांधी ड्रेन इनके पास है अध्यक्ष जी। गोकलपुरी ड्रेन इनके पास है अध्यक्ष जी। उसकी सफाई आज तक ये लोग नहीं कर पाए। तो एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसका एक मात्र कारण ये है कि जो एमसीडी के अंदर नाला बेलदारों की नियुक्ति की गई थी आज वो नियुक्तियां जो की गई है उन लोगों का काम नाला साफ करने का नहीं है अध्यक्ष जी, उनका काम बिल्डिंगों से अवैध उगाही करने का है। अगर वो बिल्डिंग से अवैध उगाही करेंगे तो नाला कौन साफ करेगा? उसका पैसा कॉन्ट्रेक्टर खा जाता है और भाजपा के निगम पार्षद मिलकर खा जाते हैं। ये हाल दिल्ली का कर रखा है। R 1.18-1.31/BK आज दिल्ली के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी कब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कब नगर निगम में आएगी और कब दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने का काम होगा, दिल्ली का नगर सिस्टम ठीक होगा। जब तक ये बीच का रोड़ा अटका रहेगा न अध्यक्ष जी, मैं दावे से कह रहा हूं इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए इस बीच के रोड़े को हटाना पड़ेगा और हमारी सरकार निगम में भी होगी और दिल्ली में भी होगी। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि दिल्ली एक सुन्दर शहर बनेगा, व्यवस्थित शहर बनेगा और हम सब लोग एक अच्छी दिल्ली में रह पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, श्री ऋतुराज।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे मौका देने के लिए। मैं अनॉथराइज कालोनी को रिप्रेजेंट करता हूं अध्यक्ष महोदय और अभी ये साथी कह रहे थे कि 4 फुट का रोड होता है। छोटी नाली बड़ी में जा कर मिलती है तो सबको पता है दिल्ली की छोटी नाली बड़ी में मिलती है और सबसे interesting बात ये है कि मैं एक ऐसी constituency को रिप्रेजेंट करता हूं अध्यक्ष महोदय जहां 99 परसेंट छोटी नाली और बड़ी नाली सब एमसीडी की है और किसमें कौन मिलता है अब मैं बताता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय एक म्युनिसिपल वार्ड में एवरेज 250 सफाई कर्मचारी हैं और 500 गली हैं अब वो 4 फुट की हो, 5 फुट की हो, 10 फुट की हो, 12 फुट की हो, 15 फुट की हो गली हम बनाते हैं यानी कि हमारी सरकार, नाली हम बनाते हैं लेकिन उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। अगर एक म्युनिसिपल वार्ड में 250 सफाई कर्मचारी हैं और केवल 500 गली हैं। अगर एक सफाई कर्मचारी अगर एक दिन में एक गली भी साफ करेगा तो हम दूसरे-तीसरे दिन में हर गली में सफाई हो सकती है। बहुत mathematical equatation है ये और पूरी विधान सभा क्षेत्र में एक हजार सफाई कर्मचारी हैं और 2500 गली हैं। लेकिन आप देखेंगे एक-एक महीने में भी एक गली की नाली साफ नहीं होती है। बारिश हो रही है बोलिए अभय वर्मा जी बारिश होगी तो पानी तो छोटी नाली से ही बड़ी में जाएगा ना। अब वो ही साफ नहीं होगा तो जाएगा कहां से वाटर लॉगिंग होगा, वही हो रहा है। तो ये स्थिति है गली की। अब situation ये है आपके मन में होगा कि अगर एक म्युनिसिपल वार्ड में 250 सफाई कर्मचारी है तो सफाई होती क्यों नहीं है?

हम भी खोजने के लिए निकले सुबह 6 बजे तो पता चला कि 250 सफाई कर्मचारी हैं पर आते 25-30 ही हैं और उसको भी ये लोग इनके निगम पार्षद पहले मैं बड़ा सोचता था कि भाजपा के निगम पार्षद सुबह-सुबह निक्कर पहनकर, पजामा पहनकर अपने वार्डों में घूमते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं एक-एक गली घूमते है मंत्री जी को हैरानी हो रही है। हम लोगों को लगा कि नहीं हम लोगों को भी ऐसे ही घूमना चाहिए सुबह-सुबह। लेकिन बाद में जब हम घूमे तो देखे तो पता चला कि घूमनकर सफाई नहीं कराते हैं। ये देखते हैं कौन-सा गरीब आदमी 30 गज के मकान पर कब लेंटर डालने वाला है, किसके यहां पर इंटा गिरने वाला है, किसके यहां पर सीमेंट गिरने वाला है। कौन-सा रेहड़ी वाला चाट बेचता है, कौन पकौड़ी बेचता है, कौन समोसा बेचता है, कौन क्या बेचता है, किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को नहीं। जहां से मिले 500 ले लो, जहां से मिले 1000 ले लो। ईंटा गिरता है बाद में एमसीडी वाला आता है पहले क्यों क्योंकि सुबह-सुबह जब पार्षद जी खुद राउंड लगाते हैं तो साथ में पुरजी बनाते हैं और ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये तो मेड वाली बात हो रही थी मेड, क्या होता है, मेड ये ही सफाई कर्मचारी जो म्युनिसिपल वार्ड को मिला हुआ है उसके पास जा कर सफाई कर्मचारी उन मकानों के ऊपर जाता है और वहां से उगाही करके दोपहर तक लाकर दोपहर तक छुट्टी हो जाती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 85 सफाई कर्मचारी आता है, 25 ही आता है तो 200 कहां जाता है? 200 आते ही नहीं हैं। उनकी पूरी तनख्वाह आती है और पता नहीं कितने पर्सेंट बंट जाती है। यही स्थिति है पूरी दिल्ली की और जो मैं बात कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय दूसरी बार इस विधान सभा का सदस्य हूं और चाहे इसके लिए सीबीआई

इंक्वायरी करा लीजिए, चाहे विजिलेंस इंक्वायरी करा लीजिए, चाहे खुद भी घूम करके देख लीजिए आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे। अब आते हैं बात ड्रेनेज पर, इसके पीछे की chronology मैंने आपको समझा दिया। अब इसके पीछे देखिए क्या हो रहा है कि वो जो सड़क है जिसको ये मुख्य सड़क कहते हैं हमारे यहां उसको मैन मुबारकपुर रोड कहते हैं। उसकी चौड़ाई मात्र 30 फुट है जिसको ये मुख्य सड़क कहते हैं, उसको हमारे यहां 40 फुटा रोड कहते हैं। जिसको ये मुख्य सड़क कहते हैं उसको हमारे यहां निठारी-किराड़ी मैन रोड कहते हैं। जिसको ये मुख्य सड़क कहते हैं उसको हमारे यहां प्रेम नगर सड़क कहते हैं। ये सारी एमसीडी की सड़के हैं और सारी सड़कों पर सारी नाली एमसीडी की है, ये बनाते नहीं हैं निकम्मे हैं तो जनता की जरूरत को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने एमएलए फंड से बना दिया, तो हमने कहा भइया नाली बना दिया है अब साफ तो कम-से-कम कर दो। साफ भी नहीं करते हैं। आज जाकर देखें किराड़ी क्षेत्र के अन्दर में कितनी बदनामी हो रही है। क्योंकि ये निकम्मे न तो गली की नाली साफ करते हैं न मेन सड़क का नाला साफ करते हैं और उसके चक्कर में सारा कचरा जो है मेन के. एस.एम. के नाले में जाता है जिसकी वजह से वो भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अंत में नियम कहता है कि अगर फिर भी अनॉथराइज कालोनी के अन्दर बारिश के दौरान वाटर लॉगिंग हो जाए तो पानी निकालने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, ये एक्ट कहता है। एल.जी. की अध्यक्षता में बना हुआ एक्ट कहता है और उस एक्ट का भी पालन नहीं होता है। आप लोगों ने हमको अनॉथराइज कालोनी का चेयरमैन बनाया, हमने कमिश्नर और सब लोगों को बुला लिया इस बात की

खुशी में कि चलो अब समाधान हो जाएगा। कमिश्नर को लेकर के क्षेत्र में गए, सुअर घूम रहे थे पानी के अन्दर । फोटो भी खींचा और अखबार में भी छपा सुअर के साथ और देखिए क्या हुआ? आप देखेंगे एमसीडी के कमिश्नर को लेकर गए, सारे कर्मचारी इनके पहुंच गए और हमने एक्ट दिखाया तो एग्री किए, बोले कि हां बिल्कुल इनको निकालना चाहिए पानी। तो 2-4 पम्प लेकर आए, ना तो पाइप, ना डीजल। पम्प को रख दिया और बोला की भइया पैसा इकट्ठा कर लो और उसके बाद पाइप ले आओ और इसमें से डीजल और तेल डालकर इसको चला लो। ये स्थिति है। अंत में आप यकीन नहीं करेंगे, बेशर्मी की इतनी हद हो गई कि हमको माननीय मंत्री जी के पास जा कर गुहार लगानी पड़ी और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री जी का कि इन्होंने इरिगेशन एंड 3लड के चीफ इंजीनियर को फोन किया और बड़े-बड़े 32 एचपी और 20 एचपी के पम्प इन्होंने इरिगेशन एंड फ्लड से दिलवाये तब जाकर हम लोगों ने पानी निकाला वहां पर जाकर। जिम्मेदारी किसकी कर कौन रहा है। इनका काम ये करना नहीं है, ये चाहते तो मना कर देते। लेकिन मानवता के नाते, इंसान की तकलीफ को देखते हुए, घरों में पानी घुसा हुआ है, खाना नहीं पक रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, रातभर छत पर सोते हैं, घरों के अन्दर में पानी है ये स्थिति है जा कर देखिए और उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सीवर का प्रोजेक्ट भी दिया है और सारी चीजें, हमें दिल्ली सरकार से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये एमसीडी वाले यहां पर जब आएंगे पीडब्ल्यूडी नहीं करता, ये नहीं करता वो नहीं करता है। अरे एक ऐसी constituency है जहां के 99 परसेंट नाली और नाला सब एमसीडी का है, क्यों नहीं करते हो और इनके निगम पार्षद या तो सुबह उगाही करते

हैं और एक तो ऐसी हैं मैडम वो क्षेत्र छोड़कर ही भाग गई। ऐसी स्थिति है वहां पर। तो सरेंडर तो ये कर चुके हैं, दिल्ली की जनता भी इस बात को जानती है। लेकिन सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि 6 महीना झेले कैसे, कैसे झेले 6 महीना। सफाई ये करते नहीं, पानी ये निकालते नहीं है, पम्प में पाइप होता नहीं, डीजल होता नहीं उसका पैसा भी खा जाते हैं। कोई गरीब आदमी मकान बनाता है तो उगाही करने के लिए चले जाते हैं। कोई समोसा बेचता है तो उसको तंग करने पहुंच जाते हैं। मतलब इतनी हद कर रखी है, इतनी हद कर रखी है जिसका कोई अंत नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं ये फोटो वोटो तो बहुत हैं, आप सब बहुत देख चुके इसलिए मैं ज्यादा फोटो वोटो दिखाना नहीं चाहता हूं। मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जिसका सारा फोटो दिमाग में है और जो-जो बात मैं कह रहा हूं ये भाजपा के किसी भी साथी के मन में अगर इतना सा भी डाउट हो तो जाकर आप देखिए और कल आकर हमको इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि भाजपा शासित एमसीडी जिसने 15 साल से पूरे एमसीडी को लूट खाया, पूरा बैंक करप्ट कर दिया बर्बाद कर दिया है। शर्म नहीं आती है इनको और यहां पर आकर लफ्फाजी करते हैं कि छोटा नाली है, बड़ा नाली है, छोटा नाली, बड़ा नाली में जाता है। अरे सबको मालूम है, सब लोग समझदार हैं, सब सामाजिक लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं। एक तो कहता है कि 4 फुट का सड़क होता है। 4 फुट का सड़क देखें हैं कहीं, होता है क्या 4 फुट का सड़क? तो कुछ भी मतलब पूरे हाउस को मिसलीड करने का काम करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय आपने हमको मौका दिया और चीफ व्हीप साहब ने हमारा

नाम दिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: अब चर्चा का उत्तर देंगे माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य महावर जी ने बोला की 4 फुट से लेकर 10 फुट तक की सड़कें एमसीडी के पास होती हैं और 60 फुट से ऊपर की सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास होती हैं और वो 11 से 49 वाली कहां होती है ये जरा खोज का विषय है। नहीं मैं आपकी बात ही रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं दिल्ली के अन्दर लगभग 30 हजार किलोमीटर सड़कें हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। उसमें से 1260 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास है बाकी सारी की सारी एमसीडी के पास हैं सारी की सारी। अब ये कहेंगे नहीं-नहीं गलत बोल रहे हैं, मैं ठीक कर देता हूं अपने आप, सारी की सारी नहीं है, एनडीएमसी के पास भी है, दिल्ली कन्टोंमेंट के पास भी है और डीडीए के पास भी है। दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 1260 किलोमीटर है। जो 1260 किलोमीटर सड़कें हैं उनकी डिसिल्टिंग भी अच्छी तरह से करायी गई है। 1260 किलोमीटर पर पानी निकालने के लिए 1500 पम्प लगाए गए हैं उसमें 300 मोबाइल पम्प भी हैं कहीं पर भी समस्या आती है, जैसे अभी ऋतुराज जी ने बताया वो मेरे पास आए थे कहते हैं भाई साहब ये दिक्कत आ रही है एमसीडी वाले तो सुनते नहीं हैं। उसी टाइम कम-से-कम 10-15 पम्प इनके यहां पर लगवाए कि भई पानी निकालो। अब वही वाली बात है जी एमसीडी तो करे न करे कोई फर्क नहीं है पड़ता, उनसे पूछेगा कौन? अभी

कई सारी चीजें बातों में सामने आई पहले उनका जिक्र कर लेता हूं फिर मैं बात बताऊंगा आपको। महावर जी ने कहा 46 हजार मीट्रिक टन का टारगेट था और ईस्ट एमसीडी ने 55 हजार मीट्रिक टन निकाला। अब वो ऐसा क्या हुआ? ध्यान से सुनिए जी क्या हुआ। ये होता उल्टा है। ऐसे नहीं होता कि कितना निकाला उसका बिल बनेगा फिर पार्ट पेमेंट होगी। कहते हैं कितना पैसा है जी उसका पेमेंट कर दो फिर बिल बाद में बना लो। एक्चुअली में क्या था पैसा 55 हजार टन का ही था तो वो दे दिया। अब हमारे सदस्य ने कहा आधा-आधा होता है। क्या कह रहे थे वो जानकारी पर इनका अभाव है। सर कहां गए चले गए? कहते हैं आधा-आधा हो जाता है, आधा बांट देते हैं कॉन्ट्रेक्टर को। अरे भाई साहब अब तो एमसीडी के अन्दर जीजा-साला कम्पनी काम करती है, जीजा-साला कम्पनी। जीजा-साला कम्पनी का मतलब जीजा जेई और साला ठेकेदार या उल्टा भी हो जाता है कई बार। तो घर का पैसा घर में है। ये कई साल पुरानी बात है कि भाई साहब आधा-आधा करते थे तब, जमाना चला गया। अब तो पूरा का पूरा घर के अन्दर माल है। रोहित मेहरौलिया जी कह रहे हैं कि एमसीडी ने दुनिया के अन्दर बदनाम कर दिया। टॉप 100 में भी नाम नहीं आया। मैं ठीक कर दूं रोहित जी। दुनिया में नम्बर वन, दुनिया में नम्बर वन है तो वो दिल्ली की एमसीडी है। किसी भी ऐंगल से ढूंढ लेना दुनिया का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, नाकारा, निकम्मा डिपार्टमेंट कोई है तो वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एक कह लो, दो कह लो, तीन कह लो, तीनों की तीनों उनमें आपस में कम्पीटिशन है।

नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, हैं तो तीनों इनके पास ही। उनमें से नम्बर 1 कौन हैं वो देखने वाली बात है। वैसे तो मैं बता दूं हमारे सारे एमएलए साथी जो बैठे हैं विपक्षी, अगर इन्हें भी कोई काम पड़ जाये एमसीडी से तो अक्ल तो इनकी भी ठिकाने लगा देते हैं वो। अगर कोई रिश्तेदार घर बना रहा हो तो उसका घर वो बिना पैसे के नहीं बनवा सकते। थोड़ा डिस्काउन्ट करवा सकते हैं बस। इतनी औकात है। इतनी मलाई, इनके अन्दर चलती है। सॉरी इस शब्द के लिए। बस थोड़ा सा डिस्काउन्ट कर देते हैं भाई साहब। आप एमएलए साहब के कहने से आये हो, दस परसेन्ट डिस्काउन्ट। दस परसेन्ट, मतलब आपके कहने से बीस परसेन्ट हो जाता होगा, वाजपेयी जी के नाम से। अच्छा सच बता रहा हूं। अकेले नहीं है। कहते हैं भाई साहब क्या करें। इतने नालायक हैं अब करें तो करें क्या। अब सदन के अन्दर तो झूठ बोलना ही पड़ेगा क्या करें। नहीं बोलेंगे तो द्वारका के अन्दर इनको भी पता है सड़क डीडीए की है और गाड़ी दिल्ली पुलिस की है। वो जमीन के अन्दर समा गयी। कहते हैं देखो केजरीवाल की सड़क। अरे भाई इतना कह रहे हो दिलवा दो। डीडीए हमें दिलवा दो। एमसीडी तो खैर इस बार आ ही जायेगी, कोई बात नहीं है। एमसीडी को तो जनता दे ही देगी। तो कम से कम, कम से कम इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो कि जिस झूठ के बारे में आपको बोलते हुए भी खुद भी लड़खड़ाना पड़े। अब भाई साहब वर्मा जी बोले, कहते हैं दूसरी सड़क भी तो है। उन्होंने कहा हमारे सोमनाथ जी ये सब डीडीए की है। कहते हैं नहीं कोई बात नहीं दूसरी है। कहते है कौन सी है दूसरी, बताओ तो सही। कहते हैं वो पता नहीं, कल पूछकर आऊँगा।

...व्यवधान...

माननीय लोक निर्माण मंत्री: अब देखो मिन्टो ब्रिज की बात छेड़ दी आपने। मिन्टो ब्रिज की बात छेड़ी है। देखो मिन्टो ब्रिज रोहित मेहरोलिया जी 6 साल के थे तब भी जाकर बस डूब गयी थी वहां पर। अब इस साल की गारन्टी है, इस साल नहीं डूबेगी। इस बारी नहीं डूबेगी। अबकी बारी हमने सफाई करा दी। अभी हमारे सोमनाथ जी ने कहा कि कागजों पर ड्रेन बनती है। कागजों पर डिसील्टिंग होती है और कागजों पर पेमेन्ट हो जाती है। अरे कागजों के नोटों की तो होती है। तो नोट भी तो कागज के ही है। सब कागजों का खेल है। तो एमसीडी एक ऐसा खेल है। ऐसा मकड़जाल है।

...व्यवधान...

माननीय लोक निर्माण मंत्री: सर जी ऐसा करना। आपके इलाके में जो भी कालोनी हो अच्छी सी उस पर चलो और गली के बाहर, मतलब पूरी कालोनी के बाहर चले जाना। देखना कि बारिश हो रही है। नाली में से एक बूंद पानी निकल जाये तो डिसील्टिंग हो गयी। मैं चलता हूं सरस्वती विहार है मेरे यहां पर। एक भी ड्रेन चलती नहीं। सबने ड्रेन बना रखे है। वो आज तक कभी खुली ही नहीं। मतलब आज की छोड़ो, दस साल से, बीस साल से कभी डिसील्टिंग नहीं हुई। 10 साल में भी नहीं हुई । भाई साहब 15 साल से तो पक्का नहीं हुई हैं जबसे बीजेपी आयी है। तबसे तो बिल्कुल नहीं हुई है। अगर 15-15 साल से डिसील्टिंग नहीं हुई तो ये बिल कहां से बन गये। कोई बात नहीं है अभी एमसीडी आयेगी तब तो जाँच कर ही लेंगे। एसीबी अगर दे देते तो अभी करा देते। तो दरअसल क्या है कि एमसीडी ने ये सोच लिया कि भई उपर की मंजिल में बैठे हैं। कूड़ा नीचे फेको, नीचे फेको। पर कभी-कभी क्या होता है कूड़ा फेकने दिये, लेकिन कहते हैं पानी हमारे लिए भर जाता

है। ब्लॉक हो जाती हैं नालियाँ। अरे भाई साहब आपने अगर पीडब्लूडी के रोड पर फेकना ही है पानी तो जल्दी से फेक दो। क्यों नहीं फेकते। कहते हैं यार वो पता नहीं क्यों नहीं फेकते। सारा का सारा पीडब्लूडी की सड़क पर फेंक दो। हम देख लेंगे। हम पम्प करके निकाल देंगे। जो भी करना है हम निकाल देंगे। वहां तक तो भेजो। कहते है जी अगली बार आप ही डिसील्टिंग कर लेना। मैंने कहा कैसे, कहते हैं अगली बार तो आप आ ही रहे हैं। आप खुद ही कर लेना। देखो एमसीडी का हाल तो ये है। एक आपने कहावत सुनी होगी राजा बड़ा कि, आगे बोलना ठीक नहीं है। सुनी कि नहीं सुनी कि राजा बड़ा कि एक नंग। तो भाई साहब ये बीजेपी कुशासित जो एमसीडी है दुनिया की सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट संस्था है और इस संस्था ने ऐसी हालत बना दी है। पिछली बारी जब इलेक्शन हुए बीजेपी ने पब्लिकली एनाउन्समेन्ट की कि हमारे सारे काउन्सलर भ्रष्ट हैं। पब्लिक एनाउन्टसमेन्ट की थी, पब्लिक एनाउन्समेन्ट, कि सारे बदल डालेंगे। पहले वाले क्या थे। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट है। इस बारी क्या हुआ, महाभ्रष्ट। अबकी बारी क्या करेंगे कि हमारे सारे काउन्सलर महाभ्रष्ट हैं, यही तो कहेंगे। पहले भ्रष्ट थे अब महाभ्रष्ट हैं। अब फिर बदल देते हैं तो जनता कहेगी थोड़ी देर रेस्ट करो। जनता कहेगी थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कोई बात नहीं है। हम इस बारी ईमानदारों को ले आते हैं। अबकी बार तुम्हारे को देख लेंगे हम। एमसीडी में अपना काम कोई नहीं करते। उनके बेसिक काम सबसे इम्पार्टेन्ट काम है सफाई करने का और आज ऋतुराज ने, मुझे तो अभी तक अन्दाजा भी नहीं था, मैं अभी तक सोचता था फिफ्टी-फिफ्टी, कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं ढाई सौ में से सवा सौ काम पर आते हैं, सवा सौ के पैसे खा जाते हैं ये काउन्सलर मिलकर। वो कह रहे हैं 90 परसेन्ट

के खा जाते हैं। ये तो अति हो गयी। अगर 90 परसेन्ट के पैसे तुम खा जाओगे। ये अति है और वैसे भी बता दूं भाई साहब आठ एमएलए है विपक्ष के। जितनी आठों एमएलए की शायद सेलरी वगैरह सबको मिलाकर जितनी इनकम एक महीने में होती होगी उससे ज्यादा एक काउन्सलर शायद एक दिन में कमाता होगा। तो काउन्सलरों ने ऐसा गदर मचा रखा है, अति मचा रखी है। चारों तरफ दिल्ली के अन्दर हाहाकार मचा हुआ इन काउन्सलर्स की वजह से। एक-एक बिल्डिंग के लेन्टर के रेट फिक्सड हैं। अनाथराइज कालोनी के लिए भी फिक्स कर दिये हैं इन्होंने। तो अब तो 100 गज का प्लाट एक लाख रूपये लेन्टर, 200 गज का प्लाट दो लाख रूपये लेन्टर। पांच लेन्टर पड़ते हैं दस लाख रूपये और साउथ दिल्ली का रेट डबल है। साउथ दिल्ली में 200 गज के चार लाख रूपये लेन्टर हैं। अनाथराइज कालोनी के रेट आधे। 100 गज के पचास हजार रूपये का लेन्टर। तो मतलब इतने पैसे लेते हैं दिल्ली के अन्दर। एमसीडी के करप्शन का पैसा पता है कितना है। आप लोगों के लिए बता रहा हूं। कम से कम, कन्जरवेटिव बता रहे हैं बिल्कुल कम करके। पांच हजार करोड़ रूपये एक साल का। और वैसे अथेंटिक देखा जाये तो दस हजार करोड़ रूपये साल का सिर्फ बिल्डिंग के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं। दस हजार करोड़ रूपये इकट्ठा करते हैं साल के अन्दर और फिर रोते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे यार हद हो गयी। तुम जनता को लूट रहे हो। इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो। एमसीडी के टोटल बजट से ज्यादा तो वैसे ही खा जाते हो। आपको एक एम्जाम्पल देता हूं। शॉप का लाइसेन्स होता है, दुकानों का लाइसेन्स होता है। कुछ सौ रूपये लगते हैं और रिश्वत के कुछ हजार रूपये लगते हैं । मतलब सरकार को मिलेंगे 500 रूपये तो उनको रिश्वत मिलेंगी 15000 रूपये। रिश्वत दस गुना,

पन्द्रह गुना, बीस गुना। रिश्वत ज्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एमसीडी को अपना काम करना चाहिए और अपना काम न करने की वजह से, एमसीडी का काम न होने की वजह से जो दिल्ली को ये वाटर लागिंग और ये सारी प्राब्लम झेलनी पड़ रही है ये एमसीडी के बीजेपी के नेतृत्व में जो एमसीडी है उसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। मैं हमारे माननीय सदस्य के द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः नियम 107 के अन्तर्गत सुश्री भावना गौड़, माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। यह सदन अनुशंसा करता हैं कि सुन्दरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके असाधारण, महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत रत्न प्रदान किया जाये। सुश्री भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सुन्दरलाल बहुगुणा जी जैसा उनका नाम और अपने नाम को उन्होंने जिस तरह से चरितार्थ किया। एक महान व्यक्तित्व, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व, 9 जनवरी, 1927 में वो भारत की एक बहुत ही पवित्र भूमि उत्तराखण्ड उसके टिहरी जिले के मरोड़ा गाँव के अन्दर उनका जन्म हुआ। पिता का नाम श्री अम्बावत बहुगुणा भारत, माता का नाम पोना देवी। अध्यक्ष महोदय, जिस उम्र के अन्दर बच्चे खेलते-कूदते हैं, मनोरंजन करते हैं उस उम्र के अन्दर आदरणीय बहुगुणा जी 13 वर्ष की मात्र, 13 वर्ष की आयु के अन्दर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। प्राथमिक शिक्षा उनकी अपने गॉव के अन्दर हुई और बी0ए0 की पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए वो अपने गाँव को छोड़करके लाहौर गये। मात्र 23 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनका विवाह कुछ शर्तों के उपर आधारित था। उनकी श्रीमती जी जो विमला नौटियाल

के नाम से जानी जाती थीं, विवाह से पहले वो गाँधी जी की एक सहयोगी जिनका नाम सरला बहन था, उनके सहयोगी के तौर पर उनके साथ में काम करती थीं और जब सुन्दरलाल बहुगुणा जी के विवाह का प्रस्ताव उनके पास में आया तो उन्होंने एक शर्त उनके सामने रखी कि अभी आप राजनैतिक पटल के उपर काम करते हैं। अगर मेरे साथ जुड़ना है, मेरा साथी बनना है तो आपको राजनैतिक वालंटियर बनना छोड़ना होगा और समर्पित भावों से सामाजिक कामों के साथ में मेरे साथ लगकर, जुटकर काम करना होगा, तो मैं सहर्ष आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। तो इस तरह की शर्त, स्वाभाविक तौर पर सबने कहा है किसी पुरूष को बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए एक महिला का, उसकी पत्नी का विशेष तौर पर योगदान होता है। इसी तरह का योगदान उनकी पत्नी का रहा और लगभग 1956 में इनके जीवन के अन्दर एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उनका पूरा का पूरा जीवन सामाजिक तौर पर, सामाजिक कार्य करने के तौर के पर वो समाज को समर्पित हो गये। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1970 में उन्होंने 'चिपको आन्दोलन' की शुरूआत की और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस समय गढ़वाल हिमालय को लेकर, पेड़ों को काटने को लेकर शान्तिपूर्वक आन्दोलन किये जाते थे। अध्यक्ष महोदय, 26 मार्च, 1974 को चमोली जिले की ग्रामीण महिलायें पेड़ों के साथ में चिपककर खड़ी हो गयी और उन्होंने ये नारा दिया कि हम मर जायेंगे लेकिन पेड़ों को काटने नहीं देंगे और इसी आन्दोलन को 'चिपको आन्दोलन' का नाम दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उनका ये मानना था कि प्रकृति को अगर हम कुचल देंगे तो मानव का विकास कदापि सम्भव नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, 1980 में उन्होंने 5000 किलोमीटर की हिमालय की यात्रा की। उन्होंने उस समय के तत्कालीन

प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी से बातचीत की। उन्हें बताया कि पेड़, वन, हवा हमारा जीवन है और अगर ये पेड़ इसी तरह से कटते रहे तो मानव जीवन कदापि सुरक्षित नहीं है। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इन्दिरा जी ने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार किया। सदन के अन्दर इस प्रस्ताव को लेकर गयी और वहां इस प्रस्ताव को पास किया गया कि कोई भी पेड़ 15 साल से पहले नहीं काटा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कानून बना। सुन्दरलाल बहुगुणा जी ने 'चिपको आन्दोलन' का एक घोष वाक्य दिया था वो मैं सदन के समक्ष रखूंगी।

क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने का आधार॥

ये शब्द थे सुन्दरलाल बहुगुणा जी के। टिहरी बांध के खिलाफ आन्दोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभायी।

उस समय वी.पी. सिंह जी प्रधान मंत्री होते थे। डेढ़ महीने के रेगूलर रोज दिन चर्या उनकी शामिल हो गयी कि वो लोग डेढ़ महीने तक स्वयं सुन्दर लाल जी और उनका पूरा का पूरा जो एक समूह था, जो काम करते थे, उनकी श्रीमती जी उसमें शामिल थी, उन्होंने डेढ़ महीने तक उपवास किया, भूख हड़ताल की टिहरी बांध ना बने उस विषय को सरकार के सामने रखा। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध बनने से टिहरी के जंगल बर्बाद हो जाएंगे और अगर टिहरी के जंगल बर्बाद हो गए और अगर टिहरी बांध टूट गया तो 12 घंटे के अंदर-अंदर बुलंद शहर तक के इलाके तक वो पानी फैल जाएगा, जिसके कारण वहां से टिहरी से लेकर के और बुलंद शहर तक के सब लोग उसमें डूब सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक पुस्तकें लिखीं: 'धरती की पुकार' और 'भू-प्रयोग बुनियादी परिवर्तन की ओर' ये दोनों पुस्तकें अपने आप में बहुत चर्चित रहीं। अध्यक्ष महोदय, बहुगुणा जी ने भूदान आन्दोलन के अंदर भी सक्रिय होकर काम किया। एक बार बाबा आम्प्टे उनके घर गए। बातचीत करते हुए पता चला कि आज वो उपवास पर हैं। उन्होंने बाबा आम्प्टे ने पूछा कि आज का उपवास किस कारण से, तो उन्होंने बताया कि आज शहीदी दिवस है और शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप मैं आज का उपवास हमेशा रखता हूं। तो ऐसा एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसी महान आत्मा आज हमारे बीच में नहीं हैं। शराब को बंद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किये। दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा आन्दोलन छेड़ा।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे पुरस्कार सुन्दर लाल बहुगुणा जी को मिले। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1980 में अमेरिका की 'फ्रेंड्स ऑफ नेचर' संस्था में उनको सम्मानित किया। 1981 में वैकल्पिक नोबल पुरस्कार 'ऑल स्कॉट हॉम' उनको दिया गया। 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार उनको दिया गया, जबकि इस पुरस्कार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक वन का काटना, पेड़ों का काटना रोका नहीं जाएगा तब तक मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करूंगा। 1985 में 'जमना लाल बजाज' पुरस्कार उन्हें मिला। 1987 में 'चिपको आन्दोलन' के लिए 'राइट लाइवलिहुड' पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1987 में 'शेर ए कश्मीर' पुरस्कार से उनको नवाजा गया। 1989 में आईआईटी रूढ़की द्वारा मानद डॉक्टरेट से उनको

सम्मानित किया गया। 1999 में गांधी सेवा से उनको सम्मानित किया गया। 2000 में 'सतपाल मित्तल अवार्ड' उनको दिया गया। 2001 में 'पद्मविभूषण' पुरस्कार का गौरव उनको प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अफसोस है, विडम्बना है कि आज की दुनिया में सबसे बड़े प्रकृति प्रेमी और उसके संरक्षक को आज हमने खो दिया और सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति को बचाने के लिए दिया, उसके संरक्षण के लिए दिया उनके जीवन को प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ से ऊपजी बीमारी 'कोरोना' ने ही उनको अंतिम सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो एक समय के पश्चात् भले ही पार्थिव रुप से हमारे मध्य में ना रहें परंतु मानव एवं प्रकृति की सेवा से जुड़े उनके नि:स्वार्थ सत्य कार्य उन्हें अमर बना देते हैं और वे हमेशा हमारे दिलों में विद्यमान रहते हैं। ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा वाले लोकप्रिय व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे सुन्दर लाल बहुगुणा जी 21 मई, 2021 को ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल के अंदर उनका निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे सामाजिक संघर्षों की जो एक विस्तृत श्रृंखला हमारे बीच में छोड़ करके गए हैं, उनकी अमिट छाप सदैव हमारे दिलों के ऊपर रहेगी। वास्तव में हमने दुनिया के सबसे बड़े प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षक को खो दिया है। अंत में यह सदन अनुशंसा करता है कि श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके असाधारण एवं महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत रत्न प्रदान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री प्रवीण देशमुख।

श्री प्रवीण कुमारः अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया और इसलिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर जिस व्यक्तित्व के बारे में आज यहां पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में और उसके बराबर हम उसके नाखून बराबर भी हम सब लोग मिलकर नहीं हैं। ऐसे व्यक्तित्व सुन्दर लाल बहुगुणा जी के बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और जिनका देहांत जो है 21 मई, 2021 को 94 साल की आयु में हुआ और उनके बारे में कहने से पहले मैं एक दो लाईन में उनकी पूरी ख्याति को दर्शाना चाहता हूं किः-

पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय।

उन्होंने निर्जीव जो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, भावना को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे पेड़ों से उन्होंने एक रिश्ता कायम कर दिया और सिर्फ उन्होंने ही ये संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में दिया कि जिस तरीके से पर्यावरण लगातार हम सबके लिए जरूरी है और ऐसे कई सारे पर्यावरणविद जो है, उनके बाद पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में उसके बाद उत्पन्न हुए। ऐसे बड़ी ख्याति वाले सुन्दर बहुगुणा जी आज हम सबके बीच नहीं हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दांडी यात्रा का जिक्र होता है, नमक सत्याग्रह का जिक्र होता है, उसी तरीके से हिमालय गांधी कहलाने वाले सुन्दर बहुगुणा जी का भी जिक्र होता है, जिनके 'चिपको आन्दोलन' की चर्चा जो है किताबों में पढ़ाई जाती है। उनके चिपको मूवमेंट की बातें जो हैं, पूरे उत्तरखंड में, पूरे

देश भर में की जाती है। उन्होंने 45 दिन का अनशन जो है टिहरी डैम के प्रोजेक्टस से जो विस्थापित लोग हैं और टिहरी डेम के प्रोजेक्ट्स से जो वहां पर पेड़ों को नुकसान हुआ वहां की आबोहवा का, वहां के इंवायरमेंट को, इकोलॉजी को जो नुकसान हुआ, उसके लिए 45 दिन का अनशन किया और 74 दिन का अनशन जो है, उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर किया। हमलोग अगर 2 दिन भी भूखे रह जाएं तो हमें नानी याद आ जाएगी, लेकिन 74 दिन का अनशन जो है, सुन्दर लाल बहुगुणा जी ने जंतर-मंतर पर किया, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यहां पर आप सब के संज्ञान में एक चीज डालना चाहता हूं कि पांच हजार किलोमीटर की पद यात्रा जो है, उन्होंने श्रीनगर से लेकर नागालैंड तक। पहाड़ों में 100 मीटर चलने में भी आज हम जैसे युवाओं की, हम जैसे हैल्दी लोगों की हालत खराब हो जाती है लेकिन उसके बावजूद ऐसी महान शख्सियत सुन्दर लाल बहुगुणा जी ने 5 हजार किलोमीटर की पदयात्रा इंवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने पहाड़ों में की। लेकिन आज बहुत दुख होता है, अध्यक्ष महोदय कि उसके ऊपर जिस तरीके से भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में ये लाना चाहता हूं और बहुत गर्व की बात है कि कुछ दिन पहले हमारे विधान सभा में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में यहां पर सुन्दर लाल बहुगुणा जी का portrait जो है माननीय अध्यक्ष महोदय जी की उपस्थिति में और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में विधान सभा में लगाया गया और पूरे देश भर की यह पहली विधान सभा बनी, जिसमें सुन्दर लाल बहुगुणा जी जैसे व्यक्तित्व का portrait इस विधान सभा में लगा और राजीव जी जो उनके बेटे थे वो इस कार्यक्रम में आए और यहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने इस चीज को

रिलेट किया कि ये portrait लगाने का विचार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के दिमाग में क्यों आया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस तरह के बहुगुणा जी आन्दोलनकारी हैं, जिस तरीके से बहुगुणा जी ने अपना संपूर्ण जीवन आन्दोलन में दे दिया, उसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आन्दोलनकारी हैं और एक आन्दोलनकारी आन्दोलनकारी की भावना समझ सकता है। ये मेरे वर्ड नहीं हैं, ये उनके वर्ड हैं, आपने भी सुना होगा। ये उनके वर्ड हैं और बाद में राजीव जी ने कहा कि जिस तरीके से आप सबलोग उत्तरखंड में तैयारी कर रहे हैं और असलियत में सुन्दर लाल बहुगुणा जी का सपनों का उत्तरखंड अगर कोई बना सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बना सकती है। ये बात उन्होंने कही और अध्यक्ष महोदय, ये सब जब डिस्कस हो रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा यह ऐलान किया गया, ये बताया गया कि जिस तरीके से भारत रत्न तमाम् कई सालों से मिलता आ रहा है, उस भारत रत्न में उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए सुन्दर लाल बहुगुणा जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि उसके लिए वो प्रधानमंत्री को आग्रह करेंगे और चिट्ठी लिखेंगे। बस ये बात सुनते ही भाजपा के सीने पर सांप लोट गए। आप ये समझ लिजिए, भाजपा को हजार वोल्ट का करंट लगा और आनन-फानन में भाजपा वालों ने क्या किया। एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत मानते हैं उनकी बात। बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और आनन-फानन में उन्होंने पूरी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद उसको जिम्मेदारी सौंपी कि आप एक ट्विट कर दो जी और इस ट्वीट में क्या लिखा था कि सुन्दर लाल बहुगुणा जी को भारत रत्न देना रेवड़ी बांटने के समान है। ये मानसिकता है भाजपा वालों की। ये आन्दोलनकारियों को पसंद

नहीं करते, ये आन्दोलनकारियों को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये अपमान सिर्फ बहुगुणा जी का नहीं हैं, पूरे उत्तराखंड के लोगों का अपमान है। पूरे पहाड़ के रहने वाले, उत्तराखंड में रहने वाले ईमानदारी से जिस तरीके से उत्तरखंड में जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, उन सारे उत्तरखंड के लोगों का, उन आन्दोलनकारियों का अपमान है और ये सारी कार्यवाही करने के बाद आनन-फानन में इन्होंने एक ट्विट किया, उसके बाद जिस तरीके से ये लगातार आन्दोलनकारियों को दबाने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने हमारे किसान जो बैठे हुए हैं, कोई भी मुद्दा उठे तो उसे लगातार क्रश करने की भाजपा की आदत है। उन्होंने जिस तरीके से एक किसान आन्दोलन उठा, उसको उन्होंने इसी तरीके से क्रश कर दिया आनन'-फानन में और जिस तरीके से उन्होंने अनर्गल बात करके, जिस तरीके से किसानों के इश्यू को deviate करने की कोशिश की, उसी सुनियोजित तरीके से इस मुद्दे को भी उन्होंने deviate करने की कोशिश की और ये भी सुनने में आया है कि जिन भाजपा के नेता ने यह ट्वीट किया उनको प्रमोशन दे दी गई हैं। उनको प्रमोशन दे दी गयी है तो बहुत शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी कंक्लूड करिये अब प्रवीण जी कंक्लूड करिये प्लीज।

श्री प्रवीण कुमारः जी जी जी, तो उत्तरखंड में लगातार जिस तरीके से असलियत में यह जिम्मेदारी किसकी बनती है। बहुगुणा जी उत्तरखंड की बहुत जानी मानी हस्ति थे। असलियत में उत्तरखंड की सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उत्तरखंड के बहुगुणा जी को वो पूरा सम्मान दिलाए। लेकिन, उत्तरखंड

में जिस तरीके के सरकार चल रही है। उत्तरखंड में जिस तरह की सरकार चल रही है, वो लगातार मुख्यमंत्री बदलने की सरकार चल रही है और सत्ता की बंदरवाट की सरकार चल रही है।

वो चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस आ जाए, एक बार बीजेपी आ जाए और लगातार तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड में वो लोग बदल चुके। तो जिस तरीके की गंदी राजनीति उत्तराखंड में यहां पर भाजपा द्वारा की जा रही है इसकी कठोर निंदा और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राजनीति करना है भाजपा को तो हम उत्तराखंड में जा रहे हैं, राजनीति करें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट का बिजली का ऐलान किया है, इस पर राजनीति करे, इस पर भाजपा वालों की पूरी हालत खराब है।

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी, अब कंक्लूड करिए प्लीज। प्रवीण जी, अब कंक्लूड करिए।

श्री प्रवीण कुमारः कंक्लूड कर रहा हूं सर, अभी तो इन्हें भी कंक्लूड करना है।

माननीय अध्यक्षः मैं टोक रहा हूं न उनको, मैं दो बार टोक चुका हूं।

श्री प्रवीण कुमारः अभी तो इन्हीं को कंक्लूड करना है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि बहुगुणा जी कोई ऐसा नहीं कि पुरस्कार पाकर या पुरस्कार पाने की उनकी कोई इच्छा है। भारत रत्न देकर बहुगुणा जी का मान नहीं बढ़ेगा बल्कि भारत रत्न का मान बढ़ेगा। ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न की वैल्यू

और भारत रत्न वाली पोजिशन की अहमियत बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा डिप्टी सीएम ने अपने वक्तव्य में बताया और जिस तरीके से भावना गौड़ जी ने अभी अपना वक्तव्य रखा इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुगुणा जी को भारत रत्न दिलवाने की मांग की है इसका मैं समर्थन करता हूं और इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी के इतने सालों से काम देखता आया हूं और जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मेरे को एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी बहुगुणा जी को भारत रत्न दिलवाकर रहेंगे ये मेरा पूरा विश्वास है। अब देखते हैं भाजपा क्या करती है, देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते हैं इस पर।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री संजीव झा जी। संजीव जी संक्षेप में रखिएगा प्लीज।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। जैसाकि बाकी साथी बता रहे हैं बहुत विस्तार में चर्चा हुई कि स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा किस शख्सियत के मालिक थे। अभी हाल में ही उनका निधन हुआ है और उनके निधन पर मैं हाउस में अपनी श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित करता हूं और मुझे लगता है कि उनके निधन के बाद दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण संरक्षक को हम सबने खोया है। विस्तार से चर्चा हुई है कि उनका क्या योगदान है, किस तरह से उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया, किस तरह से उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया,

किसने प्रकृति को संरक्षण किया। चिपको आंदोलन की बात हमारे बहुत सारे साथियों ने की और मुझे लगता है कि चिपको आंदोलन अपने आप में बहुत अनूठा उदाहरण था। किस तरह से गांधीवादी तरीके से पेड़ों को बचाया जाए और मुझे लगता है कि पहली बार चिपको आंदोलन के जरिए महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गई। मुझे याद है कि गौरा देवी जी के नेतृत्व में अपनी जान की बाजी लगाकर चिपको आंदोलन के जरिए पेड़ों की रक्षा की गई थी और उसके बाद ही न केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पेड़ों की कटाई को बंद किया था बल्कि वन संरक्षण अधिनियम की शुरूआत भी वहीं से हुई थी, वन विभाग का अलग से निर्माण किया गया था। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने हम सबको पर्यावरण के प्रति सचेत रखना और किस तरह से पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे उसके बारे में विस्तार से बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने हमेशा प्रकृति की लड़ाई लड़ी वो इसी प्रकृति के अवसाद से उपजी एक बीमारी ने उनको लीन कर लिया। जब मैं पहले वेव में कोरोना को देख रहा था, सब लोग घर में थे ऐसा लग रहा था कि जब इंसान रो रहा है तो प्रकृति हंस रही है और जब हम खुश होते हैं तो प्रकृति रोती है। सुंदर लाल बहुगुणा जी हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध मां-बेटे जैसा है। लेकिन जब हम आर्थिक लाभ के लिए जंगल का दहन करते हैं तो थोड़े समय के लिए लाभ तो जरूर होता है लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हम सब लोग सोचते हैं, हम आने वाली जेनरेशन को क्या देंगे। तो हम ये आर्थिक भाग-दौड़ में आर्थिक विकास के 8म में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि आने वाले जेनरेशन को हम हवा भी विषैली दे रहे हैं। आज बच्चा जन्म लेता है तो विषैली हवा ले रहा है।

तो मुझे लगता है कि जिस आंदोलन की शुरूआत आदरणीय सुंदर लाल बहुगुणा जी ने की, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की। बहुत सारे अवाड्र्स से उनको नवाजा भी गया। अभी प्रवीण भाई भी कह रहे थे और जो रेजुलुशन अभी भावना दीदी ने लाया है मैं उनका समर्थन भी करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आज भारत रत्न मिलने से उनकी शख्सियत और बड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं है। भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ेगा और साथ में उनके जरिए फिर इस जेनरेशन को प्रेरणा भी मिलेगी, आखिर लोग पढ़ेंगे कि बहुगुणा जी का काम क्या था। आखिर किस बात की लड़ाई लड़ी और आज जो चुनौती हमारे सामने है पर्यावरण को लेकर , प्रदूषण को लेकर उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का धन्यवाद आपको भी करता हूं कि आदरणीय बहुगुणा जी की प्रतिमा को यहां लगाया, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कि एक अनूठी शुरूआत है। जब-जब हम बहुगुणा जी को देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सबकी अपनी जिम्मेदारी के प्रति हम सब लोग और दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस पर राजनीति होने लगती है तो बहुत बुरा लगता है। जैसा प्रवीण भाई कह रहे थे कि भाजपा के साथी कह रहे हैं कि रेवड़ी जैसा बांटा जा रहा है। या तो आपको आदरणीय बहुगुणा जी की शख्सियत का अंदाजा नहीं है या आप समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है या आप बहुत बड़े अंहकारी हो गए हैं। अगर आपको बहुगुणा जी की जो लड़ाई थी उसका रत्ती भर भी अहसास होता तो कम से कम इतना गैर जिम्मेदार बयान आप नहीं देते। तो मुझे ये लगता है कि अपने आप में और अगर मान लीजिए कि उनको भारत रत्न देना राजनीति है तो आप कर लीजिए, मौका तो आपके पास है। क्यों नहीं फायदा उठाते आप? लेकिन आपका ये गैर

जिम्मेदाराना बयान दर्शाता है कि आप में संवेदनशीलता कितनी है। तो कम से कम जिस शख्स ने इस समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, उसके लिए इतनी छोटी बातें, इतनी ओछी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं अपने विपक्ष के साथियों से भी कि आज बहुगुणा जी की जो लड़ाई रही है, बहुगुणा जी का जो त्याग रहा है, उनका जो समर्पण रहा है प्रकृति के लिए, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम किया, वो हम सबके लिए प्रेरणा भी है और सीख भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भावना जी जो प्रस्ताव लायी हैं मैं तो समर्थन करता ही हूं विपक्ष भी राजनीति से ऊपर उठकर के इस प्रस्ताव के साथ होंगे और आदरणीय बहुगुणा जी को भारत रत्न का जो प्रस्ताव पेश किया गया है वो उनको दिया जाए। मैं इस मांग के साथ और प्रस्ताव के साथ अपना समर्थन जताता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद संजीव जी। शिवचरण गोयल जी।

श्री शिव चरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा जी जिनकी अभी पूरी चर्चा हुई। 21 मई 2021 को हमारे बीच में कोरोना महामारी की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जिनका योगदान 94 साल तक हमारे आजादी से पहले और अब तक, आजादी में भी योगदान था, उसके बाद भी वो अपने कार्यक्षेत्र में लगे रहे। पर्यावरण से संबधित जिस समस्या से आज पूरा संसार जूझ रहा है उन्होंने 52 साल पहले ही उसका अहसास कर लिया था कि हमें पूरे वन्य जीवन को बचाना है और वो 1970 से जो चिपको आंदोलन जिसकी जागृति पूरे संसार में प्रथम बार किसी महान दार्शनिक ने की, वो सुंदर लाल बहुगुणा जी जिन्होंने महिलाओं का साथ लेकर पेड़ों के साथ उसको संरक्षण देकर पूरे

संसार में एक मैसेज दिया और आज तक हम कहीं न कहीं उस पर्यावरण की वजह से जो उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया, उसका अनुसरण करते हुए और ये टिहरी बांध जो इतना लंबा आंदोलन चला उसके पूरे मार्गदर्शक रहे। 1971 में शराब की दुकान खोलने को रोकने के लिए 16 दिन तक अनशन किया। 1986 में जमना लाल बजाज पुरस्कार से और 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हमारे लिए हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। जिन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए हमारे सदियों पुराने लोकाचार को प्रकट किया, उनकी सादगी और करूणा की भावना को कभी भुलाया नहीं जा सकता और सारी बातें विस्तार में हो चुकी है। मुझे इतना ही कहना है कि जो हमारी बहन भावना जी ने प्रस्ताव रखा है भारत रत्न का, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो भाजपा इस पर अपनी राजनीति कर रही है, ये राजनीति से प्रेरित होकर इसमें राजनीति न करके हमें एक मंच पर आकर इसका समर्थन करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन माननीय भावना गौड़ श्री सुंदर लाल बहुगुणा जी को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके असाधारण महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत रत्न उनको दिया जाए ऐसा प्रस्ताव वो लाई हैं। इस पर तो पूरा सदन एकमत है उस पर कोई दोराय हो नहीं सकती आदरणीय अध्यक्ष जी। उनके बारे में जो कुछ हमारी बहन ने कहा है भावना जी ने मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता।

1949 में स्वर्गीय बहुगुणा जी ने दलित छात्रों के उत्थान के लिए कार्य शुरु किया। उनके प्रयासों से दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए गए और माननीय अध्यक्ष जी आज हम उनको याद कर रहे हैं इस बात को लेकर भी हमको खुशी है कि उनके प्रयासों से दलितों को मंदिरों में दर्शन करने का, प्रवेश करने का भी अवसर उनके प्रयासों की बदौलत मिला। स्वर्गीय बहुगुणा जी को 'पर्यावरण गांधी' के नाम से भी लोग जानते हैं। भावना जी ने बताया कि उनको अनेक अवाड्र्स दिये गए। मुझे लगता है कि एक अमेरिका की संस्था है "Friend of Nature" नाम की जो संस्था है उसने 1980 में उनको सम्मानित किया ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं सुझाव के तौर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि Hon'ble Chief Minister यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि ये माननीय बहुगुणा जी 1971 में 17 दिन तक कोई नई शराब की दुकान न खोली जाए उसके विरोध में अनशन पर बैठे रहे। मैं चाहूंगा कि ये सदन आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करे और स्वर्गीय बहुगुणा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज हम इस हाउस में इस बात की शपथ लें और दिल्ली की सरकार दिल्ली के Hon'ble Chief Minister यह घोषणा करें कि अब हम दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे इस दिल्ली को हम शराब की नगरी नहीं बनने देंगे तो ये स्वर्गीय बहुगुणा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और अंत में मैं एक बात कहते हुए सुझाव के तौर पर उसको दूसरी तरह से न लें। xxxxxxx[2]

मननीय अध्यक्षः ये कोविड वाला विषय हटा दें जितना बोला है बिधूड़ी जी ने कार्यवाही से हटा दें। बिधूड़ी जी नहीं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxxx[2]

मननीय अध्यक्षः मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने माना।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं कहता हूं उनके प्रति बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मननीय अध्यक्षः मैं इस पर कोई ...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxxx[2]

मननीय अध्यक्षः ये हटा दीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxxx[2]

मननीय अध्यक्षः जितना बोल रहे हैं वो हटा दीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxxxx अंत में आदरणीय अध्यक्ष जी चूंकि ये प्रस्ताव आया है इतने महान पर्यावरणविद को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सदन के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मननीय अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पिछले 5-7 साल से जब से हम लोग राजनीति में आए हैं, जब से दिल्ली में सरकार बनी है और जब से इस हाउस में आना हुआ है, इस हाउस में इतने सारे प्रस्ताव आए, इतने सारे रिजोल्युशन आए लेकिन ये एक ऐसा रिजोल्युशन है जिसके ऊपर बात करते हुए, बोलते हुए बहुत गर्व

---

2. xxxxxxxxxxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जो एक बहुत विजनरी लीडर था। 1960-1970 के दशक में कौन पर्यावरण की बात करता था। कोई पर्यावरण की बात नहीं करता था, कोई पेड़ों की बात नहीं करता था। उन दिनों में उस वक्त उन्होंने एक ऐसा विजन दिया, न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को कि अगर हमने अपने पर्यावरण को बचाकर नहीं रखा, अगर हमने अपने जल, जंगल, जमीन को बचाकर नहीं रखा, अपनी नदियों को बचाकर नहीं रखा, अपने पेड़ों को बचाकर नहीं रखा और अगर हमने अपने जीवन को पर्यावरण के साथ समन्वय करके नहीं ढ़ाला तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। ये विजन उन्होंने उस वक्त दिया था जब कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता था इतने बड़े विजनरी लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। जैसा भावना जी ने अभी उनके सारे जीवन के बारे में बताया मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक काम करना शुरु कर दिया था। 13 साल की उम्र में तो हम आठवीं-नौंवी क्लास में हुआ करते थे हमें शायद कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं होती होगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक जीवन शुरु कर दिया और बचपन से ही उन्होंने जो दलितों के खिलाफ छूआछूत होती है उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरु किया। दलितों के लिए उन्होंने हॉस्टल्स बनवाये। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए संघर्ष किया था वैसे ही बहुगुणा जी ने भी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए वो आजीवन संघर्ष करते रहे। नशाबंदी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। कई सारी शराब की दुकानें बंद करवाईं। महिलाओं को इसके लिए एकत्रित किया और नशे के खिलाफ समाज के अंदर काफी उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़-चढकर हिस्सा लिया। हमारे जो आजादी के

दीवाने थे उनके साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और गांधीवादी जीवन उन्होंने बिताया। जैसा की इन्होंने बताया भावना जी ने की जो शादी उनकी हुई थी उन्होंने विमला जी के सामने एक शर्त रखी, होने वाली पत्नी के सामने कि मैं तभी शादी करूंगा अगर आजीवन तुम मेरे साथ ग्रामीण इलाके में रहोगी और आश्रम में रहोगी। हमारे यहां तो आजकल के जमाने में होता है कि एक मर्सडरीज देगी अगर तभी शादी करूंगा और एक बड़ा घर देगी, उन्होंने कहा कि मेरे साथ गांव में रहेगी और आश्रम में रहेगी तभी मैं शादी करूंगा। उनके चिपको आंदोलन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में 5000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। उनके पूरे जीवन से कई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से भी और उनके जीवन के संदेश से भी। मुझे बेहद खुशी है कि इसी विधानसभा ने अभी कुछ दिन पहले उनको और उनके परिवार को बुलाकर सम्मानित किया था और उनके पोट्रेट को शायद पूरे देश में ये अकेली विधानसभा है जब मरणोपरांत उनके पोट्रेट को इस विधानसभा में स्थापित किया गया है। हमने उनके पूरे परिवार को बुलाकर सम्मानित किया। आज हालांकि दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर रही है लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये भावना और ये डिमांड पूरे देश की है। आज ये विधानसभा जो प्रस्ताव पारित कर रही है ये मांग पूरे देश की है और ये चाहत पूरे देश की है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसी महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वैसे मैं तो समझता हूं कि भारत रत्न सम्मानित होगा अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो और हमारे देश में परंपरा ये हो गई है कि किसी के मरणोपरांत हम देते हैं, हमें उनकी याद आती है। बहुत अच्छा होता अगर वो जीवित होते और जीवित रहते हुए अगर हम उन्हें भारत रत्न देते। मैंने इस सिलसिले में

प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरा हाउस सभी पार्टियां मिलकर चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो सभी मिलकर एक आवाज में युनेनिमस ये रिजोल्युशन पास कर रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि केन्द्र सरकार देश के लोगों की इस भावना के अनुसार उन्हें भारत रत्न जरूर देगी। एक छोटा सा मैं रिजोल्युशन में चेंज प्रस्तावित कर रहा हूं इसमें लिखा है for his contribution in the field of environment' मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे contribution किए हैं तो केवल environment तक उनका सीमित न हो हम ये लिख दें for his enormous and significant contribution' बस सिर्फ environment की बजाय सब चीजों में उनका... तो मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें भारत रत्न जरूर मिलेगा।

मननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण भावना गौड जी द्वारा प्रस्तुत ये प्रस्ताव जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संशोधन रखा है उसके साथ सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ

माननीय सदस्यगण मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कल 30 जुलाई 11 बजे सदन आरंभ होगा। अब सदन नियमित रूप से 11 बजे जब भी सेशन होगा 11 बजे हुआ करेगा। अब से पहले 280 के लिए व्यवस्था थी कि हम माननीय

सदस्यों को ड्रॉ के लिए 9 बजे आना पड़ता था जिस दिन 280 लगते थे उससे अगले दिन अब से ये व्यवस्था बदल रहे हैं आज 280 के ड्रॉ जो कल लगने हैं वो अभी आप आए हैं यहां दोबारा नहीं आना पड़ेगा तो आज ही शाम को अभी आधा घंटे बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद ड्रॉ होंगे और इसमें आप देख लें दिलीप पांडे जी इधर से विपक्ष की ओर से जो भी जाए वो देख लें यह थोड़ी जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। मैं धन्यवाद भी कर रहा हूं माननीय सदस्यों का आज थोड़ा सा मैं नाराज भी हुआ मेरी भावनाएं थी उसके लिए सदन से माफी चाहता हूं। अब सदन की कार्यवाही 30 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन्द।

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।